एकादश माला, खंड 3, अंक 8

शुक्रवार, 19 जुलाई, 1996
28 आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

दिनांक 19 जुलाई, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(11)	18	डा० टी०सुब्बारामी रेड्डी	डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी
30	15	श्री हन्नाम मोल्लाह	श्री हन्नान मोल्लाह
141	1	प्रश्न सं 1176	प्रश्न सं. 1179
185	नीचे से 13	संदभ वर्ष	संदर्भ वर्ष
190	8	डा० रामकृष्ण कुसमारिया	डा० रामकृष्ण कुसमरिया
192	11	कृपा सिन्धु भाई	कृपासिन्धु भाई
204	नीचे से 14	श्री पी.उपेन्द	श्री पी. उपेन्द्र
214	13	नालान्दा	नालन्दा
251	16	श्री रमाकांत डी. खलप	श्री रमाकांत डी. खलप

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 8, शुक्रवार, 19 जुलाई, 1996/28 आषाढ़, 1918 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	141 से 143	2—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	144 से 160	23—45
अतारांकित प्रश्न संख्या	1080 से 1233	45—195
जम्मू तथा कश्मीर में श्रमिकों की हत्या के बारे में		197—210
व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सी टी बी टी) के बारे में		212—217
सभा पटल पर रखे गए पत्र		219—222
सभा का कार्य		222—226
समितियों के लिए निर्वाचन		226—227
(एक) मसाला बोर्ड		226
(दो) रबड़ बोर्ड		226—227
(तीन) कॉफी बोर्ड		227
कार्य-मंत्रणा समिति		
दूसरा प्रतिवेदन—स्वीकृत		228
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन तीसरा अध्यादेश 1996 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प—वापस लिया गया		250
तथा		
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक—पारित		250—251
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री रामश्रय प्रसाद सिंह		229—231
श्री रमाकांत डी. खलप		231—238
जस्टिस गुमान मल लोढा		238—250
खंड 2 से 6 और 1		250—251
पारित करने के लिए प्रस्ताव		251
श्री जार्ज फर्नान्डीज		251—252
श्री रमाकांत डी. खलप		252

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित		252—260
(एक)	**गैर-सरकारी अन्वेषक विधेयक**	
	श्री अमर पाल सिंह	252—253
(दो)	**दंड विधि (संशोधन) विधेयक**	
	श्रीमती गीता मुखर्जी	253
(तीन)	**राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक**	
	श्री अमर पाल सिंह	253—254
(चार)	**सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) निरसन विधेयक**	
	श्री जार्ज फर्नान्डीज	254
(पांच)	**संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 312 में संशोधन)**	
	श्री जार्ज फर्नान्डीज	254
(छः)	**काम पाने का अधिकार विधेयक**	
	श्री जार्ज फर्नान्डीज	254—255
(सात)	**संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 80 आदि में संशोधन)**	
	श्री जार्ज फर्नान्डीज	255
(आठ)	**विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक**	
	डा. टी. सुबबारामी रेड्डी	255—256
(नौ)	**अनिवार्य शिक्षा विधेयक**	
	डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	256
(दस)	**कबाड़ बीननेवाले और अन्य निस्सहाय-निराश्रित बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक**	
	डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	256—257
(ग्यारह)	**जनसंख्या नियंत्रण विधेयक**	
	डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	257
	श्री जी.एम. बनातवाला	257—258
	डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	258—260
(बारह)	**संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची में संशोधन)**	
	प्रो. रासा सिंह रावत	260
बेरोजगारी के बारे में गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—जारी		260—293
श्री राधा मोहन सिंह		261—263
श्री रमेश चेन्नितला		263—268
श्री नवल किशोर राय		268—272
श्री हन्नान मोल्लाह		272—275
श्री सुरेश प्रभु		275—283
श्री डी. वेणुगोपाल		283—286
श्री चित्त बसु		286—290
श्री बृज भूषण तिवारी		290—293
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
11 जुलाई, 1996 को बिहार के भोजपुर जिले में आगजनी और नरसंहार की घटना		
श्री इन्द्रजीत गुप्त		297—300

लोक सभा

शुक्रवार, 19 जुलाई, 1996/28, आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे एक भूतपूर्व साथी श्री आर. जीवरत्नम के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री आर. जीवरत्नम 1984-1996 के दौरान आठवीं से दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने तमिलनाडु के आर्कोनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वह 1962-67 के दौरान तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री जीवरत्नम ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप में भाग लिया। भारतवासियों के स्वतंत्रता के लिए संग्राम की ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट करने के लिये उनके द्वारा किये गये प्रयास उल्लेखनीय है। 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के दौरान उन्हें कई वर्षों तक जेलों में कष्ट भोगने पड़े।

श्री जीवरत्नम ने अनेक देशों की यात्रा की और वे 1986 में मध्य अफ्रीका गये संसदीय शिष्ट मंडल के सदस्य थे। वह एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे। वे समाज के पद दलित वर्गों के कल्याण के लिए और उनमें शिक्षा के प्रसार हेतु निरन्तर कार्य करते रहे। वह मुथुरंगम सरकारी कला महाविद्यालय, वैल्लोर के संस्थापक चेयरमैन थे।

उन्होंने सदन की कार्यवाहियों में और अनेक संसदीय समितियों में मूल्यवान योगदान किया।

श्री जीवरत्नम का 28 जून, 1996 को 75 वर्ष की आयु में वैल्लोर, तमिलनाडु में निधन हुआ।

हम अपने प्रतिष्ठित साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करने में सदन मेरा साथ देगा।

अब सभा दिवंगत आत्मा की स्मृति व सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।]

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

लघु उद्योगों में पूंजी निवेश

*141. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों में वर्तमान पूंजी निवेश सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सीमा कितनी है तथा इसे और कितना बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों की वर्तमान सूची में मदों को कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). इस समय, किसी लघु उद्योग एकक के लिए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश की सीमा 60 लाख रु. है। सहायक औद्योगिक उपक्रमों/निर्यातोन्मुखी लघु उद्योग एककों के मामले में यह सीमा 75 लाख रु. है। वर्तमान पूंजी निवेश सीमा में वृद्धि सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ). इस समय, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की संख्या 836 है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से आरक्षित मदों की सूची की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : डिप्टी स्पीकर साहब, जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारा ओवर पापुलेटेड कंट्री है। 1990-91 में इसमें जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, उस लिमिट में उसके बाद कोई इन्क्रीज नहीं हुआ है जबकि रुपए का डीवैल्युएशन भी हुआ है और ग्लोबल कम्पीटीशन होने के कारण भी ज्यादा लोड है। इसकी इम्पोर्टेंस आई.एल.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार भी जो संसार के दूसरे मुल्क हैं, उनमें भी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रिफरेंस दिया जाता है और यू.एस.ए. और जापान जैसे देश भी प्रिफरेंस देने लगे हैं।

ओ.ई.सी.डी. के जितने मुल्क हैं, उन्होंने भी स्माल स्केल इंडस्ट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। हमारी कंट्री जो कि ओवर पाप्यूलेटेड कंट्री है इसमें और भी ज्यादा इसकी महत्ता बढ़ जाती है और खास तौर पर

महात्मा गांधी जी ने इस देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाने के लिए जो मापदण्ड निर्धारित किया था, उस पर इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है, वह भी इनक्रीज नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहीं सेमिनार में कहा था कि यह लिमिट 60 लाख रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये तक इन्क्रीज हो जायेगी। इसके पहले श्री एम. अरुणाचलम जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे। अब वे अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। उन्होंने भी ऐसा ही प्रपोजल दिया था। मगर यह प्रपोजल इम्पलीमेंटेशन में अभी तक नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह है?

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक्साइज ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करने के लिए और मशीनरी को इम्पोर्ट करने के लिए आर.बी.आई. को हिदायतें दी हैं? लोन्स के लिए और रेट ऑफ इंट्रस्ट को कम करने के लिए क्या सरकार तैयार है?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, हम सभी को लघु उद्योग क्षेत्र के महत्व और भारत की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के बारे में जानकारी है। वस्तुतः हमारे औद्योगिक उत्पादन में इस क्षेत्र का 48 प्रतिशत योगदान है। यह क्षेत्र 50 प्रतिशत फैक्टरी कार्मिकों को रोजगार प्रदान करता है और हमारे निर्यात में 35 प्रतिशत योगदान लघु क्षेत्र का है। जैसा कि मैंने पहले कहा है इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना है। वर्तमान सीमा 60 लाख रुपये हैं। कई तरफ से यह मांग की जा रही है कि इस निवेश को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया जाए।

हाल ही में सरकार ने सचिवों की एक समिति गठित की थी जिसने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। सरकार इस सीमा को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यह कब तक हो जायेगा क्योंकि यह प्रपोजल कई बार आ चुका है। दूसरा, टैक्स एगजंपशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तीसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने सुना है कि गवर्नमेंट फॉरन एक्विटीज को इंटरविन करने के लिए प्रपोजल कर रही है। अगर यह सही है तो यह हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनसे कम्पीट नहीं कर पायेंगी क्योंकि उनकी मशीनरी और टैक्नोलॉजी अच्छी होगी। हमारी सरकार न तो टैक्नोलॉजी मुहैया करती है और न ही स्टाफ के लिए लैबोर्टीज वगैरह का इंतजाम करती है, उनको टैक्स फ्री भी नहीं करती। अगर इस देश में मल्टीनेशनल्स कम्पनी इंटरविन होंगी तो यह बहुत ही खतरनाक होगा। क्या यह सही है कि फॉरन इक्विटीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जायेंगी?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि यह कितनी शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसके अध्यक्ष डा. आबिद हुसैन हैं। यह रिपोर्ट अक्तूबर के अन्त में प्रस्तुत कर दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के पश्चात हम इसकी सभी सिफारिशों पर विचार करेंगे और साथ ही इस सीमा को बढ़ाने पर भी विचार करेंगे।

माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लघु उद्योग क्षेत्र में आने की अनुमति दी गई तो इससे लघु उद्योग नष्ट हो जायेंगे। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। हमारे सांझे न्यूनतम कार्यक्रम में बताया गया है कि कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन को उपयुक्त वित्तीय तथा अन्य उपाय करके हतोत्साहित किया जायेगा। महोदय, इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

फिर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अनेक स्वदेशी उद्योग ऐसे हैं जो घरों में अथवा गांवों में चलाये जाते है और जिनमें कम कुशलता की आवश्यकता पड़ती है तथा अधिक लोगों को रोजगार मिलता है।

इन उद्योगों को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विदेशी निदेश से इन उद्योगों का स्थान दूसरे उद्योग न ले लें। हम इस बात का पर्याप्त रूप से ध्यान रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 'सी. और 'डी' पार्ट का जो उत्तर दिया है, उसमें कहा है कि -

[अनुवाद]

"इस समय, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की संख्या 836 है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से आरक्षित मदों की सूची की पुनरीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।"

[हिन्दी]

यह रिप्लाई इवेसिव है क्योंकि सवाल में साफ साफ पूछा गया था कि —

[अनुवाद]

"क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों की वर्तमान सूची में मदों को कम करने का है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?"

[हिन्दी]

इसके बारे में सरकार की क्या राय है? क्या लिस्ट को छोटा करने जा रहे हैं, उसकी छटाई करने जा रहे हैं या उसको बढ़ाने जा रहे हैं? इस बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए था। पार्लियामेंट की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की रिकमैंडेशन है कि एस.एस.आई. को प्रोटैक्शन मिलना चाहिए और जो रिजर्व्ड लिस्ट है उसकी छटाई

नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? जब आप लिस्ट की छटाई कर देंगे जो एस.एस.आई. में प्रोड्यूस होता है, तब बिग कम्पनीज, मल्टी नैशनल कार्पोरेशनन्स, फौरन कम्पनीज सब आएंगी और उनके साथ कम्पीट करना मुश्किल होगा। मंत्री जी ने कहा कि फैक्ट्री इम्प्लॉयमेंट में एस.एस.आई. का 50 प्रतिशत का शेयर है और एक्सपोर्ट का 35.15 प्रतिशत शेयर है। ऐसी स्थिति में इसके बारे में साफ जवाब आना चाहिए। स्पैसीफिक प्रश्न पूछा गया है स्पैसीफिक जवाब आना चाहिए।

दूसरी बात मंत्री जी ने माननीय सदस्य के उत्तर में जो कही थी, उसमें एक बात की सफाई और जरूरी है। जहां तक लिमिट रेज करने की बात है, इसके बारे में एस्कपर्ट कमेटी का रिकमैंडेशन का इन्तजार कर रहे हैं, अक्टूबर तक रिपोर्ट आएगी। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि अभी जो इक्विटी होल्डिंग की प्रैजेंट लिमिट 24 प्रतिशत है, क्या उसको बढ़ाकर मल्टी नैशनल कम्पनीज, फौरन कम्पनीज और लार्ज इंडस्ट्रीज की बैक डोर ऐंट्री होगी? इसको प्रीवैंट करने के लिए सरकार ने क्या मकैनिजम सोचा है या लिबरलाईजेशन के इस दौर में उनकी भी इक्विटी होल्डिंग बढ़ा देंगे और दरवाजा खोल देंगे?

इन्होंने अपने यूनाईटेड फ्रंट के कॉमन प्रोग्राम की चर्चा को और कहा है कि लो प्रायरिटी एरिया में एम.एन.सीज नहीं आएंगी। हम जानना चाहते हैं कि क्या बीकानेर की भुजिया बनाने के लिए मल्टी नैशनल कम्पनियां आएंगी? पापड़ बनाने के लिए मल्टी नैशनल आ रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में मल्टी नैशनल्स ने अपनी ऐंट्री कर दी है और आपने तारीफ की है कि पेप्सी कोला से किसानों को बड़ा भारी लाभ हो रहा है जबकि फैक्ट ऐसा नहीं है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में लो प्रायरिटी एरिया की जो डैफीनेशन आपकी तरफ से दी गई है, इसके बारे में कंट्रोवर्सी है। ऐसी स्थिति में आपके इस क्लेम पर विश्वास नहीं होता। इसलिए साफ बताएं कि इक्विटी होल्डिंग का लैवल बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ने जो सुझाव दिया है कि रिजर्व्ड लिस्ट की छटाई नहीं करनी चाहिए, इसपर आपका क्या रिऐक्शन है?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं दूसरा प्रश्न पहले लूंगा। यद्यपि बड़ी कम्पनियों की अंश पूंजी में सांझीदारी को 24 प्रतिशत से कुछ प्रतिशत और बढ़ाने की मांग की जा रही है किन्तु फिलहाल यह अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्य को यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस पर केवल विचार कर रहे हैं, हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो लघु उद्योग क्षेत्र और गृह उद्योग क्षेत्र के लिए हानिकर हो। वस्तुतः हमारी यह ठोस राय है कि लघु उद्योग क्षेत्र और गृह उद्योग क्षेत्र का केवल संवर्धन नहीं, बल्कि संरक्षण भी किया जाए।

जहां तक आरक्षण का सम्बन्ध है मैं यह सूचनार्थ बताना चाहता हूं कि हमने 1967 में 47 मदों के आरक्षण से शुरूआत की थी। इस समय लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 836 मद आरक्षित हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि लघु उद्योग विभाग की आरे से एन.आई.सी. द्वारा की गई दूसरी अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार 836 मदों में से केवल 233 मदों का ही उत्पादन हो रहा है। इतना ही नहीं 80 प्रतिशत लघु एकक आरक्षित मदों में से केवल 39 मदों का ही उत्पादन कर रहे हैं। अन्य पहलू यह है कि उत्पादन की आरक्षित मदों की सूची में दर्ज 60 मदों का उत्पादन आरक्षित मदों के कुल उत्पादन का केवल 80 प्रतिशत है।

इन आरक्षित क्षेत्रों में वृद्धि कम है और मन्दी का सामना कर सकने की क्षमता भी कम है। लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य के विचार पर भी ध्यान देता हूं। यह अत्यधिक संवदेनशील मामला है क्योंकि वर्तमान में उद्योग क्षेत्र से लायसेंस समाप्त करने से लघु उद्योग क्षेत्र को बड़े और मध्यम उद्योग क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उनके लिये सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कटौती करने से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए संरक्षित क्षेत्र संकुचित हो गया है अतः हमें उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। हमने मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति गठित की हैं यह कोई निर्णय नहीं ले सकी। इसलिए सलाहकार समिति के आरक्षण की समस्या पर विचार करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव श्री विजयराघवन की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की है जो यह सब देख रही है।

दूसरे, आबिद हुसैन समिति जो लघु उद्यमों विषयक पर एक विशेषज्ञ समिति है। यह समिति सरकार द्वारा समग्रतः अपनाई जाने वाली नीति तैयार करने के साथ साथ इस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन भी कर रही है। और तीसरे, एक अध्ययन दल है जिसका उद्देश्य आरक्षण सहित युक्तिसंगत समर्थन कार्यक्रम तैयार करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र की शक्ति और कमियों का पता लगाना है। आबिद हुसैन समिति को अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1996 में प्रस्तुत करनी है। अतः हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे। तभी हम इन समस्याओं पर विस्तृत वाद विवाद करेंगे। तभी हम इस समस्या को समझ सकेंगे। इसलिए यह चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। मेरा माननीय सदस्य को इस बात से यह आश्वस्त करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : बीकानेरी भुजिया के बारे में क्या है?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, माननीय सदस्य ने बीकानेरी भुजिया के बारे में पूछा है। मैं इडली और दोसा के क्षेत्र से आया हूं। इसलिए मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : इडली और दोसा की बिक्री शीघ्र ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां करेंगी।

श्री मुरासोली मारन : ठीक कह रहे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : कुछ साल इंतजार करें। बीकानेरी भुजिया की तरह एक बहुराष्ट्रीय दोसा 100 रुपये में मिलेगा।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मुझे बताया गया है कि बीकानेरी भुजिया का पैप्सी द्वारा उत्पादन नहीं हो रहा है वह तो केवल इसका

विपणन कर रही है। वह कुछ मूल्यवर्धन कर रही है। वह इसे आकर्षक पैकेट में बंद कर बेच रही है। अतः इससे श्रम का विस्थापन नहीं हुआ है। मुझे ऐसी रिपोर्ट दी गई है।...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैंने, व्यापार चिन्ह विधेयक सम्बन्धी समिति के सदस्य की हैसियत से राजस्थान में जयपुर तथा अन्य स्थानों का दौरा किया है। अनेक लोग तथा भुजिया निर्माता संगठन के सदस्य मेरे पास आए और उन्होंने यह कहा कि उनके व्यापार में कमी हो रही है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने श्रमिकों की छंटनी करनी पड़ेगी। इस काम में लगभग 50,000 लोग लगे हुए हैं। यह समिति के रिकार्ड में है।

श्री मुरासोली मारन : कृपया मुझे जानकारी दें। मैं इसकी जांच करूंगा। मुझे यह जानकारी है कि पैप्सी कम्पनी द्वारा पैक की गई और सप्लाई की जाने वाली बीकानेरी भुजिया गली मौहल्लों में उपलब्ध साधारण बीकानेरी भुजिया से अधिक महंगी है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : इसका विपणन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि एक बार बाजार में आने पर इसका टेलीविजन पर और अन्य माध्यमों से प्रचार किया जाता है।

श्री नीतीश कुमार : एक बार ये बाजार पर हावी हो गए तो ये इसके उत्पादन पर भी हावी हो जायेंगे।

श्री मुरासोली मारन : लेकिन इसके लिए उन्हें अधिक मूल्य देना पड़ेगा, इसे आपको नहीं भूलना चाहिए। यदि लोग अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हैं...**(व्यवधान)** यह आधारभूत बात है...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : वे विज्ञापन पर बहुत अधिक धन व्यय करते हैं।

श्री मुरासोली मारन : जैसा भी हो, यह मुद्दा तो है हम इस समस्या पर विचार करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से कुछ जानकारी प्राप्त करूंगा।...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : महोदय, कृपया हमें बचाएं। हम बहुत महंगे 'अंकल चिप्स' खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस देश में हर व्यक्ति यह जानता है। आप इसे क्यों टाल रहे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री एम.एस.बी. खितयन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विवरण से पता चलता है कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 836 मद आरक्षित हैं। महोदय, मुझे विश्वास है साईकल टायर और टयूब इन आरक्षित एककों में शामिल नहीं हैं। साईकल गरीब व्यक्ति का वाहन है। प्रत्येक घर में एक साईकल होती है। आजकल, आम चुनावों के बाद तमिलनाडु में भी साईकल का निशान बहुत लोक प्रिय हो गया है। इस समय आटोमोबाइल टायरों और टयूबों के बड़े बड़े निर्माता साईकल के टायर और टयूबों का विनिर्माण कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र में साईकल के टायर और टयूब का विनिर्माण करने वाले एकक रुग्ण हो रहे हैं और ये बन्द होने की स्थिति में आ गए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या साईकल के टायर व टयूबों का विनिर्माण लघु उद्योग के एककों के लिए आरक्षित किया जायेगा?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मुझे इस बात का कोई पता नहीं है कि साईकल, टायर और ट्यूब आरक्षित सूची में है अथवा नहीं। मैं समझता हूं ये आरक्षित हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आरक्षण 1967 से ही लागू हुआ है।

अतः यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां या बड़ी कम्पनियां 1967 से पहले से इनका उत्पादन कर रही हैं तो तब इन पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। सम्भवतः उन्होंने इस प्रावधान का सहारा लिया है। ये इनका निर्माण करते रहेंगे। यदि कोई उद्योग रुग्ण हो जाता है तो उनकी रुग्णता दूर करने के लिए स्वाभाविक रूप से उचित कार्यवाही की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी एंसीलेरी यूनिट्स के बारे में बात कही। इस देश के अंदर तमाम बड़ी इकाइयों के बगल में एंसीलेरी यूनिट्स लगाई गई हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से शासन की नीति रही है एंसीलेरी यूनिट्स डवलप करके बड़ी इकाइयों के लिए कुछ सामान बनाने के लिए उनको किया जाए। ये सारी एंसीलेरी यूनिट्स उन्हीं बड़ी इकाइयों द्वारा स्पोंसर्ड हैं जो बड़ी इंडस्ट्रीज में या उस सेक्टर में काम नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने बाया मीडिया ढूंढा है और एंसीलेरी यूनिट्स लगाकर उन सामग्रियों का उत्पादन करते हैं जो आपकी रिजर्व लिस्ट में हैं, क्या यह आपकी जानकारी में है और यदि है तो इसके सम्बन्ध में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : अनुषंगी एकक केवल बड़े उद्योगों के लिए ही नहीं हैं बल्कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भी हैं। इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को सभी जानकारी दे दूंगा।

श्री संदीपन थोरात : महोदय, लघु उद्योग क्षेत्र बहुत बड़ा नियोजक या रोजगारदाता है, जहां तक मुझे जानकारी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। यद्यपि उद्योग आरक्षित हैं, लेकिन ये उद्यमियों के लिए आरक्षित नहीं हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? परियोजना के लिए 60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है लेकिन अंश पूंजी और सांविधिक ऋण के बारे में क्या व्यवस्था है?

दूसरे, जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों का सम्बन्ध है उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सरकार द्वारा अंश पूंजी में उनकी भागीदारी के लिए वित्त पोषण किया जायेगा अथवा नहीं।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, जहां तक 'हरिजनों' के लिए आरक्षण का सम्बन्ध है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को सभी सम्बन्धित जानकारी दे दूंगा।

जहां तक अंश पूंजी का सम्बन्ध है, एक राष्ट्रीय अंश पूंजी निधि है जिसका कार्य संचालक सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के बढ़ाने और विविधिकरण के लिए है। अब वे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक देते हैं और कम से कम 2.5 लाख रुपये देते हैं। इस निधि को बने 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है। हम कार्य कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। हम इसे और अधिक कारगर बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, हमने अभी उद्योग मंत्री का वक्तव्य सुना है कि वह आरक्षण नीति की समीक्षा कर रहे हैं और कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ मदों का विनिर्माण नहीं किया जा रहा है, कुछ मदें इस सूची में से निकाली जा सकती हैं अथवा कम की जा सकती हैं। जहां तक हमारी प्राचीन संस्कृति का सम्बन्ध है इनमें से ऐसी अनेक मदों का 100 वर्ष से भी पहले से कुटीर उद्योगों में विनिर्माण किया जा रहा है। क्या सरकार ऐसी मदों को ग्राम उद्योगों के लिए आरक्षित करने के बारे में विचार कर रही है?

पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग चल रहे हैं लेकिन वे समुचित मूलभूत ढांचे के अभाव में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों, जैसे कोंकण, जो इसके अभाव में समस्याग्रस्त है, को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का विचार कर रही है? पिछली सरकार ने घोषणा की थी और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में वक्तव्य दिया था कि वह इंस्पेक्टर राज को समाप्त करेंगे जिससे लघु उद्योग क्षेत्र को बहुत गंभीर समस्याएं हो रही हैं। इंस्पेक्टर राज अभी भी चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह कब तक समाप्त हो जायेगा।

श्री मुरासोली मारन : उदारीकरण का उद्देश्य इंस्पेक्टर राज और लायसेंस तथा परमिट राज को समाप्त करना है। यह जारी है। हम पुरानी प्रणाली का ही अनुसरण कर रहे हैं।

एक समेकित मूलभूत ढांचा विकास योजना है जो लघु उद्योगों के लिए मूलभूत ढांचे का विकास कर रही है। जैसा मैंने कहा है, हमारा आरक्षण व्यवस्था को एक दम समाप्त करने का कोई विचार नहीं है। हम डा. आबिद हुसैन समिति तथा दो अन्य समितियों, एक वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव, श्री विजय राघवन की अध्यक्षता वाली और दूसरी अहमदाबाद स्थित भारतीय संस्थान के एक अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति-की रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन रिपोर्टों के प्राप्त होने के बाद हम उस पर देश व्यापी वाद-विवाद करेंगे, हम सभी सम्बन्धित पक्षों से परामर्श करेंगे हम लघु उद्योग क्षेत्र तथा अति लघु उद्योग क्षेत्र से भी परामर्श करेंगे। यह सब उन्हीं पर निर्भर करता है कि वे इस सूची का विस्तार करते हैं या फिर इसे संकुचित करते हैं। हमें इन विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है इसके बारे में सभी जानकारी मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बैंक बेंच की ओर ध्यान दिया है। जो एस.एस.आई. यूनिट्स हैं, वे आमतौर से बीमार हैं, उन्हें रॉ मैटीरियल नहीं मिलता है, पॉवर की कमी है, उनके लिए मार्केट भी नहीं है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार एस.एस.आई. यूनिट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको रॉ मैटीरियल देने के लिए, पॉवर की सप्लाई के लिए और मार्केट के लिए कौन-सी नीति निर्धारित करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, विभिन्न संस्थाएं लघु उद्योग क्षेत्र का भली भांति ध्यान रखती हैं। इनकी मुख्य समस्या विपणन की है। राज्यों के भी अपने लघु उद्योग क्षेत्र हैं जो बहुत फल-फूल रहे हैं। इसलिए कि राज्य उनका ध्यान रखते हैं।

राजकोषीय घाटा

***142. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता और उसकी स्थिति को बनाए रखने की क्षमता के प्रति चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक ने यह भी माना है कि केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे संबंधी सभी प्रमुख संकेतकों जो वर्ष 1995-96 के दौरान इसकी बिगड़ती स्थिति को दर्शाते हैं;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में कौन से सर्वाधिक चिंताजनक पहलू बताए गए हैं; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजकोषीय घाटे के संबंध में और कौन-कौन सी चिंताएं व्यक्त की गई हैं तथा सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और मुद्रा और वित्त सम्बन्धी रिपोर्ट 1994-95 में कहा है कि जुलाई, 1991 से केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए राजकोषीय सुधारों से राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे में कमी करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं तथापि, भा. रि. बैंक ने राजकोषीय समायोजनों की गुणवत्ता और राजकोषीय स्थिति की निरन्तरता के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। वर्ष

1995-86 के लिए, भा. रि. बैंक ने मुख्यतया बजट अनुमानों का उल्लेख किया है।

भा.रि. बैंक के अनुसार, सर्वाधिक बाधक पहलुओं में से एक पहलू बड़े पैमाने पर राजस्व घाटे का बना रहता है जो राजस्व व्यय विशेषकर ब्याज अदायगियों के साथ मन्द राजस्व निष्पादन के कारण है। इसकी वजह से सरकार के लिए उच्चतर ब्याज दरों पर काफी अधिक उधार लेना अनिवार्य हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज अदायगियों पर दबाव बढ़ता गया।

सरकार की यह नीति रही है कि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करके तथा व्यय में कमी करके राजकोषीय संतुलन में सुधार लाया जाए। राजस्व प्राप्तियां जो कि वर्ष 1993-94 में सं.घ.उ. के 9.4 प्रतिशत तक कम हो गई थीं, इनमें वर्ष 1995-96 (सं. अ.) में अब वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शायी है तथा यह संघ.उ. के 10.1 प्रतिशत पर पहुंच गई है। कुल व्यय वर्ष 1990-01 में सं.घ.उ. के 19.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1995-96 (सं. अ.) में 16.7 प्रतिशत हो गया है। राजस्व व्यय भी वर्ष 1990-01 में स.घ.उ. के 13.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1995-96 (सं. अ.) में 13.1 प्रतिशत हो गया है। निवल परिणाम राजस्व घाटे में वर्ष 1990-91 में सं.घ.उ. के 3.5 प्रतिशत से वर्ष 1995-96 (सं. अ.) में 3.1 प्रतिशत तक की धीमी गिरावट रहा है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जुलाई, 1991 से वित्तीय घाटे और प्राथमिक घाटे को कम करने में सुचित सफलता प्राप्त की है। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वर्ष 1991 में जब तत्कालीन सरकार ने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण नीति प्रारम्भ की तब सम्पूर्ण विश्व आश्चर्यचकित हो गया था। इस से विश्व में अनेक देशों को व्यापक औद्योगीकरण में राशि निवेश कर इस महान राष्ट्र का निर्माण करने में योगदान देने की प्रेरणा मिली। यह पूर्णतः उपयुक्त भी है।

प्रत्येक व्यक्ति बताता है कि निर्धनता का निवारण वैसे हो और दुखी युवकों के मन से कुण्ठा कैसे समाप्त की जाए। स्नातक की पदवी पाने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। इसका एक ही समाधान है कि औद्योगीकरण और नई परियोजनाओं के माध्यम से अधिकाधिक उत्पादन किया जाए। लेकिन बड़े दुःख का विषय है कि आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि यहां धन का अभूतपूर्व अभाव है। और घाटे की वित्त व्यवस्था अभूतपूर्व है। बैंकों में धन नहीं है। वित्तीय संस्थाओं में धन का अभाव है। किसी भी राज्य सरकार के पास धन नहीं है। यदि यह स्थिति जारी रही तो सम्भवतः भविष्य में देश का आर्थिक विकास और औद्योगिक प्रगति ठप्प हो जायेंगे। परिणाम-स्वरूप हम गरीबी दूर करने और युवकों के मन से कुण्ठा दूर करने का स्वप्न भी नहीं देख पायेंगे जबकि हम इक्कीसवीं शताब्दी में पदार्पण कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : ठीक है, महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं यह सब कुछ इसलिए कह रहा हूं कि यह सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नगदी प्रवाह की समस्या के निवारण के तीन या चार तरीके हैं। अतः मैं मंत्री महोदयों से जानना चाहता हूं कि क्या इस समस्या का समाधान वित्तीय घाटा बढ़ाकर और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से देश में अधिक राशि जारी करने से सम्भव है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, किन्तु इससे देश का आर्थिक विकास करने में सहायता मिल सकती है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं आपने मित्र का आभारी हूं जो हर बार एक नई बात कहते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए कि क्या हमें वित्तीय घाटा बढ़ाना चाहिए अथवा नहीं, उन्हें सोमवार तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, लोगों के मन में यह अवधारणा स्वप्रेरणा और अनुभूति हो रही है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सांविधिक नकदी अनुपात और नकद रिजर्व अनुपात को कुछ कम कर दिया जाए मैं जानता हूं कि हमारे विद्वान वित्त मंत्री द्वारा नकद रिजर्व अनुपात को एक प्रतिशत कम कर दिया गया था तो क्या इस तरह इसमें कुछ और कमी किये जाने और हमें अधिक धन मिलने से हमें कुछ राहत मिलेगी। मैंने सुना है कि सांविधिक नकदी अनुपात अधिक होने से बैंक तंगी महसूस कर रहे हैं और वे कुछ अधिक नहीं कर पा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है अथवा नहीं?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, ये निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए जाते हैं जो मुद्रा प्रबन्धन का एक अंग होते हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद रिजर्व अनुपात की आवश्यकताओं में कमी की है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का परिचालन अधिक हो गया है। वस्तुतः पिछले सप्ताह मैंने नकदी की कमी के बारे में नहीं सुना है। इसके विरीत मैंने नकदी में बढ़ोतरी के बारे में समाचार पढ़े हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक को समुचित समय पर निर्णय करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा करेगा या उसे ऐसा करना चाहिए ...**(व्यवधान)**

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो अनुपूरक प्रश्न किए हैं।

डा.टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मंत्री जी कहते हैं कि नकदी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रत्येक बैंक में नकदी का अभाव है ...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : पिछले सप्ताह में नहीं।

श्रीमती कृष्णा बोस : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री से वित्तीय घाटे के बारे में प्रश्न करना चाहती हूं। महोदय, क्या वह सदन को बताएंगे कि क्या उर्वरक पर राजसहायता में हाल ही में की

गई वृद्धि से वित्तीय घाटा बहुत अधिक बढ़ जायेगा और क्या वह बतायेंगे कि क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है? मुझे विश्वास है कि वह इस बारे में जानते हैं कि अधिकांश सर्वेक्षणों से पता चला है कि उर्वरक पर दी जाने वाली राजसहायता का लाभ गरीब कृषक को नहीं पहुंचता है और यह लाभ उर्वरक विनिर्माताओं तथा बड़े-बड़े कृषकों को ही मिलता है। इस मामले में क्या यह वृद्धि वित्तीय घाटे की स्थिति को और अधिक खराब नहीं करेगी? क्या इसका हमारी वित्तीय नीति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? और क्या इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और शोचनीय नहीं होगी?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसाकि मैं माननीय सदस्य भी बात समझ पाया हूं, वह यह जानना चाहती हैं कि क्या उर्वरक पर दी जाने वाली राज सहायता में हुई वृद्धि से वित्तीय घाटा बढ़ेगा। इसका प्रश्न से वस्तुतः कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। लेकिन मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

उर्वरकों पर राजसहायता में वृद्धि का अर्थ केन्द्रीय सरकार के योजनेतर राजस्व खर्चे में उस सीमा तक वृद्धि है जो राजस्व से पूरा नहीं हो सकता और उसके लिये ऋण तो लेना ही पड़ेगा। वित्तीय घाटा भारत सरकार का पूर्ण ऋण है। यदि हम राजस्व बढ़ा सकें और ऋणों में कमी कर सकें तो वित्तीय घाटे में कमी आयेगी। मैं नहीं समझता कि राज सहायता में वृद्धि और वित्तीय घाटे में वृद्धि के बीच कोई सीधा सम्बन्ध है। लेकिन सामान्यतः यदि आप अधिक व्यय करते हैं और यदि आपके पास राजस्व नहीं है तो राजस्व में घाटा होगा और इससे वित्तीय घाटा होगा।

दूसरे प्रश्न के बारे में कि क्या उर्वरक किसानों को मिलेगा मैं यही अनुमान लगाऊंगा कि ये योजनाएं इसीलिए होती हैं और उर्वरकों पर सहायता इसीलिए दी जाती है ताकि उर्वरक किसानों तक पहुंचे। यदि उर्वरकों के किसानों तक पहुंचने में कोई कठिनाइयां हैं तो मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इनकी जांच की जानी चाहिए और उन कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इसके लिए उर्वरक विभाग को अलग से प्रश्न का नोटिस दें जो इसको देख रहा है और वह उन्हें उत्तर देगा कि वह यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि उर्वरक किसानों तक पहुंचे।

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि और राजस्व व्यय में कमी करने सम्बन्धी वित्तीय संतुलन में सुधार करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक पांच वर्षों के दौरान राजस्व व्यय में गिरावट आई है। जो सकल घरेलू उत्पाद 13.7 प्रतिशत से घटकर 13.1 प्रतिशत रह गया है। पांच वर्ष में केवल 0.6 प्रतिशत ही हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्व व्यय को कम करने के लिए वह क्या कदम उठा रहे हैं ताकि वित्तीय सन्तुलन में सुधार आ सके।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, किसी भी वित्त मंत्री के कार्य का यह कठिनतम भाग है राजस्व व्यय को तब तक कोई कैसे कम कर सकता है। जब तक कि हम इस देश में यह धारणा पैदा नहीं करते कि समृद्धि का मार्ग निष्कण्टक होना चाहिए। अनेक दावे किए गए हैं। इनमें से कुछ दावे तो बिल्कुल न्यायोचित हैं। राज्यों द्वारा दावे किए गए हैं, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दावे किए गए हैं, अनेक मंत्रालयों द्वारा दावे किए गए हैं और नई योजनाओं और नए कार्यक्रमों के लिए दावे किए गए हैं। अन्य प्रकार के भी दावे हैं जैसे रक्षा के दावे हैं। इसलिए इसका कोई सरल उत्तर नहीं है कि राजस्व व्यय को कौन कैसे नियंत्रित कर सकता है।

मैं केवल इतना ही बता सकता हूं कि प्रतिशतता की दृष्टि से कुल व्यय में कमी आई है और राजस्व व्यय भी कम हो रहा है। लेकिन मेरा मत है कि हमारा राजस्व व्यय बहुत अधिक है जिससे राजस्व में गिरावट तथा वित्तीय घाटा हो रहा है। मेरे विचार से हमें अपनी योजनाओं की जांच करने में सख्ती बरतनी चाहिए। हमें अपने व्यय प्रबंधक तथा नकदी प्रबन्धन में कठोरता बरतनी चाहिए। इसका कोई सरल उत्तर या उपाय नहीं है।

दूसरी ओर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार पेयजल, प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य जैसे मामलों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। लोगों की मांगें हैं। व्यय पर नियंत्रण करना हमारी समर नीति का महत्वपूर्ण पहलू है। राजस्व जुटाना हमारी नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। हम राजस्व व्यय करने की अनुमति तो दे सकते हैं लेकिन साथ ही में राजस्व जुटाना भी चाहिए ताकि राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा अनियंत्रित न होने पाए।

श्री पी. षण्मुगम : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या एक रुपये तथा दो रुपये के सिक्कों और एक रुपये तथा दो रुपये के नोटों की कमी है? यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? लोगों को ऐसे नोट प्राप्त करने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है। उदाहरण के लिए यदि टैक्सी या आटो रिक्शा में यात्रा की जाती है और ड्राईवर को 50 या 20 रुपये का नोट दिया जाता है तो आप ड्राईवर से शेष खुले पैसे नहीं ले पायेंगे। मंत्री महोदय को इस मामले को देखना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : यह अलग प्रश्न है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस मामले की जांच कर रहा हूं। हम कम मूल्य की मुद्रा जैसे एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के सिक्के तैयार कर रहे हैं। हम सिक्के बनाने की और अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि सिक्के नोटों की अपेक्षा बहुत अधिक समय तक चलते हैं। हम इनकी पूर्ति भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानता हूं यह कमी अस्थाई है जो तीन या चार महीने से चल रही है। हम इस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री ए.सी. जोस : मंत्री महोदय ने कहा है कि घाटा कम हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी यह व्यक्त किया है कि वित्तीय घाटा कम हो रहा है। हम इस देश में यह देख रहे हैं कि सरकार रोजगार के अवसर बन्द कर राजस्व व्यय को कम कर रही है।

इस देश में, जैसा कि हम जानते हैं, सरकार ही सब से बड़ी नियोजक है। वित्तीय घाटे पर काबू पाने के लिए सभी विभागों से कहा जा रहा है कि कोई नियुक्ति नहीं की जाए और पद रिक्त पड़े रहने दिए जाएं। परिणामस्वरूप सरकारी विभागों में योग्यता का ह्रास हो रहा है और कर्मचारियों की कमी हो गई है, जिससे वहां काम नहीं हो रहा है, विशेषकर दूदर्शन और आकाशवाणी जैसे राजस्व कमाने वाले विभागों में। मैं समझता हूं कि अनेक विभागों में 6000 से 7000 पद रिक्त रख छोड़े हैं। सरकार की रोजगार प्रदान करने की क्षमता और सरकारी पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने की बजाए मंत्री महोदय को दूसरे खर्चों में कमी करनी चाहिए। क्या सरकार विकास कार्यों के लिए पदों पर नियुक्ति करने की मंजूरी देगी क्योंकि इन पदों के बिना विकास कार्य ठप्प हो गए हैं? क्या मंत्री महोदय रोजगार या नियुक्तियों पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटायेंगे और विभागों से कहेंगे कि जहां आवश्यकता हो नियुक्तियां करें?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं नहीं समझता कि नियुक्तियों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि मैं अपनी जानकारी से यह कह सकता हूं कि सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर 1.3.95 को कुल 3848162 कर्मचारी सरकारी विभागों में थे और 1.3.96 3943444 कर्मचारी थे; अर्थात एक वर्ष में लगभग 95000 लोगों की और नियुक्ति की गई।

अतः मैं नही समझता कि रोजगार पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। वह सही कहते हैं क्योंकि एस.आई.यू. द्वारा अनुभागों और विभागों में किए गए अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने यह पता लगाया है कि पद नामों के संघर्षण, कार्यक्रमों के अंतरण अथवा मशीनीकरण या उत्पादकता के बढ़ने के कारण कुछ पदों या कार्यों की आवश्यकता नहीं रही है और इसलिए यह संभव है कि कुछ विभागों में कतिपय पद एक या दो वर्ष से रिक्त पड़े हों। फिर ऐसा नियम भी है जिसमें यह उपबन्ध है कि यदि कोई पद हो या तीन वर्ष से रिक्त पड़ा है तो उसे भरने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता कि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। मैं जानता हूं कि हम बहुत अधिक संख्या में पदों को मंजूर कर रहे हैं। हम अधिकारियों को पद भरने की अनुमति दे रहे हैं। यदि कोई विशेष समस्या है तो माननीय सदस्य मेरे ध्यान में ला सकते हैं।

श्री ए.सी. जोस : ऐसा विशेषकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में है।

श्री पी. चिदम्बरम : यदि किसी विशेष मंत्रालय में कोई समस्या है तो माननीय सदस्य मेरे ध्यान में ला सकते हैं। मैं इसे अवश्य देखूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वित्त मंत्री महोदय पर वास्तव में तरस आता है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के युक्तिकरण से अपने पद का कार्य और आरम्भ किया। लकिन उन्हें यह कार्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मांग पर वापस लेना पड़ा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं क्योंकि उन्हें 13 दलों के साथ रहना है।

लेकिन श्री जोस ने जो कुछ कहा वह सच है कि कुछ मंत्रालयों में लोगों की भर्ती करना अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 32 टी.वी. ट्रांसमिटर दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं, जहां एक ट्रांसमीटर पर केवल एक साधारण चपरासी तैनात है। एक बार ट्रांसमीटर खराब हो जाता है तो उसकी 14-15 दिन तक मरम्मत नहीं होती है। ऐसे स्थान पर भर्ती करना बहुत अनिवार्य है।

लेकिन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जैसे क्षेत्रों में आधुनिकीकरण हो रहा है और वहां कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है। मेरा नम्र अनुरोध है कि वह संयुक्त मोर्चे के दलों के साथ ताल-मेल करें कि व इस मामले पर उचित रुख अपनाएं।

विनिवेश एक अन्य पहलू या क्षेत्र है जिससे कमियां दूर हो सकती हैं। यह किया जाना चाहिए क्योंकि इससे देश में धन आ सकता है। मैं वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह नीति में परिवर्तन कर रहे हैं या फिर वह वर्तमान रूप में कार्य करना चाहते हैं।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वह सरकारी क्षेत्र को भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपनाने की अनुमति देंगे और उसे जर्मन जनवादी गणतंत्र जैसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जाने की अनुमति देंगे क्योंकि इससे वे अपने आन्तरिक संसाधनों पर कर नहीं लगा पायेंगे। धन आ रहा है क्योंकि उदारीकरण की नीति के कारण भारत अब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जाने की स्थिति में है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह गलत नीति है।

श्री संतोष मोहन देव : यह गलत नीति नहीं है। यह सही नीति है। आपने भी पश्चिम बंगाल में इस नीति को स्वीकार किया है। आप केवल यहां इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, वास्तव में दो प्रश्न हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में मेरा यह कहना है कि यदि किसी विशेष विभाग में यह समस्या है तो मैं उसे अवश्य देखूंगा। फिर जहां तक मुझे स्मरण है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक पदों का सृजन किया है। इसी प्रकार दूरसंचार विभाग ने भी अनेक पद बढ़ाए हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी क्षेत्र विशेष या किसी राज्य विशेष में, जहां मंत्रालय का कार्यकलाप चल रहा है, कोई समस्या हो तो मैं उसे देखने के लिए तैयार हूं।

महोदय, दूसरा प्रश्न वास्तव में नीति सम्बन्धी प्रश्न है और यह मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं प्रश्न काल के दौरान नीतिगत प्रश्न पर कुछ बोलूं। अनिवेश के सम्बन्ध में हमारी नीति समान न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित की गई है। हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है अथवा कोई घोषणा भी नहीं की है। यह सक्रिय रूप से विचाराधीन है। अनिवेश महत्वपूर्ण नीति है। हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, इस सम्बन्ध में हमें मंत्रिमण्डल के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी।

हमारे सांझे न्यूनतम कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया है कि विनिवेश के सम्बन्ध में सभी निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे और विनिवेश के माध्यम से जुटाया गया धन स्वास्थ्य तथा शिक्षा के

लिए और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत बनाने के लिए आवंटित किया जायेगा। अतः मैं नहीं समझता कि 13 दलों वाला संयुक्त मोर्चा विनिवेश का विरोध करता है। वे यह आश्वासन चाहते हैं कि विनिवेश पारदर्शी तरीके से लागू हो और इससे जुटाया गया धन स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सशक्त बनाने के लिए उपयोग किया जाए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या आप विनिवेश आयोग नियुक्त करने जा रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : यह विचाराधीन है।

एन टी सी मिलों के बेकार बैठे श्रमिक

***143. श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम'** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यशील पूंजी उपलब्ध न होने के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन टी सी) की मिलों, विशेषतः मुम्बई स्थित मिलों में श्रमिकों को अधिकांश समय छोटे-मोटे कामों में लगाए रखा जाता है और वहां कपड़े का उत्पादन शायद ही किया जा रहा है;

(ख) क्या मुम्बई तथा देश के अन्य भागों में एन टी सी मिलों के श्रमिकों को बेकार बैठने का वेतन दिया जा रहा है और उन्हें वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन मिलों में आज तक बेकार बैठे ऐसे श्रमिकों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(घ) एन टी सी मिलों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ताकि ये मिलें अपना उत्पादन कार्य जारी रख सकें तथा श्रमिकों को उत्पादक कार्यों में लगाया जा सके?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). आधुनिकीकरण के अभाव के कारण अप्रचलित मशीनरी तथा कार्यशील पूंजी की भारी कमी के कारण एन टी सी की मिलों में क्षमता का कम उपयोग हुआ है जिससे कपड़े के उत्पादन में गिरावट आई है। महाराष्ट्र में स्थिति मिलों सहित अनेक मिलों ने आन्तरिक संसाधन सृजित करने के लिए जाब वर्क करना शुरू किया है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ऐसी मिलों को वेतनों तथा मजदूरियों के भुगतान की कमी को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान कर ही है जोकि कार्यकलाप के आंशिका/पूर्ण समाप्त हाने से प्रभावित हुई हैं। मई, 1996 माह तक वेतनों एवं मजदूरियों का भुगतान कर दिया गया है, जबकि जून, 1996 माह के लिए भुगतान प्रगति पर है। राज्यवार निष्क्रिय कामगारों की वर्तमान संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-I)

(घ) एन टी सी मिलों द्वारा लगातार घाटों का सामना करने तथा पूर्ण निवल पूंजी ह्रास के कारण 9 सहायक निगमों में से 8 मामले बी आई एफ आर को भेजे गए हैं जिसने उन्हें रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां घोषित किया है। सरकार ने एन टी सी मिलों के लिए वर्ष 1995 में एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन किया है जिसमें 2005.72 करोड़ रु. की लागत पर 79 मिलों का आधुनिकीकरण, 36 गैर-अर्थक्षम मिलों का 18 अर्थक्षम एककों में पुनर्निर्माण, बेसी कार्यबल का सुव्यवस्थीकरण आदि शामिल हैं। यह योजना सामान्यतः वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की गई आधुनिकीकरण योजना के अनुरूप है। आधुनिकीकरण के लिए निधियां एन टी सी वेशी भूमि तथा परिसम्पतियों की बिक्री से जुटाई जाएंगी। इस योजना को बी आई एफ आर के समक्ष कार्यान्वयन से पूर्व इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसी बीच कामगारों को कठिनाई से बचाने के लिए, सरकार वेतन तथा मजदूरियों के भुगतान में एन टी सी द्वारा सामना की जा रही कमी को पूरा कर रही है। पुनर्वासन पैकेज का बी आई एफ आर द्वारा अनुमोदन होने पर, यह आशा है कि एन टी सी मिलें अपने क्रियाकलाप जारी रखने तथा कामगारों को उत्पादक कार्यों में लगाने में सक्षम होगी।

अनुबन्ध-I

मिल का नाम	निष्क्रिय कामगारों की संख्या
दिल्ली	737
राजस्थान	1586
पंजाब	999
मध्य प्रदेश	6011
उत्तर प्रदेश	11004
महाराष्ट्र	24011
गुजरात	7906
आंध्र प्रदेश	2287
कर्नाटक	3797
पश्चिम बंगाल	4964
असम	390
उड़ीसा	465
बिहार	742

[हिन्दी]

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : मंत्री महोदय ने बहुत लम्बा-चौड़ा विवरण दिया है और इसके अन्दर कहा कि मई 1996 तक वेतनों और मजदूरियों का भुगतान कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जून, जुलाई, 1996 का भुगतान इन मजदूरों को कब तक कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 1995-96 में एन.टी.सी. मिलों को कुल घाटा कितना पड़ा है। यह मेरा पहला सम्लीमेंटरी कक्वेश्चन है।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा : महोदय, यह निराशाजनक बात है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कुल हानि...**(व्यवधान)** महोदय, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कार्य पूंजी केवल 512 करोड़ रुपये की है। 31.1.1996 तक कुल घाटा 4678 करोड़ रुपये है...**(व्यवधान)** मैं भी आपकी तरह उत्तेजित हूं। मैं खुश नहीं हूं और ऐसी बातों को समाप्त करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। मैं अपने 800 करोड़ के बजट में से 350 करोड़ रुपये ऐसी बातों पर व्यय कर रहा हूं। हथकरघा और विद्युतचालित करघा तथा अन्य क्षेत्रों के लिए बहुत कम धन बचा है। हमें 2005 ई. तक "गेट" के अधीन इन सभी चीजों को निमत्रंण से मुक्त करना है। अतः यदि हमारे उद्योग विश्वव्यापी स्पर्धा का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो मैं नहीं समझता कि हम इतनी विदेशी मुद्रा भी जुटा पायेंगे जितनी हम अब प्राप्त कर रहे हैं।

श्री बी.एल शर्मा "प्रेम" : महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तरी नहीं मिला है। आप जून और जुलाई, 1996 का भुगतान इन मजदूरों को कब तक कर देंगे?

श्री आर.एल. जालप्पा : महोदय, उन्हें यथाशीघ्र यह भुगतान कर दिया जायेगा। हम प्रतिवर्ष 235 करोड़ रुपये कार्य हीन मजदूरी के भुगतान के रूप में व्यय कर रहे हैं। हमने मई, 1996 तक मजदूरी का भुगतान कर दिया है। जहां तक जून और जुलाई के महीने में भुगतान का सम्बन्ध है, हम यथाशीघ्र इसका प्रबन्ध करेंगे। हमने वित्त मंत्रालय से और अधिक धन देने के लिए पहले ही अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने बी.आई.एफ.आर. से मिलों को बंद करने का बहाना बना लिया है और उसके कारण देश के कपड़ा मिल लगातार बंद होते चले जा रहे हैं और इन कपड़ा मिलों के बंद होने के कारण मेहनतकश लोग लगातार बेकार और बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कपड़ा मजदूर बेकार हो गये हैं। इसमें उज्जैन की कपड़ा मिल के मजदूर भी बेकार हो रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन मिलों की प्रोपर्टी से बी.आई.एफ.आर. के माध्यम से पैसा जुटा करके इन मिलों की पुनर्रचना करने के लिए उपाय करने वाली है। 1995 से यह बात कही जा रही है किंतु अभी तक ये सारी बातें पूरी नहीं हुई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एन.टी.सी. सहित इन सारी कपड़ा मिलों को चलाने के लिए क्या कोई समयबद्ध योजना इन्होंने बनाई है?

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा : महोदय, 1994 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार आधुनिकीकरण पर 2005 करोड़ रुपये व्यय करने का निर्णय किया गया था। यह भी निर्णय किया गया था कि देश में उपलब्ध फालतू सम्पत्ति को बेचकर धन जुटाया जायेगा।

यह प्रस्ताव सरकार के समक्ष है और मैं इसकी जांच कर रहा हूं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं इस मामले को यथा शीघ्र निपटाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सम्भावना क्या है? आप यह दुबारा कह रहे हैं।

श्री आर.एल. जालप्पा : मैं इसकी जांच कर रहा हूं।

श्री बी.के. गढ़वी : महोदय, एक समय अहमदाबाद को भारत का मानचैस्टर कहा जाता था। लेकिन अब अनेक मिल रुग्ण हो गए हैं और बन्द हो गए हैं। उनमें कुछ मिल राष्ट्रीय वस्त्र निगम के हैं और कुछ गुजरात वस्त्र निगम के हैं। बी.आई.एफ.आर. को इन रुग्ण मिलों को सशक्त बनाने के लिए लाया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वित्तीय संस्थानों की हठधर्मी के कारण बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए सभी मामलों के सम्बन्ध में जो पैकेज तैयार किया गया था कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप मिल बन्द किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपने मिलों को बन्द करने के बारे में विचार कर रहा है।

यदि यह स्थिति है तो सरकार के अपने समान न्यूनतम कार्यक्रम में रोजगार के नए अवसर खोलने की गारंटी दी है। इस समय जो रोजगार उपलब्ध हैं वह भी अवरुद्ध/बन्द किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वे समान न्यूनतम कार्यक्रम को कैसे कार्यान्वित करेंगे, जिसमें उन्होंने रोजगार प्रदान करने का आश्वासन दिया है? चूंकि वित्त मंत्री महोदय भी यहां बैठे हैं इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों को यह अनुदेश देगी कि वे बी.आई.एफ.आर. द्वारा तैयार किए जाने वाले पैकेज के प्रति समय सीमा के भीतर सकारात्मक रवैया अपनाएं।

श्री आर.एल. जालप्पा : जहां तक गुजरात राज्य वस्त्र निगम का सम्बन्ध हैं मुझे बताया गया है कि बी.आई.एफ.आर. ने परिसमापन के आदेश जारी कर दिए हैं और वे उच्च न्यायालय में हैं। जहां तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम का सम्बन्ध है यह अक्तूबर के अन्त तक ऐसा करने जा रहा है...**(व्यवधान)**। मुझे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। यह बी.आई.एफ.आर. के समक्ष है और वे इसे अक्तूबर के महीने में करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एन.टी.सी. की 7 मिलें तथा कुछ अन्य कपड़ा मिलें बंद है जिनके संबंध में शासन की ओर से, बी.आई.एफ.आर. की ओर से तथा एन.टी.सी. की तरफ से केन्द्र सरकार को युक्तियुक्तकरण योजना लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। केन्द्र सरकार ने भी सर्वांगीण सुधार योजना के अंतर्गत इस पर विचार करना प्रारम्भ किया है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि मध्य प्रदेश की किन-किन कपड़ा मिलों को युकियुक्करण योजना के अंतर्गत चयन करके उन पर विचार किया जा रहा है तथा उन मिलों

में काम करने वाले श्रमिक आज बेकार हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, उन्हें पैसा देने तथा भविष्यनिधि सहित अन्य सुविधाएं देने के लिये सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है?

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा : मुझे मध्य प्रदेश की मिलों के नामों की जानकारी नहीं है जो बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सूची दी है, उसमें ये शामिल हैं। सूची में उनके नाम दिए हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि नाम सूची में हैं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत : मध्य प्रदेश के वर्कर्स की सूची दी है और सर्वांगीण सुधार योजना के अंतर्गत इनके पास मामले विचाराधीन हैं। मैं उसी के संबंध में जानकारी मांग रहा हूं कि मध्य प्रदेश से कितनी मिलों के मामले सर्वांगीण सुधार योजना के अंतर्गत विचाराधीन हैं? ...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : यह सवाल तो हो गया, उपाध्यक्ष जी, दूसरा लीजिए। पांच हजार मजदूर बेराजगार हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : ये धीमी गति के समाचार आ रहे हैं। हमें धीमी गति के समाचार नहीं चाहिए, तीव्र गति के समाचार चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री आर.एल. जालप्पा : मध्य प्रदेश के लगभग 7 मिलों को बी. आई.एफ.आर. के पास भेजा गया है।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : पांच हजार मजदूर बेरोजगार हैं, स्ट्राइक चल रही है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि थोड़ा होम-वर्क करके आया करें।

श्री पी.आर. दासमुंशी। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को पहले प्रश्न करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने दीजिए। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। उन्हें प्रश्न करने दें।

श्री पी.आर. दासमुन्शी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। कि क्या यह सच है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

हम खड़े हैं और आप बोल क्यों रहे हैं? यह क्वश्चन ऑवर है, जीरो ऑवर नहीं।...**(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : इनको पहले से होमवर्क करके आना चाहिए। अब कह रहे हैं इससे क्या होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको रिप्लाई तो देने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार और श्री राजीव गांधी की सरकार ने यह अनिवार्य नीति बनाई थी कि सभी प्रकार का जनता वस्त्र अनिवार्यता एन.टी.सी. के द्वारा बनाया जायेगा और इस सम्बन्ध में तथा आधुनिकीकरण पैकेज के लिए कार्य-पूंजी के लिए आवश्यक समर्थन सहायता राष्ट्रीय वस्त्र निगम को प्रदान की जाए। इसके बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह एक प्रश्न है।

कर्मचारियों का कोई दोष नहीं नहीं है। यह बात समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है कि बिना कार्य के मजदूरों का कोई दोष नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में सब मिलों से वहां के शीर्षस्थ अधिकारियों की मिलीभगत से कच्चा माल चोरी किया जाता है। मैं यह जानता हूं। इन मिलों को जानबूझकर रुग्ण मिल बनाया जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने समान न्यूनतम कार्यक्रम में ऐसा प्रावधान करेगी जिससे लोगों को जनता कपड़ा उपलब्ध कराया जाए और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों को धन देकर उन्हें पुनः कार्य सक्षम बनाया जाए और उनका आधुनिकीकरण किया जाए और उन्हें पुनरुज्जीवित किया जाए। यह मेरा अनुरोध है।...**(व्यवधान)**

श्री आर.एल. जालप्पा : मुझे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए यह विशिष्ट प्रश्न है। कुछ माननीय सदस्य मुझे अपना गृहकार्य करने की सलाह दे रहे थे। मैं उनका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री आर.एल. जालप्पा : मैं माननीय सदस्य का उनकी सलाह के लिए आभार व्यक्त करता हूं। वे चाहते क्या हैं? वे क्या चाहते हैं मैं उत्तर दूं या न दूं?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आप सुनिए तो सही।

श्री मधुकर सर्पोतदार : आप रिप्लाई देने देंगे तब सुनेंगे।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें मंत्री महोदय की तरफ से ठीक ढंग से जवाब नहीं आ पाया है। आपको होमवर्क करके आना चाहिए, मैं आधा घंटे की चर्चा अलाऊ कर दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया तैयार होकर आएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर जवाब नहीं आया इसलिए आधा घंटे की चर्चा अलाऊ कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री आर.एल. जालप्पा : ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

ऋण शोधन

***144. श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री प्रमोद महाजन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान ऋणों का लगभग 30 प्रतिशत भाग ऋण शोधन देनदारियों को पूरा करने में खर्च हो जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऋण-भार कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, नहीं। विदेशी ऋण शोधन के 1995-96 में 12.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 1996-97 में लगभग 14.5 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने का अनुमान है। ऋण शोधन का सही अनुमान विभिन्न मुद्राओं जिनमें भारत का ऋण मूल्यवर्गित होता है के बीच प्रतिदरों में घट-बढ़ के कारण तथा विभिन्न ऋणों पर लागू ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण प्रस्तुत करना कठिन है। सितम्बर, 1995 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 93.8 बिलियन अमरीकी डालर हो जाने का अनुमान है।

(ग) विदेशी ऋण और ऋण शोधन की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक विवेकशील ऋण प्रबन्ध नीति का पालन किया जा रहा है। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत एक साधारण कर्जदार देश है। निर्यातों की वृद्धि दर को बनाए रखना, गैर-ऋण कारक पूंजी अंतर्प्रवाह को बढ़ावा देना और परिपक्वता ढांचे तथा वाणिज्यिक ऋण की कुल राशि को नियंत्रित रखना हमारी ऋण प्रबंध नीति के प्रमुख आधार हैं।

रुपए का अवमूल्यन

***145. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान रुपए का 17 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) रुपए के इस अवमूल्यन से सरकार को अब तक कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) अब तक हुए इस घाटे को संतुलित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जून, 1995 की तदनुरूप औसत की तुलना में जून, 1996 के लिए रुपए की औसत विनिमय दर में अमरीकी डालर की तुलना में 10.2 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 7.2 प्रतिशत, ड्यूश मार्क की तुलना में 2.1 प्रतिशत और फ्रांसीसी फ्रांक की तुलना में 5.4 प्रतिशत की गिरावट प्रकट हुई है। तथापि, इसी अवधि में जापानी येन की तुलना में रुपए में 15.6 प्रतिशत का अधिमूल्यन हुआ है।

(ख) रुपए की विनिमय दर मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विनिमय दर मूलभूत आर्थिक आधारों, अल्पावधिक सट्टेबाजी और अन्तर्राष्ट्रीय

मुद्रा बाजारों के घटनाक्रम में निहित परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में दोनों दिशाओं में परिवर्तनशील रहती है।

(ग) विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार अनुवीक्षा की जाती है। सुव्यवस्थित बाजार स्थिति को बनाए रखने तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि रुपए की विनिमय दर का आर्थिक आधारभूतों के साथ सामंजस्य बना रहे जब कभी जरूरी हो, उपाय किए जाते हैं।

(घ) और (ङ). पिछले एक वर्ष के दौरान न्यूनतम विनिमय दर में परिवर्तन वास्तविक अर्थों में रुपए के उस अधिमूल्यन के लिए बाजार सुधार था, जो पिछले दो वर्षों में भारत तथा विदेशों के बीच मुद्रास्फीतिकारी विभेदकों के कारण उत्पन्न हुए थे। अतः रुपए की न्यूनतम विनिमय दर में समग्र घट-बढ़ मोटे तौर पर भारत की विदेशों के साथ प्रतिस्पर्धात्मकता की बहाली के अनुरूप है। यह निर्यात संवर्द्धन और आयात विकल्प गतिविधियों का समर्थन करेगा और विदेश व्यापार संतुलन और समग्र भुगतान संतुलन में सुधार करेगा। यह समग्र संचालन सुदृढ़ प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर आधारित व्यवहार्य भुगतान संतुलनों के दीर्घावधिक उद्देश्य के साथ भी सामंजस्य रखता है।

व्यापार घाटा

***146. श्री दत्ता मेघे :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश के व्यापार घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). डी जी सी आई एण्ड एस से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान देश का व्यापार घाटा (अनंतिम) क्रमशः 1069 मिलियन अमरीकी डालर, 2324 मिलियन अमरीकी डालर तथा 4539 मिलियन अमरीकी डालर का रहा है।

(ग) व्यापार घाटा बढ़ने के मुख्य कारण हैं-पैट्रोलियम और उर्वरक जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात में वृद्धि होना, जन-साधारण के उपयोग की मदें जैसे खाद्य तेल के आयात में अधिक वृद्धि होना और अधिक औद्योगिक उत्पादों और निर्यातों के लिए अपेक्षित पूंजीगत सामानों, कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती सामानों का अधिक आयात किया जाना।

(घ) व्यापार घाटा कम करने का मुख्य आधार अधिक निर्यात वृद्धि पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा नीतिगत तथा संवर्धनात्मक योजनाओं के जरिए लगातार निर्यात संवर्धन उपाय किए जा रहे हैं। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में निर्यात-आयात नीति और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, गुणवत्ता तथा प्रोद्योगिकी के उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करना तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रयास शामिल हैं। निर्यात संवर्धन लगातार चलने वाले ऐसे क्रियाकलाप हैं जो कि उद्योग, व्यापार और अन्य निर्यात संवर्धनात्मक संगठनों के साथ अन्तः क्रिया पर आधारित हैं।

चुनाव प्रत्याशियों पर खर्च

***147. श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कतिपय विधान सभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा चुनाव लड़े जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रत्याशियों की सुरक्षा तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्था पर होने वाले अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने तथा मतदाताओं की कठिनाइयों को कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार गैर-संजीदा अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने के प्रति निरुत्साहित करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ, प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि, प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण से बचाने के लिए मतदान किए जाने के लिए अपेक्षित मतों की न्यूनतम प्रतिशतता में वृद्धि और मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के नामों को मतपत्र में स्वतंत्र अभ्यर्थियों के नामों के ऊपर सूचीवद्ध करना भी सम्मिलित है।

आर्थिक नीति

***148. श्री पी.आर. दासमुंशी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति के परिणामस्वरूप सरकारी उपक्रमों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक कौशल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1990-91 से 1993-94 (अद्यतन वर्ष जिसके लिए सूचना उपलब्ध है) तक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (पी.एस.ई.) की वृद्धि को प्रतिविम्बित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियां, पैरामीटरों की जैसाकि नीचे दी गई हैं। दर्शाती हैं कि जुलाई, 1991 में जब से नई औद्योगिक नीति आरंभ की गई है, सी.पी.ई. के निष्पादन में कुछ सीमा तक सुधार हुआ है।

1990-91 से 1993-94 तक केन्द्रीय सरकार उद्यमों के प्रमुख आर्थिक पैरामीटरों की प्रवृत्तियां।

	संकेतक	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1.	कार्यशील उद्यमों की संख्या	236	237	239	248
2.	लगाई गई पूंजी (सी.ई.) करोड़ रुपए	102084	117991	140110	159307
3.	लाभप्रदता अनुपात :				
	(क) सी.ई. को सकल मार्जिन (प्रतिशत)	17.94	18.83	18.81	17.33
	(ख) सी.ई. को सकल लाभ (प्रतिशत)	10.88	11.59	11.39	11.57
	(ब) सी.ई. को निवल लाभ	2.23	2.00	2.33	2.78
4.	निर्यातों का मूल्य (करोड़ रुपए)	7086	8980	10338	11936
5.	वर्धित मूल्य (करोड़ रुपए)	31922	35213	38509	41466

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) की कार्यकुशलता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में सरकारी उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापनों को सुदृढ़ करना, निदेशक मंडल को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को संयुक्त उद्यम स्थापित करने और बाजार से नए सिरे से इक्विटी प्राप्त करने की अनुमति देना, चुनिन्दा पी.एस.यू. में सरकारी इक्विटी की विनिवेश, बीमार कंपनियों का संदर्भ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को देना, श्रमिकों के प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन को सुसाध्य बनाने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) को वित्तपोषित करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन.आर. एफ.) की स्थापना करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश

***149. जस्टिस गुमान मल लोढा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 तथा 1995-96 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र में कितने औद्योगिक एकक चलाए जा रहे थे;

(ख) वर्ष 1991-92 तथा 1995-96 के दौरान एन एककों में कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन एककों में वर्षवार कितने-कितने श्रमिक कार्यरत थे;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों में होने वाले घाटे की राशि में भी वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो 1993-94 की तुलना में 1995-96 के दौरान घाटे में कितनी वृद्धि हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग). वर्ष 1991-92 तथा 1993-94 के अंत तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की संख्या, उनमें किए गए पूंजीनिवेश तथा उनके कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

	केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की संख्या	सामान्य शेयर पूंजी एवं ऋण के रूप में पूंजीनिवेश (करोड़ रुपये में)	नियमित कर्मचारियों की संख्या (लाख में)
वर्ष 1991-92 के अंत में	246	135445	21.84
वर्ष 1993-94 के अन्त में	246	164332	20.69

(घ) और (ङ). इन 246 सरकारी उद्यमों में से 102 उद्यमों ने वर्ष 1991-92 के दौरान 3723 करोड़ रुपये का घाटा उठाया था जबकि वर्ष 1993-94 के दौरान 117 उद्यमों ने 5287 करोड़ रुपये का घाटा उठाया था। इन उपक्रमों ने समग्र रूप से वर्ष 1991-92 के दौरान 2355 करोड़ रुपये का तथा वर्ष 1993-94 के दौरान 4435 करोड़ रुपये का समग्र निवल लाभ अर्जित किया था।

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों पर बकाया आयकर

*150. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन विदेशी बैंकों के नाम क्या हैं जिन पर आज की तारीख में आयकर बकाया है;

(ख) प्रत्येक बैंक पर कितना-कितना आयकर बकाया है; और

(ग) इस धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मन्त्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). उन विदेशी बैंकों के नाम निम्नानुसार हैं जिनकी तरफ दिनांक 1.7.1996 की स्थिति के अनुसार आयकर की मांग बकाया बनी रही :—

क्र.सं.	विदेशी बैंकों के नाम	दिनांक 1.7.1996 की स्थिति के अनुसार बकाया धनराशि (रु. करोड़ों में)	
1.	डच बैंक	29.42	
2.	क्रेडिट ल्योनाइस	00.30	
3.	हांगकांग एंड शंघाई बैंक	6.05	
4.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	1.25	
5.	ओमन इंटरनेशनल बैंक	42.10	
6.	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक	8.98	
7.	बैंक इण्डोस्वेज	12.15	
8.	बैंक नेशनल डि पेरिस	164.19	
9.	मशरेक बैंक (बैंक ऑफ ओमन)	0.70	
10.	आबूधाबी कमर्शियल बैंक	2.50	
11.	सोसाएटे जनरेल	0.28	
12.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	6.99	
13.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	5.44	
14.	बर्कलेज बैंक	0.82	
15.	ड्रेसनर बैंक	0.01	
16.	ए.एन.जेड. ग्रिन्डलेज बैंक	28.88]	31.3.1996 की स्थिति के अनुसार
17.	बैंक आफ टोकियो	15.32	

(ग) बकाया मांग की वसूली/कमी करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और उसकी वसूली करने के लिए उचित प्रशासनिक, विधायी और अन्य उपाय किए जाते हैं। संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध किया जाता है। जहां-कहीं न्यायालयों द्वारा वसूली की कार्यवाहियां स्थगित कर दी जाती हैं, वहां उक्त स्थगन को रद्द करवाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मांग की शीघ्र वसूली के लिए उचित मामलों में बाध्यकारी उपाय भी किए जाते हैं। बड़े-बड़े मामलों में डोजियर रखे जाते हैं और वसूली संबंधी स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

पटसन मिलें

*151. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :**
श्री इन्नाम मोल्लाह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर बिहार तथा पश्चिम बंगाल में बहुत सी पटसन मिलें लंबे समय से बंद पड़ी हैं अथवा बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन मिलों को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) देश में 73 मिलों में से निम्नलिखित 3 पटसन मिलें 1 वर्ष से भी अधिक अवधि से बंद पड़ी हुई हैं:

	पटसन मिलों के नाम	राज्य	बंद होने की तारीख	प्रभावित औसत कामगार
1.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	13.4.87	1040
2.	कटिहार	बिहार	24.12.87	1300
3.	तिरुपति	प. बंगाल	25.6.95	1250

15.7.96 की स्थिति अनुसार बंद पड़ी मिलों की कुल संख्या 17 है।

(ख) पटसन एककों के बंद होने अथवा रुग्णता के उत्तरदायी विभिन्न कारकों में आधुनिकीकरण की कमी, लागत-ढांचे में असंतुलन, अपर्याप्त उपलब्धता, कच्चे पटसन पटसन की उच्च कीमत, पैकेजिंग क्षेत्र में सस्ते सिंथेटिक प्रतिस्थापनों से कड़ी प्रतियोगिता आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा उनके पुनरुद्धार के लिए यथोचित योजनाएं बनाने तथा

उनकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बी आई एफ आर की स्थापना की है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों का हल करने की कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की जाती है जोकि प्रबन्धकों के साथ समझौता करने की पहल करती है।

फिलहाल, केन्द्रीय सरकार द्वारा लागत जमा कीमत पर बी टि्वल बोरों के पर्याप्त आदेश, चालू योजना अवधि के दौरान ऐसी अग्रिम खरीद करके सुनिश्चित की गई है ताकि यथासंभव मिलों की अर्थक्षमता को बनाए रखा जा सके।

[अनुवाद]

आयात के लिए भुगतान में बैंक घोटाला

***152. श्री राजीव प्रताप रूडी :**
श्री बनवारीलाल पुरोहित :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" के दिनांक 25 मई, 1996 के अंक में "165 मिलियन डालर बैंक स्कैम अन अर्थ्ड" शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी बैंकों के फर्जी खातों के माध्यम से भारत की कितनी विदेशी मुद्रा बाहर ले जायी गई है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा के अवैध अन्तरण को सुगम बनाने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी सांठ-गांठ थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(क) और (ग). प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच से पता चला है कि लगभग 161 मिलियन अमरीकी डालर-(लगभग 546 करोड़ रुपए) की विदेशी मुद्रा जाली खातों के माध्यम से नकली/झूठे आयात दस्तावेजों के आधार पर विदेश में प्रेषित की गई थी। कुछ मामलों में बैंक कर्मचारियों की कथित मिलीभगत और अन्य मामलों में बैंक स्टाफ की कथित अनभिज्ञता तथा नकली दस्तावेजों का पता लगाने में उनकी असमर्थता के कारण उक्त राशि का प्रेषण आसान हुआ।

(घ) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बैंक के चार कर्मचारियों (जिनमें एक पूर्व कर्मचारी भी शामिल है) को इस कूट योजना में संदिग्ध लिप्तता के कारण गिरफ्तार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयात बिलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई और ऐसे कपटपूर्ण लेन-देन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विशिष्टि प्रचालन प्रक्रिया निर्धारित करते हुए एक परिपत्र सभी बैंकों को जारी किया गया है। बैंकों को भी सलाह दी गई है कि वे इन धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त/संदिग्ध पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें।

न्यायालयों को आधारभूत सुविधाएं

***153. श्री मोहन रावले :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका के लिए उच्च प्रकृति की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के अतंर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और वित्तीय आवश्यकताओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी खर्च की गई; और

(ग) शेष धनराशि जारी करने के समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग). न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रयोजित एक स्कीम को 1993-94 में पुरःस्थापित किया गया था। यह स्कीम, राज्यों द्वारा अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से कार्यान्वित की जानी है। योजना आयोग वार्षिक-योजना-चर्चा के समय प्रत्येक वर्ष, स्कीम के लिए एक अलग रकम निश्चित करता है। इसलिए समयबद्ध कार्यक्रम में यह बताना संभव नहीं हैं कि पश्चात्वर्ती वर्षों स्कीम के अंतर्गत कितनी रकम जारी की जाएगी। योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित स्कीम आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। योजना आयोग से प्राप्त की गई रकम, योजना आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकथित मानदंड के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित कर दी गई है और किसी विशिष्ट राज्य को केन्द्रीय निधि के आबंटन के लिए वही अधिकतम सीमा है। स्कीम का एक मुख्य मानदंड यह है कि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित रकम के समरूप अंश का अभिदाय करेगी। वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 के दौरान स्कीम के अधीन जारी की गई रकम और राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई रकम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान, 49.41 करोड़ रुपए की रकम, इस स्कीम के लिए दी गई है।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई राशि और उनके द्वारा उपयोग की गई राशि

क्र. सं.	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96	योग	राज्य सरकार द्वारा खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि	राज्यों द्वारा निम्नलिखित वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि			राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 3/96 तक खर्च की गई कुल राशि (लाख रुपए में)	
							93-94	94-95	95-96		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	आंध्र प्रदेश	221.20	439.98	369.40	1030.58	2061.16	45.88	144.61	83.71	274.20	(7/95)
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	14.00	34.00	68.00	136.00	-	19.90	प्रतीक्षित है	19.90	(3/95)
3.	असम	79.80	156.89	153.52	390.21	780.42	(ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं)		58.00	58.00	(11/95)
4.	बिहार	174.90	147.00	334.79	656.69	1313.38	156.53	165.91	प्रतीक्षित है	322.44	
5.	गोवा	20.00	34.00	34.00	88.00	176.00	-	47.94	प्रतीक्षित है	47.94	(3/95)
6.	गुजरात	100.80	197.45	193.28	491.53	983.06	431.73	575.20	प्रतीक्षित है	1006.93	(3/95)
7.	हरियाणा	47.90	94.14	92.21	234.25	468.50	63.67	112.06	80.20	255.93	
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	34.00	71.50	125.50	251.00	-	97.63	31.38	129.01	(9/95)
9.	जम्मू और कश्मीर	20.00	34.00	71.50	125.50	251.00	(93-94 सहित)	130.00	प्रतीक्षित है	130.00	(3/95)
10.	कर्नाटक	146.70	286.72	304.23	737.65	1475.30	-	519.13	648.57	1167.13	
11.	केरल	94.90	140.00	186.98	421.88	843.76	72.33	165.10	प्रतीक्षित है	237.85	(3/95)
12.	मध्य प्रदेश	179.90	351.67	344.24	875.98	1751.96	243.20	322.34	740.90	1306.44	
13.	महाराष्ट्र	193.80	377.35	369.41	940.56	1881.12	870.76	1879.96	1877.93	4628.65	
14.	मिजोरम	20.00	34.00	34.00	88.00	176.00	(93-94 सहित)	35.17	प्रतीक्षित है	35.17	(3/95)
15.	मणिपुर	20.00	34.00	34.00	88.00	176.00	18.99	45.88	प्रतीक्षित है	64.87	(3/95)
16.	मेघालय	20.00	17.00	शून्य	37.00	74.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
17.	नागालैंड	20.00	17.00	71.50	108.50	217.00	-	-	133.27	133.27	(10/95)
18.	उड़ीसा	114.80	224.30	219.50	558.60	1117.20	-	172.62	941.56	1114.18	
19.	पंजाब	50.90	100.87	98.74	250.51	501.02	93.32	246.12	205.01	544.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20.	राजस्थान	138.70	270.90	265.32	674.92	1349.84		520.89 (93-94 सहित)	1742.82	2263.71	
21.	सिक्किम	200.00	शून्य	71.50	91.50	183.00	-	40.02	प्रतीक्षित है	40.02	(3/95 तक)
22.	तमिलनाडु	193.60	379.45	371.51	944.56	1889.12		505.19 (93-94 सहित)	810.19	1315.38	(2/96 तक)
23.	त्रिपुरा	20.00	34.00	34.00	88.00	176.00		102.71 (93-94 सहित)	प्रतीक्षित है	102.71	(3/95 तक)
24.	पश्चिम बंगाल	288.60	243.00	शून्य	531.60	1063.20	-	63.01	381.19	444.20	
25.	उत्तर प्रदेश	430.50	841.28	892.87	2164.65	4329.30	863.49	1682.56	1723.48	4269.51	
संघ राज्य क्षेत्र											
1.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	15.00	25.00	25.00	65.00	65.00	-	-	14.59	14.59	
2.	चंडीगढ़	15.00	25.00	125.00	165.00	165.00	-	- (94-95 सहित)	62.11	62.11	
3.	दिल्ली	200.00	335.00	333.00	868.00	868.00	647.48	378.44	277.29	1303.21	
4.	दमण और दीव	15.00	14.00	8.00	37.00	37.00	-	-	5.00	5.00	
5.	दादरा और नागर हवेली	15.00	7.00	8.00	30.00	30.00	-	-	17.69	17.69	
6.	लक्षद्वीप	15.00	7.00	15.00	37.00	37.00	-	-	6.48	6.48	
7.	पांडिचेरी	20.00	34.00	34.00	88.00	88.00	-	9.52	27.48	37.00	

परिधान निर्यात शुल्क

*154. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई निवेश हकदारी योजना (इन्वैस्टमैंट एन्टाइटिलमैंट स्कीम) के अंतर्गत परिधान निर्यात कोटा मंजूर करने के क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत परिधान निर्यात कोटा मंजूर करने में अनियमितताएं बरती जाने के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) नव निवेशक हकदारी (एन आई ई) के अंतर्गत परिधान निर्यात हकदारी (कोटा) स्वीकृत करने के लिए निर्धारित मानदंड निम्नानुसार हैं:—

(1) निर्यातक को अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के पास एक विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

(2) निर्यातक द्वारा मौजूदा एकक में अथवा नए एकक में, पिछले कलैंडर वर्ष की 1 जनवरी से शुरू होने वाली निरंतर 12 महीनों की अवधि के दौरान कम से कम 50 लाख रु. की राशि, नई मशीनों (जो कि मशीनों की अनुमोदित सूची में से हों) पर निवेश की गई होनी चाहिए। तथापि, आवंटन वर्ष 1996 के लिए 1 सितम्बर, 1994 से शुरू होने वाली कोई भी 12 महीनों की अवधि लागू होगी।

(3) एन आई ई के आवंटन निवेश के विशिष्ट ब्लाक के लिए केवल एक बार ही किए जाते हैं।

(4) एन आई ई के आंवटन प्रत्येक एक लाख रु. के स्वीकार्य निवेश के लिए निर्यात हकदारी (कोटे) के 1000 नग की दर से किए जाते हैं।

(5) जिस मात्रा के लिए कोई विशिष्ट आवेदक पात्र होता है उस मात्रा को आवेदक द्वारा मांगी गई कम से कम 5 देश-श्रेणियों में बराबर विभाजित किया जाता है। अर्थात प्रत्येक देश श्रेणी के लिए प्रत्येक एक लाख रु. के स्वीकार्य निवेश के लिए अधिकतर निर्यात हकदारी (कोटा) 200 नग है। तथापि, यदि कोई निर्यातक इस कारण से 5 देश-श्रेणियों से कम का विकल्प देने के लिए विवश है क्योंकि उसके उत्पादन की मदें 5 देश-श्रेणियों को कवर नहीं करती हैं तो उस स्थिति में उसको आवंटित की गई कुल मात्रा उसकी इच्छा की देश-श्रेणियों तक ही सीमित रहेगी जिसे कि प्रत्येक एक लाख रु. के स्वीकार्य निवेश के लिए 200 नग द्वारा बढ़ाया जाएगा। यदि कोई निर्यातक पांच देश-श्रेणियों से अधिक का विकल्प देता है तो उस स्थिति में उसकी एन आई ई हकदारी को विभिन्न देश-श्रेणियों में बराबर विभाजित किया जाएगा जो कि प्रत्येक एक लाख रु. के स्वीकार्य निवेश के लिए 1000 नग की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।

(6) ऐसे आवेदक जिन्हें वर्ष 1996 के दौरान किसी विशिष्ट देश-श्रेणी में एनआई की पूर्ण अथवा आंशिक हकदारियां आवंटित नहीं की जाती हैं जोकि वर्ष 1996 के दौरान एन आई स्तर की गैर-उपलब्धता के कारण उन्हें पाने के लिए अन्यथा पात्र होते, वे या तो (1) अपने मूल आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट देश-श्रेणियों के बदले जिसमें कि वे वर्ष 1996 में पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से हकदारियों प्राप्त नहीं कर सकते थे, नई देश-श्रेणियों का अथवा (2) उसी देश-श्रेणियों जिसमें कि वे वर्ष 1996 के दौरान एन आई की हकदारियां प्राप्त नहीं कर सकते थे, वर्ष 1997 में एन आई ई हकदारियों के लिए विकल्प दे सकते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान के साथ व्यापार का विस्तार

*155. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-पाकिस्तान व्यापार के विस्तार का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ या भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). भारत से आयातों के बारे में पाकिस्तान सरकार की प्रतिबंधात्मक नीति के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार में बाधा आती है। यद्यपि, गाट समझौते के अंतर्गत भारत पाकिस्तान को परम मित्र राष्ट्र (एम एफ एन) का दर्जा देता है, तथापि, पाकिस्तान ने अपने गाट/डब्ल्यू टी ओ दायित्वों का उल्लंघन करते हुए भारत को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान नहीं किया है. इसके विपरीत यह अभी 573 मदों की एक पक्षीय सूची के अंतर्गत भारत से आयात की अनुमति देता है जिनमें 6 अंकों के स्तर पर करीब 800 टैरिफ लाइनें

आती हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की सुमेलित व्यवस्था के अनुसार कुल 5400 टैरिफ लाइनें हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा देकर पाकिस्तान सरकार के साथ एक औपचारिक कार्रवाई की है, जिसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। भारत-पाक व्यापार का विस्तार मुख्यतः परम मित्र राष्ट्र आधार पर भारत से आयात करने की अनुमति देने के बारे में पाकिस्तान की इच्छा पर निर्भर करेगा, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच चर्चा के लिए अन्य द्विपक्षीय व्यापार उठाए जा सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिथ्या कृषि आय

***156. श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अनेक व्यक्तियों द्वारा कुल देय-योग्य आय में मिथ्या कृषि आय शामिल करने की ओर आकृष्ट किया गया है जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपए की कर चोरी होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) आयकर विभाग ने इस संबंध में एक सुसंगठित गिरोह का पता लगाया है जिसमें बेईमान कर-निर्धारिती और चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स शामिल हैं।

(ख) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित उचित कार्रवाईयां की गई हैं :—

(1) विभाग के अन्वेषण निदेशालय द्वारा सारे देश में गहन जांच, सर्वेक्षण एवं तलाशी कार्य किये गये हैं और जांच के परिणामों के बारे में संबंधित कर-निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है।

(2) इन जांचों के परिणामस्वरूप कुछ कर निर्धारितियों ने कृषि आय के जाली होने की बात को स्वीकार किया है और आय को सुपुर्द कर दिया है तथा उस पर करों का भुगतान भी कर दिया है।

(3) कुछ मामलों को विस्तृत और समन्वित कार्रवाई के लिये केन्द्रीयकृत कर दिया गया है।

(4) इस गिरोह में शामिल पाये गये चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जांच प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बचत योजनाओं में लघु निवेशकों को प्रोत्साहन

***157. श्री काशीराम राणा :**

श्री दिलीप संघानी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में लघु निवेशकों को प्रोत्साहन दिए गए;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि का संग्रह किया गया और प्रोत्साहन देने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को एकत्र की गई राशि के कितने प्रतिशत भाग को अपने पास रखने की अनुमति दी गई है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा इस धनराशि का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1995-96 (प्रारम्भिक) के दौरान विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत डाकघरों में राज्य-वार जमा की गई धनराशि संलग्न विवरण में निर्दिष्ट की गई है। कुछ राज्य निवेशकों और एजेंटों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों पर हुए खर्च की राशि के ब्यौरे भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). किसी राज्य में निवल अल्प बचत संग्रहणों का 75 प्रतिशत भाग उस राज्य को राज्य आयोजना की वित्त व्यवस्था हेतु दीर्घावधि ऋण के रूप में दिया जाता है।

विवरण

वर्ष 1995-96 (प्रारम्भिक) के दौरान डाकघरों में राज्य-वार सकल अल्प बचत संग्रहण

	राज्य का नाम	(करोड़ रुपए)
1		2
1.	आंध्र प्रदेश	1964.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.55
3.	असम	656.02
4.	बिहार	1883.88
5.	गोआ	69.70

	1	2
6.	गुजरात	2848.48
7.	हरियाणा	960.50
8.	हिमाचल प्रदेश	527.47
9.	जम्मू और कश्मीर	277.28
10.	कर्नाटक	1355.42
11.	केरल	929.30
12.	मध्य प्रदेश	1212.63
13.	महाराष्ट्र	3413.12
14.	मणिपुर	22.32
15.	मेघालय	35.66
16.	मिजोरम	15.97
17.	नागालैंड	8.79
18.	उड़ीसा	691.80
19.	पंजाब	1397.97
20.	राजस्थान	1461.73
21.	सिक्किम	8.54
22.	तमिलनाडु	1917.76
23.	त्रिपुरा	94.47
24.	उत्तर प्रदेश	4722.38
25.	पश्चिम बंगाल	4259.47

[अनुवाद]

लघु उद्योग एकक

***158. श्री के. प्रधानी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से होने वाले निर्यात में लघु उद्योग एककों का योगदान 30 प्रतिशत तक है;

(ख) क्या बड़े औद्योगिक एककों को उनके कुल उत्पादन का 19 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति होती है जबकि लघु उद्योग एककों को केवल 8 प्रतिशत उधार की अनुमति होती है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग एककों में धन के प्रवाह को उदारीकरण करने के उद्देश्य से इस विसंगति को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। लघु उद्योगों से वर्ष 1994-95 के दौरान सीधे रु. 29068 करोड़ का निर्यात हुआ जो कि देश के रु. 82674 करोड़ के कुल निर्यात का 35.15% था।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता तथा संबंधित पहलुओं की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नायक समिति ने लघु एककों के लिए कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता की रूपरेखा का पुनर्मूल्यांकन करते समय मार्च, 1990 में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि मझोले और बड़े उद्योगों के मामले में कार्यशील पूंजी के बैंकों द्वारा वित्त पोषण तथा कुल उत्पादन का अनुपात लगभग 19.4% था तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए समग्र रूप से यही अनुपात 8.1% था।

(ग) लघु एककों को ऋण के प्रवाह के उदारीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि अब से बैंक प्रणाली से रु. 1 करोड़ तक की कुल फंड आधारित कार्यशील पूंजी सीमा वाले ग्रामोद्योगों, अति लघु एककों तथा अन्य लघु एककों को उनके अनुमानित वार्षिक उत्पादन के न्यूनतम 20% के आधार पर परिकल्पित के बराबर कार्यशील पूंजी की सीमा उपलब्ध करायी जायेगी। बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकता क्षेत्र में लघु एककों को ऋण का हिसाब लगाने के उद्देश्य से वे भारत सरकार की वर्तमान की लघु उद्योग परिभाषा को अपनायें।

लघु क्षेत्र को बैंक ऋण का प्रवाह और बढ़ाने हेतु 1995-96 के बजट में एक 7-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी जिसमें विशेषज्ञता वाली बैंक शाखायें गठित करने हेतु समयबद्ध कार्यवाही करने, शाखा और क्षेत्रीय स्तरों पर पर्याप्त अधिकारों के प्रत्यायोजन, नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से अच्छा कार्य कर रहे अपने एककों को ऋण की पर्याप्तता की जांच करने, लघु उद्यमियों को जहां तक संभव हो, मिश्रित ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों शामिल) स्वीकृत करने हेतु कदम उठाने, बैंक अधिकारियों की लघु उद्यमियों से नियमित बैठकें करने, बैंक प्रबन्धकों को सग्राही बनाने, आदि पर बल दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक के ऋण

***159. श्री सौम्य रंजन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से कितने ऋण प्राप्त हुए और इनकी शर्तें क्या-क्या हैं; और

(ख) मूल धनराशि कितनी है और उस पर अब तक कितने ब्याज की अदायगी की गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से चल रही परियोजनाओं के लिए प्राप्त किया गया उधार/ऋण सहायता का कुल अन्तःप्रवाह नीचे दिया गया है :—

	1993-94	1994-95	1995-96
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (मिलियन अमरीकी डालर में)	907	556	454
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (मिलियन अमरीकी डालर में)	668	1004	741
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (मिलियन एस.डी.आर. में)	231	शून्य	शून्य

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ नई परियोजनाओं के संबंध में प्रतिबिम्बित उधार/ऋण सहायता की कुल राशि नीचे दी गई है :—

	1993-94	1994-95	1995-96
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (मिलियन अमरीकी डालर में)	—	350	443
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (मिलियन अमरीकी डालर में)	711	977	926
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (मिलियन एस.डी.आर. में)	शून्य	शून्य	शून्य

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक सामान्य रूप से विश्व बैंक की ऋण देने वाली संस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की ऋण देने के निबंधनों और शर्तों में 5 वर्षों की छूट की अवधि सहित वापसी अदायगी की 20 वर्ष की अवधि शामिल है। ब्याज दर परिवर्तनीय है और इसमें अर्ध-वार्षिकी आधार पर संशोधन किया जाता है तथा वर्तमान में यह दर लगभग 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष है। असंवितरित शेष राशि पर वचनबद्धता प्रभार 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष है। पिछले छः वर्षों से समय पर वापसी अदायगियां किये जाने के कारण विश्व बैंक 0.5 प्रतिशत की छूट दे रहा है और इसलिए सरकार ने केवल 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष वचनबद्धता प्रभार के रूप में अदा किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, विश्व बैंक की रियायती दर पर उधार देने वाली संस्था है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता जिसे ऋण के रूप में जाना जाता है, के निबंधन और शर्तों में, 10 वर्ष की छूट की अवधि सहित वापसी अदायगी की 35 वर्ष की अवधि शामिल है। इन ऋणों पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है परन्तु 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है जो ऋण के संवितरित भाग पर ही लगाया जाता है। असंवितरित शेष राशियों पर वचनबद्धता प्रभार प्रतिवर्ष निर्धारित होता है जो अधिकतम 0.5 प्रतिशत है। लेकिन पिछले आठ वर्षों से समय पर वापसी अदायगियां होने के कारण विश्व बैंक द्वारा कोई भी वचनबद्धता प्रभार नहीं लगाया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया ऋण 3 $^{1}/_{4}$ वर्ष से 5 वर्षों में भुगताया जाता है। ब्याज जो प्रभारों के रूप में जाना जाता है, का भुगतान बकाया ऋण पर देय देय होता है तथा प्रभार की वर्तमान दर 4.27 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

(ख) विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वापस अदा की गई मूलधन तथा ब्याज की राशि के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :—

	1993-94		1994-95		1995-96	
	वापसी अदायगी	ब्याज	वापसी अदायगी	ब्याज	वापसी अदायगी	ब्याज
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (मिलियन अमरीकी डालर में)	709	620	757	646	815	631
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (मिलियन अमरीकी डालर में)	175	115	194	122	228	131
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (मिलियन एस.डी.आर. में)	96	182	805	153	1138	107

जूट पैकिंग सामग्री

*160. **श्री रूपचन्द पाल :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले की जानकारी है जिसके अनुसार उर्वरक और सीमेंट उद्योग सहित संबंधित उद्योगों द्वारा जूट पैकिंग सामग्री का उपयोग करना अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का सभी संबंधित उद्योगों द्वारा उक्त फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.4.96 के हाल ही के निर्णय में पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की सांविधिक वैधता को वैध ठहराया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित स्थायी सलाहकार समिति ने उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए बैठक की है। संबंधित उद्योग के हितों के विचारों को भी ध्यानपूर्वक सुना गया है। फिलहाल यूरिया की पैकेजिंग जिसके लिए पहले दिनांक 30.6.96 को आरक्षण आदेश को वैध ठहराया गया था, के लिए आदेश के उपबंधों को 30.9.96 तक बढ़ा दिया गया है। आदेश में शामिल अन्य मदों के लिए इस समय आरक्षण के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार समझौता

1080. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने विशेष व्यापार प्रावधानों के अंतर्गत भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखने का निश्चय किया है, विशेषकर जब दोनों ही देश विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार के समझौते में व्यापार से संबंधित पहलुओं पर हस्ताक्षरकर्ता देश थे;

(ख) क्या अमरीका ने जिनीवा में विश्व व्यापार संगठन के एक पंचाट के सामने भारत की इस बात के लिए खिंचाई की कि वह फार्मास्यूटिकल तथा कृषि रसायन उत्पादों में पेटेन्ट संरक्षण उपलब्ध कराने में असफल रहा; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 2 जुलाई, 1996 को विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान समझौता के अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के मामले में संयुक्त राज्य ने भारत के साथ विचार-विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की है। भारत इस विवाद को निपटाने के लिए यू.एस. के साथ विचार-विमर्श करेगा।

हस्तशिल्प के लिये धनराशि

1081. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम ने काष्ठकला और तांबे से वस्तुयें बनाने, हाथ से रंगाई करने, गलीचे को बुनाई, मिट्टी से वस्तुयें बनाने और बांस के कार्य के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी उद्यमों के लिए पूंजी जुटाना

1082. **श्री संदीपान थोरात :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पी.एस.ई.) के आधुनिकीकरण और वित्तपोषण कार्यक्रम के लिए पूंजी बाजार से बड़ी मात्रा में धनराशि जुटाने हेतु किसी नई संसाधन जुटाने की रणनीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के लिए सरकारी उपक्रमवार आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधीकरण हेतु धन की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अन्य वाणिज्यिक संगठनों की तरह अपने आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित वित्त जुटाने के लिए परियोजना की सक्षमता के आधार पर पूंजीगत बाजार से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से और अन्य साधनों से धनराशि जुटाने की अनुमति दी गई है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधिकरण हेतु धनराशि की आवश्यकता किसी निर्धारित समय में परियोजना की सक्षमता के आधार पर समय-समय पर बदलती रहती है और भावी आवश्यकता आंकी नहीं जा सकती।

[हिन्दी]

फूलों और फलों का निर्यात

1083. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान कितनी मात्रा में फल और फूलों का निर्यात हुआ और उसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या 1995-96 के दौरान फूलों और फलों के उत्पादन और निर्यात के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यातित फल और फूलों की मात्रा और कीमत तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मूल्य करोड़ रु. में)

(1)	कट फ्लावर *	44.25
(2)	ताजे फल **	146.38

* भार संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

** निर्यात किए गए फलों की मात्रा से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान फल एवं फूलों के उत्पादन और निर्यात के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में उद्यमों को वित्तीय सहायता

1084. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सेवाएं योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली के उद्यमियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायताओं का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। यह सितंबर 1994 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली में चालू है।

(ख) निगम द्वारा दिल्ली के उद्यमियों को वित्तीय सेवाओं के तहत निम्नलिखित चार योजनाएं मुहैया करायी जा रही हैं :

(1) **कच्चे माल में सहायता :** राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अधिकतम 90 दिन की अवधि के लिए लघु एककों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उधार के तौर पर कच्चा माल उपलब्ध कराने का प्रबंध किया जाता है।

(2) **बिल वित्त-पोषण :** लघु एककों द्वारा नामी और प्रतिष्ठित उपक्रमों को आपूर्ति किये गये माल के एवज में उनसे स्वीकृत बिलों पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अधिकतम 90 दिन की अवधि के लिए वित्तपोषण/छूट दी जा सकती है।

(3) **कार्यशील पूंजी वित्तपोषण :** आपातकालीन आवश्यकता होने पर चयनात्मक आधार पर जीव्यक्षम एककों की कार्यशील पूंजी में वृद्धि हेतु वित्त उपलब्ध कराया जाता है।

(4) **निर्यात विकास वित्त :** निर्यातोन्मुखी एककों को निर्यात विकास हेतु उनकी आपातकालीन आवश्यकताएं पूरा करने हेतु वित्त।

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अपनी वित्तीय सेवा योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लघु एककों को वित्तीय वर्षों 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान क्रमशः 957 लाख रु. तथा 1563 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करायी है।

[अनुवाद]

श्रम और व्यापार संबंधी मामलों से संबंधित समिति

1085. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन के समक्ष श्रम और व्यापार संबंधी विभिन्न मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण तैयार करने हेतु नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा बाल श्रम और विभिन्न व्यापार संबंधी विधानों के संबंध में क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). श्रमिक अधिकार तथा उनमें सम्बद्ध मामलों के संरक्षण से संबंधित मामलों का अध्ययन करने संबंधी आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें इसने सभी मौजूदा कानूनों का एक बहुप्रयोजनीय कानून में समालन करने सहित श्रम संबंधी मामलों पर अनेक सिफारिशें की हैं। आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

वस्त्र डिजाइन प्रदर्शनी

1086. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आयोजित वस्त्र डिजाइन प्रदर्शनी का पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी प्रदर्शनियों के माध्यम से निर्यात के लिये प्राप्त आर्डरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में वस्त्र डिजाइन पर ऐसी कुछ अन्य प्रदर्शनियों का आयोजन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में वस्त्र डिजाइनिंग पर विशेष रूप से कोई प्रदर्शनी नहीं लगाई गई। तथापि, इस अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रमुख प्रदर्शिनियों एवं मेलों का आयोजन किया गया था :—

(1) अक्तूबर 1993 में होटल ताज पैसेस, नई दिल्ली में रेशम इंडिया सिल्क मेला।

(2) मई 1995 में पार्लियामेंट हाउस एनैक्सी में पटसन विविधीकृत उत्पादों पर एक प्रदर्शनी।

(ख) रेशम इंडिया के परिणामस्वरूप रेशम की वस्तुओं के 4.2 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात आदेश प्राप्त हुए। पटसन के विविधीकृत उत्पादों पर प्रदर्शनी का मुख्य रूप से ध्यान पटसन क्षेत्र में विकास के नए क्षेत्रों पर था।

(ग) और (घ). विशेष रूप से वस्त्र डिजायनिंग पर इस समय कोई प्रदर्शनी लगाने के लिए प्रस्ताव नहीं है। इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन तथा वस्त्र मन्त्रालय, वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद के सहयोग से टैक्सटाइल्स इंडिया मेला, नई दिल्ली में दिनांक 28 से 31 जनवरी, 1997 तक आयोजित करने का प्रस्ताव है।

क्रूशियल बेलेंसिंग इनवेस्टमेंट स्कीम

1087. श्री परस राम भारद्वाज :

श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या **वाणिज्य मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्रूशियल बेलेंसिंग इनवेस्टमेंट स्कीम अधिसूचित की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में निर्यात उत्पादन तथा परिवहन के लिए अवस्थापना संबंधी कठिनाईयों को दूर करने के लिए संतुलन, पूंजी, निवेश की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए निर्धारित प्रस्तावों को, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित निधियों में से वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

[अनुवाद]

रबड़ का उत्पादन

1088. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी मात्रा में रबड़ का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने देश में रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित प्राकृतिक रबड़ की कुल मात्रा निम्नानुसार है :—

	उत्पादन (मी.टन)
1993-94	435160
1994-95	471815
1995-96	506910

(ख) और (ग). रबड़ बोर्ड रबड़ के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें ये शामिल हैं :

(1) उन्नत किस्मों वाली नई पौध के रोपण और पुनर्रोपण के वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना;

(2) अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री का उत्पादन तथा उपजकर्त्ताओं को वितरण;

(3) परामर्शी, विस्तार तथा प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना;

(4) छोटी जोत वाले उत्पादकों के बीच ग्रुप प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन देना;

(5) रबड़ की खेती, उत्पादन तथा प्रसंस्करण से संबंधित अनुसंधान करना;

(6) प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 1993-94 से विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त एक परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कोयले का आयात

1089. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान देश में कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कोयला उत्पादन में काम आने वाली खरीदी गई मशीनों की लागत क्या है;

(ग) कोयले के आयात के संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा अलग-अलग कितने कोयले का आयात किया गया?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में कोयले का कुल उत्पादन 270.13 मि. टन किया गया था, जिसमें से 40.10 मि.टन कोककर कोयले का तथा 230.03 मि.टन अकोककर कोयले का उत्पादन है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान, 1996-97 (जून, 1996 तक) कोल इंडिया लि., को.इं. लि. (और सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि.) सि. को.कं.लि. द्वारा कोयले के उत्पान के सम्बद्ध मशानों की 470.41 करोड़ रुपये (अनंतिम की राशि की खरीद की गई।

(ग) कोयले का वर्तमान निर्यात तथा आयात नीति के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में आयात किया जा सकता है। अतः इसका आयात किए जाने हेतु भारत सरकार से किसी तरह का लाईसेंस/अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आयातित किए गए कुल कोयले की मात्रा, जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किया गया कोककर कोयला शामिल है, नीचे दर्शायी गई है :—

	(मिलियन टन में)
1993-94	7.51
1994-95	11.39
1995-96	9.35
(दिसम्बर, 1995 तक)	

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के लिए आयात किए जाने संबंधी अलग से आंकड़े विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

राज-भाषा की स्थिति

1090. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वित्त मंत्रालय ईसके उपक्रमों और बैंकों में राज-भाषा "हिन्दी" की क्या स्थिति है; और

(ख) राज-भाषा के प्रयोग का बढ़ावा देने के लिए राज-भाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का पालन करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और उस पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाती है।

[अनुवाद]

बुनकरों के कल्याण के लिए बोर्ड

1091. श्री एल. रामन्ना : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बुनकर समुदाय के कल्याण के लिए एक अलग बोर्ड के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के बुनकर समुदाय के उद्धार के लिए एक ऐसे ही बोर्ड का गठन करने का है, क्योंकि इस समुदाय के लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

समान नागरिक संहिता

1092. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मुस्लिम महिला कन्वेन्शन ने तीन बार तलाक कह कर तलाक देने की प्रथा को गैर कानूनी करार देते हुए निरस्त करने और अधिनियम में तत्काल प्रभाव से आवश्यक संशोधन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के सभी नागरिकों के लिए नागरिक संहिता में संशोधन करने का है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) सरकार के सामने तारीख 25 मार्च, 1996 के स्टेट्समैन में प्रकाशित "मुस्लिम महिला कन्वेन्शन तलाक को अवैध बताती है" शीर्षक से एक समाचार आया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह रिपोर्ट किया गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम महिला कन्वेन्शन ने मांग की है कि तीन बार तलाक (तलाक-ए-सालासा) की प्रथा को अवैध और शून्य घोषित किया जाए और इस प्रभाव के समुचित संशोधन तुरंत किए जाएं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें

1093. डा. सत्य नारायण जटिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1993 से जनवरी, 1996 और जून 1996 तक प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम राज्य व्यापार निगम और निजी क्षेत्र की कपड़ा मिलों में कितना उत्पादन हुआ और उनमें कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) बंद पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा मिल-वार क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) उपरोक्त मिलों के बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने और उनके पुनर्वास के लिए उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यार्न और कपड़े का उत्पादन निम्न अनुसार हैं :—

वर्ष	समस्त यार्न (मि. किग्रा.)	समस्त कपड़ा (मि.वर्ग मीटर)
1993-94	61.288	76.045
1994.95	66.243	66.357
1995.96 +	108.00	51.072

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में स्थित एन टी सी, एस टी सी तथा निजी क्षेत्र की मिलों में लगे कामगारों की संख्या निम्नानुसार है :—

कामगारों की संख्या	मार्च 93	मार्च 94	दिसम्बर 95	मार्च + 96
	49214	48019	54216	54334

(ख) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा उनका पुनरुद्धार करने के लिए यथोचित योजनाएं तैयार करने तथा उनकी स्वीकृति देने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना की है।

(ग) सरकार ने मिल के स्थाई/आंशिक रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना बनाई है।

[अनुवाद]

सोने का आयात

1094. श्री रामकृपाल यादव : क्या **वाणिज्य मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) ने रियायती दर पर आयातित सोना कुछ अन्य चुनिंदा आभूषण निर्यातकों को दिया है;

(ख) यदि हां, तो आभूषण निर्यातकों को कितनी मात्रा में एवं कितने मूल्य का आयातित सोना दिया गया तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चाय क्षेत्र के लिए विश्व बैंक सहायता

1095. कुमारी उमा भारती :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि मांगी गई है; और

(ग) इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). भारत में चाय उद्योग के विकास के लिए 2216.5 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता का एक प्रस्ताव विश्व बैंक को पेश किया गया है।

(ग) भारत में चाय उद्योग के सामने आ रही समस्याओं/बाधाओं का आकलन करने के लिए मई/जून, 1996 में विश्व बैंक के एक चार सदस्यीय अध्ययन दल ने भारत का दौरा किया। विभिन्न संस्थाओं के साथ चर्चाओं और प्रारम्भिक डाटा विश्लेषण के अध्ययन दल ने उन मुद्दों की पहचान की है जिनका परियोजना के भाग के रूप में समाधान किया जाना है। अध्ययन दल के साथ हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में इस अनुसरण में परियोजना के मुद्दों और विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण करने के लिए पांच कार्य दल गठित किए गए हैं। बैंक आयोग नवम्बर, 1996 के आसपास आगे की चर्चाओं के लिए पुनः भारत के दौरे पर आएगा।

[अनुवाद]

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की चीनी मिलों को बंद किया जाना

1096. डा.एम.पी. जायसवाल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चम्पटिया, चकिया स्थित ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की चीनी मिलों को बंद करने के कारण कितने श्रमिक रोजगार से हाथ धो बैठे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को अन्य कम्पनियों में समायोजित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मिल के श्रमिकों को वेतन कब से नहीं मिला है;

(ङ) सरकार द्वारा श्रमिकों को देय वेतन के भुगतान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या इन मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों का भुगतान भी बकाया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यह भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ज). बिहार में चम्पटिया, चकिया में स्थित शुगर फैक्ट्री, बी आई एफ आर की सिफारिश पर 5.9.1994 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा बन्द की गई चम्पारन शुगर कम्पनी लि. नामक निजी कम्पनी की फैक्टिरयों में से एक है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित व्यासमापन आदेशों के कारण चम्पटिया स्थित शुगर फैक्ट्री के 876 कामगार बेरोजगार हो गए। फैक्ट्री का प्रबंधन इस समय सरकारी व्यासमापन के पास है। क्योंकि यह कम्पनी एक निजी कम्पनी है, इसलिए उनके कर्मचारियों को किन्ही अन्य कम्पनियों में नियोजित करने अथवा इसलिए उनके कर्मचारियों को किन्हीं अन्य कम्पनियों में नियोजित करने अथवा उनके देय बकाया राशि का भुगतान करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीकानेर को दर्जा

1097. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर जिले को बी-2 नगर का दर्जा प्रदान कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से यह दर्जा प्रदान किया गया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). आवास किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन से बीकानेर शहर को 1.3.1991 से बी-2 श्रेणी शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कपास का निर्यात

1098. श्री राम नाईक : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू मौसम के दौरान महाराष्ट्र से कितनी मात्रा में कपास के निर्यात की अनुमति दी गई है;

(ख) अब तक महाराष्ट्र द्वारा कुल कितने कपास का निर्यात किया गया है;

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्यात के लिए कुल कितनी मात्रा में कपास के निर्यात का अनुरोध किया गया है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी मात्रा की अनुमति दी गई है; और

(ङ) राज्य से कम मात्रा में कपास के निर्यात की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (घ). महाराष्ट्र सरकार ने चालू कपास मौसम (सितम्बर, 95-अगस्त, 96) के दौरान निर्यात के लिए कपास की 5 लाख गांठों के कोटे की मांग की थी। महाराष्ट्र राज्य सरकारी कपास उपजकर्ता विपणन परिसंघ को निर्यात के लिए कपास की 2.2 लाख गांठ का कोटा आवंटित किया गया है। अन्य सभी राज्य परिसंघों को निर्यात के लिए कुल मिलाकर 1.8 लाख गांठ आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र परिसंघ, जिनिंग और प्रेसिंग एककों के साथ-साथ सी सी आइ परिसंघों/निजी व्यापार के लिए रिलीज किए गए कोटों के आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त सूचना अनुसार चालू वर्ष में 15.7.1996 तक महाराष्ट्र परिसंघ द्वारा निर्यात की गई कपास (जिसका वास्तव में लदान हो चुका है) की कुल मात्रा 47, 594 गांठ हैं।

(ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना की समीक्षा

1099. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री काशीराम राणा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना की सफलता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्यवार कितनी राजसहायता दी गई और उसके क्या लक्ष्य थे?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रधान मंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन में प्रगति की केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर के नेतृत्व में एक प्रकोष्ठ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन बैंकों के कार्य-निष्पादन की सूक्ष्म निगरानी करता है। इन समितियों की समीक्षा एवं मूल्यांकन के अलावा, आई.आई.एम. जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा भी कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। इन समीक्षा/मूल्यांकन के आधार पर प्रधान मंत्री रोजगार योजना का कार्यान्वयन संतोषजनक है। राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 के दौरान बैंक ऋण स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या क्रमशः 32068, 1,98,238 और 2,94,148 है। फिर भी, कुछ बैंकों द्वारा समानान्तर सुरक्षा तथा स्वीकृत ऋण के वितरण में विलम्ब के दृष्टान्त भी बताए गए हैं।

(घ) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन राजसहायता भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की जाती है जो उसे कार्यान्वित बैंकों को जारी करता है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक जारी की गई राजसहायता का बैंकवार ब्यौरा रखता है और जारी की गई राजसहायता का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखता है। वर्ष 1995-96 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए राजसहायता दावों को पूरा करने के लिए 118.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

जहाजीमाल तथा सीमाशुल्क अभिकर्ता

1100. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जहाजीमाल तथा सीमाशुल्क निकासी के कितने प्रधिकृत अभिकर्ता हैं;

(ख) ऐसे अभिकरणों को प्राधिकृत करने के क्या मानदण्ड हैं;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान आज की तारीख तक कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(घ) क्या सरकार को इन अभिकरणों के कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(च) क्या कुछ अप्राधिकृत अभिकर्ता भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) दिल्ली में सीमा शुल्क गृह के प्राधिकृत एजेंटों की सं. 460 है।

(ख) सीमा शुल्क गृह के एजेन्टों को लाइसेंस देने का कार्य सीमा शुल्क गृह एजेंट्स लासेंसिंग विनियमन, 1984 के उपबन्धों द्वारा संचालित होता है। अस्थायी लाइसेंस जारी करने का कार्य विनियमन 4 से 8 द्वारा संचालित होता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन पत्र आमंत्रित करने की पद्धति, आवेदन पत्र में दिए जाने वाले ब्यौरों, आवेदकों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों और आवेदन पत्र की जांच-पड़ताल के लिए व्यवस्था दी हुई है। नियमित लाइसेंस मंजूर करने का कार्य विनियमन 9 से 11 द्वारा संचालित होता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ फार्मों के उन व्यक्तियों अथवा कर्मचारियों के लिए जिन्हें अस्थायी लाइसेंस मंजूर किए गए हैं, एक परीक्षा पास करने, संभावित लाइसेंसधारी द्वारा जमानत प्रस्तुत करने और बाण्ड निष्पादित करने के लिए व्यवस्था दी गई है।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान, अब तक 31 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(घ) से (छ). सरकार को दिल्ली सीमा शुल्क गृह एजेंटों के कामकाज के बारे में कोई शिकायतें/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं और न ही सरकार को दिल्ली में काम कर रहे किन्हीं अप्राधिकृत एजेंटों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। अतः, इस संबंध में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण

1101. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित करने हेतु कोई संविधान (संशोधन) विधेयक तैयार करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख). संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित करने के संबंध में प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और इस विषय में शीघ्र ही कोई औपचारिक विनिश्चय किए जाने की प्रत्याशा है।

इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पकड़ा गया सामान

1102. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 30 जून, 1996 के बीच इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पकड़ी गई विदेशी मुद्रा तथा तस्करी के सामान का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). राजस्व आसूचना निदेशालय ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर 1.1.96 से 30.6.96 तक की अवधि के दौरान माल की तस्करी किए जाने के प्रयास के चार मामलों का पता लगाया है जिसके फलस्वरूप 153.99 लाख रुपये के मूल्य के बराबर विविध विदेशी मुद्राओं तथा 80.17 लाख रुपये के मूल्य के 15.251 किलोग्राम वजन के विदेशी मार्के वाले सोने का अभिग्रहण किया गया है। इस संबंध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

1. श्री हरबर्ट बलोजक, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया है।
2. श्री अब्दुल कुदोस रहमान, और
3. श्री मोहम्मद असलम खान-इन्हें गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में रखा गया है, तथापि, उसे 7.6.1996 को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उसके विरुद्ध 11.8.1996 को मुकदमा दायर कर दिया गया है।

घटिया किस्म की वस्तुओं का निर्यात

1103. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी खरीददारों को घटिया किस्म के माल का निर्यात किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घटिया किस्म के उत्पादों का निर्यात करने वाले सभी निर्यातकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ). जी, हां। ये शिकायतें मुख्यतः परस्पर सहमत उत्पाद विशिष्टताओं का अनुपालन न करने, खराब पैकेजिंग, गलत वस्तुओं की डिलीवरी, विशेष रूप से खाद्य खराब होने वाली वस्तुओं के खराब होने या दूषित होने से संबंधित है। शिकायतों की शीघ्रता से जांच की जाती है और सम्बंधित निर्यातकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है जिसमें उसके आयातक-निर्यातक कोड नम्बर को स्थगित/रद्द करना, उनको आयात लाइसेंस देने पर रोक लगाना तथा वित्तीय दंड लगाना आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पुनः वित्त पोषित करना

1104. श्री विनय कटियार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा व्यावसायिक बैंकों को दिया गया पुनः वित्तपोषण समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्होंने वाणिज्यिक बैंकों को दी जा रही पुनर्वित्त सहायता को वापस लेने का निर्णय नहीं लिया है। तथापि सहकारी बैंकों/भूमि विकास बैंकों की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध संसाधनों और अपेक्षाकृत बेहतर संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ने उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केवल परियोजना आधारित उधार देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देने का निर्णय किया है जिनमें ये सम्मिलित हैं बागवानी, पुष्पोत्पादन, पशुपालन, मछली-पालन (खारे पानी में एकवाकल्चर के अलावा), बीज संसाधन, रेशम-उत्पादन और अन्य नवोन्मेष और विशेषरूप से अनुमोदित योजनाएं। तथापि, नाबार्ड गैर-कृषि क्षेत्र, अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति कार्य योजना और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋणों के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देता रहेगा।

नाबार्ड ने आगे बताया है कि बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, वह सभी पात्र प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देता रहेगा।

सर्वाधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अदा करने वाली कम्पनियां

1105. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुम्बई तथा गुजरात विशेषकर अहमदाबाद सर्किल में सर्वाधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर अदा करने वाली कंपनियों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन्होंने कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया और उन पर कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र से उत्पाद शुल्क और आयकर के रूप में कुल कितनी धनराशि की वसूली हुई?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पटसन निगम

1106. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पटसन निगम की गतिविधियों का विविधिकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख). ऐसी कोई ठोस योजना विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति दर

1107. श्री पवन दीवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय अपनाने के बावजूद मुद्रास्फीति की दर दो अंकों में चली गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सप्ताहिक दर क्या है;

(ग) मूल्य सूचकांक में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर क्या थी;

(ङ) आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों पर मुद्रास्फीति में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(च) मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अर्थात उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी नहीं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 5 प्रतिशत से कम बनी रही है। तथापि, मई 1996 तक की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 9.3% थी।

(ख) थोक मूल्य सूचकांक के विपरीत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर उपलब्ध होता है। गत छः महीनों में आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में दोनों सूचकांकों में हुई घट-बढ़ नीचे दी गई है :

सारणी 1

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का सूचकांक

	थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82 = 100)	औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982 = 100)
	1	2
दिसम्बर, 95	300.5	319
जनवरी, 96	296.6	314
फरवरी, 96	294.7	315
मार्च, 96	294.6	315
अप्रैल, 96	301.0	320
मई, 96	305.1अ	उ.न
जून, 96	314.0अ	-

अ = अनन्तिम

(ग) दिसम्बर, 1995 से जून, 1996 के बीच थोक मूल्य सूचकांक में 4.5 प्रतिशत की साधारण वृद्धि हुई है। कुछ अंश तक इस वृद्धि का स्वरूप मौसमी है - विशेषकर फलों और सब्जियों के मामले में।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर में भी कमी दिखाई दी जो दिसम्बर, 1995 में 9.7 प्रतिशत से गिरकर मई, 1996 में 9.3 प्रतिशत हो गई।

(घ) गत छह महीनों के दौरान प्रत्येक सप्ताह बिन्दु-दर वार्षिक मुद्रास्फीति दर आगे सारणी-2 में दी गई है।

सारणी 2

बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर

निम्न तारीख को समाप्त सप्ताह	सूचकांक (1981-82=100)	मुद्रास्फीति (%)
1	2	3
2.12.95	298.5	7.1
9.12.95	298.1	6.5
16.12.95	297.9	6.4
23.12.95	297.0	6.0
30.12.95	296.8	5.8
6.1.96	296.8	5.2
13.1.96	297.1	4.9
20.1.96	298.1	5.0
27.1.96	297.5	4.9
3.2.96	297.6	4.7
10.2.96	297.7	4.4
17.2.96	297.9	4.6
24.2.96	298.4	4.9
2.3.96	299.3	5.1
9.3.96	299.3	5.2
16.3.96	299.3	5.1
23.3.96	299.5	5.0
30.3.96	299.5	4.4
6.4.96	301.8	4.8
13.4.96	302.5	4.9
20.4.96	302.7	4.6
27.4.96	304.1	5.0
4.5.96	303.5	4.6
11.5.96	304.3 (अ)	4.4
18.5.96	304.3 (अ)	4.2
25.5.96	304.3 (अ)	4.1
1.6.96	305.4 (अ)	4.8
8.6.96	306.0 (अ)	4.7
15.6.96	306.2 (अ)	4.5
22.6.96	306.2 (अ)	4.2
29.6.96	306.5 (अ)	4.2

अ = अतंतिम

(ङ) गत छह महीनों में मुद्रास्फीति की दर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में, मुद्रास्फीति की दर में कमी हुई जो दिसम्बर, 1995 के पहले सप्ताह में 7.1% के स्तर से घटकर मई, 1996 के पहले सप्ताह में 4.6% हो गई।

(च) मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुली बाजार-बिक्री को जारी रखना।

(2) शून्य अथवा कम किए गए शुल्क पर चीनी, खाद्य तेल, दालों और कम वसा वाले दूध पाउडर जैसी चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के लिए खुला-सामान्य-लाइसेंस (ओ.जी.एल.) की आयात नीति को जारी रखना।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आपूर्ति हेतु सरकारी लेखे पर खाद्य तेलों का आयात करना।

(4) 1995-96 में राजकोषीय घाटे सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% (सं.अ.) तक सीमित रखना।

(5) 1995-96 में उपायों की श्रृंखला के जरिए मौद्रिक वृद्धि को 13 प्रतिशत तक सीमित रखना।

(6) अधिकतर वस्तुओं के लिए आयात शुल्क कम करने के साथ-साथ उदारवादी आयात नीति जारी रखना।

[अनुवाद]

अधिक इस्पात उत्पादन पर कम उत्पाद शुल्क

1108. श्रीमती जयवंती नवीन चन्द्र मेहता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1995-96 के दौरान छः लाख मीट्रिक स्टेनलेस स्टील का उत्पादन होने के बावजूद केवल तीन लाख मीट्रिक टन पर ही उत्पाद शुल्क की वसूली हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं?

(ग) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क के अपवंचन के परिणामस्वरूप वर्षवार कितनी वास्तविक क्षति हुई?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पद

1109. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लगभग 90 उच्च स्तरीय पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पदों के रिक्त रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भर लिए जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31.5.1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालकों के 37 पद और पूर्णकालिक निदेशकों के 68 पद रिक्त थे। इन पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शीर्ष पदों पर भर्ती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है जिसमें लोक उद्यम चयन मण्डल द्वारा चयन तथा संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्ति शामिल हैं। शीर्ष पदों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

31.5.1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न उद्यमों में रिक्त शीर्ष पदों का विवरण

(क) मुख्य कार्यपालकों के पद

1. प्रबंध निदेशक, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारी उद्योग निगम लि.
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत अर्थ मूवर्स लि.
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रिटिश इण्डिया कारपो. लि.
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत गोल्ड माइन्स लि.
8. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इण्डिया) लि.
9. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
10. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि.
11. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय कपास निगम लि.
12. प्रबंध निदेशक, दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि.
13. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान कॉपर लि.
14. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान जिंक लि.
15. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
16. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कंपनी लि.
17. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम
18. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.
19. प्रबंध निदेशक, इण्डियन रेलवे कस्ट्रक्शन कंपनी लि.
20. अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक, इण्डियन रेअर अर्थ लि.
21. प्रबंध निदेशक, भारतीय रेलवे वित्त निगम लि.
22. प्रबंध निदेशक, लगन जूट मशीनरी कंपनी लि.
23. प्रबंध निदेशक, मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.
24. प्रबंध निदेशक, माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि.
25. प्रबंध निदेशक, मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
26. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लि.
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेपा लि.
28. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लि.
29. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर ग्रिड कारपो. लि.
30. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
31. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
32. प्रबंध निदेशक, रेरोल बर्न लि.
33. प्रबंध निदेशक, राजस्थान इलेक्ट्रानिक एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लि.
34. प्रबंध निदेशक, रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विस
35. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय नौवहन निगम लि.
36. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन
37. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

(ख) कार्यकारी निदेशक के पद

1. सदस्य (वित्त), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
2. सदस्य (ऑपरेशन), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
3. सदस्य (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
4. सदस्य (आयोजना), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
5. निदेशक (तकनीकी), भारत भारी उद्योग निगम लि.

6. निदेशक (वित्त), भारत भारी उद्योग निगम लि.
7. निदेशक (वाणिज्यिक), भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.
8. निदेशक (ऑपरेशन एवं परियोजना), भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.
9. निदेशक (तकनीकी), ब्रिटिश इण्डिया कारपो. लि.
10. निदेशक (वित्त), भारत डायनामिक्स लि.
11. निदेशक (वित्त), भारत गोल्ड माइन्स लि.
12. निदेशक (रिफाइनरी), भारत पैट्रोलियम कारपो. लि.
13. निदेशक (वित्त), भारत पैट्रालियम कारपो. लि.
14. निदेशक (वित्त), कोल इण्डिया लि.
15. निदेशक (कार्मिक), कोल इण्डिया लि. (सहायक कंपनियां)
16. निदेशक (ऑपरेशन), सीमेंट कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
17. निदेशक (वित्त), सीमेंट कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
18. निदेशक (वित्त), इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नॉलाजी डेवलपमेंट कारपो.
19. निदेशक (तकनीकी), इलेक्ट्रोनिक्स कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
20. निदेशक (तकनीकी), इंजीनियर्स इण्डिया लि.
21. निदेशक (वित्त), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.
22. निदेशक (वित्त), भारतीय उर्वरक निगम लि.
23. निदेशक (तकनीकी), फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि.
24. निदेशक (वित्त), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.
25. निदेशक (वित्त), गोवा शिपयार्ड लि.
26. निदेशक (परियोजना), भारतीय गैस प्राधिकरण लि.
27. निदेशक (कार्मिक), भारतीय गैस प्राधिकरण लि.
28. निदेशक (वित्त), भारी इंजीनियरी निगम लि.
29. निदेशक (विपणन), भारी इंजीनियरी निगम लि.
30. निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपो. लि.
31. निदेशक (ऑपरेशन), हिन्दुस्तान कॉपर लि.
32. निदेशक (कार्मिक), एचएमटी लि.
33. निदेशक (एमपीसीपीपी), एचएमटी लि.
34. निदेशक (विपणन), हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.
35. निदेशक (अनुसंधान एवं विकास), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन
36. निदेशक (बीएलआर कॉम्प्लेक्स), इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.
37. निदेशक (अनुसंधान एवं विकास), इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स लि.
38. निदेशक (कार्मिक), इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स लि.
39. निदेशक (वित्त), आईबीपी कंपनी लि.
40. निदेशक (वाणिज्यिक), कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.
41. निदेशक (वित्त), खनिज गवेषण निगम लि.
42. निदेशक (तकनीकी), मेटालुर्जिकल एण्ड इंजी. कंसल्टेंट्स लि.
43. निदेशक (वित्त), माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.
44. निदेशक (वित्त), मझगांव डॉक लि.
45. निदेशक (वित्त), मैगनीज ओर (इण्डिया) लि.
46. निदेशक (पावर), नेवेली लिग्नाईट कारपो. लि.
47. निदेशक (वित्त), नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
48. निदेशक (तकनीकी), नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
49. निदेशक (परियोजना), नेशनल थर्मल पावन कारपो. लि.
50. निदेशक (वित्त), नूमालीगढ़ रिफाइनरीज लि.
51. निदेशक (वाणिज्यिक), नेशनल थर्मल पावर कारपो. लि.
52. निदेशक (ऑपरेशन), नेशनल थर्मल पावर कारपो. लि.
53. निदेशक (वित्त), नेशनल जूट मैन्यु. कंपनी लि.
54. निदेशक (तकनीकी), नेशनल जूट मैन्यु. कंपनी लि.
55. निदेशक (वित्त), नाफ्था झाकरी पावर कारपो.
56. कार्यकारी निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
57. निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
58. निदेशक (ऑपरेशन), ऑयल इण्डिया लि.
59. निदेशक (वित्त), भारतीय परियोजना एवं विकास निगम लि.
60. निदेशक (वित्त), पारादीप फास्फेट्स लि.
61. निदेशक (वित्त), पावर ग्रिड कारपो. लि
62. निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
63. निदेशक (वाणिज्यिक), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
64. निदेशक (तकनीकी), रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इको. सर्विस लि.
65. निदेशक (इंजीनियरिंग), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
66. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
67. निदेशक (उत्पादन एवं विपणन), टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो.
68. निदेशक (वित्त), विदेश संचार निगम लि.

मेगा ग्रोथ सेन्टर

1110. श्री राम चन्द्र डोम : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने राज्य में मेगा ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने के प्रस्ताव/योजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार अनुमोदित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) "बड़े मेगा ग्रोथ सेन्टर" के लिए किये गए राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "मेगा ग्रोथ सेन्टर" योजना में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग). संलग्न विवरण-I में उल्लिखित राज्य सरकारों से विकास केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

भारत सरकार द्वारा अब तक अनुमोदित 41 विकास केन्द्रों के विवरण तथा उन्हें जारी की गई केन्द्रीय सहायता की राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) से (ङ). प्रत्येक विकास केन्द्र को रु. 25-30 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया जाना है, जिसमें कि केन्द्र सरकार का योगदान रु. 10 करोड़ तक सीमित है। फंड जारी करना राज्य सरकार द्वारा विकास केन्द्र के क्रियान्वयन में दर्ज की गई प्रगति पर निर्भर करता है। विकास केन्द्र योजना में किसी भी संशोधन के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा और इस प्रकार किये गये किसी भी संशोधन की सूचना राज्य सरकार को दी जाएगी।

विवरण-I

राज्य जिन्होंने विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं

क्रमं.	राज्यों का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	जम्मू और कश्मीर
9.	कर्नाटक
10.	मध्य प्रदेश
11.	केरल
12.	मध्य प्रदेश
13.	महाराष्ट्र
14.	मणिपुर
15.	मेघालय
16.	मिजोरम
17.	नागालैंड
18.	उड़ीसा
19.	पांडिचेरी
20.	पंजाब
21.	राजस्थान
22.	तमिलनाडु
23.	त्रिपुरा
24.	उत्तर प्रदेश
25.	पश्चिम बंगाल

विवरण-II

अनुमोदित विकास केन्द्रों की सूची

	विकास केन्द्र का नाम	जिला	जारी की गयी केन्द्रीय सहायता (रु. लाख में)
	1	2	3
आंध्र प्रदेश			
1.	हिन्दूपुर	अनन्तपुर	200.00
2.	खम्माम	खम्माम	50.00
3.	विजयानगरम बब्बिली	विजयानगरम	300.00
4.	अंगोले	प्रकासम	300.00
बिहार			
5.	बेगुसराय	बेगुसराय	300.00
6.	हजारी बाग	हजारीबाग	200.00

1		2	3
गोवा			
7.	इलेक्ट्रोनिक सिटी	वर्ना-प्लेट्यू	524.00
गुजरात			
8.	गांधीधाम	कच्च	100.00
9.	पालनपुर	बनासकांठा	100.00
10.	बगरा	भारूच	1000.00
हरियाणा			
11.	बावल	रेवाड़ी	1000.00
जम्मू और कश्मीर			
12.	सम्बा	जम्मू	200.00
कर्नाटक			
13.	धारवाड़	धारवाड़	800.00
14.	रायचुर	रायचुर	460.00
15.	हसन	हसन	800.00
केरल			
16.	एल्लेपी-पथनमथिटा	एल्लेपी-पथनमथिटा	268.00
17.	कन्नू-कोझी-कोड मल्लापुरम	कन्नूर-कोझी-कोड मल्लापुरम	884.00
मध्य प्रदेश			
18.	बोराई	दुर्ग	568.00
19.	घाइनपुरा	गुना	100.00
20.	घिरोंगी	भिंड	1000.00
21.	खेडा	धार	1000.00
22.	सिलतारा	रायपुर	1000.00
23.	सतलापुर	रायसेन	185.00
महाराष्ट्र			
24.	अकोला	अकोला	200.00
25.	चंद्रपुरा	चंद्रपुरा	300.00
26.	धुले	धुले	200.00
27.	रत्नागिरी	रत्नागिरी	200.00
पंजाब			
28.	भटिंडा	भटिंडा	1000.00
29.	पठानकोट	गुरदासपुर	1000.00
राजस्थान			
30.	आबू रोड	सिरोही	860.00
31.	बीकानेर	बीकानेर	300.00
32.	धौलपुर	धौलपुर	250.00
33.	झालावाड़	झालावाड़	300.00
तमिलनाडु			
34.	ईरोड	पेरियार	1000.00
35.	तिरूनेलवेल-गोंगाई-कोंनडन-नन्नुर ब्लॉक	तिरुनेलाली-कोट्टाबोमन	930.00
उत्तर प्रदेश			
36.	बचौली-बुजंग	झांसी	50.00
37.	बनथारा	शाहजहानपुर	50.00
38.	चौधरपुर	मुरादाबाद	50.00
39.	खुर्जा	बुलंदशहर	250.00
40.	मुंगरा-स्थारिया	जौनपुर	450.00
41.	शाहजनवा	गौरखपुर	1000.00

[हिन्दी]

फैमिली बॉण्ड

1111. श्री पंकज चौधरी :
कुमारी उमा भारती :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की "फैमिली बॉण्ड" जारी करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं;

(ग) निगम द्वारा कितनी धनराशि के बॉण्ड जारी किए जायेंगे; और

(घ) ये बॉण्ड जारी कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). जी, हां। भारतीय वित्त निगम लि. (आई एफ सी आई) ने सूचित किया है कि अपने संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से, उसने वचन-पत्र की तरह के गैर जमानती प्रतिदेय बॉण्ड्स के सरकारी निर्गम के माध्यम से 800 करोड़ रुपए जुटाने का निर्णय लिया है जिसका शीर्षक "फैमिली बॉण्ड्स" होगा। इन बॉण्डों की मुख्य विशेषताओं में ये सम्मिलित हैं :—किसी भी समय नकदी अर्थात् एक वर्ष पश्चात

किसी भी समय कितनी भी राशि के बॉण्डों का नकदीकरण, सभी मूल व्यक्तिगत निवासी भारतीय बाण्डधारकों को सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी के अंतर्गत बीमा कवर, आई एफ सी आई के विद्यमान निवासी भारतीय शेयरधारकों और बाण्डधारकों को स्वतंत्र लायल्टी बाण्डों को जारी करना और इन बाण्डों की गारंटी के बदले बाण्डधारकों को विशिष्ट बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों की उपलब्धता।

(घ) "फैमिली बॉण्ड्स" की सरकारी निर्गम अभिदान के लिए 25 जुलाई, 1996 को खुलना निर्धारित हुआ है जो 14 अगस्त, 1996 को बन्द होगा और अधिक से अधिक 20 अगस्त, 1996 तक बन्द हो जाएगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण जलापूर्ति हेतु विकास विश्व बैंक ऋण

1112. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना का क्रियान्वयन किस अभिकरण द्वारा किया जायेगा और इसकी क्रियाविधि क्या होगी तथा क्या धनराशि के आवंटन का आंकलन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना में गैर-सरकारी संगठनों, यदि कोई हों, की क्या भूमिका है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

विश्व बैंक के बोर्ड ने 25.6.96 को उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय सफाई के लिए 59.6 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है।

(ख) परियोजना के दो मुख्य उद्देश्य ये हैं :—

(1) जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता सेवाओं में सुधार लाते हुए ग्रामीण जनता में स्वास्थ्य विज्ञान के धारणीय लाभों को पहुंचाना; और

(2) उत्तर प्रदेश सरकार को ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए एक उपयुक्त ढांचे और नीतिगत योजना का पता लगाने और उसे कार्यान्वित करने हेतु सहायता प्रदान करते हुए उस क्षेत्र की दीर्घकालीन धारणीयता को संवर्धित करना है।

(ग) से (ङ). परियोजना का कार्यान्वयन एक परियोजना अनुवीक्षण कक्ष द्वारा किया जाएगा। जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गयी है। सेवाओं को वितरित किए जाने का उत्तरदायित्व परियोजना अनुवीक्षण कक्ष द्वारा उन गैर-सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों और निजी क्षेत्र की फर्मों को उप-अनुबंधित किया जाएगा जिनका चयन पारदर्शी मानदंडों के आधार पर परियोजना अनुवीक्षण कक्ष द्वारा किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और स्थानीय समुदाय द्वारा दिए गए अंशदान सहित परियोजना की कुल लागत 71.00 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर होने का अनुमान लगाया गया है। निधियों का संघटक वार आबंटन निम्न प्रकार से है :—

	मिलियन अमरीकी डालर
परियोजना प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं प्रचालन	8.31
एकल एवं क्षेत्रीय योजनाओं के लिए जलापूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता सुविधाओं का चयन और निर्माण	60.21
अध्ययन एवं क्षेत्रीय विकास	2.46
जोड़	70.98

बंगलादेशी नागरिकों के नाम को मतदाता सूची में शामिल किया जाना

1113. श्री अमर राय प्रधान : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्वाचन आयोग को वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान कूच बिहार जिले (प.बं.) में मतदाता सूची में बंगला देशी नागरिकों के नाम शामिल करने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग). निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि उसे 1995 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कूच-बिहार जिले में आने वाले 8-तूफानगंज (अ.जा.) और 9-नटबारी विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में बंग्लादेश से घुसपैठ करने वाले व्यक्तियों को बड़ी संख्या में सम्मिलित किया गया है। शिकायत समुचित कार्रवाई के लिए पश्चिमी बंगाल के निर्वाचन प्राधिकारियों को भेज दी गई थी।

कताई मिलों का बन्द किया जाना

1114. श्री दिलीप संघानी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एवं वित्त पुनर्गठन बोर्ड ने हाल ही में गुजरात में कुछ सूती बुनाई तथा कताई मिलों को बंद करने तथा कुछ का आधुनिकीकरण करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के इन मिलों की आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि गुजरात राज्य में 30.06.1996 तक उसने सात रुग्ण औद्योगिक कपड़ा कम्पनियों के लिए पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की थी और 26 औद्योगिक कपड़ा कम्पनियों को बन्द करने की सिफारिश की है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बाइफर ने सूचित किया है कि वह रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनर्वास के लिए आवंटित की गई राशि या आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित राशि के आंकड़े नहीं रखता है। सामान्यतः पुनर्वास योजनाओं में बैंकों/वित्तीय संस्थानों सहित सभी संबंधित पक्षों की सहमति से दी जाने वाली सहायता/रियायतों का पता चलता है और इस प्रकार समग्र रूप से दी गई राशि की प्रमात्रा का पता चलता है न कि एजेंसी-वार परिशुद्ध राशि का।

विवरण

दिनांक 30.6.1996 तक बाइफर में पंजीकृत गुजरात राज्य में स्थित रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की सूची

बाइफर द्वारा पुनरुत्थान योजनाएं

1. हेथाइजिंग मेनुफैक्चरिंग कम्पनी
2. डाइमंड टैक्सटाइल्स मिल्स
3. भड़ौच टैक्सटाइल्स मिल्स
4. माहेश्वरी मिल्स
5. गुजरात पालिवेयर लि.
6. मधु फेब्रिक्स लि.
7. मधु टैक्सटाइल्स अहमदाबाद लि.

बाइफर द्वारा समापन के लिए स्वीकृत कंपनियां

1. न्यू गुजरात सिंथेटिक्स लि.
2. स्टार ऑफ गुजरात टैक्सटाइल्स
3. गायकवाड़ मिल्स लि.
4. कॉमर्सियल अहमदाबाद मिल्स लि.
5. पटेल मिल्स कम्पनी लि.
6. श्री यमुना मिल्स लि.
7. विजया मिल्स
8. पी.जी. टैक्सटाइल्स मिल्स
9. पद्मिनी मिल्स लि.
10. मोहन कारपेट
11. रुस्तम मिल्स
12. राज प्रकाश स्पिनिंग
13. धनमाल सिल्क मिल्स प्रा.लि.
14. श्री पृथ्वी काटन वर्कस लि.
15. आर्योदय गिनींग एण्ड मेनुफैक्चरिंग क.लि.
16. महाराणा मिल्स लि.
17. नवजीवन मिल्स लि.
18. अहमदाबाद मेनुफैक्चरिंग एंड कैलिको प्रिंटिंग कम्पनी लि.
19. कलोल मिल्स लि.
20. श्री अर्बुदा मिल्स
21. श्री अमुदा मिल्स लि.
22. अरूणेश प्रोसेसर्स
23. केमेक्स सिंथेटिक्स
24. श्री अम्बिका मिल्स
25. नूतन मिल्स
26. अरुणा मिल्स

विधि स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाना

1115. श्री मृत्युन्जय नायक :
श्री सुरेश कोडीकुनील :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विधि स्नातक छात्र मंच ने विधि स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष और बढ़ाने संबंधी भारतीय अधिवक्ता परिषद के निर्णय के विरूद्ध राष्ट्र व्यापी आंदोलन शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख). भारतीय विधिज्ञ परिषद ने एल एल बी पाठ्यक्रम में एक वर्ष और नहीं बढ़ाया

है। तथापि, परिषद् ने, विधि व्यवसाय में प्रवेश लेने के लिए अपेक्षित विधिक अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के लिए नामांकन-पूर्व एक वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण पुरःस्थापित किया है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में ऐसे नामांकन पूर्व प्रशिक्षण के पुरःस्थापन को चुनौती देने के लिए रिट याचिकाएं फाइल की गई हैं।

भारतीय विधिज्ञ परिषद ने उच्चतम न्यायालय में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित ऐसी विभिन्न याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए एक स्थानांतरण याचिका फाइल की है। उच्चतम न्यायालय ने सूचना जारी कर दी है और इस दौरान, उच्च न्यायालयों में उक्त याचिकाओं में कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई है। मामला न्यायाधीन है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह जानकारी दी है कि परिषद के पास विधि छात्र फोरम द्वारा किसी राष्ट्रव्यापी आन्दोलन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिलों को लाइसेंस दिया जाना

1116. श्री मुनव्वर हसन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिलें लगाने हेतु लाइसेंस जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कैराना-झिंझाना क्षेत्र में एक नई मिल लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों पर विचार-विमर्श किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) से (घ). 15.07.96 की स्थिति के अनुसार, मुजफ्फरनगर जिले में इसके लिए किसी भी आवेदन के लिए आशय पत्र प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

आर्थिक उदारीकरण

1117. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग महासंघ (सी.आई.आई.) ने आर्थिक उदारीकरण की जारी प्रक्रिया और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को खुली छूट दिए जाने के विभिन्न पहलुओं के बारे में कोई आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सी.आई.आई. के साथ कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय उद्योग महासंघ (सी.आई.आई.) ने चुनाव पश्चात के परिदृश्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति अपनी नीतियों पर विचार करने हेतु आयोजित 22 मार्च, 1996 के अपने सत्र में "बहुराष्ट्रीय कंपनियां-भारतीय नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता" शीर्षक से एक प्रलेख प्रस्तुत किया था। इन मुद्दों में शामिल हैं-(1) विनिर्माण से पूरे भारत के प्रति बिक्री का दृष्टिकोण (2) नवीनतम प्रौद्योगिकी लाने में असफलता (3) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा 51% हिस्सा प्राप्त करने की हड़बड़ी (4) किसी भारतीय भागीदार के साथ संयुक्त उपक्रम होने के बावजूद 100% सहायक कंपनी स्थापित करना, तथा देश में उपलब्ध प्रतियोगी भारतीय प्रबंधन के प्रति प्रवासी प्रबंधकों की नियुक्ति।

(ग) और (घ). भारतीय उद्योग महासंघ सहित कई वर्गों से औद्योगिक नीति के प्रति सुझावों और प्रतिक्रियाओं का प्राप्त होना जारी है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक तथा विदेशी निवेश हेतु भारत को एक आकर्षक लक्ष्य बनाने के लिए सरकार लगातार नीतिगत ढांचे का पुनरावलोकन करती है जोकि देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के हित में है।

विदेशी सहायता का उपयोग

1118. श्री शरत पटनायक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विदेशी सहायता के उपयोग की गति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशी सहायता का तेजी से और समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) बहुत सी परियोजनाओं के संबंध में चूक रही है। आधारभूत क्षेत्र में समग्र सहायता के उपयोग में सुधार लाना पड़ेगा।

(ख) ये चूकें मुख्यतया विलंबित निवेश अनुमोदन/पर्यावरणीय स्वीकृति; करार को अंतिम रूप देने में विलम्ब और राज्य सरकार द्वारा निधियां प्रदान करने में विलम्ब के कारण हुई हैं।

(ग) इन चूकों के सम्बन्ध में अधिक प्रभावी अनुवीक्षण द्वारा, इन विलंबों को दूर करने का परियोजना प्राधिकारियों से आग्रह किया

गया है। साधारणतया, पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में विदेशी सहायता के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना, जैसेकि सभी क्षेत्रों में राज्य सरकारों को ए.सी.ए. के रूप में 100 प्रतिशत का संवितरण राज्य सरकारों को अग्रिम ए.सी.ए. के रूप में वार्षिक व्यय के 25 प्रतिशत का भुगतान, बजटीय प्रक्रिया में विलंब को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दी जाने वाली सहायता के मध्यस्थों के हटाना, जहां भी आवश्यक हो परियोजनाओं का निरस्तीकरण और उनकी पुनसंरचना, सम्बद्ध ऋण प्रभावों द्वारा परियोजनाओं का तीव्रता से अनुवीक्षण किया जाना और वित्त मंत्रालय में एक परियोजना अनुवीक्षण एकक का गठन करना तथा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

बिहार में निवेश

1119. **श्री रमेन्द्र कुमार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई राशि का 18 प्रतिशत उसी राज्य में निवेश किया जाता है जबकि 32 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय स्तर पर निवेश की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में निवेश को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार बिहार के लिए ऋण जमा अनुपात 31.98 प्रतिशत है, जबकि पूरे भारत के लिए यह अनुपात 61.9 प्रतिशत है।

(ख) बिहार के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एम एल बी सी) के संयोजक बैंक-बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि बिहार में बैंक ऋण का अभिनियोजन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गये हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) राज्य के लिए ऋण-जमा अनुपात संबंधी कृतिक बल (टास्क फोर्स) की सिफारिशों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा एवं निरीक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है;

(2) ऋण-संघटक में वृद्धि के लिए फसल ऋणों का वित्त-पोषण बढ़ाया गया है;

(3) उच्च तकनीकी वाली कृषि शाखा और लघु उद्योग वित्त शाखा जैसी विशेषज्ञ बैंक शाखाएं खोलना;

(4) राज्य में बैंक ऋण को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित मझौले और बड़े उद्योगों का पता लगाने का कार्य; और

(5) ऋण जमा अनुपात बढ़ाने की उपलब्ध संभावना के आधार पर वर्ष 1996-97 के लिए अपेक्षाकृत बड़ी योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

सरकारी एककों में निवेश

1120. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को विनिवेश की अनुमति दी गई उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा विनिवेश के लिए बाजार को अनुकूल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). विगत एक वर्ष के दौरान सरकार ने सरकारी क्षेत्र के चार उद्यमों, नामश : तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कॉन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. तथा महानगर टेलीफोन निगम लि. में विनिवेश किया है । अक्तूबर, 1995 के बाद कोई विनिवेश नहीं किया गया है। मुक्त बाजार प्रचालन परिस्थितियों में सरकार द्वारा बाजार की परिस्थितियों को विनिवेश के अनुकूल बनाने हेतु उपाय करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

1121. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान सिले सिलाए वस्त्रों का कितना निर्यात किया गया;

(ख) सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ग) विश्व में बंगला देश, पाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात की तुलना में सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात व्यापार में देश की क्या स्थिति है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान देश से निर्यात किए गए सिले-सिलाए परिधानों की मात्रा निम्न प्रकार है :—

	मात्रा
	करोड़ नगों में
1994-95	99.24
1995-96	109.82

(ख) सिले-सिलाए परिधानों के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अनेक कदम उठा रही है जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकें, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना,

निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना निर्यात उत्पादन के लिए कच्चा माल को शुल्क मुक्त आयात को विशेष व्यवस्था, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

(ग) बंगला देश पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, तथा संयुक्त अरब अमीरात की तुलना में भारत के सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात अधिक है।

[अनुवाद]

बंगलादेश को निर्यात

1122. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान बंगलादेश को निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान उस देश को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, नहीं। 1995-96 के दौरान भारत से बंगला देश को 3469.91 करोड़ रु. निर्यात हुआ जबकि 1994-95 के दौरान 2024.13 करोड़ रु. का निर्यात हुआ था।

(ग) चालू वर्ष यानि 1996-97 के दौरान अब तक सरकार ने बंगलादेश को निर्यात बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट कदम नहीं उठाए हैं।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा रूग्ण एककों को पुनः चालू करना

1123. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने स्थापना के बाद से अब तक कितने रूग्ण उद्योगों को पुनः चालू किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार रूग्ण उद्योगों को पुनः चालू करने की योजना के कार्यान्वयन के लिए इस बोर्ड को वित्तीय शक्तियां प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि उसने अपनी स्थापना के बाद 108 रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों को स्वीकृत/अनुमोदित पुनरूद्धार योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के पश्चात् "अब रूग्ण नहीं" घोषित किया है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ

1124. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सामाजिक और गैर-सरकारी संगठनों ने दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने के संबंध में विचार करने के लिए हाल ही में ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग). कतिपय राज्य सरकारों, विधिज्ञ संगमों आदि से देश के विभिन्न भागों में जिसमें दक्षिण भारत भी है उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन सुझाव प्राप्त हुए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।

इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

धातु एवं खनिज व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क प्राप्त करना

1125. श्री कृपा सिंधु भोई : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धातु एवं खनिज व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा के बंसपानी-बारजमोदा क्षेत्र से निर्यात के लिये गत तीन वर्षों में वर्षवार कितना लौह अयस्क प्राप्त किया गया;

(ख) क्या हाईसेक्टर से प्राप्त लौह-अयस्क जिसे पारादीप बंदरगाह से निर्यात करना था, प्रतिवर्ष घटता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके घटने के कारण क्या हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष से लौह-अयस्क की प्राप्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). बंसपानी-बारजमोदा क्षेत्र से खरीदे गए लौह-अयस्क की कुल मात्रा नीचे दी गयी है :-

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	मात्रा	
	उड़ीसा राज्य के लिए कुल	बंसपानी-बारजमोदा क्षेत्र
1993-94	11.24	8.15
1994-95	11.09	6.99
1995-96	67.37	6.00

(ग) मात्रात्मक गिरावट के कारण नीचे दिए गए हैं :-

- क्षेत्र के अन्दर घेरलू उद्योगों से अपेक्षाकृत अधिक मांग प्राप्त होना;
- एग्जिम नीति 1992-97 में संशोधन होने के कारण, इस क्षेत्र के लौह-अयस्क खानों के मालिकों को इसका सीधे ही निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है, इसलिए एम. एम.टी.सी. को निर्यात के लिए अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति नहीं कर पाना।

(घ) इस क्षेत्र से लौह अयस्क अधिक मात्रा में खरीदने के लिए एम.एम.टी.सी. ने जो उपाय किए हैं, उनमें शामिल :-

1. वर्ष 1995-96/1996-97 के दौरान आपूर्ति के लिए ठेकेदार लौह अयस्क की कीमत में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करना;
2. मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना;
3. वर्ष 1995-96/1996-97 में आश्वस्त आपूर्ति के लिए खान मालिकों से वचन बद्धता करना।
4. काइरा क्षेत्र के लिए परिवहन इमदाद में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना।

[हिन्दी]

सोने की तस्करी

1126. श्री कचरू भाऊ रावत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष देश में सोने की कितनी मात्रा की तस्करी की गयी थी और उसका मूल्य क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) सरकार द्वारा सोने की तस्करी रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है, इसलिए गत वर्ष के दौरान देश में तस्करी किए गए सोने की मात्रा और मूल्य को आंकना संभव नहीं है। तथापि, तस्करी रोधी एजेंसियों ने वर्ष 1995-96 के दौरान देश में तस्करी किए जाने का प्रयास करते हुए 50.87 करोड़ रु. मूल्य का 1052 कि.ग्रा. वजन में सोना पकड़ा है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) देश में सोने की तस्करी की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में भारत में खपत के लिए वैध रूप से आयातित सोने को बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1992 से यात्री असबाब योजना के तहत सोने के आयात को उदार बनाना, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाकर देश में सोने की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए तस्करी रोधी एजेंसियों द्वारा काफी सतर्कता बरतना, विशेष सूचना एकत्र करना और पत्तनों तथा विमानपत्तनों में धातु खोजी यंत्रों, रंगीन असबाब एक्सरे मशीनों आदि जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का प्रयोग करना शामिल है।

[अनुवाद]

बिहार में केन्द्र द्वारा निवेश

1127. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार बिहार में केन्द्र द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है;

(ख) क्या बिहार में केन्द्र द्वारा किए जाने वाले निवेश में कमी आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निवेश में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के लिए केन्द्रीय योजना राशि का निवेश किया जाता है। यह न तो योजनाबद्ध होता है और न ही राज्यवार। तथापि पिछले तीन वर्षों से बिहार राज्य को दी जाने वाली निवल केन्द्रीय योजना सहायता में वर्षवार वृद्धि हुई है।

न्यायाधिकरणों के पास लंबित मामले

1128. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दशक में स्थापित किए गए न्यायाधिकरणों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन न्यायाधिकरणों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र न्याय दिलाने और विलंब को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) न्यायाधिकरणवार आज तक कितने मामले लंबित पड़े हैं और ये कब से लंबित पड़े हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बी.सी.सी.एल. परियोजना

1129. श्री चित्त बसु : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.सी.सी.एल. परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में ग्रामवासी अपने मूल गांवों से विस्थापित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा शुरू की गई कोयले की विभिन्न परियोजनाओं के परिणामस्वरूप 710 परिवार विस्थापित हो गए हैं।

(ख) इस संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

परियोजना	परिवारों की सं.
ब्लाक-II ओ.का.प.	199
ब्लाक-IV ओ.का.प.	70
अकाशकिनारी	15
केसलपुर	133
रामकनाली	8
चन्दौर	3
पी.बी. परियोजना	60
कटरास परियोजना	19
भंवरा ओ.का.प.	203
जोड़	710

(ग) सभी विस्थापित हुए परिवारों को विकसित पुनर्वास स्थलों पर पुर्नवासितकर दिया गया है।

उपभोक्ता वस्तुएं

1130. श्री ई.अहमद : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के आयात से प्रतिबन्ध हटाने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन के आधार को सशक्त बनाने के लिये विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा करने के लिये सभी वस्तु बोर्डों की कोई बैठक बुलाई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि निर्यात-आयात नीति की आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि समय-समय पर यथावश्यक परिवर्तन किए जा सके।

(ग) और (घ). निर्यात संवर्धन प्रयासों के एक भाग के रूप में वस्तु बोर्डों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि उन्हें सुदृढ़ करने और निर्यात निष्पादन को बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जा सके। नीतिगत मामलों के बारे में वस्तु बोर्डों से प्राप्त सुझावों पर समय-समय पर विचार कर उन्हें लागू भी किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर में उद्योग

1131. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु लघु उद्योगों और बड़ी परियोजनाओं को लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में कितने उद्योगों की स्थापना की गई है और कितने उद्योगों में काम शुरू हो गया है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर में उद्योग लगाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन उद्योगों को औद्योगिक राजसहायता, परिवहन राजसहायता तथा किसी अन्य प्रकार की राजसहायता दी गई उनका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे लघु उद्योग एककों की संख्या जो जम्मू-कश्मीर में स्थापित किए गए हैं और जिन्होंने राज्य में काम करना शुरू कर दिया है, इस प्रकार हैं :-

	गैर सरकारी क्षेत्र
1993-94	1105 एकक
1994-95	1085 एकक
1995-96	1156 एकक

गैर सरकारी क्षेत्र में, दो एककों की स्थाना मध्यम/बड़े पैमाने पर की गई हैं सरकारी क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी एकक के अस्तित्व में आने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, लघु उद्योग एककों, मझौले/बड़े पैमाने को एककों को सहायता के लिए जारी को गई राजसहायता को कुल राशि इस प्रकार है :-

1993-94	503.14 लाख रुपये
1994-95	569.51 लाख रुपये
1995-96	835.28 लाख रुपये

उपर्युक्त में से 228.54 लाख रुपये, 334.79 लाख रुपये और 231 लाख रुपये संबंधित वर्षों के लिए परिवहन राजसहायता से संबंधित है शेष, राज्य द्वारा दी गई अन्य राज सहायता है।

कपास के भंडार

1132. श्री सनत मेहता :
श्री दिलीप संघानी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कपास के लिए उदार निर्यात कोटा निर्धारित किए जाने के बावजूद कपास उत्पादक बाजार में अपनी कपास नहीं बेच सके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों के पास अनबिका कपास, विशेष रूप से छोटे रेशे वाले कपास का अत्यधिक भंडार पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसे कपास उत्पादकों की सहायता के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). कपास सलाहकार बोर्ड ने 17.6.1996 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 1995-96 की कपास की 149 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। प्राप्त सुचना अनुसार दिनांक 11.7.96 तक की स्थिति अनुसार इसमें से 148.38 लाख गांठ पहले ही बाजार में आ चुकी है।

सरकार ने कपास उपजकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्यात के लिए अभी तक कपास की 13.65 लाख गांठें रिलीज कर दी हैं।

ग्रामीण ऋण प्रणाली

1133. श्री जगमोहन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण ऋण प्रणाली में कुछ वर्षों से बकाया राशि बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रवृत्ति से इस प्रणाली की वित्तीय सुदृढ़ता को धक्का पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचना दी है कि ग्रामीण ऋण प्रणाली में वर्ष 1990-91 में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसमें अब काफी गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तथापि, बकाया राशि का मौजूदा स्तर चिन्ता का विषय है, क्योंकि इसे ऋण वितरण प्रणाली की सुदृढ़ता पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि ग्रामीण ऋण संस्थाओं के वसूली निष्पादन को सुधारने के लिए उपाय किए गये हैं। जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अपने संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाएं और अलग से वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करें।
2. कृषि संबंधी देय राशियों की वसूली के लिए तलवार समिति द्वारा बनाए गये "मोड बिल" के आधार पर अब तक 16 राज्यों में कानून लागू कर दिया गया है।
3. नाबार्ड ने बैंक के वसूली कार्य निष्पादन के संदर्भ में उनके योजनाबद्ध ऋण प्रदान करने के आधार पर पुनर्वित्त के आहरण हेतु बैंकों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित कर दिया है।
4. नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से कहा है कि वे वसूली पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए अपने कार्यों में सुधार के लिए विकास कार्य योजनाएं तैयार करें।

[हिन्दी]

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा कपड़ा मिलों को बन्द करने का नोटिस

1134. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है जिनका औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा 1992 से 1995 के दौरान बन्द करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस निर्णय के अनुसार कितनी कपड़ा मिले बन्द की गई;

(ग) क्या इन कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1992-95 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में कपड़ा क्षेत्र के निम्नलिखित चार रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के समापन के लिए उच्च न्यायालय से सिफारिश की थी :

(1) श्री सज्जन मिल्स

(2) ग्वालियर सिंथेटिक्स प्रा. लि.

(3) सैंट्रल वूलन्स प्रा. लि.

(4) जीवाजीराव काटन मिल्स लि.

इसके बाद, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (ए ए आई एफ आर) के पास अपील करने पर, दिनांक 29.11.95 को (ए ए आई एफ आर) द्वारा श्री सज्जन मिल्स के लिए पुनर्वास योजना स्वीकृत की गई थी।

[अनुवाद]

बकाया आरक्षित पद

1135. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय और बैंकों में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षित पदों को भर दिया गया है;

(ख) क्या उनके लिए आरक्षित बकाया पदों को भरा जाना शेष है; और

(ग) यदि हां, तो बकाया रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

सिक्कों की कमी

1136. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतीय रिजर्व बैंक ने पूरे देश में अपने कार्यालयों में सिक्कों की भारी कमी की और सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). विभिन्न मूल्यवर्गों के सिक्के (5, 2, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, और 5 पैसे) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार के टकसालों में विनिर्मित किए जाते हैं। सिक्कों का उत्पादन भारतीय रिजर्व बैंक की मांग और टकसालों की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सिक्कों की अस्थायी कमी पांच रुपए, दो रुपए और एक रुपए के करेंसी नोटों का पूरी तरह से सिंक्काकरण करने के सरकार के निर्णय और तदनुसार उक्त मूल्य वर्गों के लिए बढ़ती हुई मांग के कारण है। 5, 2 और 1 रुपए का पूरी तरह से सिक्काकरण करने का निर्णय नोट प्रिंटिंग प्रेसों में क्षमता को बढ़ा कर उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के उत्पादन के उद्देश्य से किया गया है। छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को अधिक चलन में भी रहना होता है। इसकी वजह से नोटों के मामलों में इन की चलन अवधि काफी कम हो जाती है। इन मूल्यवर्गों का सिक्काकरण करने से ये अधिक समय तक चल सकेंगे। भा. रि. बैंक ने यह पुष्टि भी की है कि पांच रुपए के सिक्कों की कोई कमी नहीं है और ये बैंक अधिकारियों द्वारा अबाधित रूप से जारी किए जा रहे हैं। तथापि, अन्य मूल्यवर्गों के सिक्कों (दो रुपए, एक रुपए, तथा पचास पैसे) की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रही जिसमें अब सुधार हुआ है। सरकार ने बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद में तीन टकसालों के आधुनिकीकरण द्वारा सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ाने के उपाय किए हैं अतः निकट भविष्य में अधिक सिक्कों का उत्पादन करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी।

पौधों/पशुओं का पेटेंट

1137. श्री जी.जी. स्वैल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने हल्दी के घाव भरने के गुण का पेटेंट कर लिया है;

(ख) क्या विश्व में सर्वोत्तम हल्दी की पैदावार भारत, विशेष रूप से मेघालय में होती है;

(ग) हल्दी को पेटेंट करने के क्या परिणाम होंगे;

(घ) क्या निजी कम्पनियां, भारतीय और विदेशी, भारत में अनेक पौधों और पशुओं को पेटेंट कर रही है;

(ङ) क्या देश में पाए जाने वाले पौधों और पशुओं की कोई सूची बनाई गई है;

(च) क्या भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार नियंत्रण प्रणाली है; और

(छ) यदि हां, तो कब से?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार, भारत में इस प्रकार के पेटेंटों को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। तथापि, ऐसी सूचना है कि घाव से पीड़ित किसी रोगी का हल्दी के पाउडर से उपचार कर घाव शीघ्र भरने की एक पद्धति को संयुक्त राज्य अमेरिका में पेटेंट प्रदान किया गया है।

(ख) बाजार वरीयता के हिसाब से, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश की हल्दी को वरीयता दी जाती है। मेघालय में भी अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी का उत्पादन होता है।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकृत पेटेंट उसी देश में वैध हैं और उनका भारत में कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता।

(घ) पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार भारत में पौधों और जानवरों का पटेंट नहीं हो सकता।

(ङ) भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण देश में क्रमशः वनस्पतियों तथा जीव-जंतुओं के सर्वेक्षण तथा सूचीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। देश के लगभग 70 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा 45,000 पेड़ पौधे और 81,000 जीवों की नस्लें दर्ज की गयी है।

(च) और (छ). भारत में वौद्धिक संपदा अधिकार पेटेंट अधिनियम, 1970 व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958, डिजाइन अधिनियम, 1911 तथा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 द्वारा नियंत्रित होते हैं।

एम एम टी सी लिमिटेड की विसरणीकृत मदें और उसकी वित्तीय स्थिति

1138. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि. ऐसी मदों का आयात और बिक्री अभी भी कर रहा है जो मुक्त बाजार में विसरणीकृत मदों की सूची में थे और जो मदें पहले से ही इसके माध्यम से आयात की जाती थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मदवार तथा वर्षवार ऐसी मदों की कुल कितनी मात्रा में आयात और बिक्री की गई तथा इसमें कितनी मूल्य अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान एम एम टी सी लिमिटेड को कुल कितना लाभ/हानि हुई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) जिन मदों के आयात का सरणीयन पहले एम.एम.टी.सी. के जरिए होता था, ऐसी अधिकांश वस्तुओं का आयात अब भी इसी के द्वारा होता है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम एम टी सी द्वारा आयात की गई तथा बेची गई ऐसी मदों का मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मात्रा : 000 टनों में
कीमत : करोड़ रु. में

मदें	1993-94		1994-95		1995-96 (पी)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अलौह धातुएं						
तांबा	16	116.0	22	201.7	24	303.2
जिंक	8	34.5	12	56.8	18	83.5
सिक्का	3	7.9	3	10.7	2	6.7
जस्ता	2	47.0	3	78.5	4	127.4
टिन	1	18.6	1	29.5	1	41.7
एल्यूमिनियम	–	–	4	26.3	12	83.8
प्लैटिनम/पैलेडियम	–	–	–	–	नाम मात्र	1.4
प्रौद्योगिक कच्ची सामग्री						
ऐस्बेस्टोज	3	6.3	3	5.6	2	4.0
मंजन धातु	–	–	–	1.4	–	1.8
इस्पात	18	19.3	25	26.1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
उर्वरक/उर्वरक कच्ची सामग्री						
डी ए पी		14.2	17	13.4	75	65.9
सल्फर	145	29.9	234	66.4	203	67.3
रॉक फास्फेट	103	23.4	26	4.8	6	1.2
एम ओ पी		31.1	15	5.0	138	54.6
योग		348.2		526.2		842.5

अ - अनंतिम

स्रोत : एमएमटीसी

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम एम टी सी को हुए समग्र लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(रु. करोड़ में)

वर्ष	समग्र लाभ
1993-94	88.01
1994-95	113.46
1995-96 (अ)	112.83

अ- अनंतिम

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1139. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए और क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए निरीक्षण-ढांचा तैयार करने हेतु श्री पी.आर. खन्ना, सनदी लेखाकार और वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की परामर्शदात्री परिषद के सदस्य की अध्यक्षता में एक प्रवर वर्ग (एक्सपर्ट ग्रुप) की स्थापना की गई थी।

(ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के क्रियाकलापों को और अधिक कारगर रूप से विनियमित करने के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं।

स्कूटर इंडिया लिमिटेड

1140. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) द्वारा अपनी विविधीकरण योजना के अंतर्गत तीन और चार पहियों वाले वाहनों के इंजनों की आपूर्ति और प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए इटली स्थित किसी "आटो मेजर" के साथ शीघ्र ही कोई समझौता किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय तकनीकी और आर्थिक समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया किस चरण में है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एस.आई.एल.) अपने तिपहियों के लिए डीजल इंजनों और "फोर स्ट्रोक" पेट्रोल इंजनों की प्रौद्योगिकी के अंतरण की संभावना का पता लगा रही है। तथापि, किसी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कोयले की आपूर्ति

1141. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से प्राप्त मात्र 3.5 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के आंध्र प्रदेश के अनुरोध पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो सितम्बर, 1995 से कोयले की आपूर्ति में कितनी वृद्धि की गई है;

(घ) आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की आवश्यकता किस हद तक पूरी की गई है; और

(ङ) इन केन्द्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं। किन्तु, दिनांक 10 सितम्बर, 1995 को आंध्र प्रदेश सरकार से एक टिप्पणी प्राप्त हुई थी, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत गृहों को अक्तूबर-दिसम्बर, 1995 की तिमाही के लिए कोयले की आपूर्ति में प्रतिमाह 3.5 लाख टन की वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया गया है।

(ख) से (ङ). आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (आ.प्र. रा. वि. बोर्ड) के 5 विद्युत गृहों के लिए स्वीकृत दीर्घावधि संयोजन 11.68 मिलियन टन प्रतिवर्ष कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए है। कोयले की प्रतिमाह औसतन 9.7 लाख टन आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। किन्तु, आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अक्तूबर-दिसम्बर, 1995 की तिमाही के लिए आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत गृहों के लिए कुल 10.95 लाख टन कोयले का आबंटन स्वीकृत किया गया था। इस मामले की आगे समीक्षा की गई थी और 1.5 लाख टन और अतिरिक्त आबंटन (अक्तूबर-दिसंबर, 1995 की तिमाही के लिए अनुमोदित संयोजन से अधिक) नवम्बर-दिसम्बर, 1995 की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के मुद्डानूर तापीय विद्युत गृह के लिए दिया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के इन विद्युत गृहों के आबंटन में जनवरी-मार्च, 1996 की तिमाही के लिए 12.90 लाख टन/महीने की और वृद्धि की गई।

सितम्बर, 1995 से मई, 1996 की अवधि में आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के 5 विद्युत गृहों को किए गए कुल महीना-वार प्रेषण तथा औसतन मासिक दीर्घावधि संयोजन के एवज् में प्रतिशत संतोषप्रदत्ता नीचे दर्शायी गई है :-

माह	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत गृहों को की वास्तविक रूप में की गई कोयले की आपूर्ति (लाख टन में)	औसतन मासिक दीर्घावधि संयोजक की तुलना में प्रतिशत संतोषप्रदत्ता
1	2	3
सितम्बर, 1995	9.90	102%
अक्तूबर, 1995	8.69	90%
नवम्बर, 1995	9.37	97%
दिसम्बर, 1995	12.59	130%
जनवरी, 1996	14.13	146%
फरवरी, 1996	12.82	132%
मार्च, 1996	15.14	156%
अप्रैल, 1996	13.76	142%
मई, 1996	12.98	134%

(आंकड़ा अनंतिम)

आं.प्र.रा.वि.बो. के विद्युत गृहों को वास्तविक रूप में की गई कोयले की आपूर्ति दीर्घावधि संयोजनों की तुलना में इन विद्युत गृहों के मामले में बहुत अधिक रही है, केवल अक्तूबर और नवम्बर, 1995 के महीनों को छोड़कर। इन दो महीनों में कोयले की आपूर्ति के स्तर को इच्छित स्तर तक नहीं बनाए रखा जा सका, जोकि एक गैर-कानूनी हड़ताल किए जाने के कारण हुआ और जिसका सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. में आतंकवादी तत्वों द्वारा समर्थन किया गया था तथा यह कंपनी आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

विश्व बैंक सहायता

1142. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को सहायता प्रदान करने की नीति में हाल ही में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना

1143. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की औद्योगिक नीति के उदारीकरण के बाद से निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से अब तक कितने स्वीकृत हो गए हैं;

(ख) इनमें से कितने एककों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है और कितने अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं कर पाए हैं; और

(ग) 31 मार्च, 1996 तक इन एककों द्वारा कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) औद्योगिक नीति के उदारीकरण (जुलाई, 91) के बाद से निर्यातोन्मुख एकक योजना के अंतर्गत एककों की स्थापना के लिए 3632 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनमें से 2978 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना

1144. श्री सौम्य रंजन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए वस्तु-वार कितने आवेदन पत्र छः महीने से अधिक अवधि से लम्बित पड़े हैं;

(ख) उन पर कोई निर्णय नहीं लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्णय लेने की दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) झींगा/चिंगत मछलीपालन; गहरे समुद्र से मछली पकड़ने, सूती धागे, एल्युमिना, ग्रेनाइट उत्पाद आदि क्षेत्रों में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करने हेतु 32 आवेदन पत्र छः महीने से अधिक समय से लंबित पड़े हैं।

(ख) और (ग). ये प्रस्ताव विभिन्न कारणों जैसे आवेदकों द्वारा स्पष्टीकरण न दिये जाने, राज्य सरकारों द्वारा सिफारिशों के अभाव तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधादेश की स्वीकृति के कारण लंबित पड़े हैं।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश

1145. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को विदेशी सहायता/ऋण/अनुदान के रूप में प्राप्त हुई राशि और ऋणों पर अदा की गई ब्याज राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में किए गए विदेशी निवेश और सरकार द्वारा विदेशों में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार को अन्य देशों से प्राप्त ब्याज का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता/ऋण/अनुदान का ब्यौरा और ऋण की वापसी अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के लिए खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(करोड़ रुपये में)

	1993-94	1994-95	1995-96
प्राप्तियां			**अनन्तिम**
सरकारी लेखा	9229.90	8613.70	7646.07
अनुदान	885.62	916.04	1063.56
गैर-सरकारी लेखा	1665.51	1410.26	2303.19
	11781.03	10940.00	11012.82
ऋण परिशोधन अदायगी			
सरकारी लेखा			
मूलधन	5079.32	5469.37	6441.04
ब्याज	3749.41	4034.93	4414.23
	8828.73	9504.30	10885.27
गैर सरकारी खाता			
मूलधन	273.20	321.45	1280.00
ब्याज	450.00	599.72	664.00
	723.20	921.17	1944.00

(ख) पिछले तीन कैलेन्डर वर्षों अर्थात 1993, 1994 और 1995 के दौरान देश में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्रमशः 1786.71 करोड़ रुपये, 2981.85 करोड़ रु. और 6370.16 करोड़ रुपये था।

भारत सरकार ने विदेश में कोई निवेश नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेशनल स्टाक एक्सचेंज मैम्बर्स एसोसिएशन का ज्ञापन

1146. श्री परस राम भारद्वाज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्टाक एक्सचेंज मैम्बर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा ब्रोकरों और

सब-ब्रोकरों पर व्यवसाय शुल्क लगाने संबंधी कोई ज्ञापन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि जब तक न्यायालय इस मामले पर निर्णय नहीं ले लेता, यह शुल्क कुल बिक्री के आधार पर 5000/- रु. से 50,000/- रु. के बीच होना चाहिए।

(ग) चूंकि यह मामला न्यायाधीन है, इसलिए न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी।

चाय का निर्यात

1147. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देशवार, कितने मूल्य की तथा कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) एक **विवरण** संलग्न है।

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए चाय का निर्यात लक्ष्य 180 मिलियन किग्रा. निश्चित किया गया है।

विवरण

प्रमुख आयातक देशों को भारत से चाय का निर्यात (इन्सटेन्ट चाय सहित)

(मात्रा : मिलियन किग्रा.)
(मूल्य करोड़ रु. में)

देश	1993-94		1994-95		1995-96	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
रूसी परिसंघ	46.50	314.97	41.06	271.94	68.05	483.80
कजकिस्तान	0.07	0.45	2.68	13.74	3.56	23.23
यूक्रेन	12.30	79.15	4.28	24.16	2.79	20.00
अंजरबेजान	-	-	-	-	0.03	0.23
अन्य सीआईएस देश	0.22	1.23	1.65	9.61	3.51	20.83
कुल सीआईएस देश	59.09	395.80	49.67	319.45	77.94	548.09
यू.के.	24.46	143.08	28.20	162.03	22.59	135.48
आयरलैण्ड	1.86	10.78	2.46	14.12	2.63	18.05
नीदरलैण्ड	2.22	17.41	2.73	20.86	2.27	20.64
जर्मनी	4.94	56.02	6.19	72.29	5.06	77.47
पोलैण्ड	13.86	77.23	21.02	93.57	13.50	87.14
यू.एस.ए.	5.12	46.58	6.32	53.46	3.57	29.80
कनाडा	0.50	2.84	0.78	4.54	0.48	3.12
यू.ए.ई.	13.30	107.49	13.57	107.70	16.00	130.90
ईरान	5.40	33.42	2.18	14.84	1.51	12.65
सऊदी अरब	1.62	14.91	0.74	4.61	0.99	9.78
ए.आर.ई.	2.73	13.85	5.32	24.10	6.22	32.07
मोरक्को	1.36	9.32	-	-	-	-
अफगानिस्तान	0.28	1.19	0.37	1.82	0.85	6.10

1	2	3	4	5	6	7
जापान	1.92	22.85	2.56	29.53	2.10	28.78
पाकिस्तान	0.57	2.59	1.15	5.67	0.30	1.07
आस्ट्रेलिया	0.70	4.01	0.78	4.23	0.65	4.52
अन्य देश	14.62	102.67	8.12	53.59	6.99	45.53
कुल	154.55	1062.04	152.16	986.41	163.65	1191.19

स्रोत : चाय बोर्ड

कर्नाटक में बैंकों का कार्य-निष्पादन

1148. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा कर ली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1996-97 के दौरान इनमें से किसी बैंक की कोई नई शाखा खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). कर्नाटक में लगभग सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के जिन पांच बैंकों के प्रधान कार्यालय कर्नाटक में हैं, उनकी शाखाओं की संख्या, घरेलू जमाराशियां, घरेलू अग्रिम राशियां और शुद्ध लाभ आदि संबंधी कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, नई खाखाएं खोलने/विस्तार पटलों को पूर्ण बैंक शाखा में परिवर्तित करने का निर्णय संबंधित बैंक के विवेक पर छोड़ दिया गया है। बशर्ते कि, अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शर्तें पूरी हों :-

(क) 8 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता का अनुपालन हो।

(ख) कम से कम 100 करोड़ रु. का स्वाधिकृत धनराशि हो;

(ग) बैंक कम से कम विगत तीन वर्षों से लगातार शुद्ध लाभ प्रदर्शित कर रहा हो।

(घ) अनिष्पादित परिसंपत्तियां 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित बैंकों को, जिनके प्रधान कार्यालय कर्नाटक में स्थित हैं, 1 अप्रैल, 1996 से 30 जून, 1996 की अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार 15 शाखाएं खोलने की अनुमति दी है :-

बैंक का नाम	कर्नाटक में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या जिसके लिए स्वीकृति दी गई है
स्टेट बैंक आफ मैसूर	3
केनरा बैंक	3
कार्पोरेशन बैंक	8
विजया बैंक	1

विवरण

दिनांक 31 मार्च, 1993, 1994 और 1995 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या घरेलू जमाराशियां, घरेलू अग्रिमों और निवल को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या			घरेलू जमाराशियां		
	31.3.93	31.3.94	31.3.95	31.3.93	31.3.94	31.3.95
1	2	3	4	5	6	7
केनरा बैंक	2044	2088	2120	15035	18668	21025
कारपोरेशन बैंक	445	471	482	2708	4049	6059

1	2	3	4	5	6	7
सिंडिकेट बैंक	1553	1557	1569	8017	9286	9938
विजया बैंक	730	777	787	3232	4240	5817
स्टेट बैंक आफ मैसूर	518	525	529	2141	2517	3138

अंतर-बैंक जमाराशियां छोड़कर

बैंक का नाम	घरेलू अग्रिम			शुद्ध लाभ (प्रकाशित)		
	31.3.93	31.3.94	31.3.95	31.3.93	31.3.94	31.3.95
केनरा बैंक	7850	8101	10572	26.07	120.35	204.10
कारपोरेशन बैंक	1234	1423	2066	4.12	27.03	72.54
सिंडिकेट बैंक	3642	3312	3693	-670.08	299.40	-91.79
विजया बैंक	1605	1826	2356	-97.88	4.10	31.70
स्टेट बैंक आफ मैसूर	1326	1371	1795	4.02	2.39	2.92

नौवहन क्षेत्र का विस्तार

1149. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पिछले कई वर्षों के दौरान नौवहन क्षेत्र में अनेक एम.आर.टी.पी. कम्पनियां प्रवेश कर चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नौवहन क्षेत्र में प्रवेश करने वाली एम.आर.टी.पी. कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) उन एम.आर.टी.पी. कंपनियों के नाम क्या हैं जो पहले से नौवहन क्षेत्र में कार्यरत हैं परन्तु उन्हें विस्तार करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(घ) उपरोक्त प्रत्येक कंपनी को किस प्रकार का और किस सीमा तक प्रवेश/विस्तार की अनुमति दी गई है और इसके क्या कारण हैं और इन्हें किन-किन वर्षों में अनुमति दी गई थी: और

(ङ) नौवहन क्षेत्र में प्रवेश कर रही एम.आर.टी.पी कंपनियों को किस प्रकार के प्रोत्साहन/रियायतें दी जा रही हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1991 के द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अध्याय III के भाग क के हटाए जाने के परिणामस्वरूप, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम आर टी पी) कम्पनियों की संकल्पना अब व्यवहार में नहीं है। ऐसी कम्पनियों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के रूप में केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत करने या विविधीकरण, विस्तार या नई परियोजनाओं से संबंधित उनके प्रस्तावों पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा को दिनांक 27.9.1991 से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में से हटा दिया गया है। इसलिए, सरकार अब पहले की एम आर टी पी कम्पनियों" या विविधीकरण, विस्तार या नई परियोजनाओं से संबंधित उनके प्रस्तावों के बारे में कोई सूचना नहीं रख रही है।

[हिन्दी]

रक्षित कोयला खानें

1150. श्री सुशील चन्द्र : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक देश में किन-किन स्थानों पर विभिन्न उद्योगों की रक्षित कोयला खानें स्थापित की गई हैं;

(ख) रक्षित कोयला खानें स्थापित करने वाले औद्योगिक एकक कौन-कौन से हैं;

(ग) रक्षित कोयला खानों के निर्माण संबंधी कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है और ये कब तक निपटा दिए जाएंगे?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). भारत की अद्यतन कोयला निर्देशिका (1994-95) में दी गई सूचना के अनुसार देश में अभी तक स्थापित की गई ग्रहीत कोयला खानों की कम्पनीवार संख्या नीचे दर्शायी गई है :-

कम्पनी	ग्रहीत कोयला खानों की संख्या
इस्को	3
डी.वी.सी.	1
टिस्को	6
जोड़	10

किन्तु कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में जून, 1993 में संशोधन किए जाने के बाद कंपनियों द्वारा कोई ग्रहीत कोयला खान अभी तक स्थापित नहीं की गई है, जिनके लिए कि ग्रहीत खनन ब्लॉक को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) और (घ). कोयला मंत्रालय में गठित जांच समिति द्वारा ग्रहीत कोयला खानों का विकास किये जाने हेतु प्रस्तावों पर विचार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और यह निम्नलिखित विभिन्न मुद्दों पर निर्भर करती है :- जैसे कि परिवहन संबंधी तंत्र, संयंत्र का स्थान, उपयुक्त विनिर्दिष्ट ब्लॉक की उपलब्धता संबद्ध मंत्रालय/विभाग का दृष्टिकोण, आवेदकों, आदि से पूर्ण ब्यौरे की प्राप्ति। अतः इस संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु किसी विशिष्ट समयावधि का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

जांच समिति की हाल ही में हुई बैठक में 8 विद्युत क्षेत्र के प्रस्तावों और 11 लौह एवं इस्पात क्षेत्र के प्रस्तावों पर विचार किया गया था। इन दोनों क्षेत्रों के लिए और 12 प्रस्तावों की जांच किए जाने हेतु उपयुक्त कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

1151. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में पीछे रह गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दी परामर्शदात्री समिति का गठन कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उद्योग मंत्रालय में दो हिन्दी सलाहकार समितियां-एक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग और लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग के लिए, दूसरी भारी उद्योग और क्रमशः 11.11.1992 और 2.3.1995 को पहले ही गठित कर ली गई हैं। पहली समिति का कार्यकाल 10.11.1995 को समाप्त हो गया है और राजभाषा विभाग के परामर्श से इसका पुनर्गठन किया जा रहा है।

हवाला कांड

1152. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैन हवाला कांड में अब तक जिन व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं और मुकदमें चलाए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) सभी हवाला मामलों को निपटाने में कितना समय लगने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने 54 व्यक्तियों के विरूद्ध 34 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 32 व्यक्तियों के विरूद्ध न्याय निर्णयन कार्यवाही आरम्भ की है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के लिए 21 व्यक्तियों के विरूद्ध 4 शिकायतें दायर की हैं।

(ख) सभी हवाला मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है क्योंकि वे सभी विभिन्न अदालतों में हैं।

कम्पनियों को कर से छूट

1153. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
जस्टिस गुमान मल लोढा :
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया है कि देश में कार्यरत 15000 कम्पनियों में से 1047 कम्पनियों ने 14040 करोड़ रुपये तक का वार्षिक लाभ कमाया है लेकिन उन सभी को कर देयता से छूट दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का ऐसी फर्मों को कर के दायरे में लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बम्बई स्टाक एक्सचेंज से सूचीबद्ध 2452 कम्पनियों के बारे में वित्त वर्ष 1994-95 के आंकड़े एकत्र किए गए थे। उक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह मालूम हुआ कि 2452 कम्पनियों में से 1440 करोड़ रु. की खाता लाभ वाली 1047 कम्पनियों ने वित्त वर्ष 1994-95 के लिए अपने खातों में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था।

(ख) आयकर का प्रावधान न किए जाने के कारणों का विश्लेषण करने के लिए सूचना एकत्र नहीं की गई थी। फिर भी, आयकर अधिनियम में अनेक छूटों, कटौतियों, प्रोत्साहनों, लेखा पुस्तकों में मूल्यह्रास की भिन्न भिन्न दर और करोधय आय की संगणना करने आदि के लिए प्रावधान किया गया है। इन छूटों, कटौतियों, प्रोत्साहनों आदि से कुछेक मामलों में करोधय आय शून्य अथवा बहुत कम होती है।

(ग) चूंकि बजट कार्रवाई अभी जारी है, अतः प्रश्न के इस भाग का उत्तर देना संभव नहीं है।

खाद्य उत्पादों और उर्वरकों पर राज सहायता

1154. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य उत्पादों और उर्वरकों जैसी वस्तुओं पर दी गई राजसहायता में वर्ष 1995-96 में किए गए बजट अनुमानों से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है:

(ख) यदि हां, तो बजट अनुमानों में विभिन्न वस्तुओं पर राजसहायता में कितनी वृद्धि हुई है और उसके क्या कारण हैं: और

(ग) राजसहायता संबंधी पिछले दो वर्षों के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). प्रमुख राजसहायताओं के बारे में सूचना नीचे दी जा रही है :

प्रमुख राजसहायताएं	संशोधित अनुमान 1995-96 करोड़ रुपये	बजट अनुमानों की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि	वृद्धि के कारण
खाद्य राजसहायता	5500	4.8%	मुख्यतया खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों का संशोधन न होना
देशी (यूरिया) उर्वरक	4300	14.7%	यूरिया के बेहतर उत्पादन और निवेश लागत में वृद्धि
आयातित (यूरिया)	1935	17.3%	यूरिया के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि
निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	315	-	-

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 में तुलनात्मक अनुमान नीचे दिए जा रहे हैं :

(करोड़ रुपये)

राजसहायताएं	1993-94		1994-95	
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
खाद्य	3000	5200	4000	5100
देशी (यूरिया) उर्वरक	3000	3800	3500	4000
आयातित (यूरिया) उर्वरक	500	600	500	1166
निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	500	700	300	560

[अनुवाद]

बैंकों में वित्तीय गबन

1155. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी सेक्टरों में बैंकों में मई, 1993 से अक्तूबर, 1995 तक की अवधि तथा 1996 में अब तक हुए वित्तीय गबन और अन्य जालसाजियों की घटनाओं का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि शामिल है;

(ग) इसके लिए क्या कार्य प्रणाली अपनायी गई है तथा इसमें शामिल बैंक कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदमों तथा बैंक-वार प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सहकारी बैंक

1156. श्री दत्ता मेघे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कार्यरत सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है और बैंक-वार उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है;

(ख) राज्य में सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि दिनांक 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत 440 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और दो राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) नामत : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) और अपेक्स को आपरेटिव बैंक आफ अर्बन बैंक्स आफ महाराष्ट्र एण्ड गोवा लि., हैं। उन्होंने आगे सूचित किया है कि इस राज्य में 30 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और एक औद्योगिक सहकारी बैंक है। फरवरी, 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार, एमएससीबी, डीसीसीबी और औद्योगिक सहकारी बैंक की बैंकवार वित्तीय स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में नए प्राथमिक सहकारी बैंक की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों की स्थिति निम्नानुसार है :

प्राप्त कुल प्रस्ताव	218
पंजीकरण के लिए भेजे गए प्रस्ताव	148
अस्वीकृत प्रस्ताव	34
लम्बित प्रस्ताव	36
लाइसेंस जारी किए गए	68

विवरण

(राशि रु. लाख में)

बैंक का नाम	चुकता पूंजी	आरक्षित निधि	जमाराशियां	ऋण और अग्रिम
1	2	3	4	5
1. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक	4896.16	54547.13	342424.39	330159.67
मध्यवर्ती सहकारी बैंक				
2. अहमदनगर	1533.75	2649.92	42019.63	53847.92
3. अकोला	833.21	889.16	18766.56	12026.82
4. अमरावती	911.94	609.41	12838.24	9001.53
5. औरंगाबाद	1159.00	1012.63	10680.69	24322.30
6. भण्डारा	404.18	303.02	7362.83	6054.75
7. बीड़	734.14	1061.74	6432.30	11793.67
8. बुलढ़ाणा	736.72	717.99	10777.64	10655.92
9. मुम्बई	1969.18	5268.18	88212.96	50702.32

1		2	3	4	5
10.	चन्द्रपुर	519.84	417.59	9389.27	5446.11
	धुलिया	1371.32	1408.88	13383.66	18969.36
12.	जलगांव	2949.84	1700.20	35456.81	43127.85
13.	जालना	656.77	393.76	4873.81	8712.65
14.	कोल्हापुर	2198.36	1819.35	43351.65	55273.94
15.	नागपुर	531.01	1129.02	12536.13	9288.53
16.	नाशिक	1784.38	1812.35	34532.61	35913.70
17.	नांदेड	1351.62	626.42	13166.77	22579.00
18.	उस्मानाबाद	1175.88	517.06	9387.60	15914.00
19.	परभणी	1479.55	578.01	14547.88	17519.35
20.	पुणे	2879.40	2908.33	69917.36	49799.82
21.	रत्नागिरि	376.81	970.13	8665.64	9387.89
22.	रायगढ़	299.88	652.10	12993.67	9660.78
23.	सांगली	1461.51	1713.73	34306.29	41027.18
24.	सातारा	1063.10	1536.66	34903.11	32860.08
25.	सोलापुर	1705.10	1617.33	26857.96	30222.23
26.	सोलापुर जिला औद्योकार	153.20	260.35	2987.66	3749.03
27.	सिंधुदुर्ग	233.55	698.88	8546.40	2862.74
28.	थाने	336.16	3773.76	38129.02	13332.01
29.	वर्धा	237.78	420.62	9817.28	4862.54
30.	यवतमाल	1043.06	602.51	12307.71	10610.97
31.	लातूर	1101.88	732.55	11817.69	15820.57
32.	गढ़चिरोली	124.39	303.19	2510.00	1423.22

हवाला लेन-देन

1157. श्री प्रमोद महाजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1996 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित तत्कालीन पर्यावरण मंत्री के वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति के अपराधीकरण संबंधी वोहरा समिति के गठन के समय से मादक द्रव्यों की तस्करी और माफिया तथा हवाला कारोबार के परिणामस्वरूप भारत में साठ हजार करोड़ रुपए का अन्तर्वाह हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि राजनीतिज्ञों को अपनी सम्पति की घोषणा करनी चाहिए और राजनीतिक योगदान प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). तत्कालीन पर्यावरण मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को प्रमाणित करने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

(ग) और (घ). मंत्री के राजनीतिक मतों पर वित्त मंत्रालय की कोई टिप्पणी नहीं है। आय कर अधिनियम तथा संपत्ति कर, सभी व्यक्तियों पर लागू होता है।

कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड की मद्य निर्माणशाला शाखा का बंद किया जाना

1158. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड की मड़हौड़ा मद्य-निर्माणशाला शाखा 1992 से ही बंद पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मद्य निर्माणशाला के बंद होने से सरकार को मिलने वाले राजस्व में भारी घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मद्य निर्माणशाला को फिर से चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड का मड़हौड़ा मद्य निर्माणशाला संयंत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर मार्च, 1992 से बंद पड़ा हुआ है क्योंकि मद्य निर्माण शाला संयंत्र में बहिस्त्राव निरपण संयंत्र नहीं है।

(ग) और (घ). बंद होने के समय कंपनी राज्य सरकार को 3.84 करोड़ रु. तथा केन्द्रीय सरकार को 0.88 करोड़ रु. के राजस्व का योगदान कर रही थी।

(ङ) चूंकि कानपुर शुगर वर्क्स लि. एक सरकारी कंपनी नहीं है इसलिए सरकार ने मड़हौड़ा मद्य निर्माणशाला को दुबारा चालू करने के बारे में कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।

[अनुवाद]

बैंकों में साप्ताहिक अवकाश

1159. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बैंकों को अपना साप्ताहिक अवकाश एक ही दिन अर्थात् रविवार को रखने और उनके क्षेत्रों के बाजारों के साप्ताहिक अवकाश के दिन अपने-अपने बैंक आधे दिन खुले रखने की सलाह देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि फिलहाल उनके पास इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रत्येक बैंक अपनी शाखा की अवस्थिति, कारोबार की संभाव्यता ग्राहकों की आवश्यकता आदि पर राज्य सरकार की सलाह, यदि कोई हो, के आधार पर अपनी शाखाओं में साप्ताहिक अवकाश का निर्णय लेते हैं।

विश्व बैंक ऋण

1160. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने प्रति वर्ष कितनी परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया तथा ऋण की राशि कितनी थी; और

(ख) परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए ऋण की राशि कब तक मिल जाएगी?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान ऋण/उधारों की राशि सहित उन परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं, निम्नलिखित है :

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	राशि
1993-94	10	1111.25
1994-95	09	1913.98
1995-96	07	1369.10

(ख) ये परियोजनाएं पहले ही कार्यान्वित हो रही हैं और विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली सहायता परियोजना से कार्यान्वयन के व्यय की गति पर निर्भर करती है। सहायता की सम्पूर्ण राशि को परियोजना चक्र की समाप्ति तक जो सामान्यतः 5 से 7 वर्ष है, प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

आयकर चूककर्ता

1161. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन 50 शीर्ष आयकर चूककर्ताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने 1 जुलाई, 1996 तक की स्थिति के अनुसार आयकर/सम्पत्ति कर नहीं दिया है; और

(ख) इन चूककर्ताओं से बकाया राशि वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार सबसे ऊपर के जिन 50 कर-निर्धारितियों की तरफ 31-3-1996 की स्थिति के अनुसार अधिकतम आयकर/धनकर की मांग बकाया थी, उनके नाम संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं। बकाया धनराशि भी उनके नामों के सामने दर्शाई गई है।

(ख) बकाया मांग की वसूली के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न कार्रवाइयां की जाती हैं जैसे चूककर्ताओं

की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की, अभियोजन, अर्थदंड लगाना, जेल में रखना, चूककर्ता की सम्पत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति। इसके अलावा, किस्तों को मंजूरी सहित मांग की वसूली को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं और जहां मामले अपील से रूके हुए हों वहां अपीलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है।

प्रतिभूति घोटाले में शामिल अधिसूचित व्यक्तियों से देय कर की बकाया धनराशि के मामलों में विशेष न्यायालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित व्यक्ति से संबंधित चल और अचल सभी सम्पत्तियों को अधिसूचना जारी होने के साथ-साथ कुर्की किया गया माना जाता है। अतः ऐसी सभी मांगों के संबंध में जो अब बकाया हो गई हैं, विभाग ने बकाया करों के लिए निधियां रिलीज करने हेतु अभिरक्षक को निर्देश जारी करने के लिए विशेष न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं।

विवरण

क्र.सं.	कर-निर्धारिती का नाम	बकाया धनराशि (रु. करोड़ों में)	
		आयकर	धनकर
1	2	3	4
1.	श्री हर्षद एस. मेहता	5134.86	103.98
2.	श्री हितेन पी. दलाल	1542.88	34.26
3.	श्री भूपेन्द्र सी. दलाल	726.69	30.09
4.	श्री अश्विन एस. मेहता	632.45	19.74
5.	श्रीमती ज्योति एच. मेहता	591.67	20.41
6.	श्री ए.डी. नरोत्तम	501.31	18.00
7.	मैसर्स पॉयरलैस जनरल फाइनेंस एंड इन्वे. कं.लि.	440.23	
8.	मैसर्स ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट्स मैनेजमैंट लि.	316.34	
9.	मैसर्स पंजाब नेशनल बैंक	249.83	
10.	मैसर्स लक्ष्मी डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि.	198.99	
11.	मैसर्स युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	171.49	
12.	मैसर्स जी.टी.सी. इंडस्ट्रीज लि.	168.22	
13.	मैसर्स कास्केड होल्डिंग्स (प्रा.) लि.	164.76	
14.	मैसर्स बैंक नेशनल डि पेरिस	162.22	
15.	श्री एस.रामास्वामी	144.85	
16.	श्री वी.एस. गांधी	139.55	2.56
17.	मैसर्स धनराज मिल्स लि.	136.24	
18.	श्री एस.एम. खंडार	130.19	
19.	श्री निरन्जन जे.शाह	129.16	6.00
20.	मैसर्स ग्रोमर लीजिंग एंड इन्वे. (प्रा.) लि.	124.22	
21.	मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	123.19	
22.	श्री जे.पी. गांधी	102.32	2.11
23.	श्री पल्लव एस.सेठ	101.81	
24.	मैसर्स मेट्रोपोलिटन कोआप. बैंक लि.	94.64	
25.	श्री सुधीर एस. मेहता	92.05	6.89
26.	मैसर्स आई.सी.आई.सी.आई. लि.	73.81	
27.	मैसर्स लारसन एंड टुब्रो	70.40	
28.	मैसर्स बैंक ऑफ इंडिया	65.06	
29.	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि.	62.95	
30.	श्री के.एन. शेख	61.60	
31.	श्रीमती प्रतिमा एस. महता	62.59	3.97
32.	इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (ए.ओ.पी.)	60.42	
33.	मैसर्स विश्वेसरैया इंडस्ट्रियल आर.एंड.डी. सेंटर (ए.ओ.पी.)	58.03	
34.	श्रीमती दीपिका ए. मेहता	57.58	4.80
35.	श्री हितेश एस. मेहता	55.04	5.45
36.	मैसर्स ड्यूत्शे बैंक ए जी	52.81	
37.	मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि.	52.17	
38.	मैसर्स सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वे. कारपो. लि.	51.04	
39.	मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि.	48.16	
40.	मैसर्स डी.बी. फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) लि.	48.06	
41.	ईसीजीसी ऑफ इंडिया लि.	46.86	
42.	मैसर्स फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसज लि.	46.61	
43.	श्रीमती रसीला एस. मेहता	46.34	

1	2	3	4
44.	मैसर्स ईस्ट वेस्ट ट्रैवल एंड ट्रेड लिंक्स लि.	45.03	
45.	अपर्णा आश्रम	45.02	
46.	स्व. श्री के.जी. भगत	43.53	
47.	मैसर्स केनरा बैंक	43.37	
48.	मैसर्स ओमान इंटरनेशनल बैंक बैंक (सयांग)	40.68	
49.	मैसर्स नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	39.99	
50.	मैसर्स जे.के. कारपोरेशन लि.	38.77	

[हिन्दी]

आयकर माफ करने संबंधी अध्ययन दल

1162. श्री काशीराम राणा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु आयकर समाप्त करने के लिए गठित अध्ययन समूह ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिये गठित अध्ययन दल ने अक्तूबर, 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसकी सरकार द्वारा पुनरीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

विदेशी सहयोग

1163. श्री के. प्रधानी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित विदेशी सहयोग के लिए मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन मदों का ब्यौरा क्या है तथा विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं और वे किस भारतीय लाइसेंस के अंतर्गत काम कर रहे हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार विशेषकर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कुल कितने मूल्य के विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) विदेशी निवेश के नियंत्रित करने वाली नीति के अंतर्गत, 22 विशिष्ट उपभोक्ता क्षेत्रों को लाभांश अधिशेष अर्थात् देश-प्रत्यावर्तन लाभों (लाभांश) को 7 वर्ष की अवधि में निर्यात आय से बराबर करने की शर्त पर आमंत्रित किया गया है। वर्ष 1992, 1993, 1994 तथा 1995 में उपभोक्ता वस्तु क्षेत्रों सहित विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :—

वर्ष	विदेशी सहयोग संबंधी अनुमोदनों की कुल संख्या	तकनीकी (संख्या)	वित्तीय (संख्या)
1992	1520	828	692
1993	1476	691	785
1994	1854	792	1062
1995	2337	982	1355

(ख) गुजरात के कच्छ क्षेत्र सहित क्षेत्रवार और राज्यवार दोनों क्षेत्रों में अनुमोदित विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों तथा अनुमोदित विदेशी निवेश की कुल राशि के विवरण संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1.1.92 से 31.12.95 तक की अवधि में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के मामलों के उद्योगवार विवरणों की सूची।

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	योग				
		कुल	तकनीकी	वित्तीय	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्मी उद्योग					
	लौह	191	122	69	3256.48	5.53
	अलौह	51	22	29	768.10	1.30

1	2	3	4	5	6	7
	विशेष मिश्र धातु	26	15	11	24.69	0.04
	विविध (अन्य मद) - धातुकर्मी	22	16	6	46.66	0.08
	योग	290	175	115	4095.92	6.95
2.	ईंधन					
	बिजली	20	1	19	6411.08	10.88
	तेलशोध शाला	81	37	44	4558.15	7.73
	अन्य (ईंधन)	57	20	37	731.14	1.24
	योग	158	58	100	11700.37	19.85
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	46	27	19	95.87	0.16
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत के अलावा)	28	18	10	17.54	0.03
5.	विद्युत उपकरण					
	विद्युत उपकरण	777	492	285	1226.13	2.08
	कंप्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	291	32	259	945.29	1.60
	इलेक्ट्रानिक्स	175	63	112	504.40	0.86
	अन्य (एस/डब्ल्यू)	16	8	8	6.15	0.01
	योग	1259	595	664	2681.96	4.55
6.	दूरसंचार					
	दूर संचार	121	60	61	730.55	2.20
	रेडियो पेजिंग	33	1	32	419.76	0.71
	सेल्लूलार मोबाइल टेलीफोन सर्विस	74	1	73	16858.32	28.60
	योग	228	62	166	18008.62	30.56
7.	परिवहन उद्योग					
	आटोमोबाइल उद्योग	251	168	83	1295.99	2.20
	वायुयान/समुद्री परिवहन	44	5	39	1213.24	2.06
	यात्रीकार	7	0	7	400.53	0.68
	अन्य (परिवहन)	26	16	10	44.83	0.08
	योग	328	189	139	2954.59	5.01
8.	औद्योगिक मशीनरी	627	431	196	1389.44	2.36
9.	मशीनरी औजार	77	42	35	57.71	0.10
10.	कृषि मशीनरी	21	16	5	161.40	0.27
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	30	20	10	42.89	0.02
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजिनियरी उद्योग	239	113	126	251.27	0.43
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	42	20	22	291.18	0.49

1	2	3	4	5	6	7
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	29	10	19	170.36	0.29
15.	औद्योगिक उपकरण	75	41	34	59.45	0.10
16.	वैज्ञानिक उपकरण	31	10	21	45.21	0.08
17.	गणीतांय, सर्वेक्षण और ड्रांइग	1	0	1	0.12	0.00
18.	उर्वरक	34	32	2	2.65	0.00
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	759	455	304	3423.55	5.81
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	9	4	5	24.88	0.04
21.	रंजक सामग्री	10	2	8	25.73	0.04
22.	औषध तथा भेषज	156	89	67	408.95	0.69
23.	वस्त्र (रंजग, मुद्रित सहित)	282	68	214	1549.48	2.63
24.	कागज तथा लुगदी कागज	76	41	35	454.30	0.77
25.	चीनी	2	0	2	53.50	0.09
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	42	12	30	788.04	1.34
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
	खाद्य उत्पाद	362	80	282	2136.36	3.62
	मेराइन उत्पाद	76	15	61	77.08	0.13
	विविध (खाद्य उत्पाद)	2	0	2	8.00	0.01
	योग	440	95	345	2221.44	3.77
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	24	2	22	42.47	0.07
29.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट पप्रिपेशन	19	5	11	83.07	0.14
30.	रबड़ की वस्तुएं	90	55	35	116.16	0.20
31.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	102	23	79	136.41	0.23
32.	कांच	29	13	16	378.71	0.64
33.	सिरेमिक्स	118	38	80	367.80	0.62
34.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	34	17	17	385.76	0.65
35.	टिम्बर उत्पाद	5	1	4	6.37	0.01
36.	सुरक्षा उद्योग	3	3	0	0.00	0.00
37.	परामर्शदायी सेवाएं					
	डिजाइन तथा इंजीनियरी सेवाएं	95	21	74	125.23	0.21
	प्रबन्ध सेवाएं	33	6	27	34.91	0.06
	विपणन	15	3	12	2.65	0.00
	निर्माण	3	2	1	4.00	0.01
	अन्य (परामर्शदायी सेवाएं)	9	0	9	5.11	0.01
	योग	155	32	123	171.90	0.29

1	2	3	4	5	6	7
38.	सेवा क्षेत्र					
	वित्तीय	104	1	103	1237.81	2.10
	गैर-वित्तीय सेवाएं	145	8	137	1181.69	2.01
	बैंकिंग सेवाएं	8	0	8	113.88	0.19
	अन्य सेवाएं	13	2	11	660.48	1.12
	योग	270	11	259	3193.86	5.42
39.	होटल तथा पर्यटन					
	होटल तथा रेस्तरां	118	43	75	1880.85	3.18
	पर्यटन	21	4	17	3.54	0.01
	योग	139	47	92	1880.39	3.19
40.	ट्रेडिंग कंपनी	158	0	158	119.62	0.20
41.	विविध उद्योग					
	बागवानी	47	24	23	26.37	0.04
	कृषि	62	33	29	58.65	0.10
	पुष्पखेती	128	46	82	95.15	0.16
	अन्य (विविध उद्योग)	484	318	166	927.83	1.57
	योग	721	421	300	1108.00	1.88
	योग	7186	3293	3893	58936.95	

विवरण-II

जनवरी, 1992 से दिसम्बर, 1995 तक की अवधि में सभी अनुभागों द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों की राज्य-वार रिपोर्ट।

राज्य	जनवरी 1992 - दिसम्बर 1995	
	संख्या	निवेश (करोड़ रु.)
1	2	3
दिल्ली	328	14551.86
महाराष्ट्र	540	9283.95
पश्चिम बंगाल	120	4099.51
तमिलनाडु	367	3027.32
गुजरात	166	2619.76
उड़ीसा	29	1919.74
कर्नाटक	264	1739.87
आंध्र प्रदेश	209	1514.28
मध्य प्रदेश	68	1033.63
उत्तर प्रदेश	136	891.75
पंजाब	46	753.15
हरियाणा	185	579.55
राजस्थान	97	479.06
हिमाचल प्रदेश	18	296.11
पांडिचेरी	21	196.40
गोआ	23	96.92
केरल	35	90.81
बिहार	14	80.82
चंडीगढ़	10	72.36
दादरा एवं नागर हवेली	13	63.15
अरुणाचल प्रदेश	2	11.06

1	2	3
दमन और द्वीव	6	5.48
असम	4	1.50
अण्डमान और निकोबार	5	0.98
त्रिपुरा	1	0.68
लक्षद्वीप	1	0.50
अन्य	1185	15526.77
	3893	58936.95

राजस्थान में निर्यातोन्मुखी इकाईयां

1164. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में कितनी बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) उनमें से कितनी इकाइयां निर्यातोन्मुखी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उस राज्य में कुछ और निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1996-97 के लिए बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). 31.3.1994 तक ही जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 6 उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य में स्थित थे तथा उनमें से कोई भी निर्यातोन्मुखी एकक नहीं था।

(ग) और (घ). आठवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी नए एकक की शुरूआत का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

लोकायुक्त संस्था

1165. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री विनय कटियार :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संस्था ने राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में कोई योगदान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लोकायुक्त संस्था की कमियों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण वसूली

1166. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1996 को औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों से ऋण वसूली के संबंध में तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि क्षेत्र के बैंक ऋण की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र को दिया जा रहा बैंक ऋण बढ़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऋण देने के मामले में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध सूचना के अनुसार, सितम्बर, 1994 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों के प्रतिशतता के रूप में अतिदेय राशियां निम्नप्रकार थीं :-

बड़े और मझौले उद्योग	15.76%
औद्योगिक संपदा सहित लघु उद्योग	24.46%
कृषि	24.95%

(ख) ऋण के क्षेत्रवार संवितरण के संबंध में अनंतिम आंकड़ों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1980-81 से 1994-95 के दौरान कृषि को बैंक ऋण की वृद्धि की औसत वार्षिक दर 14.7 प्रतिशत बैठती है जबकि उद्योग (लघु, मझौले और बड़े पैमाने के) के लिए कृषि की वार्षिक दर उसी अवधि के दौरान 15.9 प्रतिशत बैठती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि किसी क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण की वृद्धि की दर, उस क्षेत्र विशेष के उत्पादन के स्तर के साथ-साथ उसकी अतिरिक्त ऋण खपाने की क्षमता दोनों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। चूंकि कृषि क्षेत्र की ऋण की अपेक्षा, उद्योग से भिन्न है, अतः इस प्रकार के तुलनात्मक आंकड़ों की उपयोगिता, अत्यन्त सीमित है।

तथापि, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने हेतु कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :—

(1) प्राथमिकता क्षेत्र के 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के अन्दर, कुल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि के लिए

निश्चित किया गया है। सरकारी क्षेत्र के वे बैंक, जिन्होंने दिसम्बर, 1994 के अन्तिम शुक्रवार को स्थिति के अनुसार कुल बैंक ऋण के 18 प्रतिशत के कृषि क्षेत्र को उधार देने के उप-लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, से ग्रामीण मूलभूत विकास निधि में उप-लक्ष्य प्राप्त करने में आई कमी के बराबर योगदान करने को अपेक्षा की जाती है बशर्ते कि वह उनके निवल बैंक ऋण का अधिकतम 1.5 प्रतिशत हो;

(2) प्रत्येक जिले के लिए फसल ऋणों के वित्तपोषण के पैमाने का निर्धारण और बैंकों द्वारा समान रूप से उनका अनुपालन।

(3) 25,000/- रु. तक के ऋण आवेदनों का निपटान एक पखवाड़े में और 25,000/- रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों का निपटान 8 से 9 सप्ताह के अन्दर करना।

(4) वाणिज्यिक बैंक उच्च तकनीक कृषि ऋणों के निपटान के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विशेषज्ञ कृषि वित्त शाखा स्थापित करना।

(5) अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले किसानों के लिए कृषि ऋण कार्ड प्रारंभ करना जिससे कि वे प्रत्येक मौसम में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के बिना ही बैंकों के उत्पादन ऋण प्राप्त कर सकें; और

(6) ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को मंजूर करने की उपयुक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन, जिससे कि कमजोर वर्गों से आए अधिकांश ऋण आवेदनों को शाखा स्तर पर ही मंजूरी मिल सके।

आयातित मदों का मूल्य

1167. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान मुख्य मदों जैसे पैट्रोलियम, इस्पात और पूंजीगत सामान के आयात मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) देश में वर्ष 1995-96 के दौरान कुल आयात में उक्त मदों/वस्तुओं के आयात का प्रतिशत क्या था?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). डी.जी.सी.आई. एंड एस. से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1995-96 के दौरान पैट्रोलियम, इस्पात और पूंजीगत सामान के संबंध में डालर की रूप में आयात मूल्य और गत वर्ष की तुलना में हुए प्रतिशत परिवर्तन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मिलियन अमरीकी डालर)

मदों का आयात मूल्य

वस्तुएं	1995-96	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
पैट्रोलियम	7537.43	27.15%
इस्पात	1478.83	27.10%
पूंजीगत सामान	5794.07	34.54%

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान हुए कुल आयात में उक्त तीन मदों का डालर के रूप में आयात का मूल्य लगभग 40.7% बनता है।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक ऋण

1168. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री अमरपाल सिंह :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने एशियाई विकास बैंक को एशियाई विकास निधि से भारत को जारी किये जाने वाले ऋण पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ). चूंकि भारत ने एशियाई विकास निधि से, 1974 में इसके प्रारंभ होने से लेकर अब तक कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है, इसलिए प्रतिबंध लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

नशीली दवाइयों और प्राचीन दुर्लभ वस्तुओं की तस्करी

1169. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी डाकघरों के माध्यम से नशीली दवाइयों और प्राचीन दुर्लभ वस्तुओं की तस्करी का मामला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान नशीली दवाइयों और प्राचीन दुर्लभ वस्तुओं की तस्करी के कितने मामले दर्ज किये गये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस धोखाधड़ी में शामिल गिरोह का पता लगाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी कताई मिलों को ऋण

1170. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सहकारिता कताई मिलों को दीर्घकालिक ऋण मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कताई मिलों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए राज्य सरकार ने दीर्घकालिक ऋण का अनुरोध किया है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि वह महाराष्ट्र राज्य में नई आधारभूत कताई मिलों को स्थापना के लिए वित्तीय संस्थाओं के मार्फत प्राप्त सहकारी कताई मिलों के आवेदनों का निपटान करें।

(ख) आधारभूत कताई मिलों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलों से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) को 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. (आईसीआईसीआई) के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि इन आवेदनों को इस संयुक्त संस्थागत निर्णय के कारण आस्थगित रखा गया है कि महाराष्ट्र में विद्यमान सहायता प्राप्त सहकारी कताई मिलों से संबंधित संस्थागत देयराशियों के निपटान के पश्चात् ही आधारभूत कताई मिलों के वित्तपोषण के मामले पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की मांगें

1171. डा. सत्य नारायण जटिया :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य क्या है और वर्तमान संदर्भ में इन उद्देश्यों की पूर्ति किस हद तक हो रही है;

(ख) अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ समानताओं और असमानताओं के मद्देनजर इन बैंकों की तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) इन बैंकों के कर्मचारियों द्वारा क्या प्रमुख मांगें प्रस्तुत की गई हैं और उनकी मांगें पूरी करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी :—

(1) बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण जनता विशेषरूप से अब तक के बैंक रहित दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना;

(2) समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना;

(3) ग्रामीण बचतें जुटाना और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक कार्यों की सहायता करने के लिए इस्तेमाल करना;

(4) केन्द्रीय मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के लिए पूरक माध्यम सृजित करना;

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना; और

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संवितरण की लागत को कम करना।

31.3.95 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमाराशियां लगभग 11,150 करोड़ रुपए थीं और 31.3.95 की स्थिति के अनुसार बकाया अग्रिमों की राशि लगभग 126 लाख खातों में 6290 करोड़ रुपए थी।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों से बिलकुल भिन्न है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच जो अन्तर है, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों का नियंत्रण बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 द्वारा किया जाता है।

(1) सांविधिक रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इक्विटी में भारत सरकार, प्रायोजक बैंकों तथा राज्य सरकारों को 50:35:15 के अनुपात में अंशदान करना होता है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार को इक्विटी का कम से कम 51% अंशदान करना होता है।

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिचालन क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना होता है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अध्यधीन कहीं भी शाखाएं खोल सकते हैं।

(3) परिचालन संबंधी अनुशासन (जैसे प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात का रख-रखाव) ग्राहकों, जिनकी जरूरतों को वे पूरा करते हैं तथा सामान्य रूप से किए जाने वाले कारोबार में अन्य कई अन्तर हैं।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की कुछ युनियनों/संघों द्वारा की गई मांगों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक या आंचलिक ग्रामीण बैंक की स्थापना करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का पुनर्गठन; और

(2) छठे द्विपक्षीय समझौते की अवधि को आगे बढ़ाना।

जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन का संबंध है, सरकार ने उन्हें "स्टैंड एलोन" आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, कर्मचारियों की लाभ संबंधी मांगों को, जिनमें वित्तीय प्रतिबद्धताएं अंतग्रस्त हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन की सतत प्रक्रिया के संबंध में परामर्श देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

[अनुवाद]

भारतीय नागरिकों को मताधिकार देना

1172. श्री अमर राय प्रधान : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश में भारतीय एन्कलेव्स में रह रहे भारतीय नागरिकों को अपने मत का प्रयोग करने की अनुमति देने संबंधी मामला भारत सरकार/भारत के निर्वाचन आयोग क पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह मामला कब से लंबित है; और

(ग) इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र

1173. श्री अमरपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों की अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). "आर्थिक समीक्षा 1995-96:अद्यतन" आज संसद में प्रस्तुत की जाएगी। इससे भारतीय अथव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त रूप सामने आएगा।

विदेशी निवेश

1174. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अपने एककों को स्थापना करने वाली विदेशी कार कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रत्येक मामले में कितने विदेशी निवेश का प्रावधान किया गया है;

(ग) इन एककों से अनुमानतः प्राप्त होने वाले राजस्व का ब्यौरा क्या है और क्या इन कंपनियों ने निर्यात करने संबंधी कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को आम लोगों की इस धारणा की जानकारी है कि विदेशी निवेशक इन संयुक्त उद्यम कंपनियों का प्रबंध संबंधी नियंत्रण पूरी तरह अपने हाथ में रखने का प्रयास कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो स्वदेशी हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). इन एककों द्वारा जुटाया जाने वाला संभावित राजस्व इन एककों के वर्षानुवर्ष संचित उत्पादन पर निर्भर करता है। वर्तमान नीति के अनुसार, सरकार इन कम्पनियों पर कोई निर्यात बाध्यता नहीं लगा रही है। तथापि कुछ आटोमोबाइल कम्पनियों ने अपने निर्यात संभाव्यताओं संहित समझौता ज्ञापन दर्ज किए हैं।

(ङ) और (च). विद्यमान नीति के अनुसार, संयुक्त उद्यमों में अधिकांश अंशधारी विदेशी कम्पनियों को निदेशक मंडल में बहुमत के हकदार होंगे। तथापि, इससे यह भारतीय भागीदारों को संयुक्त उद्यम में नियंत्रण रखने से सर्वथा वंचित नहीं करता है।

विवरण

(क) और (ख). ऐसी विदेशी आटो कार कम्पनियां जिन्होंने भारत में विनिर्माणकारी एककों की स्थापना कर दी है अथवा जिनके विनिर्माणकारी एककों की स्थापना करने की संभावना है, के निवेश व परियोजनाओं की स्थिति के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	विदेशी कंपनी का नाम	भारतीय भागीदारी	विदेशी इक्विटी हिस्सेदारी	वर्तमान स्थिति
1.	मरसेड्स बेन्ज, जर्मनी	मै. टेल्को	51%	उत्पादन शुरू है
2.	डाएऊ, कोरिया	मै. डीसीएम	51%	-वही-
3.	पेउगेवट, फ्रांस	मै. प्रि-मियर	50%	-वही-
4.	जनरल मोटर्स, यूएसए	मै. हिन्दुस्तान मोटर्स	50%	-वही-
5.	फोर्ड मोटर्स, यूएसए	मै. महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा	50%	उत्पादन के 1996-97 के अन्त में शुरू होने की संभावना है।
6.	रोभर ग्रुप, यू.के.	मै. सिपानी आटो	2.59%	-वही-
7.	होन्डा मोटर्स, जापान	मै. सेल	60%	-वही-
8.	मित्सूबिशी, जापान	मै. हिन्दुस्तान मोटर्स	10%	-वही-
9.	हयनडाई, कोरिया	—	100%	उत्पादन के 1997-98 तक शुरू होने की संभावना है।
10.	बीएमडब्ल्यू, जर्मनी	हीरो साईकिल लिमिटेड	51%	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है।

आयकर पर दण्ड स्वरूप ब्याज

1175. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर विवरणी देरी से जमा कराने तथा अग्रिम कर का भुगतान न करने पर लिये जाने वाले दण्ड स्वरूप ब्याज में हाल ही में कमी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में जारी किए गए आदेश की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। यह आदेश कर-निर्धारितियों को अनुचित कठिनाई को दूर करने के लिए जारी किया गया है।

विवरण

फा.सं. 400/234/95-आयकर (बजट)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

—

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई, 96

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 (2)(क) के अंतर्गत आदेश

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि मुख्य आयकर आयुक्त तथा आयकर महानिदेशक इस आदेश के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट मामलों की श्रेणियों अथवा आय की श्रेणियों में उतनी अवधि के लिए और उस सीमा तक, जिसे मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक उचित

समझें, अधिनियम की धारा 234-क अथवा धारा 234-ख अथवा धारा 234-ग के अन्तर्गत प्रभारित किये गये ब्याज को कम कर सकता है अथवा उसे माफ कर सकता है। लेकिन इस प्रकार के ब्याज में तब तक कोई कमी करने अथवा उसे माफ करने का आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उक्त कर निर्धारिती ने संगत कर निर्धारण वर्ष की आय विवरणी दायर न कर दी हो और ब्याज को उस धनराशि को छोड़कर, जिसके लिए कमी अथवा माफी का अनुरोध किया गया है, यथा-निर्धारित आय पर बकाया समूचे कर का भुगतान न कर दिया हो। मुख्य आयकर आयुक्त अथवा आयकर महानिदेशक ब्याज में उक्त कमी अथवा उसकी माफी के लिए ऐसी कोई अन्य शर्तें भी लगा सकता है, जिसे वह उचित समझे।

2. आय की ऐसी श्रेणी अथवा मामलों की ऐसी श्रेणी निम्नानुसार है, जिसमें धारा 234-क अथवा धारा 234-ख अथवा धारा 234-ग, जैसा भी मामला हो, ब्याज में कमी अथवा उसकी माफी पर विचार किया जा सकता है :—

(क) जहां पर आयकर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत अथवा अन्यथा तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्यवाहियों के दौरान लेखा पुस्तकों तथा अन्य अपराध आरोपणीय दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया हो तथा कर-निर्धारिती के नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से इस बारे में विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर उस पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके दौरान धारा 132 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है, की आय-विवरणी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, और मुख्य आयुक्त अथवा महानिदेशक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी आय विवरणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब यथोचित रूप से उक्त कर निर्धारिती की तरफ से नहीं हुआ है।

(ख) जहां पर आयकर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी तथा अभिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ऐसी नकदी का अभिग्रहण किया जाता है जिसकी अनुमति उस अग्रिम कर की किस्त अथवा किस्तों, जो नकदी के अभिग्रहण के बाद देय बनती हों, के भुगतान में इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी गई है और उक्त कर निर्धारिती ने चालू आय पर अग्रिम कर का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान नहीं किया है तथा मुख्य आयुक्त अथवा महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कर निर्धारिती उक्त अग्रिम कर का भुगतान करने में असमर्थ है।

(ग) "पूंजीगत अभिलाभ" से भिन्न आय के किसी शीर्ष के अन्तर्गत आयकर प्रभार्य कोई आय, अग्रिम कर की पहली अथवा परवर्ती किश्तों का भुगतान करने की निश्चित तारीख के पश्चात् प्राप्त अथवा उद्भूत होती है, जिसकी उक्त कर-निर्धारिती को न तो आशा थी और न ही अनुमान था तथा ऐसी आय पर अग्रिम कर का भुगतान शेष किश्त अथवा किश्तों में कर दिया जाता है तथा मुख्य आयुक्त अथवा महानिदेशक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि यह आयकर अधिनियम की धारा 234-ग के अन्तर्गत प्रभार्य ब्याज में कमी अथवा उसकी माफी के लिए एक उचित मामला है।

(घ) जहां कोई ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा किसी कर-निर्धारिती के मामले में, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर वह आयकर निर्धारणीय है, पारित किए गए किसी आदेश के आधार पर आयकर प्रभार्य नहीं थी और परिणामतः उसने किसी पूर्ववर्ती वर्ष में ऐसी आय के संबंध में आयकर का भुगतान नहीं किया था तथा बाद में कानून में किए गए किसी भूतलक्षी संशोधन अथवा उसके मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, जैसा भी मामला हो, और ऐसा किसी पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् हुआ हो और उक्त कर-निर्धारिती द्वारा संगत कर-निर्धारण वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान किसी कर निर्धारण अथवा पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाहियों में अदा किया गया अग्रिम कर उसकी चालू आय पर संदेय अग्रिम कर की धनराशि से कम पाया जाता है, वहां उक्त कर-निर्धारिती पर धारा 234-ख अथवा 234-ग के अन्तर्गत ब्याज लगाया जाना है और मुख्य आयुक्त अथवा महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हो कि यह ऐसे ब्याज में कमी अथवा उसकी माफी के लिए एक उचित मामला है।

(ङ) जहां पर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कर-निर्धारिती द्वारा आय विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी तथा कर-निर्धारण अधिकारी की जानकारी में आए बिना ऐसी आय विवरणी उक्त कर-निर्धारिती अथवा उसके कानूनी वारिसों द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तुत कर दी जाती है।

3. मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक इस आदेश के तहत कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 अथवा किसी परवर्ती कर-निर्धारण वर्ष के संदर्भ में धारा 234-क, 234 ख, 234-ग के अन्तर्गत ब्याज को माफ अथवा कम करने का आदेश दे सकता है किन्तु वह उन मामलों में दांडिक ब्याज में ऐसी कमी अथवा माफी नहीं कर सकेगा जिनमें मामले के गुण-दोष के आधार पर विगत में ऐसे ब्याज की माफी अथवा कमी को रद्द कर दिया गया हो। यदि विगत में कोई याचिका रद्द कर दी गई है क्योंकि बोर्ड ने पहले यह निर्देश जारी नहीं किया था, इन पर इस आदेश के अनुसार पुनर्विचार करके निर्णय लिया जा सकता है।

हस्ता./-

(वाई.पी. वशिष्ठ)
अवर सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

प्रतिलिपि अंग्रेजी पाठानुसार प्रेषित।

विश्व व्यापार संगठन समझौते के साथ भारत की विश्व व्यापार में भागीदारी

1176. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के हाल के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत ने विश्व व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ायी है और आयातक तथा निर्यातक के रूप में उसका स्थान विश्व की क्रम सूची में बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी दो या तीन वर्षों के दौरान इसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). विश्व व्यापार संगठन के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1994 और 1995 के दौरान विश्व के पण्य व्यापार में आयातक तथा निर्यातक के रूप में भारत के हिस्से और रैंकिंग में इस प्रकार सुधार हुआ है :

	% हिस्सा		रैंक	
	1994	1995	1994	1995
निर्यातक	0.6	0.6	32	31
आयातक	0.6	0.7	29	28

(ग) बढ़े हुए निर्यातों से विश्व विश्व व्यापार में भारत के हिस्से और निर्यातक के रूप में इसके रैंक में सुधार होगा। इसलिए, नीति और संवर्धन संबंधी योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा लगातार निर्यात संवर्धन उपाय किए जा रहे हैं। इनमें निर्यात आयात क्रियाविधियों का सरलीकरण, कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना, गुणवत्ता और तकनालॉजी उन्नयन पर ध्यान देना और राज्य सरकारों को निर्यात संवर्धन में सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रयास करना शामिल हैं। निर्यात संवर्धन उद्योग, व्यापार और निर्यात संवर्धन संबंधी अन्य संगठनों के साथ अन्तः क्रिया की एक सतत प्रक्रिया है।

विदेशी निवेशकों के प्रस्ताव

1177. डा. कृपासिन्धु भोई :
श्री संदीपान थोरात :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेशकों के कई प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बोर्ड द्वारा उन प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के द्वारा विदेशी निवेश हेतु मंजूर की गई परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है तथा इसमें कितना वास्तविक निवेश किया गया/फलीभूत हुआ; और

(ङ) शुरू की जाने वाली या जिन परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा चुका है उन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). विदेशी निवेशकों के कुल 424 प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के विचार विमर्श हेतु लंबित पड़े हैं।

(ग) विदेशी निवेश प्रस्तावों के तुरन्त निपटारे की व्यवस्था करने और सुस्पष्ट प्रभावशाली तथा निवेशकों के अनुरूप एकल खिड़की निपटान की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया है। कुल 600 करोड़ रुपये या इस राशि से कम राशि के निवेश प्रत्येक परियोजना प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की सिफारिश पर अब उद्योग मंत्री द्वारा विचार-विमर्श करके स्वीकृति दी जायेगी। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन 11.7.96 को हुआ था और तब से इसने 13 जुलाई, 96 को दो बैठक आयोजित की हैं। सरकार ने 16.7.96 को 84 लंबित मामलों की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(घ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1994, 1995 और 1996 में कुल 550.4 बिलियन रुपये के विदेशी निवेश हेतु 2103 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

(ङ) इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में गैर-सरकारी बैंक

1178. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कार्यरत गैर-सरकारी बैंकों की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में गैर-सरकारी बैंक खोलने संबंधी लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है और ऐसी स्वीकृति देने में क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 8 गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के महाराष्ट्र में अपने पंजीकृत प्रधान कार्यालय हैं और 19 अन्य गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं जिनकी महाराष्ट्र में अपनी शाखाएं हैं। इन बैंकों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को खोलने के लिए 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित आवेदन लम्बित पड़े थे :

क्र.सं.	प्रवर्तक का नाम	प्रस्तावित प्रधान कार्यालय का स्थान
1.	जैन ग्रुप ऑफ इन्डस्ट्रीज	जलगांव
2.	इंडियन सीमलेस फाइनेंशियल कार्पोरेशन लि.	अहमदनगर
3.	हाथवे इन्वेस्टमेंट्स (प्रा.) लि.	नासिक
4.	श्री अजीज लालानी	औरंगाबाद
5.	केजेएमसी फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	औरंगाबाद

जनवरी, 1993 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने नए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के देश से संबंधित विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है :—

(1) दे वित्तीय क्षेत्र सुधारों के पूर्व प्राप्त लक्ष्यों के लिए उपयोगी होते हैं जो बड़े पैमाने पर समाज के लिए प्रतियोगी, संक्षेप और कम लागत वित्तीय मध्यस्थ सेवा उपलब्ध कराते हैं।

(2) वे वित्तीय रूप से अर्थक्षम होते हैं।

(3) उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नयन में परिणामी होना चाहिए।

(4) उन्हें अनुचित पूर्व-खरीद और ऋण के केन्द्रीयकरण, आर्थिक शक्ति के एकाधिकरण, औद्योगिक समूहों के साथ प्रतिधारिता (क्रास होल्डिंग) आदि जैसी कमियों से बचना चाहिए जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर हावी थे।

(5) बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति सावधानीपूर्वक और न्यायोचित ढंग से दी जानी चाहिए।

(6) नये बैंक की प्रारंभिक चुकता पूंजी 100 करोड़ रु. से कम नहीं होनी चाहिए। प्रवर्तक अंशदान कम से कम 40% होना चाहिए और शेष 60 प्रतिशत परिचालन के एक वर्ष के अन्दर अथवा ऐसे समय में जो भारतीय रिजर्व बैंक अनुमति दे जनता को दिया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्योंकि उपर्युक्त आवेदन पत्र विश्वसनीयता की जांच, प्रवर्तकों के पूर्ववर्ती ट्रैक रिकार्ड आदि जैसे प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं, इसलिए समय सीमा बताना संभव नहीं है कि कब तक अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

विवरण-I

उन गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दर्शाने वाला विवरण जिनके पंजीकृत/प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र से बाहर स्थित हैं परन्तु उनकी शाखाएं महाराष्ट्र में हैं।

1. द वैश्य बैंक लि.
2. द कैथोलिक सिरियन बैंक लि.
3. द कर्नाटक बैंक लि.
4. द धनलक्ष्मी बैंक लि.
5. तमिलनाड मरकैनटाइल बैंक लि.
6. द बैंक ऑफ राजस्थान लि.
7. द जम्मू व कश्मीर बैंक लि.
8. द सिटी यूनियन बैंक लि.
9. द साउथ इंडियन बैंक लि.
10. द फेडरल बैंक लि.
11. द आईसीआईसीआई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.
12. द ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.
13. द यू टी आई बैंक लि.
14. द सेंचूरियन बैंक लि.
15. द करुर वैश्य बैंक लि.
16. द टाइम्स बैंक लि.
17. द बनारस स्टेट बैंक लि.
18. द बैंक ऑफ पंजाब लि.
19. द आईडीबीआई बैंक लि.

विवरण-II

उन गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दर्शाने वाला विवरण जिनके पंजीकृत प्रधान कार्यालय महाराष्ट्र में स्थित हैं।

क्र.सं.	बैंक का नाम	प्रधान कार्यालय
1.	द डेवेलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	मुम्बई
2.	द रत्नाकर बैंक लि.	कोल्हापुर
3.	द सांगली बैंक लि.	सांगली
4.	द युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	सतारा
5.	द गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाद लि.	कुरून्दवाद
6.	द इन्दुज-इंड बैंक लि.	पुणे
7.	द एच डी एफ सी बैंक लि.	मुम्बई
8.	द एस बी आई कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	मुम्बई

[अनुवाद]

नारियल सूत

1176. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में नारियल सूत और नारियल उत्पाद अधिक मात्रा में संचित हो गए है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संचय को कम करने के उद्देश्य से छूट की योजना को अनुमति देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). देश में नारियल सूत और नारियल उत्पाद के खपत को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, वर्ष 1996-97 के दौरान नारियल क्षेत्र में नारियल सूत तथा नारियल उत्पाद (रबड़ के नारियल उत्पाद के अलावा) की बिक्री पर छूट योजना को जारी रखने के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

कोयले पर रायल्टी

1180. **श्री ई. अहमद :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोयले संबंधी रायल्टी के संशोधन हेतु किसी अध्ययन दल की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से कोयले पर रायल्टी में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों के नाम और उनकी मांग के प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). रायल्टी को दिनांक 11.10.94 से संशोधित किए जाने के बाद अभी तक कोयले पर रायल्टी के संशोधन किए जाने के संबंध में किसी अध्ययन दल का गठन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि किए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के परंतुक के अनुसार केन्द्रीय सरकार को 3 वर्ष की किसी अवधि के दौरान कोयले पर रायल्टी की दरों में एक बार से अधिक वृद्धि न किए जाने की शक्ति प्रदान की गई है। चूंकि पिछली बार रायल्टी की दरों में संशोधन दिनांक 11.10.94 को किया गया था, अतः आगामी संशोधन 11.10.97 को देय है और न कि यह उक्त अवधि से पूर्व।

निर्यात संवर्द्धन परिषद के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

1181. **श्री शरत पटनायक :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्द्धन परिषद के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). वाणिज्य मंत्रालय के अधीन निर्यात संवर्द्धन परिषदों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा उनकी वार्षिक योजना तथा बजट पर विचार करते समय हर वर्ष की जाती है। निर्यात-आयात नीति के पैरा 149 के अनुसार इन निर्यात संवर्द्धन परिषदों की मध्य-वर्षीय समीक्षा करने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, इन निर्यात संवर्द्धन परिषदों के निर्यात निष्पादन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग भी की जाती है।

बैंकिंग ओमबड्समैन स्कीम

1182. **श्री जगमोहन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग ओमबड्समैन स्कीम, 1995 पूरी तरह लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के संबंध में बैंक कर्मचारियों को क्या प्रतिक्रिया है और इससे ग्राहक सेवाओं तथा बैंकिंग प्रणाली की सामान्य कार्यकुशलता में क्या सुधार हुआ है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) बैंकिंग ओमबड्समैन (लोकपाल) स्कीम 14.6.1995 से आरम्भ की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (अपार बी आई) ने अभी तक 10 ओमबड्स्मैन नियुक्त किए हैं :—

क्र.सं.	बैंकिंग ओमबड्स्मैन का नाम (श्री/सर्वश्री)	केन्द्र	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	बी.एन. शेट्टी	बम्बई	महाराष्ट्र और गोवा
2.	ए.के.पांड्या	भोपाल	मध्य प्रदेश
3.	बी.एल. चड्ढा	नई दिल्ली	दिल्ली, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, यू.पी. में जिला गाजियाबाद
4.	जे.सी. लेन्न	बंगलौर	कर्नाटक
5.	आर.सी. कपूर	चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र

1	2	3	4
6.	आर.के. रागाला	हैदराबाद	आंध्रप्रदेश
7.	जे.पी. शर्मा	पटना	बिहार
8.	ओ.पी. साधानी	जयपुर	राजस्थान
9.	जी.सी. अग्रवाल	कानपुर	जिला गाजियाबाद को छोड़कर यू.पी.
10.	एच.एन. दास	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा

(ग) बैंकिंग ओमबड्समैन से प्राप्त जानकारी के आधार पर, आर बी आई ने यह महसूस किया है कि इस बारे में बैंकों की प्रतिक्रिया अच्छी है। ग्राहक सेवा और सामान्य कार्यकुशलता पर भी स्कीम का प्रेरक असर है। बैंकिंग ओम्बड्समैन ने 31.3.96 को समाप्त वर्ष में 812 शिकायतों का निपटान किया है।

सिक्कों और करेंसी नोटों की कमी

1183. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष रूप से उत्तरी बंगाल के दूभार क्षेत्र में सिक्कों और कम मूल्य के करेंसी नोटों की भारी कमी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) उत्तरी बंगाल में सिक्कों और कम मूल्य के करेंसी नोटों की कमी को दूर करने के लिए सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग). एक रुपए, दो रुपए और पांच रुपए के निम्न मूल्यवर्ग के नोटों का सिक्काकरण करने के सरकार के निर्णय के परिणाम स्वरूप नोट प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा इन नोटों की छपाई नहीं की जा रही है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को इन मूल्यवर्गों के नए नोटों की आपूर्ति नहीं की जा रही है। 5 रुपए के सिक्कों की कोई कमी नहीं है, और/य भा.रि. बैंक के कलकत्ता कार्यालय द्वारा अबाध रूप से जारी किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तरी बंगाल में दूभार क्षेत्र में 1 रुपए और दो रुपए के सिक्कों के सम्बन्ध में आपूर्ति स्थिति को भी बढ़ाया है।

प्राकृतिक रबड़ की मांग और आपूर्ति

1184. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़ की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1996-97 के दौरान अपरिष्कृत अथवा प्राकृतिक रबड़ का आयात करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केरल सरकार ने इस आयात के विरूद्ध कोई आपत्ति की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). रबड़ बोर्ड ने वर्ष 1996-97 के दौरान देश में प्राकृतिक रबड़ की मांग और आपूर्ति के बीच 14,000 टन के अन्तर का मूल्यांकन किया है।

(ग) और (घ). इस संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में औद्योगिक पार्क

1185. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंगलौर में औद्योगिक पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस औद्योगिक पार्क को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार का उस औद्योगिक पार्क की स्थापना करने में कोई हिस्सा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ). जी, नहीं। मंगलौर में औद्योगिक पार्क स्थापित करने का या मंगलौर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कोयला धोवनशालाएं

1186. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकोककारी कोयले में राख की मात्रा को कम करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा आज तक कितनी कोयला धोवनशालाओं की स्थापना की गई है; और

(ख) ये कोयला धोवनशालाएं कहां-कहां स्थापित की गई हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में बीना के स्थल पर एक अकोककर कोयला वाशरी की स्थापना की गई है। इस वाशरी में "भार रहित" (नो लोड) परीक्षण पूरा कर लिया गया है और भार संबंधी जांच-परीक्षण के अक्तूबर, 1996 में पूरा कर लिए जाने की संभावना है। सैंट्रल कोलफील्ड्स लि. में पीपरवार के स्थल पर एक अन्य वाशरी की कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्थापना की जा रही है।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित 4 स्थलों पर "स्व-निर्मित-स्व-चालित" आधार पर वाशरियों की स्थापना किए जाने हेतु निजी निदेशकों को लैटर ऑफ इन्टैंट जारी किया गया है :—

क्र.सं.	स्थल का नाम	कोयला कम्पनी
1.	दीपिका	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
2.	कलिंगा	महानदी कोलफील्ड्स लि.
3.	अनन्ता-भरतपुर	महानदी कोलफील्ड्स लि.
4.	सास्ती	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

[अनुवाद]

हवाई जहाज से भेजा जाने वाला निर्यात माल

1187. डा.टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई जहाज से भेजे जाने वाले निर्यात माल में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के निर्यात आंकड़े क्या हैं तथा यह 1995-96 की तुलना में कितना अधिक था तथा इस गिरावट के क्या प्रमुख कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1996 के दौरान हवाई जहाज से सामान के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1994-95 और 1995-96 के लिए हवाई जहाज से भेजे जाने वाले निर्यात माल के अनंतिम आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1994-95	25,24,604 लाख रु.
1995-96	31,64,138 लाख रु.

(ग) और (घ). भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिए गए अनुमानों के आधार पर 1996 से 2005 के बीच हवाई जहाज में भेजे जाने वाले निर्यात में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होने की आशा है।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

1188. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
जस्टिस गुमानमल लोढा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता कितनी है, जिन्हें अब तक लाईसेंस जारी किये गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग). इस समय चीनी उद्योग सहित अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अन्तर्गत 15 उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची है। सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वर्ष 1994-95 के अन्त में वार्षिक चीनी उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 122.1970 लाख टन थी।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी का प्रयोग

1189. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाही और निर्णय में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कानून बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (घ). जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक संविधान का

अनुच्छेद 348(1) यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। अनुच्छेद 348(2) के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, निर्णय या आदेश अंग्रेजी में होंगे। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन किसी राज्य में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, आदि के प्रयोजन के लिए, राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से प्राधिकृत किया जा सकेगा।

जब संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों और निर्णयों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग के विषय पर विचार किया जा रहा था तब यह प्रश्न उठा था कि क्या संविधान और राजभाषा अधिनियम के उपरोक्त उपबंध, जिनमें किसी राज्य का राज्यपाल पद का प्रयोग किया गया है, संघ राज्यक्षेत्रों को भी लागू होते हैं? क्योंकि 'राज्यपाल' पद के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्रों के 'उप राज्यपाल' या 'प्रशासक' सम्मिलित नहीं है।

महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्र

1190. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में कितने जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) इन क्षेत्रों में स्थापित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को दी जाने वाली रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र राज्य के लिए 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि निर्धारित की तथा अब तक इन उद्योगों की क्या उपलब्धि या प्रगति रही?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में किसी भी जिले को पिछड़ा घोषित नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना

1191. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार लाभ कमाने वाली तथा घाटे में चलने वाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्य-वार संख्या क्या है तथा ऐसे घाटे के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना या पुनर्गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) लाभ कमाने वाले और घाटा उठाने वाले (अद्यतन उपलब्ध) क्षेत्रीय बैंकों का राज्य-वार संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। घाटे के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं-उच्च स्थापना लागत, निम्न मार्जिन, शाखा नेटवर्क की तुलना में कारोबार की कम मात्रा और कमजोर वसूलियां।

(ख) और (ग). जी, हां। सरकार ने अलग-अलग मामलों (स्टैंड एलोन) के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 49 और 53 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान भारत सरकार द्वारा क्रमशः कुल 150 करोड़ रु. और 223.57 करोड़ रु. प्रदान किये गए हैं। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान पुनर्गठन के लिए अपनाए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

1994-96 के दौरान लाभ उठाने वाले/घाटा उठाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्षे.ग्रा. बैंकों की सं.	
		लाभ उठाने वाले	घाटा उठाने वाले
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	9
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	1
3.	असम	-	5
4.	बिहार	-	22
5.	गुजरात	1	8
6.	हरियाणा	-	4
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1
8.	जम्मू और कश्मीर	-	3
9.	कर्नाटक	5	8
10.	केरल	2	-
11.	मणिपुर	-	1
12.	मध्य प्रदेश	-	24
13.	महाराष्ट्र	1	9

1	2	3	4
14.	मिजोरम	-	1
15.	मेघालय	1	-
16.	नागालैंड	-	1
17.	उड़ीसा	-	9
18.	पंजाब	2	3
19.	राजस्थान	-	14
20.	तमिलनाडु	-	3
21.	त्रिपुरा	-	1
22.	उत्तर प्रदेश	12	28
23.	पश्चिम बंगाल	-	9
	कुल	32	164

विवरण-II

1994-95 के दौरान पुनर्गठन के लिए चुने गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	हरियाणा
2.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	हिमाचल प्रदेश
3.	जम्मू ग्रामीण बैंक	जम्मू व कश्मीर
4.	फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पंजाब
5.	भिलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राजस्थान
6.	शेखावती ग्रामीण बैंक	राजस्थान
7.	जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	राजस्थान
8.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	अरुणाचल प्रदेश
9.	प्राज्ञज्योतिष गौलिया बैंक	असम
10.	मणिपुर रुरल बैंक	मणिपुर
11.	का बैंक नांगकिन्डोंग री खासी जयन्तीया	मेघालय
12.	मिजोरम रुरल बैंक	मिजोरम
13.	नागालैंड रुरल बैंक	नागालैंड
14.	गोपाल गंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिहार
15.	सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिहार
16.	मगध ग्रामीण बैंक	बिहार
17.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक	बिहार
18.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिहार
19.	कोरापुत पंचवटी ग्राम्य बैंक	उड़ीसा
20.	कटक ग्रामीण बैंक	उड़ीसा
21.	बर्धमान ग्रामीण बैंक	प. बंगाल
22.	हावड़ा ग्रामीण बैंक	प. बंगाल
23.	शारदा ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
24.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद	मध्य प्रदेश
25.	दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
26.	बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
27.	रेवा-सिधी ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
28.	सरयू ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
29.	भागीरथ ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
30.	विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
31.	अवध ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
32.	फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
33.	बस्ती ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
34.	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
35.	प्रथमा बैंक	उत्तर प्रदेश
36.	सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
37.	सुरत भरुच ग्रामीण बैंक	गुजरात
38.	वलसाद-दंग्स ग्रामीण बैंक	गुजरात
39.	थाणे ग्रामीण बैंक	महाराष्ट्र
40.	औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	महाराष्ट्र
41.	गोदावरी ग्रामीण बैंक	आंध्र प्रदेश
42.	कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक	आंध्र प्रदेश
43.	श्री रामा ग्रामीण बैंक	आंध्र प्रदेश
44.	श्री सातवहना ग्रामीण बैंक	आंध्र प्रदेश
45.	तुंगभद्र ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
46.	मालाप्रभा ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
47.	बीजापुर ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
48.	साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक	केरल
49.	बल्लालार ग्रामीण बैंक	तमिलनाडु

विवरण-III

1995-96 के दौरान पुनर्गठन के लिए चुने गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1.	श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
2.	श्री अनन्था ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
3.	मनजीरा ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
4.	रायलसीमा ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
5.	चेतन्य ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
6.	संगामेश्वर ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
7.	पिनाविनी ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
8.	काक्राथिया ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
9.	श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश
10.	सुबांसिरी गॉलिया बैंक	असम
11.	संथाल परगना ग्रामीण बैंक	बिहार
12.	बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिहार
13.	हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिहार
14.	गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिहार
15.	जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक	गुजरात
16.	पंचमहल वडोदरा ग्रामीण बैंक	गुजरात
17.	जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक	गुजरात
18.	साबरकंठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक	गुजरात
19.	कच्छ ग्रामीण बैंक	गुजरात
20.	सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक	गुजरात
21.	हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हरियाणा
22.	अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक	हरियाणा
23.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	हिमाचल प्रदेश
24.	कावेरी ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
25.	सहयाद्री ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
26.	चिकमंगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
27.	वाराडा ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
28.	काल्पाथारू ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
29.	चित्तौड़गढ़ ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
30.	कोलार ग्रामीण बैंक	कर्नाटक
31.	रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
32.	नीमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
33.	इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
34.	ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश
35.	बुलदाना ग्रामीण बैंक	महाराष्ट्र
36.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	महाराष्ट्र
37.	ढेंकानल ग्रामीण बैंक	उड़ीसा
38.	रूषिकूल्या ग्रामीण बैंक	उड़ीसा
39.	कालाहांडी आंचलिक ग्रामीण बैंक	उड़ीसा
40.	शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पंजाब
41.	कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पंजाब
42.	गुरूदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पंजाब
43.	बुंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	राजस्थान
44.	आधियामान ग्रामीण बैंक	तमिलनाडु
45.	नैनीताल अल्मोरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
46.	श्रावस्ती ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
47.	विदुर ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
48.	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
49.	हिनडन ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
50.	देवी पटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
51.	छत्रसाल ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश
52.	सागर ग्रामीण बैंक	प. बंगाल
53.	नादिया ग्रामीण बैंक	प. बंगाल

बिहार/महाराष्ट्र में उद्योग स्थापित करना

1192. श्री दत्ता मेघे :
श्री कचरू भाऊ राउत :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू/विदेशी कम्पनियों के सहयोग से गत दो वर्षों के दौरान बिहार तथा महाराष्ट्र में स्थापित किए गए उद्योगों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) यदि हां, तो घरेलू/विदेशी कम्पनियों के नाम और उनके द्वारा किए गए निवेश आदि संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) ओर (ख). बिहार और महाराष्ट्र में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन क्रमशः 1994 और 1995 की अवधि के दौरान कुल 3 और 48 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे। इनके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान बिहार और महाराष्ट्र में क्रमशः 7 और 223 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन

(आई ई एम) दायर किए गए थे। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन उद्योगों की स्थापना संबंधी अनुमोदनों में वित्तीय प्रतिरूप का हमेशा उल्लेख नहीं होता है और इसलिए सरकारी, गैर-सरकारी तथा विदेशी भागीदारी से स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

किसानों को गन्ना मूल्यों का भुगतान

1193. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर सुगर वर्क्स लि. की छपरा स्थित मड़हौड़ा फैक्टरी शाला शाखा पर वर्ष 1994-95 और 1995-96 के किसानों के गन्ना मूल्यों का भुगतान बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों को गन्ना मूल्यों का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). कानपुर शुगर वर्क्स लि. ने सूचित किया है कि 8 जुलाई, 1996 तक की स्थिति अनुसार मड़हौड़ा शुगर फैक्ट्री ब्रांच, छपरा की ओर वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के मौसम के लिए गन्ने की कीमत की बकाया राशि क्रमशः 61.52 लाख रु. तथा 361.49 लाख रु. है।

बी आई एफ आर ने कंपनी को रूग्ण घोषित कर दिया है। द्रव्यता की कमी के कारण किसानों को उनकी बकाया देय राशि का समय पर भुगतान करना संभव नहीं हो पाया है। तथापि, कंपनी यथासंभव पिछली बकाया राशि का भुगतान करने का प्रयास कर रही है।

देय आयकर

1194. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सिने कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन पर 1 जुलाई, 1996 की स्थिति के अनुसार एक लाख से अधिक आयकर/सम्पदा कर बकाया है;

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत बकाया देय की वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है; और

(ग) अब तक कितनी राशि वसूल की गई है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार उन फिल्मी कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं के नाम संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं, जिनकी तरफ दिनांक 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार एक लाख रुपए से अधिक की आयकर/धनकर की मांग बकाया बनी रही।

(ख) बकाया मांग की वसूली/कमी करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और उसे कम करने के लिए उचित प्रशासनिक, कानूनी और अन्य उपाए किए जाते हैं। बड़े मामलों में डोजियर रखे जाते हैं और स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां-कहीं न्यायालयों द्वारा वसूली कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया जाता है, वहां स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मांग की शीघ्र वसूली हेतु उचित मामलों में सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री, अर्थदण्ड लगाने आदि जैसे बाध्यकारी उपाय भी किए जाते हैं।

(ग) वसूली करने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी 280 मामलों में ऐसी सूचना के एकत्रीकरण और संकलन में काफी समय लगेगा और इसमें अन्तर्ग्रस्त समय और श्रम प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले के बारे में सूचना चाहते हों तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

विवरण

फिल्मी कलाकारों, निर्देशकों और निर्माताओं के नाम

1. श्री अमिताभ बच्चन
2. श्री अशोक घई
3. श्री सुभाष घई
4. मै. मुक्ता आर्ट्स (प्रा.) लि.
5. मैं. दौलत थियेटर
6. श्री डी.एम. नेत्रवाल
7. मैं. हिबा फिल्म्स (प्रा.) लि.
8. श्री जगदीश सिदाना
9. मैं. मिलग्रे स्टूडिया रिसर्च लिब. (प्रा.) लिमिटेड
10. श्री राजा रॉय
11. श्री सुनील हिंगोरानी
12. श्री यू.एन. सिंह
13. श्री लक्ष्मीकांत बिर्दी
14. श्री एस.पी. चौधरी
15. श्री बप्पी लहरी
16. मैं. चन्दू लाल शिवलाल इन्वेस्टमेंट्स (प्रा.) लिमिटेड
17. श्री अशोक पंजाबी
18. श्री चन्दर बारोट
19. मै. डोलेक्स पिक्चर्स (बो "बे)
20. मैं. डीलेक्स प्रोड्क्शन
21. मैं. डिस्टिंक्शन फिलम्स

22. स्व. श्री एफ.डी. मिस्त्री
23. श्री जी.एस. हासन्द
24. श्री कमालुद्दीन काजी
25. श्री नसीरखान सबरखान
26. श्री पप्पू वर्मा
27. श्री पी.के. राणा
28. श्री बी.सी. राम
29. श्री आर.डी. सबरवाल
30. मैं. शन्तिनिकेतन फिलम्स
31. श्री वी.डी. कोणके
32. मैं. विजय फिल्म इन्टरनेशनल
33. श्री डी.एस. सोहल
34. श्री एस.के.सेन गुप्ता
35. मैं. कृष्णा फिल्म इन्टरप्राइसिस
36. श्री मनमोहन मल्होत्रा
37. श्री एस.के. शर्मा
38. श्री एस.एम. सागर
39. श्री सरदार मलिक
40. श्री वी.के. सिन्हा
41. मैं. सत्यम इन्टरप्राइसिस
42. श्रीमती कामाक्षी चित्रा
43. श्री के.के. आहुजा
44. मैं कामाक्षी मूवीस
45. सुश्री प्रवीन बेदी
46. श्री सुबोध मुखर्जी
47. श्री आर.एन. शंकर
48. श्री प्रताप सिंह
49. श्री दर्शन दिवान
50. स्व. श्री आर.डी. भास्कर
51. मैं. राधा इन्टरप्राइसिस
52. मैं. सरसाम इन्टरप्राइसिस
53. श्रीमती एस. मलिका
54. श्रीमती बी. सरसाम
55. श्रीमती एस. अम्बिका
56. श्रीमती उदया चन्द्रिका
57. मैं. ए.आर.एस. गार्डन
58. श्री के.चिरंजीवी
59. श्री ए.ए. बाबू
60. श्री राघवेन्द्र राव
61. मैं. आर.के. फिल्म एसोसिएट्स
62. मैं. अन्दाल प्रोडक्शन
63. श्री पी.आनन्द राव
64. श्री पी. एन्थनीराज
65. श्री टी. अर्जुन
66. श्री ए. भारती
67. श्री टी.आर. चक्रवर्ती
68. मैं. गोल्डन सिने स्टूडियोस लि.
69. श्री एम. गोपालकृष्णन
70. श्री बी. गोपाल
71. सुश्री सी. इन्द्रादेवी
72. मैं. कलाकेन्द्र फिल्म्स
73. श्री एम.एस. कीर्ति
74. श्री कोडी रामाकृष्णन
75. श्री आर.कोथन्डर्मा रेड्डी
76. श्रीमती ए.एस. लक्ष्मी
77. श्री ए. नन्दगोपाल चेट्टी
78. श्री के.एस. नरसिम्हन
79. श्री नीलाबीनैमल
80. मै. पदमनाभ थियेटर
81. मै. पदमालया
82. मै. प्रवीण फिल्म सर्किट
83. श्री पंचु अरुणाचलम
84. श्री आर. पार्थीबन
85. श्री पी.के.आर. पिल्ले
86. श्री सी.एच. प्रकाश राव
87. श्री पी.बी.आर.बी.प्रसाद राव
88. श्री जी. प्रभु
89. श्री एम. प्रभाकर रेड्डी
90. श्रीमती प्रवीण एल/आर भाग्यराज
91. स्व. प्रेम नजीर
92. मैं. आर.आर. पिक्चर्स
93. स्व. जी.बी. राघवेश
94. श्री एम.वी. राजमा
95. श्री यू. राजेन्द्रन

96. श्री जी.वी. राजिन्द्र प्रसाद
97. ए. राजेश्वरी
98. श्री टी.आर. रामचन्द्रन
99. श्री एन.बी. रमेश बाबू
100. श्री जी.एन. रामानुजम
101. सुश्री रेखा
102. मै. श्रीनिवास आर्ट पिक्चर्स
103. मैं. सूर्यन फिल्मस
104. श्री सी.टी. सेन्थिलनाथन
105. श्री पी. सुब्बाराव
106. स्व. श्री के.जे. सुब्बइया
107. श्री सुमा रंगानाथन
108. श्री सुजाता वेंकटेश्वरन
109. श्री वी.एस.आर. स्वामी
110. ऊषा राजेन्द्रन
111. मैं. विजय कृष्ण
112. मैं. विजय कृष्ण मूवीज
113. स्व. श्री एम.आर.आर. वसु
114. श्री एस. वेंकटरामन
115. श्री जी.विजया निर्मला
116. श्री के.जे. जेसुदास
117. मैं. अरुणा इन्टरनेशनल
118. श्री पी. जार्ज थॉमस
119. श्री जी. गोपाल राव
120. सुश्री टी. गौतमी
121. श्री जी. हनुमन्तराव
122. सुश्री जे. जयललिता
123. श्री एस. कमलहासन
124. श्री ए. कोथन्दा रम्मइया
125. श्री एम. मोहन वसु
126. मै. पदमालया फिल्म्स
127. श्री आर. राजबाबू
128. श्री एस. रामनाथन
129. श्री के.एस. रामाराव
130. मैं. शान्ति थियेटर (प्रा.) लि.
131. मै. सुजाता फिल्म्स
132. सुश्री ए. श्रीदेवी
133. श्रीमती श्रीविद्या
134. श्री एस.पी. वेंकन्नाबाबू
135. श्री डी.वेंकटेश
136. श्री आर. विजयकुमार
137. श्री वी.वी. मानसत्ता
138. श्री जी.वी. मानसत्ता
139. मैं. शान्ति सिनेमा
140. श्री विश्वजीत चटर्जी
141. श्री वी.एन. कौल
142. मैं. न्यू तरुण सिनेमा
143. श्री बी.एन. सिल
144. स्व. एस.बी. दासी की सम्पदा
145. मै. मोशन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स
146. श्री अंजन चौधरी
147. स्व. श्री दिलीप मुखर्जी
148. मै. मिश्री लाल पिक्चर्स (प्रा.) लि.
149. श्रीमती प्रेमलता सिंह
150. श्री सरजू लाडिया
151. मै. मंगल मूवीस
152. मै. चतुर्मुख
153. श्री अनिल चटर्जी
154. मै. छायालोक (प्रा.) लि.
155. मै. जनता सिनेमा प्रापर्टीस एवं फाइनेन्स लिमिटेड
156. श्री एस.एन. बनर्जी
157. श्री रमेश मेहता
158. मैं. रूपायन सिनेमा
159. मै. अन्नपूर्णा इन्टरप्राइसिस
160. मै. दीप्ति पिक्चर्स
161. मै. विनय इन्टरप्राइसिस
162. मै. भाग्यनागर स्टूडियोस (प्रा.) लि.
163. मै. भाग्यनागर स्टूडियोस
164. श्री एन.बन्सीधर
165. मै. लक्ष्मी नरसिम्हा फिलम्स (प्रा.) लि0
166. मै. रामकृपा सिने स्टूडियोज
167. मै. रामकृष्णा पिक्चर्स
168. मै. एन.टी.आर. इस्टेट्स
169. मै. नवयुग पिक्चर्स

170. मै. शिन्दे इन्टरप्राइसिस
171. मै. ए.एस. कम्बाईन्स
172. मै. युवा चित्रा
173. स्व. श्री एन.टी. रामाराव
174. श्री टी. श्रीनिवास रेड्डी
175. श्रीमती बी. सरोजदेवी
176. श्रीमती मानम्मा
177. श्रीमती अन्नपूर्णा
178. श्री ए. नागार्जुन राव
179. श्री वी.वी. राव
180. श्री एन. बाला. कृष्णा
181. श्री एन. जयकृषना
182. श्री एन. रामाकृष्णा
183. श्री एन. हरिकृष्णा
184. श्री एन. जेयशंकरकृष्णा
185. श्री एन. साई कृष्णा
186. श्री ए. नागेश्वरराव
187. श्री ए. नागार्जुन राव
188. श्री ए.वी.एन. राव
189. श्री एम. मोनी
190. श्री पी.एम. नायर (मधु)
191. मै. शामसुन्दर पिक्चर्स
192. श्रीमती हेमलता रमेश
193. मै. गीतान्जली थियेंटर
194. श्री के.वी. राजू
195. मै. गोपाल फिल्म्स
196. मै. मन्दाकिनी चित्रा (प्रा.) लि.
197. श्री साई प्रकाश
198. मै. रेणुकम्बा डिस्ट्रीब्यूटर्स
199. श्री एन.ए. कृष्णा रेड्डी
200. मै. यूनिक फिल्म्स
201. श्री केसी एन चन्द्रशेखर
202. सुश्री मालाश्री
203. श्रीमती के. चन्द्रलेखा
204. श्री रविचन्द्रन
205. मै. अदलब फिलम्स (प्रा.) लि.
206. मै. श्री लक्ष्मी नारायणा फिल्म्स
207. मै. वीनस महेजा पिक्चर्स
208. श्री दादा कोंणके
209. श्री गोविन्दा आहूजा
210. श्री जयराम रेड्डी
211. श्री जेकी श्राफ
212. स्व. श्री किशोर कुमार
213. श्री शक्ति कपूर
214. श्री संजय खान
215. श्री विजय आनन्द
216. श्री अन्नू मलिक
217. सुश्री करिश्मा कपूर
218. श्री महेश भट्ट
219. श्रीमती बबीता कपूर
220. श्री सलमान खान
221. श्री पंकज उधास
222. श्री शाहरूख खान
223. श्री फारूक अहमद
224. श्री जी.एम. गुलबाणी
225. श्री एल.आर. मीरचन्दानी
226. श्री मुकेश दुग्गल
227. श्री बी.आर. चोपड़ा
228. श्री आर.एल. जुनेजा
229. श्री सुधाकर बोकाडे
230. श्री ओ.पी. रल्हन
231. सुश्री बरखा राय
232. श्री सतराम सेहरा
233. श्री अकबर अली खान
234. मै. ए.के. मूवीस
235. श्री सतीश कुलकर्णी
236. श्री केवल शर्मा
237. श्री एन. चन्द्रा
238. श्री मुकेश भट्ट
239. श्री रमेश सिंघल
240. श्री भारत नाहट्टा
241. श्री सत्येन्द्र पाल
242. श्री ए. सामन्त
243. श्री बी. सुभाष

244. श्री सी.डी. मुखर्जी
245. सुश्री दीपिका चिकलिया
246. सुश्री आर. नाथ
247. श्री गोबिन्द नेहलानी
248. श्री हरीश लाम्बा
249. श्री हरमेश मल्होत्रा
250. श्री के.ए. एस. देयोल
251. श्री एन.के. तुलसीयन
252. श्री पी.जी. टक्कर
253. श्री आर.एन. सिप्पी
254. श्री राजन सिप्पी
255. श्री आर.के. खन्ना
256. श्री रंजीत बेरी
257. श्रीमती रश्मि आनन्द
258. श्री आर.के. मोदी
259. श्री एस.एम.डी. टोपीवाला
260. श्री सरदार धवन
261. श्री शत्रुधन सिन्हा
262. श्री टी.सी. दिवान
263. सुश्री जीनत अमान
264. श्री जी. नधाणी
265. श्रीमती हाकिन वहीदा
266. श्री राजेश खन्ना
267. श्री प्रकाश मेहरा
268. श्री एस. पाण्डे
269. श्री बी.डी. गुप्ता
270. श्री सी. कपूर
271. सुश्री तनुजा मुखर्जी
272. श्री एन.ए.ए. गफ्फार
273. श्री अशोक गायकवाड़
274. श्री एस. सरोज
275. श्री एन.एम. मनचन्दा
276. श्री ए. अल्वी
277. श्रीमती जया बच्चन
278. श्री जी.सी. जैन
279. श्री आर.डी. जैन
280. मैं. वीनस रिकार्ड्स एंड टेप्स (प्रा.) लिमिटेड

[हिन्दी]

बकाया आयकर

1195. श्री काशीराम राणा :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों पर एक लाख रुपये या उससे अधिक आयकर की राशि बकाया है. और

(ख) आयकर की कुल कितनी राशि अभी वसूल की जानी है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) 31-12-1995 की स्थिति के अनुसार ऐसे कर-निर्धारितियों की संख्या, जिनकी तरफ एक लाख रुपये और इससे अधिक धनराशि आयकर के रूप में देय थी, 75688 थी।

(ख) वित्तीय वर्ष 1995-96 के अन्त में निगम कर और आयकर की कुल बकाया मांग 28987.14 करोड़ रु. थी।

[अनुवाद]

विकास केन्द्र

1196. श्री सौम्य रंजन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिककीरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिन-जिन स्थानों पर विकास केन्द्र स्थापित करने हैं, उनकी पहचान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पहचान किए गए विकास केन्द्रों पर अनिवार्य बुनियादी सुविधाएं, विशेष रूप से विद्युत, जल, दूरसंचार और बैंक संबंधी सुविधाएं प्रदान करने में हुई वृद्धि प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1996-97 के लिए क्या कार्यवाही योजना तैयार की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). जी, हां। विकास केन्द्र योजना, 1988 के अधीन विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित 71 विकास केन्द्रों में से 70 केन्द्रों के स्थापना-स्थलों का पता लगा लिया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). विकास केन्द्रों के विकास और विकास केन्द्र योजना के कार्यान्वयन का कार्य राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार की भूमिका विकास केन्द्रों के मूल्यांकन एवं निगरानी करने और केन्द्रीय सहायता प्रदान करने तक ही रहती है जिसकी सीमा 10 करोड़ रु. प्रति विकास केन्द्र तक है।

नौ केन्द्रों से संबंधित केन्द्रीय सहायता की सारी राशि जारी हो चुकी है और अन्य अनुमोदित केन्द्र विकास की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात भूमि अधिग्रहण, विद्युत, जल, दूरसंचार, बैंकिंग आदि की पूर्ति के लिए आधारभूत सुविधाओं की स्थापना करने की अवस्थाओं में हैं। अब तक जारी की गयी कुल केन्द्रीय सहायता की राशि 200.79 करोड़ रु. है।

8वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजना के अधीन विकास केन्द्रों का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। चूंकि विकास केन्द्रों के विकास का दायित्व राज्यों पर है, इसलिए संघ सरकार की कार्रवाई योजना का उद्देश्य अलग-अलग विकास केन्द्रों के संबंध में हुई प्रगति के अनुसार सरकार के अनुरूपयोजी संसाधन उपलब्ध कराना होता है।

विवरण

आवंटित विकास केन्द्रों की संख्या – 71
चुने गए विकास केन्द्रों की संख्या – 70

विकास केन्द्र का नाम		जिला
1		2
आंध्र प्रदेश (4)		
1.	हिन्दूपुर	अनन्तपुर
2.	खम्माम (वोमसोर मंडल)	खम्माम
3.	ओंगले	प्रकासम
4.	विजयनगरम-बोभिली	विजयनगरम
अरुणाचल प्रदेश (1)		
5.	निकलोक नगोरलुंग	ईस्ट सियांग
असम (3)		
6.	चारी द्वार	सोनीतपुर
7.	बालीजाना	गोलपुरा
बिहार (6)		
8.	भागलपुर	भागलपुर
9.	दरभंगा	दरभंगा
10.	हजारीबाग	हजारीबाग
11.	बेगुसराय	बेगुसराय
12.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
13.	छपरा	छपरा
गोवा (1)		
14.	इलक्ट्रोनिक सिटी	वर्ना प्लाटे
गुजरात (3)		
15.	गांधीधाम	कुच्छ
16.	पालनपुर	बनासकंठा
17.	बगरा	भड़ौच
हरियाणा (2)		
18.	बवाल	रेवाड़ी
19.	अम्बाला	अम्बाला
हिमाचल प्रदेश (1)		
20.	कांगड़ा	कांगड़ा
जम्मू और कश्मीर (2)		
21.	गंडरबल	श्रीनगर
22.	साम्भा	जम्मू
कर्नाटक (3)		
23.	धारवाड़	धारवाड़
24.	रायचूर	रायचूर
25.	हसन	हसन
केरल (2)		
26.	अलेप्पी-पथनमथिट्टा	अलेप्पी-पथनमथिट्टा
27.	कनौर-कुझिकोडे-मलपपुरम	कनौर-कुझिकोडे-मलपपुरम
मध्य प्रदेश (6)		
28.	बौराई	दुर्ग
29.	चैनपुरा	गुना
30.	धिरोंगी	भिंड
31.	खेडा	धार
32.	सतलापुर	रायसेन
33.	सिलतारा	रायपुर
महाराष्ट्र (5)		
34.	अकोला	अकोला
35.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
36.	धुले	धुले
37.	रत्नागिरी	रत्नागिरी
38.	नान्देड	नान्देड
मणिपुर (1)		
39.	कांगलाटोन्गबी	सेनापति
मेघालय (1)		
40.	मेन्दीपत्थर	ईस्ट गारो हिल्स
मिजोरम (1)		
41.	लुअंगमुअल	एजवाल
नागालैंड (1)		
42.	दीमापुर	कोहिमा

1		2
उड़ीसा (4)		
43.	छतरपुर	गंजम
44.	चिपलिमा	सम्बलपुर
45.	दुबुरी	कटक
46.	केसिंगा	कालाहांडी
पाण्डिचेरी (1)		
47.	करेकल	पाण्डिचेरी
पंजाब (2)		
48.	भटिंडा	भटिंडा
49.	पठानकोट	गुरदासपुर
राजस्थान (5)		
50.	आबू रोड	बिरोही
51.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
52.	बीकानेर	बीकानेर
53.	झलवाड़	झलवाड़
54.	धौलपुर	धौलपुर
तमिलनाडु (3)		
55.	इरोडे	पेरियार
56.	पन्नागुडी-त्रिमरूगल	थंजावर
57.	त्रिरूनलवेली (गंगाई कोनडन नयूर ब्लाक)	त्रिरूनलवेली-कट्टाबोमन
त्रिपुरा (1)		
58.	उत्तर चम्पामुरा	वेस्ट त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश (8)		
59.	बचोली-बुजुर्ग	झांसी
60.	बंथरा	शाहजहांपुर
61.	चौधरपुर	मुरादाबाद
62.	दिबियापुर	ईटावा (एटा)
63.	खुर्जा	बुलन्दशहर
64.	मुंगरा सथारिया	जौनपुर
65.	सहजनवा	गोरखपुर
66.	शिवराजपुर-पदमपुर	पौड़ी-गढ़वाल
प. बंगाल (3)		
67.	बोलपुर	बीरभूमि
68.	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी
69.	मालदा	मालदा
सिक्किम		
70.	मजहीतर	रगनपो ईस्ट जिला

मादक पदार्थों का अवैध व्यापार

1197. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि तथा इसके अवैध व्यापार के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की घटनाओं को ओर अधिक प्रभावी तरीके से रोकने के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सरकार को देश में स्वापक औषधों की समस्या के बारे में जानकारी है। स्वैच्छिक संगठनों की मदद से स्वापक व्यसनियों को परामर्श देने, उपचार करने तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सारे देश में स्वापक औषध जागरूकता परामर्श तथा सहायता केन्द्र एवं अव्यसन-सह-पुनर्वास केन्द्र हैं।

देश में स्वापक अवैध व्यापार समाप्त करने के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन डी पी एस एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र आवास सम्मेलन

1198. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री अनंत कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र आवास सम्मेलन में विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के बाजारों में अपने योगदान को बढ़ाने की दृष्टि से उनके लिए और अधिक धनराशि और नई प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए विकसित देशों से अनुरोध किया है ताकि उन देशों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर विकसित देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). 3 से 14 जून, 1996 के दौरान इस्तांबुल में अभी हाल ही में समाप्त हैबिटेट-II सम्मेलन में, भारत को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं

समन्वयन एवं हैबिटेट कार्यसूची के कार्यान्वयन एवं अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी कार्यदल में शामिल जी-77 देशों का प्रवक्ता चुना गया था। बातचीत के दौरान, मानव बस्ती विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को पूर्णतया स्वीकार किया गया तथा विकसित देश विकासशील देशों को दी जाने वाली सरकारी विकास सहायता के रूप में अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) के 0.7 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा करने तथा न्यूनतम विकसित देशों को दी जाने वाली सहायता के रूप में अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.15 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास करने पर सहमत हो गये। वे विकासशील देशों में सब के लिए पर्याप्त आश्रय एवं स्थायी मानव बस्ती विकास कार्यक्रमों हेतु अपनी सहायता के वर्धन पर विचार करने के लिए भी सहमत हो गए।

सरकारी उपक्रमों की संख्या में वृद्धि/कमी

1199. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी उपक्रमों और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन उपक्रमों की अधिष्ठापित क्षमता में सुधार के संकेत मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान अपनी अधिष्ठापित क्षमता का 90 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत अधिक उपयोग कर उत्पादन करने वाले उपक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). जी हां। 31.3.1994 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि तक की ही सूचना उपलब्ध है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	नियमित कर्मचारियों की संख्या
1991-92	246	21.79 लाख
1992-93	245	21.52 लाख
1993-94	246	20.69 लाख

(ग) और (घ). सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा स्थापित क्षमता के उपयोग का ब्यौरा 22 मार्च, 1995 को सदन के पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-I के विवरण संख्या 23 में उपलब्ध है।

अखबारी कागज का आयात

1200. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1996 के "ट्रिब्यून" में प्रकाशित समाचार "स्कैम इन न्यूजप्रिंट अनअर्थड" (अखबारी कागज में घोटाले का भंड़ाफोड़) की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले संबंधी तथ्य तथा घोटाले की कार्य-प्रणाली क्या है;

(ग) क्या सरकार का अखबारी कागज का दुरूपयोग रोकने के लिए इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). 30 अप्रैल, 1995 से पहले, सार्वजनिक सूचना सं. 118/पीएन (92-97), दिनांक 31 मार्च, 1993 के उपबंधों के अनुसार अखबारी कागज के आयात की अनुमति थी जिनके पास भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अखबारी कागज के आयात की पात्रता का प्रमाणपत्र है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, सीबीआई ने समाचारपत्रों के पंजीयक से कुछ ब्यौरे मांगे हैं ताकि वह इस प्रकार की पात्रता प्रमाणपत्र के लिए अखबारी कागज की पात्रता तय करने हेतु अपेक्षित संगत क्रियाविधियां और दस्तावेज प्राप्त कर सके। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के पास अन्य कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). मौजूदा निर्यात और आयात नीति के तहत अखबारी कागज के मुक्त रूप से आयात की अनुमति है।

[अनुवाद]

कनाडा के साथ व्यापार समझौता

1201. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कनाडा ने निर्यात संवर्द्धन हेतु हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). सरकार द्वारा कनाडा के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, जनवरी, 1996 में कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोहरे कराधान से बचाव संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिससे उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भारतीय प्रतिभूति तथ विनिमय बोर्ड (सेबी) के मार्गनिर्देश

1202. श्री अमर पाल सिंह :

श्री अनंत कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने हाल ही के महीनों के दौरान म्यूचल फंड संचालित करने वाले विनियमों/मार्गनिर्देशों में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) म्यूचल फंड में निवेश को ओर अधिक आकर्षक बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा क्या -क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लेखाकरण प्रक्रियाओं, एन.ए.वी के संगणन, म्युचुअल फंडों के शुल्क ढांचे आदि के मानकीकरण पर अनुसंधान हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिन्हें सेबी ने स्वीकार कर लिया है। सेबी ने म्युचुअल फंडों के ढांचे, कार्यक्षेत्र और सेबी (म्युचुअल फंड) विनियमन, 1993 की प्रयोजनीयता, पंजीकरण, अभिशासन तथा म्युचुअल फंडों के प्रचालन पर एक अध्ययन "म्युचुअल फंड-2000" भी किया है। इस रिपोर्ट की सिफारिशों का सेबी के बोर्ड ने अनुमोदन कर दिया है। इन सिफारिशों के आधार पर सेबी ने सेबी (म्युचुअल फंड) विनियमन 1993 में संशोधन के उपाय शुरू किए हैं। प्रस्तावित उपायों से म्युचुअल फंडों की कार्यप्रणाली सुधरेगी तथा फंड के प्रबंधकों को एक नियन्त्रित ढांचे के अन्तर्गत बेहतर स्वतंत्रता देने के साथ साथ निवेशक की सुरक्षा का स्तर भी बढ़ेगा।

बैंकों द्वारा पूंजी बाजार में निवेश

1203. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी वाणिज्यिक बैंकों को पूंजी बाजार में वर्तमान मंदी के दौर में आम जनता के लिए अपने प्रस्तावित इश्यू का मूल्य निर्धारित करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अब तक किसी भी बैंक ने जो अपने संसाधन बढ़ाने के लिए प्रीमियम पर जनता को इक्विटी जारी करने का इच्छुक है, पूंजी बाजार में मंदी के कारण ऐसे इश्यू का मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई कठिनाई व्यक्त नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

1204. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार को राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में व्याप्त श्रमिक अशांति, कुप्रबंध और अनियमितताओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता प्रदान करके राजस्थान स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के विकास के लिए और स्वैच्छिक अवकाश के लिए श्रमिकों को आत्म निर्भर बनाने के लिए घोषित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकार की क्या योजना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) राजस्थान में स्थित एन टी सी (डी पी आर) के अधीन 4 एन टी सी मिलों के नाम तथा अवस्थिति निम्नानुसार है :-

1. एडवर्डस मिल, ब्यावर
2. महालक्ष्मी मिल, ब्यावर
3. श्री विजय कॉटन मिल्स, विजय नगर।
4. उदय पुर काटन मिल्स, उदयपुर।

(ख) श्रमिक असंतोष, कुप्रबंध तथा अनियमितताओं की कोई विशिष्ट घटना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एन टी सी (डी पी आर) का मामला बी आई एफ आर को भेजा गया है जिसने उसे रूग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया है। सरकार ने एन टी सी (डी पी आर) की मिलों के लिए, जिनमें राजस्थान स्थित मिलें भी शामिल हैं, एक सर्वांगीण सुधार योजना बनाई है। बी आई एफ आर द्वारा पुनर्वासन कार्यक्रम का अनुमोदन करने के पश्चात ही इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। बेशी कार्यबल के संबंध से सरकार एन टी सी मिलों में उनके सुव्यवस्थीकरण के लिए एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना क्रियान्वित कर रही है। अब तक राजस्थान स्थित 4 मिलों के 1392 कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा राष्ट्रीय नवीकरण निधि में से 8.12 करोड़ रु. की राशि का भुगतान उनको किया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने सुव्यवस्थित कामगारों के पुनर्वासन की एक योजना भी बनाई हैं। इस योजना के अंतर्गत कामगार एन टी सी से सामान्य कीमत पर पुराने करघे खरीद करके अथवा मशीनरी निर्माताओं से नए विद्युतकरघा/रीलिंग मशीनें खरीद करके अपनी निधि परियोजना भी शुरू कर सकते हैं। बैंकों से आवश्यक वित्त उपलब्ध है। कंपनी ऐसे उद्योगों को, उनके शुरू होने की तारीख से 6 महीनों की अवधि तक उनके सफलतापूर्वक चलने पर उत्पादन प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। अब तक महालक्ष्मी मिल तथा एडवर्ड मिल के 23 कामगारों को 184 करघे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

1205. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1996-97 के दौरान आस्ट्रेलिया से व्यापार संबंध बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो भारत-आस्ट्रेलिया व्यापार के विस्तार के लिए खोले गए नये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान उस देश के साथ हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार का विस्तार एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि और ज्यादा मूल्यवर्धित उत्पादों में आस्ट्रेलिया को हमारे निर्यात बास्केट का विस्तार और विविधीकरण किया जाए। इस संबंध में, साफ्टेवयर, कंप्यूटर और ऑफिस मशीन, वस्त्र और पोशाक, इंजीनियरी उत्पाद, विशेषकर ऑटोमोटिव उपकरण, इलैक्ट्रिानिक मशीनरी, चमड़े की वस्तुएं, रत्न और आभूषण तथा पशु खाद्य की पहचान हमारे निर्यात के लिए अच्छी संभावनाओं के रूप में गई है। व्यापार संवर्धन उपायों में दोनों पक्षों के व्यापार अधिकारियों के बीच बैठकें, व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बीच संपर्क, आस्ट्रेलिया में मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी को प्रोत्साहन देना इत्यादि शामिल हैं। भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद की आगामी बैठक जो कि आस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किए जा रहे भारत में नए क्षितिज कार्यक्रम के साथ-साथ होने वाली है, उससे भी आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बढ़ाने में योगदान मिलेगा।

केल्ट्रान के एकक

1206. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "भेल" द्वारा मुलाकुम-मतुकम त्रिचूर जिले में स्थित केल्ट्रान के दो एककों का अधिग्रहण करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). मुलाकुम्मतुकम, त्रिचूर जिले में स्थित केल्ट्रान के दो एककों के अधिग्रहण के लिए केरल की राज्य सरकार से जुलाई, 1995 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

भेल ने मैसर्स केल्ट्रान पॉवर डिवाइस लिमिटेड एवं मैसर्स केल्ट्रान रेक्टीफायर्स के अधिग्रहण-प्रस्ताव के गहन अध्ययन के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजा था। इन दो कंपनियों से प्राप्त सूचना के विश्लेषण पर विशेषज्ञ दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि इन दो एककों के उत्पाद क्षेत्र, ग्राहक की पसंद तथा प्रौद्योगिकीय स्थिति, भेल से भिन्न हैं तथा उनके उत्पाद कम मूल्य तथा कम मार्जिन वाले हैं, इसलिए इन दो एककों का अधिग्रहण करना भेल के व्यावसायिक हित में नहीं होगा। तदनुसार भेल ने इस प्रकार का अधिग्रहण न करने का निर्णय लिया।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिए की गई सिफारिश

1207. श्री जगमोहन : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मलेन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) कितनी सिफारिशें को अब तक स्वीकार कर लिया गया है और कितनों को स्वीकार नहीं किया गया है; और

(ग) सभी सिफारिशों को अब तक स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का हाल ही में कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। अंतिम सम्मेलन 3, 5 और 6 दिसंबर, 1993 को नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार से संबंधित संकल्प मुख्यतः सेवा शर्तों में सुधार से संबद्ध है, जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। न्यायालय प्रबंध से संबंधित अन्य संकल्पों को उच्च न्यायालयों द्वारा स्वयं क्रियान्वित किया जाना था।

लोकप्रिय जमा योजना

1208. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत निवेश को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत लोक प्रिय जमा योजनाओं में संस्थाओं द्वारा निवेश किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अधिक निवेश को बढ़ावा देने के कदमों में आकर्षक प्रतिलाभ, कर रियायतों का विस्तार, प्रचार तथा अभिकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देना शामिल है। केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों तथा विस्तार अभिकरणों तथा मानकीकृत अभिकरण प्रणाली (एस.ए.एस.), सार्वजनिक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) अभिकर्त्ताओं तथा महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एम.पी.के.बी.वाई.) अभिकर्त्ताओं द्वारा भी इन योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाता है।

(ख) संस्थाओं द्वारा किसान विकास पत्रों, डाकघर सावधि जमा खातों तथा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों में निवेश 1.4.95 से समाप्त कर दिया गया। तथापि न्यासों दात्व्य धर्मदायों, सैन्य दलीय निधियों तथा कल्याण निधियों द्वारा निवेश जारी रहेगा।

(ग) लघु बचत योजनाओं का उद्देश्य अनिवार्यतः व्यक्तियों की बचतों को संगहित करना तथा उनमें मितव्ययिता की आदत को बढ़ावा देना है। हाल में इन योजनाओं का लाभ उन संस्थाओं द्वारा उठाया जा रहा था, जिनके लिए ये योजनाएं अभिप्रेत नहीं हैं।

लघु बचत योजनाएं

1209. श्री एस.डी.एन.आर वाडियार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु बचत योजनाओं को बढ़ावा देने का है;

(ख) विभिन्न राज्यों में आरम्भ की गई लघु बचत योजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) लघु बचत योजनाओं को और अधिक बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार लघु बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है।

(ख) अभी 11 लघु बचत योजनाएं प्रचालन में हैं। इन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अधिक जमा को प्रोत्साहन देने के कदमों में आकर्षक प्रतिलाभ कर रियाअतों का विस्तार, प्रचार तथा अभिकर्त्ताओं को कमीशन देना शामिल है। केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों तथा विस्तार अभिकरणों यथा मानकीकृत अभिकरण प्रणाली (एस.ए.एस.), सार्वजनिक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) अभिकर्त्ताओं एवं महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एम.पी.के.बी.वाई.) अभिकर्त्ताओं द्वारा भी इन योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाता है। प्रचार माध्यम में आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट, चलचित्र प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन योजनाएं आदि शामिल हैं।

विवरण

वर्तमान में चल रही लघु बचत योजनाएं

योजना का नाम	प्रतिशत वार्षिक ब्याज वर्तमान	वर्तमान में लागू ब्याज दर का विवरण
1	2	3
1. डाकघर बचत खाता	5.5.	साधारण (व्यक्तिगत खाता)
2. *डाकघर आवर्ती जमा (5 वर्षीय)	12.5	प्रत्येक तिमाही में चक्रवृद्धि ब्याज (10 रु. अभिदान का परिपक्वता मूल्य 833.40 रु. है।)
3. *डाकघर मासिक आय योजना (6 वर्षीय)	13	मासिक रूप में देय तथा 6 वर्ष के अंत में जमा पर 10 प्रतिशत बोनस
4. *डाकघर सावधि जमा		प्रत्येक तिमाही से चक्रवृद्धि ब्याज तथा वार्षिक रूप से देय
(क) 1 वर्षीय जमा	10.5	
(ख) 2 वर्षीय जमा	11	
(ग) 3 वर्षीय जमा	12	
(घ) 5 वर्षीय जमा	12.5	
5. **एन.एस.सी. 8वां निर्गम (6 वर्षीय)	12	अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (100 रुपया अभिदान का परिपक्वता मूल्य 201.50 रु.)
6. **राष्ट्रीय बचत योजना 1992 (4 वर्षीय)	11	वार्षिक रूप से देय

1	2	3
7. @ सेवा निवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना 3 वर्षीय	10	अर्द्धवार्षिक रूप से देय
8. @ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए जमा योजना (3 वर्षीय)	10	अर्द्धवार्षिक रूप से देय
9. इन्दिरा विकासपत्र	13.43	राशि 5 1/2 वर्षों में दुगुनी हो जाती है।
10. किसान विकास पत्र	13.43	राशि 5 1/2 वर्षों में दुगुनी हो जाती है।
11. @ लोक भविष्य निधि योजना (15 वर्षीय)	12	मासिक आधार पर परिकलित

टिप्पणी : * 80 एल.के. अन्तर्गत लाभ उपलब्ध
** 88 तथा 80 एल. के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध
@ ब्याज पूर्णतया कर मुक्त

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ

1210. श्री सुशील चन्द्र : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल और राज्य के अन्य स्थानों में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए हाल में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी ऋण

1211. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री पवन दीवान :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री नवल किशोर राय :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 को देश पर कितना विदेशी ऋण था;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्रति वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान क्रमशः ब्याज और मूलधन के रूप में विभिन्न देशों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया और विदेशी एजेंसियों, विदेशों से कितना ऋण लिया गया; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश को ब्याज और मूलधन के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान करना है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 30 सितम्बर, 1995 को देश पर बकाया विदेशी ऋण की कुल धनराशि 93.8 बिलियन अमरीकी डॉलर थी।

(ख) विदेशी मुद्रा निर्यात प्राप्तियों, अदृश्य प्राप्तियों, विदेशी सहायता, विदेशी प्रत्यक्ष एवं पोर्ट फोलियो निवेशों, एन आर आई जमाओं, वाणिज्यिक उधारों इत्यादि जैसे विभिन्न साधनों से प्राप्त की जाती है। फरवरी, 1996 में संसद में प्रस्तुत की गई वर्ष 1995-96 की आर्थिक समीक्षा में सारणी 6.1 और 6.8 में दी गई विभिन्न मदों के समेकन से विभिन्न उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मूलधन एवं ब्याज अदायगियां निम्नानुसार हैं :

(मिलियन अमरीकी डालर)

	1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)
मूलधन	4,475	6,825	8,166
ब्याज	3,818	4,130	4,476
जोड़	8,293	10,955	12,642

सरकारी लेखे पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय साधनों से कुल प्राप्तियां निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए)

	1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)
प्राप्तियां	9229.90	8613.70	7646.65

(घ) विदेशी ऋण पर वर्ष 1996-97 में कुल ऋण शोधन अदायगियों के लिए अनंतिम अनुमान 14.5 बिलियन अमरीकी डालर

है। विभिन्न मुद्राओं जिनमें हमारा विदेशी ऋण मूल्यवर्गित होता है की क्रास दरों में घट-बढ़ के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से जो कि अनिश्चित हैं, ऋण शोधन का अनुमान लगाना जटिल कार्य है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण

1212. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक गैर-सरकारी आधारभूत वित्त परियोजनाओं के लिए ऋण देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना ऋण दिया जाएगा और यह किस प्रयोजन के लिए दिया जायेगा;

(ग) किन-किन संस्थाओं/कंपनियों को ऋण दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में भारत से गारंटी मांगी गई है;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने आई.डी.ए. के माध्यम से भारत सरकार को 5 मिलियन डालर देने का भी निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो यह ऋण कब तक दे दिया जायेगा; और

(छ) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इस ऋण का उपयोग किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (छ). विश्व बैंक और मैसर्स आई.एल.एंड एफ.एस. के बीच दिनांक 10.7.96 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके माध्यम से विश्व बैंक द्वारा निजी आधारभूत वित्तपोषण (आई.एल. एंड एफ. एस.) परियोजना के अन्तर्गत आधारभूत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मैसर्स आई.एल.एंड एफ.एस. को 200 मिलियन डालर का ऋण प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार ने विश्व बैंक को इस ऋण पर गारंटी देने की सहमति प्रदान कर दी है।

इस परियोजना के अंतर्गत कवर होने वाली उप-परियोजनाओं को अभी तय किया जाना बाकी है। तथापि, विचाराधीन परियोजनाओं की संकेत-सूची में निम्न उप-परियोजनाएं शामिल की गई हैं :-

1. पनवेल बाईपास
2. दिल्ली नौएडा पुल
3. तिरूपुर क्षेत्र विकास कार्यक्रम
4. देवास जलापूर्ति योजना
5. भुवनेश्वर कटक बाईपास
6. अदितिपुर पुल
7. गुजरात सड़कें
8. मुरादाबाद बाईपास

विश्व बैंक ने उपर्युक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत निवेश उद्यमों और संरचनात्मक निवेश परियोजनाओं का चयन करने में, जिनको प्रस्तावित आई.एल.एंड एफ.एस. परियोजना के अन्तर्गत वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है, मंत्रालयों/राज्यों तथा उनकी एजेंसियों के लिए तकनीकी सहायता के रूप में भारत सरकार को 5 मिलियन डालर का एक आई.डी.ए. ऋण प्रदान करने की भी स्वीकृति दी है।

[हिन्दी]

तस्करी

1213. श्री दत्ता मेघे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष तस्करी में जब्त सामानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अंतरराष्ट्रीय बाजार में उक्त सामानों का मूल्या क्या है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). वर्ष 1995-96 के दौरान तस्करी-रोधी एजेंसियों ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत 634.82 करोड़ रु. के मूल्य का माल पकड़ा। पकड़े गए माल में सोना, चांदी भारतीय और विदेशी मुद्रा, इलेक्ट्रानिक मदें, हीरे और नशीले पदार्थ शामिल हैं। सोने और चांदी को छोड़ कर, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में भारी अंतर होने के कारण पकड़े गए माल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य बताना संभव नहीं है क्योंकि यह पकड़े गए माल की गुणवता, निर्माता और उद्गम देश पर निर्भर होता है।

तथापि, पकड़े गए सोने और चांदी का अंतरराष्ट्रीय मूल्य लंदन सराफा बाजार में सोने और चांदी के औसत मूल्य के आधार पर आंका जा सकता है। इन आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 1995-96 के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत पकड़े गए सोने और चांदी के भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

	भारतीय मूल्य	अंतरराष्ट्रीय मूल्य
		(करोड़ रुपयों में)
सोना	50.87	44.73
चांदी	0.54	0.45

[अनुवाद]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा राशि का वितरण

1214. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की ऋण स्वीकृतियों, वितरण और पुनर्वित्त में पर्याप्त वृद्धि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों को कम प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि वर्ष 1995-96 के दौरान इसकी कुल मंजूरियां 6056 करोड़ रु. की थी और इसी अवधि के दौरान कुल संवितरण 4796 करोड़ रु. के थे जो 1994-95 के दौरान मंजूरियों और संवितरणों की तुलना में क्रमशः 29 प्रतिशत और 42 प्रतिशत अधिक हैं। कुल सहायता में से वर्ष 1995-96 में 2609 करोड़ रु. के पुनर्वित्त और 2124 करोड़ रु. के संवितरण की मंजूरियां पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में क्रमशः 56 प्रतिशत और 72 प्रतिशत अधिक थी।

(ग) और (घ). जी, नहीं। सिडबी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंजूरियों और संवितरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

	वित्तीय वर्ष 1994-95	वित्तीय वर्ष 1995-96	वृद्धि
मंजूरियां	227.44	340.55	50 प्रतिशत
संवितरण	154.99	293.13	89 प्रतिशत

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

1215. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों से संबंधित किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। सरकार ने 29 दिसंबर, 1995 को श्री आबिद हुसैन (पूर्व सदस्य, योजना आयोग) की अध्यक्षता में लघु उद्योगों से संबंधित एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) सरकार ने देश में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसमें उत्पाद शुल्क संबंधी रियायतों के प्रावधान, लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए उत्पादों का आरक्षण, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए लघु उद्योगों को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करना इत्यादि शामिल हैं। सरकार द्वारा, लघु उद्योगों के लिए आधारभूत सहायता और सेवाओं का विस्तार प्रदान करने के लिए टूल रूम और लघु उद्योग सेवा संस्थान जैसे संस्थानों के जरिये अनेक विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

घटिया किस्म की चाय व तम्बाकू का निर्यात

1216. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, रूस को निर्यात की जाने वाली चाय तथा तम्बाकू की घटिया किस्म के संबंध में कोई रियायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो 1995 तथा 1996 के दौरान अब तक पता लगाए गए इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आयकर बकाया

1217. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियों, व्यक्तियों, हिन्दू संयुक्त परिवार तथा अन्य के नाम क्या हैं जिनके विरूद्ध 1जुलाई, 1996 को 10 करोड़ रुपये इससे अधिक आयकर बकाया हैं;

(ख) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिनके विरूद्ध आज की तारीख को 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया है; और

(ग) उपरोक्त राशि वसूल करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने वाले हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय चिट फंड अधिनियम

1218. श्री परसराम भारद्वाज
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिट फंड परिसंघ ने सरकार से केन्द्रीय चिट फंड अधिनियम, 1982 को अधिसूचित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). हाल ही में ऐसा कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। अलबत्ता, चिट फंड अधिनियम, 1982 विभिन्न तारीखों को 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही लागू किया जा चुका है।

खादी वस्त्र

1219. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी और पालीवस्त्र को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) क्या खादी और पालीवस्त्र को बढ़ावा देने और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाते समय क्रेता और उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और पालीवस्त्र को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत से उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :-

(1) **गुणवत्ता आश्वासन :** मापदण्डों की समरूपता तथा मजबूती के साथ ही साथ धुलाई, चमक तथा स्वेदन के लिए गुणों में तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परीक्षण किए जाते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने सूती, सिल्क खादी शेड कार्ड निकाले हैं और उत्पादन संस्थाओं को प्रदान किये हैं।

(2) **उत्पाद/डिजाइन विकास :** खादी ग्रामोद्योग आयोग ने विशेषकर युवा पीढ़ी की आवश्यकताओं के प्रबन्ध के लिए हल्की ओर मध्यम किस्म की डेनी को विकसित किया है। एक डिजाइन विकास केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

(3) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को निर्दिष्ट एक परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तथा डिजाइनों को वाणिज्यिक उत्पादन में लाया गया है।

(4) खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा कुछ खादी ग्रामोद्योग बोर्डों ने खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए फैशन प्रदर्शनियां भी आयोजित की हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी नीति

1220. श्री जगमोहन : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित स्थानांतरण नीति की पुनरीक्षा किये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग). सरकार ने विधि आयोग द्वारा अपनी 80वीं रिपोर्ट में की गई इन सिफारिशों को नीति के रूप में स्वीकार किया है कि ऐसी परिपाटी होनी चाहिए जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश किसी अन्य राज्य से हो। सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि इसे या तो बाहर से प्रारंभिक नियुक्तियां करके या स्थानांतरण करके कार्यान्वित किया जाए। इस नीति के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायमूर्तियों के स्थानांतरण/नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर किए जा रहे हैं/की जा रही हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 6.10.1993 के निर्णय में अभिनिर्धारित किया था कि किसी न्यायाधीश/मुख्य न्यायमूर्ति के स्थानांतरण के संबंध में प्रस्ताव केवल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा ही लाया जाना चाहिए। जब कभी किसी न्यायाधीश से एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में उसके स्थानांतरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो इसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पास उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है।

केरल में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क

1221. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1995-96 के दौरान केरल में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और उसमें राज्य सरकार की कितनी भागीदारी है; और

(ग) परियोजना के लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए निधि का आबंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है। केरल सरकार को कोचीन के निकट काकानद में ई पी आई पी की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दिनांक 24.3.95 को 5.89 करोड़ रु. की राशि जारी की गयी थी। लेकिन चूंकि विकास कार्यों पर वास्तविक व्यय केवल 3 करोड़ रु. का हुआ इसलिए वर्ष 1995-96 के दौरान और कोई केन्द्रीय अनुदान जारी नहीं की गई।

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत 26.56 करोड़ रु. में राज्य सरकार का हिस्सा 10 करोड़ रु. दर्शाया गया है।

(ग) परियोजना के उद्देश्यों में शामिल हैं निर्यात प्रयासों और निर्यातोन्मुख उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में राज्य सरकारों को सम्मिलित करना।

[हिन्दी]

लघु उद्योग एकक

1222. श्री सुशील चन्द्र : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार अब तक कितने लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं और वर्तमान में इनमें से कितने एकक चालू नहीं हैं; और

(ख) क्या निर्यात के एक बड़े हिस्से का श्रेय लघु उद्योग को जाता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन एककों को बन्द होने से रोकने और साथ ही इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 31 दिसम्बर, 1995 तक की स्थिति के अनुसार राज्य उद्योग निदेशालय के पास पंजीकृत लघु एककों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। कार्य न करने वाले एककों की नवीनतम सूचना संदर्भ वर्ष 1987-88 से की गई लघु उद्योग एककों की दूसरी गणना से उपलब्ध है। 31.3.1988 को गठन में राज्य वार एककों की संख्या तथा उनमें से बन्द पाए गए एककों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) वर्ष 1994-95 में देश के कुल निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत लघु क्षेत्र के कारण है। लघु एककों के संवर्धन तथा उन्हें बन्द होने से बचाने के लिए केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तर पर सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :-

(1) निरीक्षण, निर्देशन, कार्यशालाओं, परीक्षण, औजार कक्ष तथा उत्पाद सह प्रक्रिया विकास सुविधाओं द्वारा तकनीकी सहायता।

(2) उद्यमिता विकास

(3) मूल्य तथा खरीद अधिमान द्वारा तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य लघु उद्योग विकास निगम के द्वारा विपणन

(4) विकसित औद्योगिक प्लॉट शैड इत्यादि के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा आधारभूत सहायता, और

(5) बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने के लिए प्रमुख क्षेत्र।

उपर्युक्त के अलावा, नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने रूग्ण एककों को रूग्णता से बचाने तथा उनके पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में रूग्ण लघु उद्योग एककों की परिभाषा में संशोधन के अलावा पुनर्वास के लिए कम ब्याज दर, एकीकृत रूग्ण एककों के अध्ययन/नर्सिंग कार्यक्रमों की तुरन्त जीवनक्षमता, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों पर प्रकोष्ठों की स्थापना और तकनीकी पहलू देखने के लिए तकनीकी व्यक्तियों सहित रूग्ण, औद्योगिक एककों से संबंधित मुख्य कार्यालय तथा विशेषज्ञ कर्मचारियों का प्रावधान भी शामिल है। राज्य स्तरीय अन्तर संस्थानात्मक समितियां रूग्ण लघु उद्योग एककों के मामलों में देखभाल करती है और पुनरूज्जीवन प्रस्तावों की सिफारिश करती हैं।

विवरण-I

31 दिसंबर, 1995 तक पंजीकृत लघु एककों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31 दिसंबर, 95 को सीडो एककों की संचयी संख्या	
1	2	3	
1.	आंध्र प्रदेश	1,53,454	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,200	(अनुमानित)
3.	असम	18,637	
4.	बिहार	99,645	(अनंतिम)
5.	दिल्ली	28,787	(अनंतिम)
6.	गोवा	5,081	(अनंतिम)
7.	गुजरात	1,24,857	(अनंतिम)
8.	हरियाणा	93,179	(अनंतिम)
9.	हिमाचल प्रदेश	13,819	
10.	जम्मू एवं कश्मीर	25,879	
11.	कर्नाटक	1,13,049	
12.	केरल	1,33,605	(अनुमानित)
13.	मध्य प्रदेश	2,53,754	
14.	महाराष्ट्र	81,297	

1	2	3	
15.	मणिपुर	5,034	
16.	मेघालय	1,977	
17.	मिजोरम	2,880	
18.	नागालैंड	731	
19.	उड़ीसा	18,142	(अनुमानित)
20.	पंजाब	1,36,881	
21.	राजस्थान	70,577	(अनंतिम)
22.	सिक्किम	281	(अनुमानित)
23.	तमिलनाडु	2,07,317	
24.	त्रिपुरा	7,311	(अनुमानित)
25.	उत्तर प्रदेश	3,18,281	
26.	पश्चिम बंगाल	1,59,693	(अनुमानित)
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	957	
28.	चंडीगढ़	2,847	(अनंतिम)
29.	दादरा और नगर हवेली	412	
30.	दमन और द्वीव	610	(अनंतिम)
31.	लक्षद्वीप	304	(अनंतिम)
32.	पांडिचेरी	4,161	(अनंतिम)
	योग	20,84,639	

विवरण–II

31 मार्च, 1988 तक फ्रेम में राज्यवार पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या तथा लघु उद्योग एककों की दूसरी गणना के दौरान बन्द पाई गई एककों की संख्या संदर्भ वर्ष 1987–88

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	एककों की संख्या	
		31.3.88 की स्थिति के अनुसार	बन्द पाये गए
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	54,762	14,813
2.	अरुणाचल प्रदेश	368	36
3.	असम	8,290	1,732
4.	बिहार	53,602	14,992
5.	दिल्ली	18,293	5,042
6.	गोवा	3,800	957
7.	गुजरात	58,328	19,159
8.	हरियाणा	48,493	20,981
9.	हिमाचल प्रदेश	10,836	2,856
10.	जम्मू एवं कश्मीर	14,631	4,031
11.	कर्नाटक	59,469	14,628
12.	केरल	38,030	11,763
13.	मध्य प्रदेश	1,24,553	35,479
14.	महाराष्ट्र	50,589	10,925
15.	मणिपुर	2,641	169
16.	मेघालय	748	136
17.	मिजोरम	1,247	306
18.	नागालैंड	274	83
19.	उड़ीसा	13,892	3,607
20.	पंजाब	94,544	23,657
21.	राजस्थान	50,001	17,940
22.	सिक्किम	106	36
23.	तमिलनाडु	83,267	24,825
24.	त्रिपुरा	1,443	603
25.	उत्तर प्रदेश	95,285	37,261
26.	पश्चिम बंगाल	94,362	37,310
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	441	88
28.	चंडीगढ़	2,014	640
29.	दादरा और नगर हवेली	185	33
30.	दमन और द्वीव	208	46
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	पांडिचेरी	2,159	722
	योग	9,86,861	3,04,856

[अनुवाद]

गेहूं का निर्यात

1223. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष निर्यात हेतु स्वीकृत 2.5 मिलियन टन गेहूं की तुलना में लगभग 1 मिलियन टन "नॉन-डयरम" गेहूं का ही निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्यात अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से लगभग 60 से 100 डालर प्रति टन कम मूल्य पर किया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इसमें सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई;

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान इस प्रकार की हानि से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(च) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस हानि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान 5847.27 रुपये प्रति एम.टी (175.27 अमरीकन डालर प्रति एम.टी. विनिमय की दर 1 डालर-33.36 रु.) की इकाई मूल्य प्राप्ति पर 360.90 करोड़ रु. मूल्य के 617211 एम. टी. गेहूं का निर्यात किया गया।

(ख) व्यापार किए गए गेहूं की विभिन्न किस्मों, उनकी गुणवत्ता में अंतर तथा उनके निर्यात के लिए ग्रेडिंग और पैकिंग में हुए अतिरिक्त खर्च में भिन्नता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में प्रचलित मूल्यों की ठीक-ठीक तुलना करना संभव नहीं है।

(ग) से (छ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

1224. श्री दत्ता मेघे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार कोयला खानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन खानों से पर्याप्त मात्रा में कोयले का खनन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन खानों को बन्द करने का है, जिनसे अच्छी किस्म का तथा पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं निकलता है;

(घ) यदि हां, तो उन खानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन खानों से अधिक मात्रा में और अच्छी किस्म का कोयला निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) देश में कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) तथा सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं.को.कं.लि.) के अधीन कोयला खानों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :-

राज्य	खानों की संख्या	
	को.इं.लि.	सिं.को.कं.लि.
बिहार	183	
पश्चिम बंगाल	111	
मध्य प्रदेश	136	
उत्तर प्रदेश	4	
महाराष्ट्र	49	
उड़ीसा	20	
असम	6	
मेघालय	1	
आन्ध्र प्रदेश	–	71
जोड़	510	71

(ख) इन खानों से कोयले का उत्खनन उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। कोयला खानों को केवल भण्डारों के समाप्त हो जाने के बाद ही बंद किया जाता है।

(ङ) कार्यरत खानों में से कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :-

(1) अधिक लाभकारी एकक बनाने के लिए खानों की युक्तिसंगतता तथा उनका एकीकरण किया जाना।

(2) कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं को निष्पादित तथा क्रियान्वित किया जाना; तथा

(3) लागत बचत तथा गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन किया जाना;

(4) उपकरणों की क्षमता उपयोगिता में सुधार करने के लिए उपायों का क्रियान्वयन किया जाना;

(5) कार्यकुशलता में वृद्धि किए जाने के लिए कामगारों तथा स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाना; और

(6) उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण तथा संचार के क्षेत्रों में अद्यतन प्रौद्योगिकी का अपनाया जाना।

[अनुवाद]

कॉफी के मूल्य में वृद्धि

1225. श्री एस.डी.एन.आर वाडियार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कॉफी के मूल्यों में तेजी से और बार-बार होने वाली वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात का कम राशि का बीजक बनाना

1226. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी सप्लायरों द्वारा महंगे उत्पादों की मूल की गलत घोषणा और उनकी कम राशि के बीजक प्रस्तुत करने के कारण प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों/आयातकों द्वारा किये जा रहे ऐसे कदाचारों और जालसाजियों की सरकार को जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम राशि के बीजकों की घोषणा करने वाले आयातकों/निर्यातकों को पकड़ने के लिए सीमा शुल्क प्रशासन के कार्यकरण में सुधार लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). माल की कथित रूप से गलत घोषणा और न्यून बीजकांकन के ऐसे मामले सीमाशुल्क गृहों में समय-समय पर देखने में आते हैं जिनसे सीमा शुल्कों पर या विदेशी मुद्रा पर व्यय पर प्रभाव पड़ता है। तथापि, सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए आयात वस्तुओं के मूल्यों को मानीटर करने और साथ ही साथ सीमाशुल्क गृहों के बीच सूचना आदान-प्रदान करने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध है। इसी प्रकार, सीमा शुल्क गृह गलत घोषणा तथा न्यून बीजकांकन के विशिष्ट मामलों के संबंध में ऐसी सूचना अथवा आसूचना का आदान प्रदान भी करते हैं जिसके आधार पर अपराधों का पता लगाया जाता है।

इसके अलावा, कानून में विवरण अथवा मूल्य की गलत घोषणा के मामलों में जुर्माना तथा अर्थदण्ड लगाने के अलावा, माल को जब्त करने की व्यवस्था है। गंभरी किस्म के अपराधों में शामिल व्यक्तियों पर अभियोजन भी चलाया जाता है।

गलत घोषणा करने और बीजक में हेराफेरी करने के मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के एक अंग के रूप में निवारक और आसूचना एकत्र करने के कार्यकलापों को सुदृढ़ किया गया है और सभी सी.शु. गृहों तथा सभी सीमाशुल्क प्रक्रियाओं एवं संकायों के संबंध में कंप्यूटरीकरण की सुविधा लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इससे बेईमान आयातकों/निर्यातकों द्वारा की जाने वाली कोशिशों पर अंकुश लगाने तथा उनका पता लगाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वित्तीय कंपनियों द्वारा अनियमितताएं

1227. डा. रामकृष्ण कुसमारिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जून, 1996 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार कुछ कम्पनियों के प्राइवेट प्लेसमेंट इश्यूस में कुछ सार्वजनिक वित्तीय कम्पनियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सरकार को 3 जून, 1996 के "दि इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है। उल्लिखित निवेश का संबंध भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा रिलाएंस इण्डस्ट्रीज लि. के साम्य शेयरों में किए गए लगभग 945 करोड़ रुपए की कुल राशि के निवेश से है। की जाने वाली कार्रवाई, यदि कोई हो, से संबंधित प्रश्न की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

जिला उद्योग केन्द्र

1228. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक राज्य-वार कितने जिला उद्योग केन्द्र, स्थापित किए गये; और

(ख) इन केन्द्रों को सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) देश में आज की तारीख तक कार्य कर रहे जिला उद्योग केन्द्र/उप-जिला उद्योग केन्द्रों की कुल संख्या 475 है। राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र, राज्य सरकार के कार्यालय हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार, वर्ष 1993-94 से जिला उद्योग केन्द्र योजना को राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था इससे पूर्व जिला उद्योग केन्द्र एक केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना थी। तथापि, केन्द्र सरकार अभी भी जिला उद्योग केन्द्रों को आधारभूत सुविधाएं/निधियां विशिष्ट योजनाओं के अनुसार उपलब्ध कराती है।

विवरण

देश में आज की तारीख तक राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार कार्य कर रहे जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कार्यरत जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या	
1	2	3	
1.	आंध्र प्रदेश	23	
2.	असम	23	
3.	बिहार	39	
4.	गुजरात	18	
5.	हिमाचल प्रदेश	12	
6.	हरियाणा	17	
7.	जम्मू और कश्मीर	14	
8.	कर्नाटक	20	
9.	केरल	14	
10.	मध्य प्रदेश	48	(यहां 45 जिले हैं जहां जिला उद्योग केंद्र कार्य कर रहे हैं। 3 अतिरिक्त जिला उद्योग केन्द्र भिन्ड, धार और रायसेन जिलों में कार्य कर रहे हैं।
11.	महाराष्ट्र	29	
12.	मणिपुर	8	
13.	मेघालय	7	
14.	नागालैंड	7	
15.	उड़ीसा	13	
16.	पंजाब	17	
17.	राजस्थान	33	
18.	सिक्किम	2	
19.	तमिलनाडु	22	
20.	त्रिपुरा	3	
21.	उत्तर प्रदेश	66	
22.	पश्चिम बंगाल	20	(दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी तथा वर्द्धमान जिले में दुर्गापुर में 2 उप-जिला उद्योग केन्द्रों सहित)
23.	अरुणाचल प्रदेश	11	(5 जिला उद्योग केन्द्र तथा 6 उप-जिला उद्योग केन्द्र)
24.	मिजोरम	3	
25.	पांडिचेरी	1	
26.	गोवा	1	
27.	दादरा और नागर हवेली	1	
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	
29.	चंडीगढ़	1	
30.	लक्षद्वीप	–	
31.	दमन द्वीव	1	
32.	दिल्ली	–	
	योग	475	

पाकिस्तान के साथ व्यापार

1129. डा. कृपा सिन्धु भोई :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी सूचना मिली है कि पाकिस्तान का भारत के साथ व्यापार शुरू करने का इरादा है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में पाकिस्तान से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष व्यापार का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) प्रचार माध्यमों में कुछ ऐसी रिपोर्टें आयी है जिनसे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार शुरू करना चाहता है। लेकिन, इस विषय पर पाकिस्तान से सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए व्यापार का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :-

मूल्य करोड़ रु. में

वर्ष	पाकिस्तान को निर्यात	पाकिस्तान से आयात
1993-94	200.96	136.65
1994-95	179.71	165.61
1995-96	256.80	150.80

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एफ

विदेशी निवेश

1230. श्री जगमोहन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के बाद ऐसी कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें विद्युत, परिवहन, दूरसंचार और जलापूर्ति जैसे आधारभूत क्षेत्र में विदेशी निवेश शामिल है;

(ख) इन परियोजनाओं में आधारभूत क्षेत्र हेतु कितने विदेशी निवेश का आश्वासन मिला है; और

(ग) अब तक कितना वास्तविक विदेशी पूंजी निवेश किया गया?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख). अगस्त, 1991 से मई 1996 तक की अवधि में विद्युत, परिवहन और दूर संचार जैसे आधारभूत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 390 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों में 30300.85 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिकल्पना है।

(ग) वास्तविक विदेशी निवेश संबंधी क्षेत्रवार आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1.4.91 से 31.3.95 की अवधि में इन क्षेत्रों में 378.08 करोड़ रु. का वास्तविक विदेशी निवेश हुआ है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1231. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में मंत्रालयवार उठाई गई आपत्तियों की क्या संख्या है;

(ख) उस संबंध में कितनी की गई कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं तथा कितने प्रस्तुत नहीं किए गए;

(ग) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निष्कर्षों की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में की गई कार्यवाही टिप्पण प्रस्तुत करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन विभागों/मंत्रालयों, जो की गई कार्यवाही टिप्पणी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली में प्रधान मंत्री रोजगार योजना

1232. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **वित्त मंत्री** प्रधान मंत्री रोजगार योजना के बारे में 8 मार्च, 1996 के अतारांकित प्रश्नसंख्या 1001 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1995 के दौरान कुछ स्पष्टीकरण की कमी के कारण इंडियन ओवरसीज बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाबी बाग, नई दिल्ली द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के उद्योग कार्यालय को लौटाए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त बैंक में कुछ आवेदनों में कथित रूप से विलंब किया गया है या वे गुम हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उत्तरदायित्व निर्धारित करने और गुम हुए आवेदनों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) जिन आवेदकों को 15 अक्तूबर, 1993 से ही ऋण मिलने में विलम्ब हो रहा है, उन्हें किस तिथि तक ऋण मिल जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1995 के दौरान बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा छः आवेदनों को उद्योग आयुक्त के कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ आवेदकों के वापिस न आने, कार्यकलाप/कारोबार के स्थल को बदले जाने, जैसे कारणों से वापस किया गया था क्योंकि इसके लिए प्रायोजक एजेंसी की अनुमति जरूरी थी।

(ख) से (घ). बैंक ने सूचित किया है कि बैंक द्वारा कोई भी ऋण आवेदन पत्र गुम नहीं हुआ। तथापि, एक आवेदक ने ऋण के भुगतान में देरी किए जाने के बारे में शिकायत की है। बैंक ने यह भी कहा है कि जैसे ही विधिवत संस्तुत मूल आवेदन पत्र या उसकी प्रतिलिपि, उद्योग आयुक्त के कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्राप्त होगी, उस पर संवितरण हेतु गुण दोषों के आधार पर तथा मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा। बैंक ने सूचित किया है क्योंकि बैंक द्वारा कोई देरी/आवेदन गुम नहीं हुआ है, इसलिए जिम्मेदारी नियत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

एन.आई.ए. में आवासीय ऋण संबंधी जालसाजी

1233. श्री सौम्य रंजन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1996 के "दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "हाऊसिंग लोन फ्राड इन एन.आई.ए. : आफिसर कमिट्स सुसाइड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कम्पनी के आंतरिक लेखा/सतर्कता विभाग द्वारा अथवा सरकारी लेखा परीक्षणों के दौरान इस घोटाले का पता नहीं चल पाने के क्या कारण हैं;

(घ) अब तक इस घोटाले की रिपोर्ट पुलिस को नहीं देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस घोटाले की जांच सी.बी.आई. या किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि. ने सूचित किया है कि मार्च, 1996 में सांविधिक लेखा-परीक्षा के दौरान कुछ अनियमितताएं सामने आई जिनसे यह संदेह हुआ कि एक प्रशासनिक अधिकारी और एक वरिष्ठ सहायक ने एक दूसरे से सांठ-गांठ करके अगस्त, 1993 से अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान कम्पनी की आवासीय ऋण योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के आवासीय ऋणों के आहरणों और संवितरण में 13.45 लाख रुपये की राशि का गबन किया है। संबंधित अधिकारी 31.10.1995 को सेवानिवृत हो गया है; संबंधित वरिष्ठ सहायक के विरूद्ध उसे निलम्बित करते हुए, सी.डी.ए. नियमों के अन्तर्गत पहले से ही अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। दोनों ने ही गबन में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है और 3.05 लाख रुपये की राशि उनसे पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। उन्होंने यह वचन दिया है कि अपनी अचल सम्पत्ति को कम्पनी के सुपुर्द करके इस हानि को पूरा करेंगे। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात मामले का समाधान किया जाएगा। अब तक की गई जांच से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि आत्महत्या करने वाला अधिकारी भी किसी भी रूप में गबन करने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों से प्रत्यक्षः संबंधित था।

मध्याह्न 12.00 बजे

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कल रात से काम बन्द है। मैंने नोटिस दिया है। महोदय यह बहुत ही अविलम्बनीय मामला है।...**(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हड़ताल के बारे में नोटिस दिया है। वहां डाक्टरों को मारा पीटा गया है। गृह मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं सबको बोलने का समय दूंगा, लेकिन एक साथ न बोलें। मैं एक के बाद एक सबको बोलने का समय दूंगा। बैठ जाएं। श्री चन्द्र शेखर।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : यह उचित नहीं है। जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए हैं, एक वरिष्ठ सदस्य विघ्न डाल रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : यह क्या है? आपने उन्हें बोलने के लिए बुलाया है।

श्री मनोरंजन भक्त : वह क्यों विघ्न डाल रहे हैं? आपने श्री चन्द्र शेखर को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : उपाध्यक्ष जी, एक बार आप जब जीरो आवर में जाएंगे, तो विशेषाधिकार का कोई मतलब नहीं है। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि कल जब मैंने इस मामले को उठाया तो ऐसी बात नहीं कही थी, लेकिन देश में ऐसी बात गई है कि आपने उसको रिजैक्ट किया, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने उसको रिजैक्ट करने की बात नहीं कही थी। महोदय, आज कुछ ऐसी बातें और आई हैं जहां कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने कहा है कि सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथौरिटी ने,...**(व्यवधान)**

मेरा निवेदन है कि तत्काल मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और सदन में बहस चलाई जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है। मैं यह आपको बता देना चाहता हूं।

श्री चन्द्र शेखर।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बाद में बताऊंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप किसी और बात पर जाने के पहले यह बताइए कि मेरे प्रिवलेज मोशन का क्या होगा?...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। आज सुबह के अखबार मैंने भी पढ़े हैं। कुछ अखबारों ने लिखा है कि प्रिवलेज मोशन रिजैक्ट हो गया है। यह रिजैक्ट नहीं हुआ है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : धन्यवाद उपाध्यक्ष जी।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अभी डाकुमेंट नहीं आए हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके कार्यालय में उसी समय, तत्काल पहुंचा दिए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अभी नहीं आए हैं।

[अनुवाद]

मैं उन्हें पढ़ूंगा। अब बस करें।

[अनुवाद]

जम्मू तथा कश्मीर में श्रमिकों की हत्या के बारे में

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत दुखद घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बलिया जिले के बांसडीह कस्बे के 12 गरीब लोग कश्मीर में मजदूरी करने के लिए गए थे। छः तारीख की रात को वे आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए और सूचना के अनुसार वे 12 व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए। आज 19 तारीख है, कश्मीर सरकार ने कोई सूचना उनके परिवार वालों को नहीं दी। कल पहली बार उनमें से कोई बचा हुआ आदमी जब बलिया पहुंचा और उसने उस परिवार के लोगों को सूचना दी, तो उन्होंने मेरे पास एक फैक्स भेजा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी उन्होंने फैक्स से सूचना दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूरी कोशिश की, मगर वे कोई सम्पर्क कश्मीर के लोगों से नहीं कर सके।

श्रीमान, मुझे तीन बजे फैक्स मिला और तीन बजे से रात को ग्यारह बजे तक मैं कश्मीर के राज्यपाल से सम्पर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे नहीं मिले और हर समय, या तो वे सभा में थे या बैठक में थे, यही बताया गया। मेरे कार्यालय के लोगों ने भी सम्पर्क किया, लेकिन सम्पर्क नहीं हो पाया। मैंने स्वयं फोन किया, तो मुझसे फोन नंबर पूछा गया। मैंने फोन नंबर बता दिया, लेकिन रात को ग्यारह बजे तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हो सकी। मेरे सचिव ने जब उनके सचिव से पूछा, तो उनके सचिव ने बताया कि राज्यपाल महोदय बहुत व्यस्त थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिले नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन पन्द्रह-बीस वर्षों में मेरे संसदीय जीवन में यह पहला अनुभव हुआ है जब फोन पर मैंने किसी राज्यपाल से बात करनी चाही और 12 घंटे में उसको मुझसे बात करने का समय नहीं मिला हो। आज तक यह मालूम नहीं है कि वे 12 लोग मर गए हैं या उनमें से कोई जीवित बचे हुए हैं ओर वे किसी अस्पताल में हैं?

कश्मीर सरकार ने जरूरी भी नहीं समझा कि उनके परिवार वालों को जिलाधीश के जरिये सूचना भेज दें। उनका कितना वेदना भरा पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, उसे मैं यहां नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने केवल यही कहा है कि अगर हमें सूचना मिल जाये तो हम उनकी अंतिम क्रिया वैदिक रीति से कर थें। वे केवल यही मांग कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई राज्यपाल, उनकी मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि संसद सदस्यों के अलावा सबकी मर्यादा है, इससे उनकी मर्यादा हनन हो जायेगा, कोई राज्यपाल कितना व्यस्त है कि 12 घंटे तक टेलीफोन नहीं कर सकता। मुझे उनका टेलीफोन सुनने की कोई बड़ी इच्छा नहीं है। क्या सरकार के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी अंतिम क्रिया के बाद, पता नहीं वह की गयी है या नहीं, उनके परिवार वालों को सूचना दी जाती? 12 गरीब लोगों की, जो कि वहां हर साल ईंट बनाने के लिए जाते थे, मौत हो गयी। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा जैसा व्यक्ति क्या करे? लोग समझते हैं कि मैं सरकार चला रहा हूं। लोग यह समझते हैं कि सरकार में मेरी बात सुनी जा रही है। 12 घंटे तक मैं एक राज्यपाल से सम्पर्क करने की कोशिश करता रहा हूं और राज्यपाल बात तक न करे, यह स्थिति कब तक सहन की जायेगी...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पुलिस के सिपाही अनुशासन-हीन हैं। उनको अनुशासन में लाइये लेकिन क्या राज्यपाल पर कोई अनुशासन है या नहीं? उनमें कोई मानवीय संवेदना होनी चाहिए या नहीं? क्या लोग मरने के बाद कुत्तों की तरह सड़कों पर उठाकर फेंक दिये जायेंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती कि उनके परिवार वालों को सूचना दी जाये?

अध्यक्ष महोदय, मैं विवश होकर यह बात आपके सामने उठा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या करेगी लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे मानवीय सवाल के ऊपर इस सदन की कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये।

[हिन्दी]

आदरणीय चन्द्रशेखर जी का कहना कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं, अपने आप में ठीक है लेकिन श्री चन्द्रशेखर जी इस हाउस के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार होना अच्छा नहीं हैं।

[अनुवाद]

इससे प्रशासन पर आक्षेप आता है। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसका सीरियस नोटिस ले।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आज सौभाग्य से श्री चन्द्रशेखर जी ने एक मसला उठाया और मुझे भी बोलने का मौका मिल गया। मैं पहले दिन से यहां पर यह मसला उठा रहा हूं। कश्मीर के अंदर ओर विशेषकर डोडा जिले के अंदर लोगों को बिल्कुल कुत्ते-बिल्लियों की तरह मारा जा रहा है और इसके ऊपर सरकार बिल्कुल नोटिस नहीं ले रही। वहां सरकार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। कल भी वहां से लगभग 1200 परिवार अपनी

गाय, भैंस, बकरियां व अन्य सभी सामान लेकर सड़कों पर खड़े थे। डोडा शहर दो दिन से बंद पड़ा है। हमने इस सरकार को कितनी बार बताया है। माननीय होम मिनिस्टर जी को मैंने खुद चिट्ठी लिखकर सारी वेदना बताने की कोशिश की है। प्रधान मंत्री जी के नोटिस में भी हम लाये हैं लेकिन हो क्या रहा है? वहां से फोर्सिस हटा ली गयी हैं। लोग अपने घर-बार छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जब पुलिस की बात करते हैं तो जो ठाठरी स्थान है, आप हैरान हो जायेंगे कि उस उग्रवादियों से गस्त स्थान के अंदर केवल पुलिस के सात सिपाही थे और उनके पास 303 की राइफलें हैं। वहां पुलिस के पास कोई साधन नहीं है। जो फोर्सिस भेज रहे हैं, वे कहते है

[अनुवाद]

हमारा कर्तव्य केवल सैनिक कार्यवाही के दौरान ही है।

[हिन्दी]

उग्रवादियों से झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, वहां कोई चौकियां नहीं बनायेंगे। आप बातइये कि इन हालात के अंदर वहां पर लोग कैसे टिकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि कश्मीर से 4 लाख लोग विस्थापित होकर आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। डोडा जिला इतना संवेदनशील इलाका है, वहां पर लोगों ने अपनी जाने गवाई हैं लेकिन लोग वहां से निकले नहीं हैं लेकिन आज इलेक्शन होने के बाद जिस तरह से केन्द्रीय सरकार ने वहां व्यवहार किया है, उससे लोग मजबूर हो जायेंगे और डोडा जिले से भी 4 लाख लोग जम्मू और दिल्ली की गलियों में आकर बैठ जायेंगे। यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि वे इस संबंध में एक स्टेटमेंट दें। आज कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने की बात हो रही है और कीमती जानें इस तरह से जा रही हैं। कल 6 टूरिस्ट मारे गये हैं।

आज चंद्र शेखर जी ने यह मसला उठाया। डोडा में इस समय तक कम से कम 50 लोग मार डाले गए हैं। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर इस पर स्टेटमेंट दें कि डोडा में फोर्स को रीवैम्प करेंगे ताकि लोग वहां पर टिक सकें। इस समय तक डोडा और ऊधमपुर जिले से दस हजार परिवार माईग्रेट कर चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप होम मिनिस्टर से कहें कि वे इस सिचुएशन पर स्टेटमेंट दें।...**(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा), : होम मिनिस्टर का जवाब आना चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : जो कुछ श्री चन्द्रशेखर जी ने कहा है वह केवल बलिया चुनाव क्षेत्र का ही प्रश्न नहीं है। वह भूतपूर्व प्रधान मंत्री हैं ओर अब एक संसद सदस्य हैं। यदि उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो हम उन लोगों के सामने कैसे जायेंगे जो यह प्रश्न करते हैं कि संसद सदस्य क्या कर रहे हैं? हमें अनुकरणीय कार्यवाही करनी चाहिए। उनके विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। उन्होंने माननीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री और संसद सदस्य की बात सुनने से इंकार कर दिया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उनके विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए और उनके इस कार्य के लिए उनकी निन्दा करनी चाहिए।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में सांविधिक संकल्प पर चर्चा में भाग लेते समय मैंने यह विशेष मुद्दा उठाया था कि वहां लोगों की हत्या की जा रही है और सरकार उसपर ध्यान नहीं दे रही है। हम प्रतिदिन सुन रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर के निरीह लोगों की हत्या की गई है। अब श्री चन्द्र शेखर ने नरसंहार की कहानी कही है। अभी कुछ ही दिन पहले 6 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी।

मंत्री तो केवल यही चिंता कि क्या वहां कोई सरकार है या नहीं। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के पास आदरणीय पूर्व प्रधान मंत्री से बात करने का समय भी नहीं है। यह माजरा क्या है? सौभाग्य से गृह राज्य मंत्री कश्मीर के हैं। मेरा उनसे प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थिति क्या है और वहां लोगों की क्या हालत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां सभी आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या सेना अथवा सीमा सुरक्षा बल उनके विरूद्ध कार्यवाही कर रहे हैं, क्या आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों की ओर पुलिस ध्यान दे रही है या फिर हमारी सरकार इन आतंकवादियों के साथ बात चीत कर रही है जबकि कश्मीर क्षेत्र में हर रोज निरीह लोगों की हत्या हो रही है। इसलिए सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि उसे सभी तथ्य सामने रखने चाहिए। जम्मू और कश्मीर के पिछले सप्ताह से अब तक क्या-क्या घटनाएं घटी हैं? सरकार को उन लोगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में इस सम्मानीय सदन के समक्ष तथ्यगत आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। इतना ही नहीं, यह सब बताना चाहिए कि कितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, कितनों के विरूद्ध मुकदमा चलाया गया है, कितने आतंकवादियों को दण्ड दिया गया है और कितने आतंकवादी पुलिस की हिरासत से भाग गए हैं? सरकार को इस सम्मानीय सदन के समक्ष यह सब जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में कोई सदस्य अलग नहीं है। कश्मीर में व्याप्त वर्तमान स्थिति के बारे में हम सभी श्री चन्द्र शेखर के वक्तव्य का समर्थन करते हैं। मुझे विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री इस सम्बन्ध में तुरन्त अपना मत प्रकट करेंगे और सरकार की प्रतिक्रिया को स्पष्ट करेंगे। राज्यपाल की उद्दण्डता के बारे में ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली है। उनके विरूद्ध कदम उठाये जाने चाहिए।

लेकिन मैंने आज दूसरा मुद्दा उठाया है जिसका मैंने नोटिस दिया है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अलग से अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं आपके इस निदेश का पालन करता हूं जो आपने कहा है कि मैं इसी मुद्दे पर बोलूं या अपना योगदान दूं। मैं श्री चन्द्रशेखर की चिंता में भागीदार अनेक सदस्यों के विचारों का समर्थन करता हूं। मैं मांग करता हूं कि गृह मंत्री तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मुझे तब बहुत प्रसन्नता होगी जब यदि राज्यपाल को वहां से हटा दिया जाए। यह श्री चन्द्रशेखर की ही चिंता नहीं है। मुझे मेरे कई मित्रों ने ऐसी ही रिपोर्टें दी है जिनके साथ उन राज्यपाल ने अभद्र व्यवहार किया है और जिन्हें घंटों लाईन में खड़े रहना पड़ा और फिर भी राज्यपाल उनसे नहीं मिले।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप मुझे फिर अवसर देंगे...**(व्यवधान)**

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : जब घाटी में पिछली सरकार थी तो वहां एक कहावत थी 'भय की घाटी में आपका स्वागत है जहां राज्यपाल केवल प्रधानमंत्री से बात करता है और प्रधान मंत्री केवल ईश्वर से।' मेरे कहने का तात्पर्य है कि पिछली सरकार में यदि गृह मंत्री राज्यपाल को टेलीफोन करता था तो राज्यपाल कभी टेलीफोन को हाथ तक नहीं लगाता था।

यदि हम, संसद सदस्यों का इस तरह अपमान किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि जब तक हम वहां अपनी स्थिति समुचित रूप से सुदृढ़ नहीं करेंगे संसद की मर्यादा दिन पर दिन घटती जायेगी। समाचार पत्रों में, टेलीविजन पर और सभी प्रकार की मीडिया में राजनीतिज्ञ की स्थिति तब तक घटती जायेगी जब तक कि इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जायेगा...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है यह सब।

कर्नल राव राम सिंह : मैं समझता हूं कि हमें बहुत लम्बी अवधि के बाद एक बहुत ही अच्छा गृह मंत्री मिला है। मुझे आशा है कि वह कोई कार्यवाही करेंगे और वह पिछले गृह मंत्री की भांति कश्मीर के राज्यपाल द्वारा आतंकित नहीं किए जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बंगारप्पा, क्या आप इस मामले पर कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : जी, हां। श्रीमान जी, ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष जी, हम भी चार दिन से नोटिस दे रहे हैं, लेकिन हमको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, उसका क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : नोटिस तो हम बाद में लेंगे।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह : मुझे आपका संरक्षण चाहिए। हमारे यहां लोग परेशान हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम उन नोटिसों पर अलग से विचार करेंगे। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? हम कुछ बहुत गंभीर मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको अलग से अवसर दूंगा। अब आप कृपया बैठ जाएं।

श्री एस. बंगारप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटा या मामूली मामला नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपने समस्त सदन की भावनाओं और चिन्ता को समझ लिया होगा।

वस्तुतः यदि सरकार के मुखिया, जम्मू तथा कश्मीर राज्य के राज्यपाल के सम्बन्ध में यह स्थिति है तो जन साधारण के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। माननीय सदस्य, जो देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री भी हैं, ने हालात का विस्तार से विवरण दिया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने दायित्व को निभाते हुए मामले को समुचित रूप से प्रस्तुत किया है।

जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, हम उनका समर्थन करते हैं। हमें भविष्य में भी ऐसी घटनाएं नहीं होने दी जानी चाहिए। यदि भूतपूर्व प्रधान मंत्री और इस समय सदन के माननीय सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यक्तियों के सामने साधारण व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। यह मामला अब सरकार पर निर्भर करता है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह इस सम्बन्ध में स्पष्ट वक्तव्य देगी कि इस सम्मानीय सदन की भावनाओं और चिंता को ध्यान में रखते हुए वहां सरकार के मुख्य या प्रमुख के विरूद्ध कानून के अन्तर्गत क्या कठोरतम सम्भव कार्यवाही करेगी।

यदि वहां लोकप्रिय सरकार होती तो मामला अलग होता। हां, हमें जम्मू व कश्मीर में लोकप्रिय सरकार की स्थापना होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब तक हमें वहां घटने वाली ऐसी सभी घटनाओं के लिए राज्यपाल को उत्तरदायी ठहराना चाहिए।

यदि ऐसे मामले के बावजूद दिन के 11 या 12 बजे भी वह टेलीफोन पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जबकि टेलीफोन करने वाला भूतपूर्व प्रधान मंत्री है तो यह मामला इस सम्मानीय सदन के लिए बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं आशा करता हूं कि इस मामले में सरकार हमारे साथ है और वह कार्यवाही करेगी।

फिर भी जैसे कि यहां बैठे मेरे मित्रों ने सुझाव दिया है और मैं भी समझता हूं कि ऐसे मामले विशेषाधिकार प्रस्ताव के अन्तर्गत लाये जाने चाहिए। जब तक हम यह नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि इन मामलों पर जनता का ध्यान आकर्षित होगा। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि हम यहां इस सम्मानीय सदन में क्यों और किस लिए आए हैं। इसलिए जो कुछ श्री चन्द्रशेखर जी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : राजस्थान के लोग भी कश्मीर में मारे गए हैं।...**(व्यवधान)**

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : मेरे साथ भी यही घटना हुई है, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान मंत्री, श्री चन्द्रशेखर जी ने जम्मू तथा कश्मीर के राज्यपाल के व्यवहार रवैये के बारे में, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के बलिया से रोजी-रोटी कमाने के लिए गए श्रमिकों की स्थिति जानने के लिए कश्मीर के राज्यपाल से टेलीफोन और फैक्स पर सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयास किया था, सदन में एक वक्तव्य दिया है। राज्यपाल द्वारा सम्पर्क स्थापित करने अथवा कोई उत्तर देने में उनकी असफलता वास्तव में बहुत गंभीर मामला है। वस्तुतः जैसाकि आप जानते हैं कि इससे पहले भी इन्हीं राज्यपाल के रवैये और व्यवहार के बारे में कई प्रकार की शिकायतें आई हैं।

मैं उन शिकायतों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जहां तक श्री चन्द्रशेखर जी की इस शिकायत का सम्बन्ध है, हम सरकार की ओर से इस बहुत ही गंभीर मामले को राज्यपाल के साथ उठायेंगे और इस बारे में कोई बहाने बाजी नहीं करेंगे और उनसे स्पष्ट कहेंगे कि हमें उनका यह रवैया और व्यवहार बिल्कुल पसन्द नहीं है और इससे हमारे देश के एक शीर्षस्थ नेता का अपमान हुआ है। यह किसी के साथ हो सकता है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि यदि ऐसा श्री चन्द्रशेखर जी के साथ हो सकता हो, तो यह किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में अनेक घटनाएं हुई हैं। यह बात सही है। एक घटना 12 श्रमिकों की हत्या की है और दूसरी पर्यटकों के एक दल की हत्या की है जिसमें भारतीय एवं विदेशी पर्यटक शामिल थे।

कुछ दिन पूर्व मुझे श्री चमन लाल गुप्ता का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि डोडा क्षेत्र से हमारे सुरक्षा बल हटा लिए गए है जहां सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से गोली बारी होती रहती है और सीमा के हमारी ओर आतंक फैल रहा है। जिससे बहुत से लोग अपने सामान के साथ वहां से भागने पर मजबूर हो गए हैं। मैंने मामले की तुरन्त जांच की। यह सही है कि सीमा पार से गोला बारी हो रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। हाल ही में यह घटनाएं बढ़ गई हैं। एक दूसरे की ओर से गोला-बारी हो रही है। यह बात सही नहीं है कि केवल पाकिस्तान की ओर से ही गोली-बारी हो रही है और हमारे लोग खामोश और शांत बैठे हैं और वे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यह बात नहीं है।

सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मुझे यह बताया गया है कि यह कहना सही नहीं है कि उस क्षेत्र से हमारी सुरक्षा सेनाएं हटा ली गई है। बिल्कुल नहीं हटायी गई हैं। किन्तु, वहां भयंकर गोला-बारी हो रही है और कुछ लोगों को उनके गांवों और मकानों से हटाया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। इन सभी घटनाओं पर एक साथ और समुचित संदर्भ में पुनर्विचार करना होगा और मुझे यह महसूस होता है तथा यह शंका हो रही है कि राज्य विधान सभा के चुनावों के निकट आने के कारण सीमा पार से अशांति पैदा करने के जोर-शोर से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया का असफल बनाया जाए और लोगों के दिलो दिमाग को परेशान किया जा सके। मैं यह तो नहीं जानता कि इन सभी घटनाओं में कोई अन्तर्सम्बन्ध हो सकता है। लेकिन यह असम्भव भी नहीं है और हमें चुनावों के निकट आते ऐसी घटनाओं के होने की अपेक्षा करनी चाहिए। अतः सरकार को, हमें अपनी तैयारियों के एक अंग के रूप में, कुछ नए और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि विदेशी ताकतें किसी भी तरह हमारी शांति और सामान्य स्थिति में बाधा नहीं डालने पाएं और हमारा हित इसी में है और इससे सभी दल सहमत हैं कि चुनाव अवश्य होने चाहिएं। चुनाव अवश्य होंगे और प्रत्येक व्यक्ति चुनावों में भाग लेने हेतु सहयोग देने के लिए तैयार है। भारत के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक मामला है।

इसलिए सीमा के उस पार से यहां अधिकाधिक गड़बड़ी पैदा करने के लिए कुछ लोगों को भड़काने की भी साजिश की जा सकती है और इस प्रकार की घटनाओं का इससे सम्बन्ध हो सकता है।

मुझे वास्तव में बहुत खेद है निरीह और निर्दोष लोग मारे गए हैं जो मजदूर थे और ईंटों के भट्टों पर काम करके अपनी रोजी-रोटी कमाते थे। ये निर्धन लोग थे और कश्मीर के निवासी नहीं थे लेकिन उन्हें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए दूसरे राज्य से वहां जाना पड़ा।

मैं समझता हूं कि पर्यटकों को सलाह दी गई थी कि वे ऐसे संकट काल में यह जोखिम न लें। पर्यटकों का अब वहां जाना अनिवार्य नहीं है। सम्भवतः ऐसे जोखिम और खतरे वाले क्षेत्र से बचना ही बेहतर है...**(व्यवधान)**। लेकिन फिर भी इन 12 मजदूरों के भाग्य, उनके परिवारों और आश्रितों की स्थिति के बारे में जो भी सहायता देना आवश्यक होगी वह तुरन्त दी जायेगी।...**(व्यवधान)**

श्री पी. उपेन्द (विजयवाड़ा) : महोदय, पर्यटकों को वहां नहीं जाने की सलाह देना सही नहीं है...**(व्यवधान)** सरकार का यह कहना सही नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, सरकार का इस तरह कहना सही नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपना मत व्यक्त कर रहा हूं। आप अपना मत व्यक्त कर सकते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री पी. उपेन्द्र : एक ओर आप वहां चुनाव करा रहे हैं और दूसरी और आप पर्यटकों से कह रहे हैं कि वे वहां नहीं जाए। यह क्या है?...**(व्यवधान)** सरकार का इस तरह कहना ठीक नहीं है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, उग्रवादियों के हौंसले बहुत बुलन्द हैं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक एक आदमी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उन्हें अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला : क्या गृह मंत्री ऐसा कह सकते हैं? ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अमरनाथ की यात्रा पर लोग आएं या नहीं? हमें यह बताइए कि अमरनाथ की यात्रा कैसे होगी?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, यह एक गंभीर मामला है। गृह मंत्री को अपने वक्तव्य में संशोधन करना चाहिए एक ओर तो आप चुनाव करा रहे हैं और दूसरी ओर आप पर्यटकों को वहां न जाने की सलाह दे रहे हैं। हम सब चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और वह इस तरह कह रहे हैं। यह क्या है?...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नितला : लोग चुनावों में अपना मतदान कैसे करेंगे?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक, एक आदमी बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाए। आप एक एक करके अपनी बात कहें। किन्तु उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

(व्यवधान)

श्री बी.के. गढवी (बनासकांठा) : भारत सरकार पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है?...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नितला : आपको जनता को राहत देनी होगी।... **(व्यवधान)** हम चुनाव करने जा रहे हैं और वह इस तरह से कैसे कह सकते हैं?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये लाशें हमको दी जायें ताकि हम इनका क्रिया-कर्म करें। सवाल यह है लाशें बची हैं या उनको डिस्पोज कर दिया गया है? हम लाशें मांग रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कार्रवाई करेगी?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। बस ठीक है। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उनको जवाब तो देने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, इससे विश्व में गलत सन्देश पहुंचेगा। एक ओर तो हम चुनाव कराने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर आप यह धारणा पैदा कर रहे हैं कि वहां सामान्य स्थिति नहीं है और आप पर्यटकों को वहां नहीं जाने की सलाह दे रहे हैं। वह विश्व में क्या संकेत भेज रहे हैं? उन्हें अपने वक्तव्य में सुधार करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : यह आपके लिए ही चुनौती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि लोग अमरनाथ की यात्रा पर कैसे जायेंगे?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे किसी की बात सुनी नहीं जाएगी। आप होम-मिनिस्टर की बात पूरी होने के बाद कुछ पूछना हो पूछ लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक एक करके अनुमति दूंगा

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी कह देने के बाद माननीय सदस्य अपने प्रश्न कर सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन यदि मुझे अपनी बात कहने से रोकने का कोई इरादा है तो वह अलग बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा करने के लिए उनका स्वागत है। कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी एंग्जाइटी है, वे कुछ पूछना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानता हूं क्या चल रहा है।

[अनुवाद]

मारे गए 12 मजदूरों के शवों के लिए उनके परिवारों के इस अनुरोध के बारे में मैं इस समय कोई उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि समग्र मामले की जांच की जानी है और यह देखना होगा कि क्या प्रबंध किए जा सकते हैं। उनके अनुरोध का आदर और सम्मान किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार यथाशीघ्र कुछ प्रबन्ध अवश्य करेगी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सहायता करने की कोशिश कीजिए कि डैड-बॉडी हैं भी या नहीं हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, आप होम मिनिस्टर को सुनने की कोशिश कीजिए।

[अनुवाद]

इन्द्रजीत गुप्त : मैंने अपना मत व्यक्त किया जिसे कुछ माननीय सदस्यों ने पसन्द नहीं किया। वे ऐसा महसूस कर सकते हैं कि यह समय पर्यटकों के वहां जाने के लिए ठीक समय है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। बस यही कुछ है चाहे इससे जो भी संदेश पहुंचे।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अगस्त में एक लाख से अधिक लोग अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे। आपके स्टेटमेंट के बाद देश में क्या मैसेज जाएगा, यह आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप हमें बताएं कि अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं होगी?

श्री इंद्रजीत गुप्त : होगी, जरूर होगी। पिछले साल भी अमरनाथ यात्रा हुई थी। पिछले साल भी आतंक फैलाया गया था। लोगों ने शक प्रकट किया था कि अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाएगी। लोगों ने कहा था कि बहुत खतरा है। लेकिन आखिर यात्रा हुई।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यात्रियों को प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री इंद्रजीत गुप्त : सरकार ने पिछले साल भी यात्रियों को प्रोटेक्ट किया था अब भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। पिछले साल काफी लोगों ने साहस करके इसमें भाग लिया था। वे हिम्मत करके वहां गये थे। लकिन वे टूरिस्ट नहीं हैं, वे तो अमरनाथ यात्रा पर हर साल पिलग्रिम के नाते जाते हैं। टूरिस्ट कुछ और होते हैं जो सैर-सपाटे के लिए जाते हैं। मैं उन्हीं के बारे में कह रहा था। अगर वे जाना चाहते हैं तो जाएं। किसी को हम रोक नहीं रहे है। किसी को मनाही थोड़े ही है।

[अनुवाद]

लेकिन वहां जोखिम को देखते हुए मैंने कहा था कि बेहतर होगा कि वे वहां न जाए। यदि वे जाना चाहते तो जा सकते हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (दिल्ली सदर) **:** उपाध्यक्ष जी, इनका गलत मैसेज बाहर जाएगा। पर्यटकों को आप डिसकरेज कर रहे हैं। इससे आतंकवादियों को शह मिलती है। संसद में इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले आप सोचिए...**(व्यवधान)**

श्री इंद्रजीत गुप्त : गोली खाकर जब लोगों की जान जाती है, गोली से उनकी हत्या हो जाती है तब क्या मैसेज जाता है?... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप होम मिनिस्टर के जवाब के बाद जो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। कृपया उनको सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कानून और व्यवस्था खराब है, क्या लोग घर पर बैठे रहें? क्या होम मिनिस्टर साहब देश के लोगों को यह बात बताना चाहते हैं?

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) **:** उपाध्यक्ष महोदय, यदि ये जवाब सही दें तो क्या दिक्कत है?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आप क्लैरिफिकेशन बाद में ले सकते हैं। उनको जवाब तो दे लेने दीजिए। उनको जवाब कम्पलीट करने दीजिए। उसके पहले कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं समझता हूं कि यह सभी का तर्क है कि कश्मीर में मैं सम्पूर्ण घाटी की नहीं बल्कि घाटी के कुछ भागों की बात कर रहा हूं-कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है अथवा नियंत्रण में है या फिर पिछले काफी समय से निमंत्रण में रही है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा तर्क दे सकता है। सन्देश कुछ भी हो, समस्त विश्व जानता हो और हम भी जानते हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : फिर आप वहां चुनाव कैसे करा सकते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक भिन्न प्रश्न है। सभी दल इसके लिए सहमत हो गए हैं। कृपया आप केवल इसके बारे में मुझ से कोई प्रश्न नहीं करें। यह आपके दल सहित दलों का निर्णय है। बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में आपके दल के शीर्षस्थ नेता उपस्थित थे और सभी एकमत से इसके लिए सहमत थे और उन्होंने इस तथ्य का स्वागत किया था कि वहां चुनाव कराए जा रहे हैं और सभी दलों से चुनावों को सफल बनाने की अपील की गई थी। अतः आप इस प्रश्न को पुनः क्यों उठा रहे हैं? यदि कोई ऐसी घटना घटती है जिससे आप समझते हैं कि सम्पूर्ण स्थिति पर पुनर्विचार किया जाए तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और मैं आशा करता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। हम भी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। अतः महोदय, स्थिति यह है।

जहां तक मजदूरों, उनके परिवारों, आश्रितों, उनके शवों का सम्बन्ध है तो मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम बहुत शीघ्र सभी तथ्यों का पता लगाएंगे और देखेंगे कि उनके परिवारों के लिए तथा उनके शवों का पता लगाने के लिए क्या किया जा सकता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मि. चमन लाल गुप्ता ने एक सवाल उठाया था। आप खुद कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां ठीक नहीं है। इसके बावजूद वहां से फोर्सेज विदड्रा हो रही हैं। उसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने कहा था कि वहां पर फोर्सेज ही हुई हैं। यह गलत इनफरमेशन है।

श्री चमन लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि ये शायद कश्मीर नहीं जा पाये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये दोनों पहलू अलग-अलग हैं। जिस बार्डर इंसिडेंट की बात कही गयी है, वह पाकिस्तान के बार्डर पर हो रही है और जो फोर्सेज विदड्रा करने की बात कही गयी है, वह डोडा डिस्ट्रिक्ट की है जोकि बार्डर से 400 कि. मी. दूर है। जो फोर्सेज चौकी पर लगी थीं, वे इंटिरियर में से विदड्रा की गयी हैं। इस कारण वहां से माईग्रेशन चालू हो गया है। तो इस प्रकार से ये दौनों बातें अलग-अलग हैं। जहां पर पाकिस्तान का बार्डर है, वहां पर हमारी फोर्सेज उनका ठीक जवाब दे रही हैं, इसमें हम सब को खुशी है लेकिन हमारी हजारों एकड़ जमीन पर खेती नहीं हो पा रही है। आपको इस तरफ ध्यान देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो फोर्सेज विदड्रा की गयी हैं, वे डोडा के इंटीरियर से हुई हैं। ऊधमपुर में महौर और डोडा में चानर की चौकी से विदड्रा करने की वजह से 3-4 हजार परिवार सड़क पर बैठे हुये हैं। इसलिए कहता हूं कि ये दोनों मुद्दे अलग-अलग हैं। अगर आप मुझे टाईम देंगे तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। हमारी फोर्सेज का कहना है कि हम वहां चौकी की रक्षा करने के लिये नहीं बैठे हैं बल्कि लोकल पुलिस को चौकी की रक्षा करनी होगी। लोकल पुलिस के पास कोई साधन नहीं हैं, इसलिये दोनों को आपस में मिक्स अप मत करिये। जो फोर्सेज वहां पर लगी हैं, वे ना हटें ऐसा आपको आदेश देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैंने श्री चमन लाल गुप्ता की इस बात को गंभीरता से लिया है कि डोडा जिले के कुछ भागों में यह स्थिति है और वहां क्या हो रहा है। उन्होंने अपने इस आरोप को दोहराया है कि वहां कुछ क्षेत्रों से सुरक्षा बल हटाये गए हैं। यह मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इसे पुनः देखूंगा और यदि आप इस मामले पर आगे विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो यह इस तरह नहीं किया जा सकता। महोदय, मैं उन्हें अपने कक्ष में आने का निमंत्रण देता हूं तथा मैं कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाऊंगा जो जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं। उनके पास जो जानकारी है वे वहां विस्तार से दोहरा सकते हैं। इस की तुरन्त जांच की जायेगी और हम सम्पूर्ण मामले को देखेंगे। केवल प्रश्न उठाने मात्र से यह नहीं हो सकता।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री यहां उपस्थित हैं। आज सुबह सात बजे शांतिपूर्ण ढंग से लोग धरने पर बैठे थे। जी.आर.पी. ने गोली चलायी। सोनपुर में दो लोग मारे गए। 15 से अधिक लोग घायल हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अन्तर्गत अभी रेल गाड़ियों का आवागमन बंद है। माननीय मंत्री ने रेल पुल के सवाल पर घोषणा की है। बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा था कि रेल पुल पहलेजा और दिप्पा के बीच सोनपुर में बनेगा। सारण जिला इस बारे में आंदोलित था। सोनपुर में लोग शांतिपूर्ण ढंग से पटरी पर धरना दे रहे थे। आज सुबह वहां गवर्मेंट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने गोली चलायी। दो लोग मारे गए...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सब को अनुमति दूंगा। कृपया अब बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : कई लोग भंयकर रूप से घायल हुए हैं। उनको पी.एम.सी.एच. में भर्ती कराया गया है। लाश अभी भी पटरी पर है। रेलवे का आवागमन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में बंद है। माननीय मंत्री यहां बैठे हैं। पुलिस ने हत्या करके लाश को पटरी से हटाने की कोशिश की है। 10,000 से अधिक लोग रेलवे लाइन पर खड़े हैं। 20 से अधिक लोग रेलवे अस्पताल या बी.एम.सी.एस. में भर्ती हैं। उन सबकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैं जानना चाहता हूं कि किस परिस्थिति में गवर्मेंट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने सुबह सात बजे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गोली चलायी और किस

परिस्थिति में यह पूरा जिला आंदोलित है। सोनपुर में जो रेल पुल का निर्माण किया जाना है, इस सन्दर्भ में मैं रेल मंत्री से कहना चाहूंगा कि वे अविलंब वहां जाएं। मृतक लोगों के परिवारों को पांच लाख रुपया मुआवजा दें और घायलों को एक लाख रुपया मुआवजा दें और मृतक परिवारों को सांत्वना दें और उनके परिवार के लोगों को नौकरी देकर इस समस्या का निदान कराएं। जो अधिकारी इसमें शामिल हैं जिन्होंने गोली चलायी हैं, गवर्मेंट रेलवे पुलिस के जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर कार्रवाई करें। मैं माननीय मंत्री से सदन में इस पर जवाब चाहूंगा...**(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी जान को खतरा बना हुआ है। ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

[हिन्दी]

मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : किस कायदे के तहत आप समय देते हैं? क्या हम यहां मैम्बर नहीं हैं?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरा स्वनिर्णय है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : *

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास सूची है। कृपया बैठ जाएं?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, मैं कल से आपसे निवेदन कर रहा हूं...**(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कार्यालय से सूची मिली है और मैं उसमें से नामों का चयन कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : * कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कैसे कहते हैं?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले सत्र में व्यवस्था थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस व्यवस्था का पालन कर रहा हूं जो पहले से विद्यमान है।

(व्यवधान)

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि— (सी.टी.बी.टी.) के बारे में

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आपके माध्यम से सरकार का और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह प्रश्न केवल सदन की गरिमा नहीं, बल्कि भारत की सार्वभौमिकता और भारत की संप्रभुता से संबंधित है।

अभी पिछले दिनों समाचार-पत्रों में यह विवरण प्रकाशित हुआ कि अमेरिका ने भारत की सरकार को 2 जुलाई को एक डीमाश दिया, एक नोटिस दिया जिसमें उन्होंने इस बात की धमकी दी कि अगर हिन्दुस्तान की सरकार अपने पेटेंट कानून को उस हिसाब से नहीं बदलेगी जैसा कि अमेरिका चाहता है तो अमेरिका इस मामले पर भारत सरकार को दंडित करने की भी चेष्टा करेगा और मामले को डब्ल्यू.टी.ओ. में ले जाएगा। उन्होंने 15 दिन का समय दिया था। मुझे पता नहीं इस बीच में सरकार का क्या रेस्पोन्स रहा, सरकार ने क्या उत्तर दिया और उन्होंने सदन को और देश को इस मामले में अभी तक क्यों नहीं अवगत कराया? यह परिस्थिति किस प्रकार से मोड़ लें रही है यह देखने की बात है। यह भी पता चला है कि हमारे देश की सरकार ने यू.एस. कॉमर्स सेक्रेटरी मिस्टर कैण्टर को निमंत्रित किया है कि वह आएं और इस मामले में देश से चर्चा करें। अब सवाल यह है कि हमारा पेटेंण्ट कानून कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, इस बारे में हमारे ऊपर अमेरिका दबाव डालेगा, यह भी अनुमान है, और कुछ समाचार-पत्रों में यह भी छपा है कि अमेरिका ने इस दबाव को जान-बूझकर ऐसे मौके पर डाला है कि जब हिन्दुस्तान सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहा है।

यह बिजनेस स्टैण्डर्ड अखबार में खबर छपी है कि इस प्रकार का अंदेशा है कि अमरीका ने जानबूझकर यह समय इसलिए चुना है। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार का इस पर अभी तक क्या रवैया है? क्या वह अमरीका के दबाव में हिंदुस्तान के पेटेण्ट कानूनों को उस तरह से बदलना चाहेगी जिस तरह से कि अमरीका चाहता है। अमरीका ने हिंदुस्तान को एक लिस्ट पर रखा हुआ है। यू.एस.आई. एस. का तरफ से जो डॉकूमेंट्स प्रकाशित होते हैं, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान को प्रायोरिटी वाच लिस्ट में रखा हुआ है, इसमें तमाम देशों को रखा है। अमरीका आज ऐसा लगता है कि ट्रिप्स के मामले में, बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन का काम करना चाहता है और हर एक को धमकाना चाहता है कि अपने कानून को हमारी तरह से एडजस्ट करो, हमारे साथ मिलाओ, वरना हम हर तरह से तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगायेंगे, हर तरह से तुमको दंडित करेंगे। जब कि दूसरी तरफ अमरीका ने अपना सुपर 301 अभी तक बनाया हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ऐसे मामले में, जिसमें देश की अस्मिता, सार्वभौमिकता, सम्प्रभुता का सवाल है, उसमें आज तक सरकार ने इन 15 दिनों में क्या किया। इन 15 दिनों में सरकार ने क्या रेसपांस दिया और वह रेसपांस उन्होंने देश के सामने

क्यों नहीं रखा। आजकल सदन काम कर रहा है। साठ दिनों के अंदर उस रेसपांस के बाद फिर अमरीका के साथ या तो आपको डब्ल्यू.टी.ओ. में जाना पड़ेगा या कोई न कोई आपको इसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। तो आप क्या बातचीत करना चाहेंगे और ऐसे मामले में आप देश की संप्रभुता को कहां तक दांव पर लगाना चाहेंगे।

मैं सदन के सभी सदस्यों का और आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है। पासवान जी, इंद्रजीत गुप्त, सोमनाथ चटर्जी और निर्मल कांति जी हमेशा इस मामले को पहले सरकार के सामने उठाते आ रहे हैं कि भारत सरकार को देश की संप्रभुता और देश की अस्मिता को बचाने के लिए पेटेण्ट कानूनों में सुधार नहीं करना चाहिए, उनमें तब्दली इस तरह से नहीं करनी चाहिए जो अमरीकी दवाब में हो।

मैं यह तो मान सकता हूं कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ हमें अपने पेटेण्ट कानूनों में सुधार करना होगा। लेकिन वह सुधार कैसे हों, किस तरह से हों और किस तरह से लागू किए जाएं, इसके बारे में तो सदन सर्वोपरि है, देश की सरकार सर्वोपरि है। कोई सरकार हमें इस बारे में धमका नहीं सकती कि अगर कानून में सुधार नहीं करेंगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और अगर यह बात आई तो मैं सरकार से यह चाहूंगा कि सरकार इस मामले को सदन के सामने स्पष्ट करे और बताये कि सरकार का रेसपांस इस बारे में क्या है?

मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछली बार भी सरकार एक कानून पेटेण्ट कानून को बदलने के लिए ले आई थी लेकिन वह राज्य सभा में नहीं चल पाया और उसकी एक कमेटी बनी। उस कमेटी के सामने जो एवीडेंस आये थे, जो साक्ष्य आये थे, मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार ने क्या उसको गंभीरता से देखा है, पढ़ा है कि हमारे देश के एक्सपर्टस की, उद्योगपतियों की, आम आदमी की, सांसदों की क्या राय बनती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस रेसपांस को देश के सामने रखा जाए। सरकार साफ-साफ बताये कि अमरीका ने उस डिमार्श में क्या कहा है, अमरीका ने क्या दवाब डाला है, हमारी सरकार का क्या रेसपांस रहा है और सदन को यह आश्वासन दिया जाए कि सरकार कानून में कोई ऐसी तब्दीली करने की चेष्टा नहीं करेगी जो भारत की संप्रभुता, सदन की गरिमा, भारत की सार्वभौमिकता के प्रतिकूल होगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस बारे में कोई अधकचरी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। हम समुचित चर्चा करना चाहते हैं। हम समुचित चर्चा करना चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। कृपया बैठ जाईए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पिछली बार ठीक ही विधेयक को निरस्त किया गया था, मेरा यह कहना या तात्पर्य है कि राज्यसभा में यह पारित नहीं हुआ था। लेकिन यहां सरकार केवल सदस्य संख्या के आधार पर इसे पारित कराने में सफल हो गई है। यह बहुत महत्व का विषय है। हम सरकार से चाहते हैं कि इसे अचानक पुनः सदन में लाने से पहले इस पर व्यापक चर्चा की जाए। यह ऐसा मामला है जिसपर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है।

श्री राम नाइक (मुम्बई उत्तर) : कम से कम हमें तथ्यों की जानकारी तो होनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा सुझाव है कि हमें पर्याप्त और सम्बद्ध सामग्री उपलब्ध कराई जाए, इस पर सम्यक चर्चा हो। मैं तो केवल इस मामले में आपका समर्थन कर रहा हूं। आपने बहुत ही समीचीन मामला उठाया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : धन्यवाद, मैं सदा सम्यक मामले उठाता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालान्दा) : पेटेण्ट एक्ट का सुधार करने के लिए जो अमरीका का दवाब है उसके आधार पर यहां पर कुछ तैयारी हो चुकी है तथा सोमनाथ जी ने जो बात कही कि इस पर यहां बहस हो जाए। जैसे पिछली बार इन लोगों ने कानून बनाकर सदन में अपने बहुमत के आधार पर पास कराकर राज्य सभा में भेजा था आज जो लोग सरकार में बैठे है, उन लोगों ने उस समय राज्य सभा में उसको रोका था। आज वही लोग यहां पर सरकार में हैं और जिन लोगों ने पिछली बार यहां पास कराया था, वे इस बार सरकार के समर्थक है और अमरीका इस तरह से कदम-कदम पर हमें दबाने की बात करेगा और जब ये दोनों यहां पर एक होकर बैठे हैं तो हमे बहुत डर लग रहा है। महोदय, इस सदन में यह मामला बार-बार उठा है और यह बात यहां तक आ पहुंची है कि आप लोगों ने कानून में सुधार बनाकर रखा है।

मिकी कैंटर को जिन्होंने यहां आना था, उनसे कहा गया है कि आप जरा रुक जाईए, हम कानून पास करने के बाद आपको यहां आने देंगे, ऐसा उन्हें कहा गया है।

इसलिए सरकार इस मामले में क्या विचार रखती है, वह सदन के सामने आना चाहिए...**(व्यवधान)** मैं सोमनाथ बाबू से सहमत हूं कि इस मामले पर यहां सम्पूर्ण बहस होना चाहिए लेकिन उसके पहले पूरी जानकारी सदन के सामने रखी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा कि इसे यहां लाने से पहले इस पर समुचित चर्चा की जानी चाहिए...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इन लोगों ने कुछ तैयारी की है सोमनाथ बाबू, यही मेरी शिकायत है। यहां बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको मालूम नहीं होती, जैसे अभी गवर्नर को नियुक्त किया गया लेकिन गृह मंत्री ने कह दिया कि हमें मालूम नहीं है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बेहतर होगा यदि एक प्रस्ताव लाया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री जार्ज जी यदि सरकार का विरोध करने के लिए आपके पास बेहतर जानकारी है तो...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : सर, टाइम खत्म हो जाएगा, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है.:..**(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़) : अब जबकि यह मामला उठाया गया है और जिस तरह कहा गया है, चूंकि बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी ने शायद सी.टी.बी.टी. पर डिस्कशन करने के लिये 30 जुलाई की तारीख फिक्स की है, लेकिन 30 जुलाई को डिस्कशन करने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि 29 जुलाई को जेनेवा में कान्फरैंस शुरू हो जाएगी। अतः उसके पहले हमें सरकार का स्टैंड जानना जरूरी है। सरकार बताए कि उसका रूख क्या है, पक्ष क्या है, विचार क्या है। ये दोनों जुड़े हुए मामले हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि 30 तारीख से पहले हमें सरकार के रूख की जानकारी मिलनी चाहिए, उससे पहले यहां बहस होनी चाहिए...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : मुझे यही पूछना था कि सरकार का इस बारे में रैस्पौंस क्या है, क्या सरकार की तरफ से कोई मंत्री यहां बताएंगे कि सरकार ने क्या तैयारी की है, क्या मन बनाया है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या अमेरिका के कॉमर्स सैक्रेटरी को यहां पर बुलाया गया है या उनके ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव को इन्वाइट किया गया है-इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, सरकार क्या कहना चाहती है...**(व्यवधान)** वित्त मंत्री जी बतायें या कोई भी मंत्री बताएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, व्यापक परमाणु, परीक्षण निषेध सन्धि पर चर्चा की गई थी ...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी नहीं, वह सी.टी.बी.टी. के बारे में नहीं थी। वह तो एकस्व विधेयक पर चर्चा थी। यह तो डब्ल्यू.टी.ओ. और अमरीका के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री श्रीकांत जेना : मैं सदन में नहीं था, अभी आया हूं। मुझे मालूम नहीं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को जरा अपने कान खुले रखने चाहिए...**(व्यवधान)** हम बहस कर रहे थे ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एकस्व विधेयक पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री श्रीकांत जेना : जी नहीं, श्रीमान् जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : डा. जोशी और श्री जसवंत सिंह के बीच कुछ मतभेद हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : कोई मतभेद नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वास्तव में मतभेद हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : कोई मतभेद नहीं है। हमने कहा कि इस पर वाद-विवाद होना चाहिए। कम से कम आपके और मेरे बीच कोई मतभेद नहीं है। जब आप मेरा समर्थन करते हैं तो बात समाप्त हो जाती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : डा. जोशी, जब वह वित्त मंत्री थे तबके उनके विचारों को देखते हुए कोई अब यह नहीं जान सकता कि अब उनकी स्थिति क्या है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप देखिये। जब आप इस पर चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे विचार क्या हैं.. **(व्यवधान)** बहस तो कराईए, सदन में तो आईए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम दोनों की ही बात सुनेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप देखेंगे कि दल इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। क्या आप इस विषय पर बहस के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी उनकी तरफ से कोई रैस्पौंस नहीं है, जोशी जी, बाद में देख लेंगे।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और अभी जार्ज साहब ने कहा कि कोई दस्तावेज भी बना है लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले भी दस्तावेज बने थे और अचानक उन दस्तावेजों को देश के सामने रख दिया गया, किसी को खबर भी नहीं हुई। नीतियां बन गई लेकिन हम लोग आज बड़ी अजीज और विचित्र स्थिति में हैं। मुरली मनोहर जोशी जी ने जो सवाल उठाया, मैं नहीं जानता कि जसवंत सिंह जी उनसे सहमत हैं या नहीं। इधर भी जो विचार हमारे चिदम्बरम जी का है, उनकी बगल में बैठे हुए, गृह मंत्री जी उसके बारे में क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बड़ी अजीब स्थिति में यह संसद है और बड़ी विचित्र स्थिति में भारत की राजनीति पहुंच गई है। इसलिये हमारे लिये जोशी जी की बात का बड़ा महत्व हो जाता है। इससे पहले कि कोई बनी-बनाई बात सामने आ जाए, सब लोग आपस में बैठकर बात कर लें क्योंकि अब बातों को छिपाने से लाभ नहीं होगा। उधर भी मतभेद है और इधर भी मतभेद हैं।

श्री जसवंत सिंह : मैं एक मिनट लूंगा क्योंकि बार-बार सोमनाथ जी ने इसका उल्लेख किया है। उसी बात को चन्द्रशेखर जी ने भी कहा कि हमारे बीच में मतभेद है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भेद और कहीं हो सकता है, मगर हमारे और जोशी जी के मन में कोई मतभेद नहीं हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका मत जोशी जी के मत से भिन्न था। अब आप उनसे सहमत हो गए हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : जो कुछ वह कहते हैं आपको उससे प्रसन्न होना चाहिए। आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आशा करता हूं कि आप दोनों ही इस विषय पर बोलेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं 'हां' कहता हूं, और जो भ्रम आप पैदा कर रहे हैं वह पूरी तरह से...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सभी नोट करेंगे कि सदा ही भ्रम रहता है। कोई भ्रम नहीं है। आप भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि कोई भ्रम नहीं है। आपको स्वयं को भ्रम में डालने का पूरा अधिकार है लेकिन सदन को भ्रम में डालने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर : वे जनता के बीच लड़ते हैं लेकिन परदे के पीछे सहमत रहते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, पहले मैंने यह तो पढ़ा था कि ये कब एग्री करते हैं, कब नहीं करते हैं। हम तो अखबारों के जरिये और विचारों के जरिये जानते हैं। अगर सहमति हो तो बहुत अच्छा है। अगर एक तरफ भी सहमति हो जाए तो उससे कोई रास्ता सही निकलेगा।

अगर मुरली मनोहर जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सहमति है तो यह भारत के लिए एक शुभ लक्षण है। लेकिन वह सहमति बराबर बनी रहनी चाहिए ताकि मुरली मनोहर जी और सोमनाथ जी एक साथ बैठकर देश की इस समस्या पर बात कर सके। आज आवश्यकता इसी बात की है, लेकिन हम लोग किसी समस्या पर सहमत नहीं होते। इसलिए कम से कम सहमति का एक क्षेत्र तो निकले।

उपाध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा कि मुरली मनोहर जी ने इस समस्या को सामने लाने से पहले जो आपसी विचार-विमर्श की बात कही है वह अवश्य होनी चाहिए। ऐसा न हो कि कोई बनी-बनाई बात यहां पर आ जाए और फिर सरकार के रहने या नहीं रहने का सवाल उठाकर लोग यह कहें कि नहीं, मत तो उधर ही देना है, यह स्थिति नहीं होनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम डब्ल्यू.टी.ओ. में संसद के निर्णय के फलस्वरूप शामिल नहीं हुए हैं। संसद के सत्र के बाद अर्धरात्रि की एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई और हम डब्ल्यू.टी.ओ. में शामिल हो गए। इसलिए इस पूरे मामले पर चर्चा हुई और नए सिरे से निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। मैं जो विषय उठा रहा हूं वह एक अखबार के फ्रन्ट पेज पर छपा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप को अलाऊ करूंगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : श्री जसवंत सिंह ने वित्त मंत्री की हैसियत से एक वक्तव्य दिया था। हम प्रमाण देंगे। डा. जोशी, आप चिंता न करें। मैं आपके साथ हूं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देश का एक प्रमुख संस्थान है और वह भी राजधानी में।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : मेरा महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अलाऊ करूंगा। आप सुनते क्यों नहीं हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : उस प्रमुख संस्थान में कल दोपहर बाद भोज को देखने के बहाने कुछ गुण्डे जान बूझकर अन्दर चले गये और उन्होंने संस्थान पर हमला बोल दिया और डाक्टरों के आपत्ति करने के बावजूद उन्होंने मरीज को देखने का प्रयास किया तथा डाक्टरों के साथ मारपिटाई की। जब नर्सें डाक्टर को बचाने के लिए आई तो उन्होंने उन नर्सों को भी मारा। वे चाकुओं तथा अन्य घातक हथियारों से लैस थे। चिकित्सा कर्मचारी जख्मी हो गए। जब उन्होंने उन गुण्डों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने दिल्ली सरकार के बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का नाम लिया। इतना ही नहीं जब उन्होंने इस मारपिटाई का विरोध किया तो वे गुण्डे वहां से चले गए और उस शक्तिशाली व्यक्ति से मिले ताकि वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक से हड़ताल को तुरन्त समाप्त कराने के लिए कहा। डाक्टर तथा नर्सों में भय और आतंक व्याप्त है। मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार के उस शक्तिशाली व्यक्ति के भय से अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

मैं माननीय गृह मंत्री से आशा करता कि इस मामले की तुरन्त जांच कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि मरीज संस्थान के बाहर पड़े हैं। डाक्टर, नर्सें भय से आतंकित हैं क्योंकि ऐसी ताकतों ने अस्पताल में चाकुओं तथा खंजरों से हमला किया है दिन में भी वे वहां अभी तक नाच कर रहे हैं। उनका कहना है। यदि हममें से किसी को पकड़ा गया तो हम तुम्हें दुबारा सबक सिखाने के लिए फिर आयेंगे। राजधानी में ऐसी वारदातें हो रही हैं।

मैं मांग करता हूं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों तथा अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. अजित कुमार मेहता

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक, दिल्ली) : डाक्टरों को डराया-धमकाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ पुलिस केस बनाया जायेगा।...**(व्यवधान)** कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें चीफ मिनिस्टर का नाम आया है।...**(व्यवधान)** उन डाक्टरों को डराया गया है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब अपरान्ह 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभापटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों का वर्ष 1994-95 का प्रतिवेदन तथा आवश्यक वस्तु, अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन (सरकारी उद्यम सर्वेक्षण) (खण्ड एक से तीन) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-125/96]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1996, जो 11 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 36(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-126/96]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचनाएं तथा वार्षिक सत्र

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 148, जो 30 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निदेशों के अध्यधीन कतिपय कम्पनियों को "निधियां" घोषित किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 207, जो 18 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निदेशों के अध्यधीन कतिपय कम्पनियों को "निधियां" घोषित किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 230, जो 8 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निदेशों के अध्यधीन कतिपय कम्पनियों को "निधियां" घोषित किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 248, जो 15 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट निदेशों के अध्यधीन कतिपय कम्पनियों को "निधियां" घोषित किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-127/96]

(2) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 1996, जो 13 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सी.ए. (7)30/95 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-128/96]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) लागत लेखाविधि अभिलेख (फुटवियर) नियम, 1996, जो 12 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखाविधि अभिलेख (फुटवियर) नियम, 1996, जो 12 अप्रैल, 1996 के भरत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-129/96]

(4) "आर्थिक समीक्षा 1995-96, अद्यतन स्थिति" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-130/96]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या प्रति अभी सभा पटल पर रखी गई है?

श्री पी. चिदम्बरम : जी, हां।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय यह कैसे हो सकता है कि ये प्रति अब रख रहे हैं जबकि यह काउंटर पर अब से एक घण्टे पहले से ही उपलब्ध है।

श्री पी. चिदम्बरम् : यह काउंटर पर भी रख दी गई होगी।

बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्टस लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यकरण की वार्षिक समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण आदि।

संसदीय कार्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, मैं श्री आर.एल. जालप्पा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखेंगे :—

(क) (एक) बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्टस लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-131/96]

(ख) (एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-132/96]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-133/96]

(5) (एक) इण्डियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-134/96]

अपराह्न 2.08 बजे

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 22 जुलाई, 1996 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिखा जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. वर्ष 1996-97 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।
3. वर्ष 1996-97 के लिए लेखा मांगों (रेल) को सदन के मतदान के लिए पेश करना।
4. वर्ष 1996-97 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।
5. वर्ष 1996-97 के लिए लेखा मांगों (सामान्य) को सदन के मतदान के लिए पेश करना।
6. वर्ष 1993-94 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।
7. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—
   (क) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक, 1996
   (ख) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध-व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक, 1996
8. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार और पारित करना।

जैसाकि सदस्यों को ज्ञात ही है कि 1996-97 के लिए सामान्य बजट सोमवार, 22 जुलाई, 1996 को सायं 5.00 बजे सदन में पेश किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय जोड़े जाएं :

1. मेरे निर्वाचन क्षेत्र रांची के अन्तर्गत बहु-उद्देश्यीय स्वर्णरेखा परियोजना चंडिल प. सिंहभूमि बिहार से विस्थापित परिवार के लोगों को मुआवजा शीघ्र दिया जाए। और अनेक परिवार के लोगों को नौकरी एवं आवागमन की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, पुनर्वास की व्यवस्था एवं विकास पुस्तिका आदि सुविधायें शीघ्र दी जायें।
2. बिहार में 1990 में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि किसानों का 10,000 तक का ऋण माफ कर दिया गया है, उसके अनुसार किसानों का ऋण माफ किया जाए।

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें :

1. मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिलान्तर्गत जयपुर अनुविभाग के पण्डारापाठ, श्रद्धापाठ,कदमपाठ एवं जामपाठ आदि सभी पाठों में अविलम्ब सिंचाई के साधन का प्रबन्ध करने की आवश्यकता है।
2. मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिलान्तर्गत विकास खण्ड फरसाबहार के करैट एवं नांग जैसे भयंकर विषैले सांपों के बाहुल्य को देखते हुए फरसायहार में सर्पदंश के वाद लगने वाले इंजेक्शन बनाने का केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. भारत-बंगलादेश सम्बन्ध सामान्यरूप से और गंगा नदी के जल के बंटवारे के लिए सरकार की स्थिति विशेषरूप से।
2. पश्चिम बंगाल में विदेशी सहयोग से आधारभूत ढांचे का विकास।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि चर्चा के लिए आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं :

1. बहुत लम्बी अवधि से चल रही दिल्ली में बिजली और पानी की भंयकर कमी । बिजली और पानी की आपूर्ति के सुधार के कोई लक्षण नहीं। दिल्ली वासियों को राहत पहुंचाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घ-कालिक उपाय।
2. आसनसोल-दुर्गापुर-रानीगंज क्षेत्र की बहुत तेजी से उन्नति हो रही है। लेकिन समेकित टेलीफोन एक्सचेंज न होने से वहां के उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई हो रही है। ऐसा टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जाए जो बरकार/चित्तरंजन से गानागढ़ तक के समस्त क्षेत्रों को टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराए तथा पड़ौसी आद्रा और बांकुरा को भी समेकित टेलीफोन एक्सचेंज के अन्तर्गत लाया जाए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक, दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित किया जाये :

1. दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में जो कमियां हैं, उसके कुछ क्लोजिस में संशोधन किया जाये।

2. पुरानी दिल्ली के रसायन गोदामों के रियायती दर पर लाभ-हानि रहित आधार पर स्थान आवंटित किया जाना एवं उनके मुख्य कार्यालयों को यथा स्थान पर ही रखा जाना।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषय सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. मध्य प्रदेश में बिजली की कीमत में की गयी वृद्धि वापस लेने तथा मांग-पूर्ति की विषम स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है।

2. उज्जैन तथा हरिद्वार में घटित दुर्घटना में मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि 2 लाख रुपये देने तथा तीर्थ दर्शन के प्रबन्धन एवं सुरक्षात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं :

1. मलेरिया के फैलाव को रोकने और देश में मलेरिया की माहमारी को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा तथा उसे कार्यसक्षम बनाना।

2. देश के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों के साथ-साथ ब्रेकवाटर वाल्स तथा सीइरोजन प्रोटेक्शन वाल्स लगा कर समुद्र के तट के कटाव को नियंत्रित करने सम्बन्धी कारगर कार्यक्रम तैयार करना।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रमेश चन्द तोमर-अनुपस्थित

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाए :

पश्चिम बंगाल के आरामबाग में विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगाए गए टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं तथा दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीफोनों को चालू करने के लिए न तो उनकी मरम्मत की गई और न ही उनका रखरखाव होता है।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाएं :

1. आसनसोल-रानीगंज कोयला खानों के आसपास आग लगाने, गैस फैलने और जमीन के धंसने से उत्पन्न स्थिति। वहां जनधन की सुरक्षा के लिए तुरन्त उपचारात्मक उपाय किए जाएं।

2. पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं को गैस के कनेक्शन लेने तथा गैस के खाली सिलैण्डरों के बदले गैस के भरे सिलैण्डर लेने में हो रही कठिनाई। और अधिक एल.पी.जी. बौटलिंग संयंत्र लगाने तथा और अधिक डीलरों की नियुक्ति करने की तुरन्त आवश्यकता।

अपराह्न 2.16 $^{1}/_{2}$ बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) मसाला बोर्ड

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4(1) (ख) 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4(1) (ख) 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.17 बजे

(दो) रबड़ बोर्ड

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा (4) की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य,

ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :.

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.18 बजे

[अनुवाद]

(तीन) काफी बोर्ड

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.19 बजे

कार्य मंत्रणा समिति (दूसरा प्रतिवेदन)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 18 जुलाई, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 18 जुलाई, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.20 बजे

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन तीसरा अध्यादेश 1996 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री गुमानमल लोढा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री विनय कटियार–अनुपस्थित

श्री संतोष मोहन देव–अनुपस्थित

डा. गुमानमल लोढा वादविवाद का उत्तर देंगे।

जस्टिस गुमानमल लोढा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, मेरे विचार से पहले मंत्री महोदय उत्तर दें और फिर अन्त में श्री लोढा उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री लोढा, मेरे विचार से आप अन्तिम वक्ता होंगे। अब मंत्री महोदय उत्तर दें।

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए पैट्रोल के कोटे

को 150 लिटर से बढ़ाकर 200 लिटर करने तथा आतिथ्य भत्ते में 1250 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 4000 रुपये, 750 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 3000 रुपये, और 300 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 2000 रुपये करने सम्बन्धी यह साधारण विधेयक प्रस्तुत किया है। यह ऐसा क्षति न पहुंचाने वाला विधेयक है कि मुझे भी यह आशा नहीं थी कि इस विधेयक पर इस तरह का वाद-विवाद होगा।

इस सदन ने न्यायापालिका के सम्पूर्ण पहलू पर विचार किया है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि इस बिल पर लगातार तीन दिन से बहस हो रही है। मैं भी इस बिल पर बोलना चाहता हूं इसलिए मैं तीन दिन से रात तक बैठा रहता था। मुझे नीतीश कुमार जी ने, जब वे पीठासीन थे, कहा था कि आपको बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे दो मिनट का समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोल लें, उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1996 पर कई माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातों को यहां रखा है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। कल हमारे वरिष्ठ सदस्य नीतीश जी ने सवाल रखा था कि इस बिल के क्षेत्र से बाहर बहुत सदस्यों ने बातें कही हैं। उस पर उन्होंने सफाई भी दी थी कि क्या बातें कही हैं। हम लोग विषय से बाहर क्यों बोलते हैं, इसका क्या कारण है, यह भी समझना होगा। यह जो विषय यहां पर आया तो कई माननीय सदस्यों ने बोलने की उत्सुकता दिखाई और बहुत कुछ विचार यहां रखे।

हमारा लोकतंत्र विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीन स्तम्भों पर टिका है। जब कोई स्तम्भ टूटने लगता है तो उससे सब लोगों में चिंता होती है। हमारे देश में दो तरह की बहस छिड़ी हुई है। एक में बड़ी संख्या में लोग न्यायाधीशों की प्रशंसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर लोग यह कह रहे हैं कि न्यायाधीशों ने कार्यपालिका में हस्तक्षेप किया है और अब इसकी परंपरा चल पड़ी है। अगर सचमुच में कार्यपालिका काम करती, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती। अब न्यायपालिका यह काम कर रही है। पटना में कचरा साफ कराने का काम वहां के कार्पोरेशन का है, लेकिन यह काम भी वहां के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आदेश से साफ कराया गया है। देखा जाए तो सफाई के काम में कार्यपालिका और विधायिका कहां तक समर्थ हैं। शुरू से ही कार्यपालिका और विधायिका को दूध और पानी की तरह मिला दिया गया है और इस देश को बर्बाद कर दिया है।

आज अगर न्यायपालिका नहीं होती तो जैसे लोग कह रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं और ये गांव में रहने वाले, खेतों में काम करने वाले वे लोग कह रहे हैं जिनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, इन लोगों का कहना है कि अगर हमारे देश में न्यायपालिका नहीं होती तो आज जो स्थिति पैदा हो गई थी, जैसे भिन्न-भिन्न तरह के जो घोटाले हो रहे थे चाहे वह हवाला हो, उनको कौन रोकता? लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जिस प्रकार से कल्पनाथ रायजी, हरकिशन लाल भगत जेल गए थे, रामलखन बाबू का बेटा जेल में है या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें नोटिस दिया हुआ है, अगर न्यायपालिका नहीं होती तो इन सब लोगों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। यह सबसे बड़ा अहम सवाल है। पहले हम लोग न्यायपालिका की बात करते हैं और हमारे इस तरफ के सदस्य बहुत जोर लगाते हैं कि न्यायपालिका को यह मिलना चाहिए और अब न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल कर रहे हैं। क्यों? इन्होंने न्यायपालिका की बात को क्यों नहीं माना? जब अयोध्या कांड हुआ तो न्यायपालिका के आदेश को इन लोगों ने नहीं माना। अब यह बताइये कि न्यायपालिका भी खत्म होने जा रही है, उसका भी महत्व धीरे-धीरे कम हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमने अखबार पढ़ा है, उसमें लिखा है कि बिहार के 18 विधायकों को बिना आबंटन के ...**(व्यवधान)**

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है।...**(व्यवधान)**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : इसकी क्या सजा है? आपने न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन किया है। अब किसी पॉइंट को नहीं दबाइये...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह पॉइंट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं। उनको सुन लीजिये कि वह क्या है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हमें दो मिनट का समय दिया है, हमें बोलने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट तो कब के पूरे हो गए हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या यह समझदारी नहीं है कि एक आदमी की आवाज को सुना जाये?...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : किस रूल के तहत आपका पॉइंट ऑफ आर्डर है?

श्री एस.पी. जायसवाल : नियम की बात तो हम करते हैं। पहले तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रामाश्रय प्रसाद सिंह जी, आप बोलिये।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज अखबार में निकला है कि बिहार के 18 विधायकों द्वारा बिना आबंटन के केन्द्रीय

पूल के मकानों पर कब्जा किया गया। जरा इसको पढ़ लीजिये। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है कार्यपालिका? कहां है विधायिका? साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि हाई-कोर्ट के मकानों के पूल पर इन्होंने दखल किया है। यह जो इस सदन के कैबिनेट मंत्री हैं, इन्होंने भी दखल किया है। इसलिए मेरा सवाल है कि कहां हैं कार्यपालिका और विधायिका? इतनी बड़ी-बड़ी बात यहां लोग करते हैं, आप क्या समझते हैं कि यहां पर सब की सब क्रीम आयी हुई हैं? नहीं। जिस तरह का चुनाव हो रहा है, उसमें सब छोटे-छोटे देश आए हुए हैं। विधायिका का सबसे बड़ा नाश चुनावों ने किया है। अगर चुनाव सही मायनों में कराए जाएं, तभी हम भ्रष्टाचार पर काबू पा सकते हैं और न्यायपालिका को कुछ करने का मौका दीजिये। लेकिन चुनाव में आप लोग अफसरों के साथ मिलकर बैठते हैं कि चुनाव में हमारी जीत कैसे होगी? आप लोग पुलिस के साथ मिलकर बैठते हैं कि हमारी जीत कैसे होगी। इस तरह से क्या आप समझते हैं कि सचमुच में लोकतंत्र कायम रहेगा? नहीं रहेगा।

मैंने आठवीं लोक सभा से लेकर 11वीं लोक सभा तक यह बात कही है। मुझे कोई डर या भय नहीं है। देश के प्रति हमें श्रद्धा है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सरकार कहती है कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। देवेगौड़ा जी कहते हैं कि भारत दो हैं-शहरी भारत और ग्रामीण भारत। अगर उनमें दम है तो इस बात की जांच करवाएं कि राजनैतिक लोगों के पास इतनी दौलत कैसे आ गयी। अगर नहीं आई तो इतना भ्रष्टाचार कैसे बढ़ा है? उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में संसद में ऐसे लोग पहुंचेंगे जिनकी मरने के बाद भी जांच होगी, कुड़की होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय न्यायपालिका जो भी कर रही है मैं समझता हूं वह लोकहित में अच्छा है। कार्यपालिका और विधायिका की आज जो स्थिति हो गयी है उसमें न्यायपालिका ही देश को बचा रही है। अगर न्यायपालिका निर्भीकता से कदम उठाएगी तो देश को इन पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट लुटेरों से बचा सकती है जिन्होंने इस देश को चरागाह बना लिया है। जिनके मन में जितना आ रहा है उतना चर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री रमाकांत डी. खलप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह उल्लेख कर रहा था कि इस विधेयक पर सदन में वाद-विवाद के दौरान न्यायपालिका के सम्पूर्ण पहलुओं, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सम्बन्धों तथा लोकतंत्र के विभिन्न स्तम्भों-कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संसद के बीच परस्पर सम्बन्धों पर गहन विचार हो चुका है। विधेयक पर बोलते समय कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर आये हैं। मैं उन अधिकांश मुद्दों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

मैं पहले समय-समय पर लागू किए गए अध्यादेशों पर माननीय सदस्य श्री लोढा द्वारा की गई आपत्ति को लेता हूं। महोदय, हम सभी जानते हैं कि चूंकि संसद का सत्र नहीं था, इसलिए पहला अध्यादेश 11 जनवरी, 1996 को लागू किया गया उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन आदेश, 1996 जो सदन के समक्ष उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1996 के रूप में 29 फरवरी, 1996 को पुरःस्थापित किया गया। विधेयक पर सदन में विचार नहीं किया जा सका और इसे पारित नहीं किया जा सका क्योंकि सदन 12 मार्च, 96 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया था। फिर दसवीं लोक सभा के भंग होने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया। चूंकि इस अध्यादेश से न्यायाधीशों के विशेषाधिकार पहले ही बढ़ाए गए थे, इसलिए दूसरा अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया जो 27 मार्च, 1996 को लागू हुआ।

महोदय, ग्यारहवीं लोकसभा 22 मई, 1996 को आरम्भ हुई लेकिन कोई विधायी कार्य नहीं हो सका और सदन 29 मई, 1996 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। हम दुबारा 11 जून, 1996 को पुनः समवेत हुए और कोई विधायी कार्य किए बिना सदन का पुनः सत्रावसान हो गया। इसलिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन तीसरा अध्यादेश, 1996 21 जून, 1996 को लागू किया गया। अतः अब यह विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि संविधान के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरूपयोग करने का जानबूझकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। परिस्थितियोंवश ही अध्यादेश जारी करने पड़े और इस अध्यादेश को सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत विधेयक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

विधेयक पर बोलते हुए विद्वान सदस्यों ने यह गलत अनुमान लगाया है कि 18 वर्ष बाद पहली बार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्तों में वृद्धि की जा रही है।

यह तर्क इसलिए दिया जाता रहा है सरकार अभी तक उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों के प्रति आंखें बन्द किए हुए उदासीन रही है। मैं इस गलतफहमी को ठीक करता हूं और सदन की जानकारी के लिए मैं यह कहता हूं कि 1987 से लेकर समय समय पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भत्तों आदि के रूप में उनके लाभों में वृद्धि की गई है। मूलतः 1987 में प्रथम संशोधन किया गया। उनके आवासों को निशुल्क साज सज्जा सम्बन्धी भत्ते में वृद्धि की गई। फिर निशुल्क साजसज्जा का स्तर भी बढ़ाया गया तथा जल और बिजली के भत्तों में भी वृद्धि की गई। 1990 में एल.टी.सी. का प्रावधान सेवा मुक्त होने पर पैकिंग भत्ते, सेवामुक्त उपरान्त भत्ते आदि के प्रावधान किए गए। 1991 में निशुल्क आवास साज-सज्जा भत्ते, दैनिक भत्ते, जल और बिजली भत्तों में वृद्धि की गई। यात्रा भत्तों में भी वृद्धि की गई। 1992 में फिर दुबारा इन भत्तों में वृद्धि की गई। इसके बाद, 1993 1994 और 1995 में यह वृद्धि की गई। अब 1996 में हमने यह वृद्धि की है।

अतः समय-समय पर ये परिवर्तन किए गए हैं। निश्चित की गई अधिकतम सीमा में भी वृद्धि की गई। भत्तों के रूप में उन्हें मिलने

वाली राशि में वृद्धि की गई तथा अन्य अनेक सुविधाएं दी गई हैं। यह सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर मैं सदन के लाभार्थ इसे उपलब्ध कर सकता हूं। यह सदन के पटल पर भी रखी जा सकती है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा। अतः श्री जार्ज फर्नान्डीज तथा श्री नीतीश कुमार के ये तर्कों पर कि 17/- रुपये या 18/- रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, अलग से विचार नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में किए गए सुधारों, उनके विभिन्न भत्तों, में समय-समय पर की गई वृद्धि तथा परिवर्तनों के संदर्भ में इस पर विचार करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : लेकिन आथित्य भत्ता तो आथित्य भत्ता ही है।

श्री रमाकांत डी. खलप : ठीक है। लेकिन अन्य भत्ते भी तो हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यह समझ सकता हूं यदि वेतन और भत्तों में वृद्धि की जाए या उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आथित्य भत्ता तो मनोरंजन के लिए दिया जाता है जो 18/- या 17/- रुपये प्रतिदिन दिया जाता है और इसमें 18 वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आपने 18 रुपये 1986 में निर्धारित किए थे, और यह आज 1996 तक 18/- रुपये ही है। यही मुद्दा है।

श्री रमाकांत डी. खलप : महोदय, मेरा निवेदन है कि न्यायाधीशों के भत्तों तथा विभिन्न लाभ या सुविधाओं पर समग्र रूप में विचार करना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं।

श्री रमाकांत डी. खलप : दूसरे, महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि जहां तक न्यायाधीशों का सम्बन्ध है उसमें सुधार की सदा गुंजाईश रहती है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जायेंगे कि उन्हें किसी तरह से हानि न होने पाए और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उनकी सेवा की शर्तें श्रेष्ठ हों और ऐसे वातावरण में कार्य करेंगे कि उन्हें इन क्षुद्र बातों के लिए तरसना न पड़े।

महोदय, वाद-विवाद के दौरान हमने विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों, मामलों को निपटाने में विलम्ब, न्यायाधीशों के रिक्त पदों, स्थानान्तरण की नीति आदि के बारे में चर्चा की। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का अम्बार लगा हुआ है। की गई सरसरी जांच से पता चला है कि देश के विभिन्न भागों के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 3.30 करोड़ मामले विचाराधीन पड़े हैं। यह बहुत ही अधिक है। वास्तव में मैं भी इस मामले के गणित में पड़ गया। मैंने स्वयं से तर्क किया कि यदि लगभग ढाई करोड़ मामले अनिर्णित पड़े हैं और यदि प्रत्येक मामले में दोनों पक्षों के 10 व्यक्ति अन्तग्रस्त हैं तो 25 करोड़ से अधिक लोग मुकदमेबाजी में अन्तर्गस्त हैं जो देश की जनसंख्या के एक चौथाई से अधिक है।

मैंने थोड़ा और आगे गणित लगाया कि यदि एक परिवार से एक वादी है तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक समस्त देश की सम्पूर्ण जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वादग्रस्त है।

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : आपके इस गणित से हम सन्तुष्ट नहीं हैं कि आज भी प्रत्येक न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाए। यह स्थिति तो उस दिन भी थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था। जनसंख्या में वृद्धि हुई है और बाद के मामलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक ऐसा नया विधान लाए जिससे प्रत्येक न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सके। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में विचार करे।

श्री रमाकांत डी. खलप : महोदय, यह ठोस तर्क है और मैं इसी तर्क पर आ रहा हूं। हम अनेक विशेषताओं में कार्य कर रहे हैं और इसे सदन भी जानता है। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि यह जानते हुए कि विचाराधीन वाद के मामलों की संख्या बहुत अधिक है। सरकार न्यायपालिका, विधि वेत्ताओं तथा देश के नागरिकों को यह प्रयास करना चाहिए कि किसी तरह यह भार कम हो। विचाराधीन वाद के मामलों की तुलना या अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन चूंकि हम एक विशेष वातावरण में काम कर रहे हैं, और वह भी विवशताओं के अन्तर्गत, जो हमारे चारों ओर व्याप्त है, विवेकशील प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं साधारणतः यह नहीं कह सकता कि हम न्यायाधीशों का अनुपात बढ़ायेंगे क्योंकि इसमें वित्तीय परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है और इसके लिए बजट पारित करना पड़ेगा। अतः मैं इस बारे में कोई वचन नहीं दूंगा। इसका विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा।

महोदय, इसमें कोई शंका नहीं है कि विचाराधीन मामलों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं हो सकता? हाल ही में मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का अवसर मिला और मैंने उनके साथ इसी विशेष मुद्दे पर चर्चा की। चर्चा का जो परिणाम निकला उसे मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय के पिछले 3 वर्षों के दौरान किए प्रयासों से आज के दिन तक 27,000 विचाराधीन मामलों को कम किया है।

पिछले तीन वर्षों में विचाराधीन मामलों या फिर एक वर्ष पहले के लम्बित मामलों को देखें। एक वर्ष पहले इन मामलों की संख्या एक लाख से अधिक थी। मैं यह देखकर वास्तव में आश्चर्य चकित हो गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए गए न्यायालयों के प्रबन्धन से इतना अधिक उत्साहवर्धक परिणाम निकला। मैं यह महसूस करता हूं कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपनी अदालतों में जो कार्य किया वैसा ही कार्य देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी किया जाना चाहिए ताकि उन उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े वाद के मामलों में उसी अनुपात से कमी आए। उन्होंने एक साधारण तकनीक अपनाई। एक साधारण आधुनिक दिवस प्रबन्धन तकनीक, कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था अपना, विभिन्न मामलों का वर्गीकरण

करना, समय-समय पर पर्यवीक्षा करना, उचित समय पर विभिन्न न्यायाधीशों का कार्य का आवंटन करना, एक बैंच को पर्याप्त रूप से लम्बी अवधि तक तैनात किए रखना ताकि वह आवंटित मामलों के देख सकें और उन पर निर्णय कर सके। इस सब प्रक्रिया का विशेष परिणाम हमारे सामने है।

न्यायालय ने वस्तुत ग्राफों और सांख्यिकीय तरीकों से किए समस्त कार्य का निष्कर्ष निकाला है। मुझे विश्वास है हमारे उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए विशेष कार्य पर ध्यान दे, मैं यही कहूंगा कि यह उन विभिन्न तर्कों के संदर्भ में किया जाए जो विलम्ब के सम्बन्ध में दिए गए हैं, भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में किया जाए और विभिन्न मामलों जिनमें न्यायिक गतिशीलता शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाए। हमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय को बधाई देनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि उच्चतम न्यायालयों ने जो कुछ किया है, जो कुछ प्राप्त किया है वह कुछ ही वर्षों में देश के अन्य न्यायालय भी प्राप्त कर लेंगे।

अब मैं न्यायाधीशों के रिक्त पदों के प्रश्न पर आता हूं। यदि उच्चतम न्यायालय अपने संवर्ग को इस स्तर तक घटा सकती है, और मुख्य न्यायाधीश ने मुझे बताया है कि सम्भवत आगामी कुछ वर्षों में उनके पास न्यायाधीश फालतू हो जायेंगे, स्थिति का निरूपण करें। हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक घूम रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के फालतू न्यायाधीश हो सकते हैं। इस सदन के कुछ माननीय सदस्य यह मांग कर रहे हैं कि हमें दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की शाखाएं स्थापित करनी चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री बलाई चन्द्रराम (बर्दवान) : लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय में 16 न्यायाधीशों के रिक्त पदों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। पिछले 11 वर्षों से में एक दिन भी ऐसा नहीं आया है जबकि उच्च न्यायालय ने अपनी 48 न्यायाधीशों की पूरी संख्या में कार्य किया हो। इस समय न्यायाधाशों की सिफारिश करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारत के उच्चतम न्यायाधीश और दो अधीनस्थ वरिष्ठ न्यायाधीशों की है। अतः न्यायाधीशों के पदों को कौन रिक्त रखता है? दिसम्बर, 1994 के निर्णय के पश्चात् से भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा दो अधीनस्थ वरिष्ठ न्यायाधीश ही ऐसी सिफारिश करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। ये रिक्त पद चले आ रहे हैं। उच्च न्यायालय कैसे कार्य कर सकता है। 30 नवम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2,30,000 मामले लम्बित पड़े हैं। क्या रिक्त पद भरे बिना इन मामलों का निपटारा किया जा सकता है?

श्री शिवानन्द एच. कोजलगी (बेलगाम) : अनेक पद रिक्त पड़े हैं, किन्तु उन्हें पिछले 2-3 वर्षों से भरा नहीं जा रहा है।

श्री रमाकांत डी. खलप : महोदय, कुछ मिनट पहले मैंने उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख किया था तथा मैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश यह आशा करते हैं कि उच्चतम न्यायालय में किए गए परीक्षण का हमारे भारत में अन्य उच्च न्यायालय भी अनुसरण करेंगे। यदि यह अनुसरण किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि एक या दो वर्ष की अवधि में अन्य उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या घटेगी।

जहां तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों का सम्बन्ध है, हम सबको यह विदित है कि न्यायालयों में रिक्त पद, स्थानान्तरण नीति और इन सभी बातों पर जो सदन में चर्चा की जाती है वह किसी एक अंग का कार्य नहीं होता है। निस्सन्देह, आज उच्चतम न्यायालय ही यह निर्णय करता है कि किस का कहां स्थानांतरण किया जाए और एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किया जाए और कितने रिक्त पदों को भरा जाए। किन्तु न्यायाधीशों के रूप में व्यक्तियों को नामांकित करने के मामले के बारे में उच्चतम न्यायालय के सम्बन्धित न्यायाधीश, सम्बन्धित मुख्य मंत्री और क्षेत्र के सम्बन्धित राज्यपाल मिलकर निर्णय लेते हैं। जब ये तीनों एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है तभी वह नियुक्ति की जाती है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जूंही मैंने विधि मंत्री का कार्यभार सम्भाला तो मेरे मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त पड़े सभी पदों को न केवल भरा जायेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के परिणामस्परूप भविष्य में होने वाले रिक्त पदों को भरने का भी ध्यान रखा जायेगा। किसी न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की तिथि से छः महीने पहले अर्थात् इस तरह होने वाले रिक्त पद को भरने के लिए मंत्रालय और हम यह देखेंगे कि ज्यों ही पद रिक्त हों उसे तुरन्त भरा जाए। मैं आशा करता हूं कि यह कोई निरीह वादा नहीं रहेगा।

श्री बलाई चन्द्र राम : न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की तिथि का पता तो उसकी नियुक्ति के दिन ही लग जाता है।

श्री रमाकांत डी. खलप : मैंने यही कहा है। यह पता चलते ही और कम से कम 6 महीने पहले से ही पद को भरने की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी ताकि हम उस विशेष पद को समय पर भरने के लिए तैयार हो जाएं।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : ऐसा आश्वासन अनेक बार दिया गया है।

श्री रमाकांत डी. खलप : कुछ माननीय सदस्यों ने न्यायाधीशों में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। उन्होंने इस सदन के अधिकारों का न्यायापालिका द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण करने का भी उल्लेख किया है। मैं इन आरोपों के गुण दोषों में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं एक वक्तव्य दूंगा कि हमारी न्यायपालिका कुल मिलाकर विश्व की सर्वोत्तम न्यायपालिकाओं में से एक है। मुझे तथा मेरी सरकार को भारत की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है। जैसा कि किसी ने कहा है कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं। इस सदन के सदस्यों के विरूद्ध भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। जैसे हममें भी अच्छे और खराब व्यक्ति हो सकते हैं, इसी तरह न्यायपालिका में भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रत्येक मामले को अलग मामले

के रूप में लेना होगा। हम उनका साधारणीकरण नहीं कर सकते क्योंकि यदि हम ऐसी नीति अपनाएंगे और यह कहेंगे कि न्यायपालिका भ्रष्ट हो गई है तो हम न केवल न्यायपालिका के कार्यकरण को प्रभावित करेंगे बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी क्षति पहुचायेंगे जिसपर वह टिका हुआ है। यह आवश्यक है कि हम लोगों के दिल में ऐसी धारणा पैदा करें कि न्यायपालिका का लोकतंत्र में सर्वोच्च स्थान है और हम सभी को न्याय उपलब्ध है। हमें इस विशेष मुद्दे के बारे में स्पष्ट होना चाहिए।

यह मांग की गई थी कि इस सम्बन्ध में एक जांच आयोग गठित किया जाना चाहिए। इस मांग को मानना मेरे अधिकार में नहीं है। श्री पी.आर. दासमुंशी ने सभी न्यायाधीशों, सभी मंत्रियों और सभी माननीय सदस्यों की परिसम्पत्तियों की जांच करने के लिए जांच आयोग गठित करने का उल्लेख किया है। मैंने किसी को यह रहते सुना है कि इस जांच आयोग के कार्यक्षेत्र में सभी नौकरशाही तथा सभी व्यक्तियों तक को भी लाया जाना चाहिए। यह एक व्यापक प्रश्न है। भविष्य में सम्भवतः किसी समय और किसी अच्छे परिप्रेक्ष्य में यह सदन इस पर विचार कर सकता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। इस मामले में सदन जिस निष्कर्ष पर पहुंचेगा वह हम सभी पर लागू होगा ...**(व्यवधान)**

इसी तरह न्यायिक सक्रियता की आलोचना करना कठिन है। हमने विश्व के अनेक भागों में न्यायपालिका के कार्य को देखा है। कुछ स्थानों पर तो न्यायाधीशों ने प्रशंसनीय कार्य किया है। कुछ मामलों में उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ा लिया है। कभी तो ऐसा आवश्यक हो जाता है। जहां यह अनिवार्य नहीं रहा है वहां इसकी आलोचना की गई है जैसे कि माननीय सदस्यों ने की है। किसी ने कहा है कि जिस तरह हमारा चुनाव क्षेत्र है उसी तरह न्यायपालिका का भी विस्तृत क्षेत्र है जो सारे देश तक विस्तृत है और उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : प्रश्न न्यायपालिका के बारे में नहीं है। प्रश्न है संसद और विधायिका के बारे में अनर्गल छींटा कशी करने का यही मुद्दा है।

श्री रमाकांत डी. खलप : मैं इसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। मैं यहां लगाए गए आरोपों और आलोचना की जांच करूंगा। मैं इसे सामान्य वक्तव्य के रूप में नहीं देखूंगा किन्तु एक संस्थान विशेष के बारे में दिए गए वक्तव्य के रूप में देखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह इसलिए है क्योंकि हमें न्यायालय से समुचित उत्तर मिला।

श्री रमाकांत डी. खलप : इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए यद्यपि श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि बहुत कम दिया गया है और वह भी बहुत देरी से, मैं श्री सुरेश प्रभु तथा सदन के अन्य माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि हम न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए सजग प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया गया है जो देश के विभिन्न भागों में अधीनस्थ न्यायपालिका की सेवा शर्तों का अध्ययन करेगा और हम सभी एक दूसरे के सक्रिय सहयोग और समर्थन से हमारे सामने आ रही समस्याओं को हल करने में सफल होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं जस्टिस गुमान मल लोढा से अनुरोध करूंगा कि वह अपना सांविधिक संकल्प वापस ले लें। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : वर्तमान बिल और आर्डिनेंस पर बहस के दौरान अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने आए हैं। अधिकतर माननीय सदस्यों ने कार्यपालिका के बारे में यह मत प्रकट किया है, जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हमें भारत की न्यायपालिका पर गर्व है, वह हमारा गौरव है, विश्व में उसका उच्चतम स्थान है लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने निहित स्वार्थों के कारण न्यायपालिका को इस प्रकार हेय दृष्टि से अपमानित करने का प्रयास किया जिससे पता लगता है कि संविधान को बनाने वाले जो मनीषि थे।

पं. जवाहरलाल नेहरू और डॉ. अम्बेडकर, उन्होंने संविधान में न्यायपालिका का क्या उच्चतम स्थान रखा है इससे वे या तो अज्ञान हैं या वे जान-बूझकर उस बात से अनभिज्ञ होकर इस सदन की गरिमा को समाप्त करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : उन्होंने गलत लोगों के बारे में कहा है आप के बारे में नहीं।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूंगा कि संविधान की धारा 121 और 122 बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान की धारा 122 में यह लिखा है कि इस सदन में जो कार्य होगा उस कार्य के अंदर न्यायपालिका कहीं पर भी दखल नहीं करेगी। किस प्रकार से यहां के स्पीकर हाउस को रेगुलेट करते हैं, किसको बोलने देते हैं, कौनसा प्रस्ताव पास हुआ या नहीं हुआ, यह सब जो आंतरिक मैनेजमेंट है इसके बारे में माननीय मनीषियों ने संविधान की धारा 122 में लिखा है-

[अनुवाद]

"122 (1) संसद की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) संसद का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग

के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा।

[हिन्दी]

और यही कारण है कि जब कभी स्पीकर के खिलाफ कोई नोटिस आता है तो हमारे यहां का कायदा है कि स्पीकर उसका जवाब नहीं देता। क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन हमारी जो न्यायपालिका है उसकी उच्चतम गरिमा रखने के लिए संविधान में लिखा गया है, मैं आर्टिकल 121 कोट कर रहा हूं-

[अनुवाद]

"उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं।"

[हिन्दी]

श्रीमन, यह संविधान हमने बनाया, हमारी कांस्टीट्यूशन असैम्बली ने बनाया। संविधान में हम सीमित संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती के निर्णय और मिनर्वा मिल्स के निर्णय के बाद यह तय हुआ कि पार्लियामेंट बेसिक फीचर्स ऑफ कांस्टीट्यूशन को छोड़कर अन्य रूप में संशोधन करना चाहे तो कर सकती है। यदि कोई संविधान में संशोधन का बिल लाए और उसमें अपने विचार प्रकट करे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब तक संविधान की धारा 121 व 122 है तब तक मेरी यह प्रार्थना होगी कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि हम उन निर्णयों के बारे में आलोचना करें जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए और जिन निर्णयों के लिए संविधान की धारा 141, 142, 143 और 144 में यह लिखा है कि वे निर्णय सर्वमान्य होंगे। यह अवश्य है कि उन निर्णयों में जहां-जहां पार्लियामेंट के अधिकार का प्रश्न आया है, जैसे-लैण्ड रिफोर्म्स, उसके बारे में कई कानून रद्द कर दिए गए। हालांकि बाद में यहां पर पार्लियामेंट ने कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट करके नाइन्थ शैड्यूल बनाकर फिर से उनको वैलिड कर दिया। लेजिस्लेशन का प्रश्न आया तो कई कानून रद्द कर दिए गए, लेकिन पार्लियामेंट ने अपने पावर्स से उन कानूनों को बनाया।

शाहबानों का फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन वीमेन्स राइट बनाकर यहां से शाहबानों के फैसले को रद्द कर दिया गया। यह ठीक है कि कोई फैसला जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है तो हम कानून बनाकर उसको रद्द कर सकते हैं। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां पर यह कहा जाए कि एक निर्णय दिया गया उसमें सजा एक दिन की दी गई, जबकि सजा ज्यादा देनी चाहिए थी। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कोई यह कहे कि कामरेड नम्बूदरीपाद को तो कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की सजा दी गई उसमें केवल जुर्माना दिया गया। कल्याण सिंह को जो सजा दी गई उसमें केवल एक दिन की सजा दी गई, ज्यादा नहीं दी गई, तो मैं समझता हूं कि हम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बल्कि हम संविधान की धारा 121 का पूर्ण रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। हम संविधान का भी कंटेम्प्ट कर रहे हैं। हम न्यायपालिका का भी कंटैम्प्ट कर रहे हैं और हम अपने सदन की गरिमा को भी गिरा रहे हैं।

श्रीमान न्यायपालिका में क्या होता है उसके बारे में यदि हम सिस्टम को चेंज करना चाहें, यदि वह हमारे अधिकार में है, हम करें, कोई आपत्ति नहीं है, कोई रूकावट नहीं होगी, परन्तु कितना हास्यास्पद और कितना शर्मनाक है, जो पार्टी, जो दल, संविधान की धारा 143 में सुप्रीम कोर्ट में रैफरेंस करता है और उसके बाद श्री मुंशी, माननीय सदस्य प.बंगाल से आकर यहां पर उसकी हंसी और मजाक उड़ाते हैं। यह क्यों रैफरेंस हुआ, क्यों रैफरेंस कर दिया गया, किसने कहा? आप नहीं करते, रैफरेंस कर दिया और गवर्नमेंट ने रैफरेंस किया और रैफरेंस करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। उन्होंने सैकुलरिज्म की एक डैफीनेशन दी। डैफीनेशन आप माने या न मानें। यदि आप न मानें, तो संवैधानिक अमेंडमेंट लाकर यदि आप बदल सकते हैं, तो बदल दें, लेकिन उसकी यहां पर हंसी-मजाक उड़ाना, आलोचना करना या यह कहना कि जज हिन्दुत्व की डैफीनेशन सुप्रीम कोर्ट में कब से करने लगे, उनको कौन सा अधिकार था? बिल्कुल ठीक नहीं है।

अधिकार, तो श्रीमान आपने दिया है। पं. जवाहर लाल नेहरू ने दिया है। डा. अम्बेडकर ने दिया है यह अधिकार अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं दिया। यह अधिकार सोमनाथ चटर्जी ने नहीं दिया। यह अधिकार तो कांस्टीट्यूशन ने दिया है। आप इसको वापस ले लीजिए। यदि हिन्दुत्व की परिभाषा से आपको आपत्ति है, तो उसको रिव्यू करिए। आपकी रिव्यू पिटीशन यदि स्वीकार न हो, तो यहां पर उसको अमेंड करने की कोशिश कीजिए, यदि कर सकते हैं, नहीं, तो आपको संविधान की धारा 141, 142, 143 और 144 को मानना पड़ेगा।

अपराह्न 3.02 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

शाहबानो केस में किया। कोई आपत्ति नहीं है। उसमें आपत्ति यही हो सकती है कि किसी का विचार इधर हो किसी का उधर हो, लेकिन पार्लियामेंट को अधिकार था और पार्लियामेंट ने अपने अधिकार का उपयोग किया। उसमें बहुमत अलग हो सकता है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जिस प्रकार से यहां पर कहा गया, यदि हम यह व्यक्त करने लगे कि अयोध्याकांड के बारे में कंटैम्प्ट हुआ है और कोर्ट का जजमेंट सही हुआ या नहीं और उसके बारे में बहस छेड़ दें और सजा ठीक नहीं हुई, तो कितनी सजा होनी चाहिए, छः महीने की

होनी चाहिए, या जो व्यक्ति यह कहते हैं कि अयोध्याकांड में जो कुछ हुआ वह मुक्ति संघर्ष था। इस देश के अपमान को हटाया गया, कलंक को हटाया गया, तो वह भी एक विचार है। जैसा कि राम मनोहर लोहिया ने अपनी एक किताब में लिखा है कि इस देश के अंदर जो हमारे बुजुर्ग थे वे कमजोर थे, कुछ बुजदिल थे, जो इस प्रकार का अपमान सहते रहे। यह अपने-अपने विचार हो सकते हैं। इन विचारों के बारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपमान, एस्पर्शन, मानहानि और यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन की सजा देकर कल्याण सिंह को छोड़ दिया, यह एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मखौल किया है। मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य इस बात को समझ सकें कि संविधान क्या है, हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, तो उनको मालूम होगा कि हमारे बहुत अधिकार हैं और हमारा सॅविधान सावरन है। हमारी पार्लियामेंट सावरन नहीं है। सॅविधान अर्थात कांस्टीट्यूशन सावरन है अथवा कांस्टीटयूंट फार पार्लियामेंट है। कांस्टीटयूएंट आफ पार्लियामेंट को किस प्रकार से काम में लिया जाए, इस पर बहुत बड़ा विवाद है। आज यदि जुडीशियरी कांस्टीटयूशन के बेसिक फीचर हैं उनको चेंज करने का प्रयास करे, तो श्रीमान केशवानंद भारती का निर्णय आपके बीच में आ जाएगा। आप उसको नहीं बदल सकते हैं। ऐसा प्रयास किया गया था। इमर्जेंसी के अंदर आपको पता होगा कि यहां पार्लियामेंट में एक ऐसा निर्णय किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण जी ने जो चुनाव याचिका की थी, उसके बारे में इलाहाबाद हाइकोर्ट का जजमेंट हुआ, उसको हम कानून के द्वारा निरस्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय, इससे बढ़कर दुनिया में पार्लियामेंट की हंसी, पार्लियामेंट का मजाक और पार्लियामेंट का अपमान दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इलाहाबाद हाइकोर्ट का जजमेंट रिवर्स हुआ। वह बदला गया । सुप्रीम कोर्ट ने बदला। मैरिट्स पर भी बदला। यह बात ठीक है और राजनारायण जी द्वारा दायर की गई याचिका मैरिट्स पर खारिज कर दी गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं था कि इलाहाबाद हाइकोर्ट के जजमेंट को यहां पर बैठकर बदल दें। मैं अपने मित्र श्री मुंशी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने उस समय उसके खिलाफ अंगुली उठाई थी? क्या उन्होंने उस समय यह कहा कि यह जो किया जा रहा है, यह औचित्यपूर्ण नहीं है, यह सॅविधान के खिलाफ है या कानून को आग लगाई जा रही है या रूल आफ ला को समाप्त किया जा रहा है? उस समय श्रीमान मुंशी जी को ध्यान में नहीं आया और आज इनके ध्यान में आ रहा है कि अयोध्याकांड में सजा ज्यादा नहीं दी गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर ऐसे प्रश्न न उठाएं। जो हमारा सॅविधान है, उसको हम मानकर चलें। सोवरनिटी की बात महत्वपूर्ण है। सोवरनिटी की बात पर हम बार-बार निर्णय करते हैं। मैं मुंशी जी के ध्यान के लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा। इलाहाबाद में एक बहुत दिलचस्प केस हुआ। वहां के एक पत्रकार क़ेशवसिंह ने पत्र में कोई चीज छापी तो वहां की असेम्बली ने प्रिविलेज मोशन बनाकर उसको सजा दे दी। जब असेम्बली में प्रिविलेज मोशन आया तो असेम्बली ने उसे स्वीकार कर लिया। उसे सात दिन की सजा दे दी गयी। सात दिन की सजा मिलने के बाद जब वह जेल में गया तो एक एडवोकेट सोलोमन ने उसके खिलाफ रिट यात्रिका दे दी। आर्टिकल 226 के अनुसार कहा गया कि यह एक पत्रकार का फंडामेंटल राइट है और उसे सजा नहीं दी जा सकती। तो इलाहाबाद के दो न्यायधीशों ने उसको बेल दे दी। जब बेल ग्रान्ट कर दी तो जब वह बेल का आर्डर लेकर जेल जा रहा था तो असेम्बली में हल्ला हो गया और कहा गया कि अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा का अपमान हो रहा है। आप उसको जेल भेज रहे हैं और हाई कोर्ट छोड़ रहा है। हाई कोर्ट कौन होता है, न्यायपालिका कौन होती है। उसके ऊपर तो हम सब बैठने वाले हैं। हम सब तय करते है कि न्यायपालिका के दो न्यायधीशों को आपके सामने खड़ा किया जाये और प्रिविलेज में उनको जेल भेजा जाये।

...**(व्यवधान)** सोमनाथ जी, आप जानते हैं। आपको जानकारी है। आप बैरिस्टर हैं। आप कानून के ज्ञाता हैं इसलिए आप पहली बार में मेरी बात पर हां नहीं कर रहे हैं। असेम्बली में कहा गया कि इलाहाबाद के दो जजों को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। जब वे वारंट लेकर गये तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के 57 जजों ने उन दो हाई कोर्ट के जजों को बेल दे दी कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता ओर जो असेम्बली के स्पीकर का बेलीफ गया था, उसको वापिस लोटा दिया गया। जब वापिस लौटा दिया गया तो सारी असेम्बली फिर बैठी और स्पीकर ने कहा कि अब हमें यह तय करना है कि 57 जजों को गिरफ्तार करके हमारे सामने लाया जाये। यह बड़ा दिलचस्प केस है।...**(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : बाम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वापिस बंगाल भेजा गया...**(व्यवधान)** उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं हुई?...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : आप करिये।

श्री पी.आर. दासमुंशी : हम क्यों करें। ज्यूडिशयरी क्यों नहीं करती? जार्ज साहब ने कहा...**(व्यवधान)** काफी नहीं है। अगर वह काम हम करते...**(व्यवधान)** तो हमको राजनीतिज्ञ होने के नाते अच्छी तरह से पता है।...**(व्यवधान)** क्या वे भगवान के पुत्र हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) **:** मद्रास के चीफ जस्टिस को जेल में रखा गया है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमंशी : आप मुझ बताए कि मुम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अचानक कलकत्त वापस क्यों जाना पड़ा?

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं आपके दबाव में नहीं आने वाला हूं।

[हिन्दी]

मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को करप्शन के केस में जेल में भेज दिया गया है। आज भी मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के

खिलाफ मुकदमा चल रहा है। कानून के ऊपर कोई नहीं है। अगर भट्टाचार्य के खिलाफ केस बनता है तो सी.बी.आई. को चाहिए था कि उन्हें जेल में रखते। ये हमारे कलकत्ता के हैं। बंगाल के चीफ जस्टिस की सरकार ...**(व्यवधान)**को चाहिए था, यदि कानून में हो तो उनके खिलाफ केस बनाइये...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : बंगाल की सरकार को यहां बैठा दीजिये, सब ठीक हो जायेगा।

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो संघर्ष हुआ, उसकी कहानी आपको बता रहा हूं। जब 57 जजों को गिरफ्तार करने के लिए इलाहाबाद के अंदर विधानसभा बैठी और बैठकर उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने यह तय करने की कोशिश की कि हम उनको बुलायें तो उस समय राष्ट्रपति के पास संदेश गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विधायिका भी हमारी है, न्यायपालिका भी हमारी है और कार्यपालिका भी हमारी है। हमने संविधान बनाया है और इस संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं।

राष्ट्रपति ने रैफरेंस 143 धारा में दिया और यह रैफरेंस में बताना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री प्रिय रंजन दास मुंशी को कभी समय हो तो इसको पूरा पढ़ें। न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्या अधिकार हैं और आपस में संघर्ष होने पर क्या होना चाहिए, उसकी जजमेंट ए.आई.आर. 1965, एस.सी.अंडर आर्टिकल 143 कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया, गजेन्द्र गडकर मुख्य न्यायाधीश की दी हुई है। इसमें उन्होंने सारे मुद्दों पर एक महीने की बहस सुनकर निर्णय दिया। मैं इसको पढ़कर आपका समय नहीं लूंगा। जो माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं, इसे पढ़ लें। यह पढ़ना चाहिए।...**(व्यवधान)** एक आर्टिकल 194 है जिसमें लैजिसलेटिव असेम्बली और पार्लियामेंट के मैम्बर्स की प्रिविलेजेस हैं। एक तरफ असेम्बली है, एक तरफ जूडिशियरी है जिसमें आर्टिकल 123,122 कहता है।...**(व्यवधान)** उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वे अपनी प्रिविलेजेस को डिफाइन कर दें। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस बारे में विचार करें। सोमनाथ जी, 1965 में यह फैसला हुआ। कल एक बात चली। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि पार्लियामेंट चल रही थी लेकिन मुझे न्यायालय से आने नहीं दिया गया। यह भी एक प्रिविलेज कोडीफाई हो जाता है कि जिस समय पार्लियामेंट चलेगी, कैसा भी मुकदमा हो, प्रीवैनटिव डिटैन्शन हो, टाडा हो या कुछ भी हो लेकिन माननीय सदस्य को यहां पर लाकर बोलने का अधिकार दिया जाएगा तो जूडिशियरी बाध्य हो जाएगी। जब तक प्रिविलेज कोडीफाई नहीं होगा तब तक किसी जज के दिमाग में आता है तो भेज देता है।... **(व्यवधान)** यहां पर बैठे हुए बहुत से माननीय सदस्य जो जेल में थे, पार्लियामेंट के समय आए थे, कुछ लोग मना कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 1965 में यह फैसला हुआ। एक के बाद एक स्पीकर्स कौन्फ्रैंस हुई।...**(व्यवधान)** बार-बार यही निर्णय हुआ कि हम प्रिविलेज को कोडीफाई नहीं करेंगे क्योंकि यदि हम कोडीफाई कर देंगे ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस संसद की विशेषाधिकार समिति ने यह निर्णय दिया या फिर से वर्गीकृत नहीं किया जाए।

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं इसका कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कौन होते हैं कारण बताने वाले?

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं आप को उत्तर दूंगा।

[हिन्दी]

कोई भी आदमी अपने अधिकार के दायरे को सीमित नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट के जज बार-बार यह कहते हैं कि ...**(व्यवधान)** आर्टिकल 226 कहता है इसको हम कोडीफाई नहीं करेंगे।... **(व्यवधान)** इसलिए स्पीकर्स कौन्फ्रैंस में यह निर्णय होता है, प्रिविलेज कमेटी भी यह निर्णय करती है कि हम उसको कोडीफाई नहीं करेंगे और जब कोडीफाई नहीं होता है तो 'कानून अवर्गित सामान्य ज्ञान और वर्गित अज्ञान के बिना और कुछ नहीं है।'

[हिन्दी]

आप कुछ भी कोडीफाई कर लीजिए वह लॉ बन जाएगा।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह विधेयक है महोदय...**(व्यवधान)** वह विशेषाधिकारों पर बोलने लगे हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हम विशेष विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आचार समिति होनी चाहिए या नहीं—यह एक अलग विषय है।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) **:** सभापति महोदय, उन्होंने चर्चा का विचार क्षेत्र बढ़ा दिया है।

सभापति महोदय : आप चाहते हैं कि विशेषाधिकार समिति को वर्गीकृत कर दिया जाए। इतना ही काफी है।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं सुझाव दे रहा हूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, पार्लियामेंट के एम.पीज., स्टेट लैजिसलेचर्स के मैम्बर्स प्रिविलेज कोडीफाई करने के लिए एक ऑल इंडिया कमेटी या कमीशन बनाकर यह विवाद हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। यदि यह विवाद समाप्त हो जाएगा तो ज्यूडिशियरी को भी पता लगेगा, हमको भी पता लगेगा कि हम कहां पर हैं, हम कहां पर नहीं है, हमारे कोई सुरखाब के पर नहीं हैं...**(व्यवधान)** हम सदस्य बन गए तो इसका अर्थ यह नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। यह आपका सुझाव है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : तो मैं यह निवेदन कर रहा था, इसलिए कि इसके अन्दर 1965 का सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय, केशव सिंह का निर्णय एक बहुत.बढ़िया हमारे लिए मार्गदर्शक निर्णय है। उसको पढ़कर उसकी भावना का पालन करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आए। हमारे यहां पर यह कहा गया है कि साहब देखिये, न्यायपालिका क्या कर रही है। ज्यूडिशियल एक्टिविजम के बारे में बहुत कुछ कहा गया। ज्यूडिशियल एक्टिविज्म एक बहुत बड़ा सबजैक्ट है, मैंने उसपर कई पुस्तकें लिखी हैं, '

न्यायपालिका की अग्नि परीक्षा' 'लॉ, मोरेलिटी एण्ड पालिटिक्स' और दूसरी पुस्तक 'जुडीशियरी फ्यूम्स फ्लेम्स एण्ड फायर' है। वह एक हजार पेज की है, मैं लाइब्रेरी को भेंट कर दूंगा, उसको पढ़ा जाय। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री लोढा जी, कृपया मेरी बात सुनिए। आपको केवल उन मुदों का उत्तर देना है जो मंत्री महोदय ने उठाए हैं। आप कोई और विषय इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : आप बीच-बीच में मार्गदर्शन करिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप जजों को सम्चुअरी एलाउंस नहीं देंगे, पैट्रोल ज्यादा लगता है तो क्या नहीं देंगे? आप पैट्रोल देना चाहते हैं क्या?

जस्टिस गुमान मल लोढा : सोमनाथ जी, हम आपकी बात स्वीकार करेंगे, एवमस्तु। आप डिबेट के समय में नहीं थे, वरना खुद. ..**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने टी.वी. पर देखा।

जस्टिस गुमान मल लोढा : जो भी डिबेट में यहां पर क्वश्चन आये हैं, उन्हीं का रिप्लाई माननीय मंत्री जी ने दिया है। उन्होंने भी डिबेट का रिप्लाई दिया है, मैं भी डिबेट का रिप्लाई दे रहा हूं।

यहां पर यह कहा गया कि देखिये, एक एफ.आई.आर. लाज कर दी, उसके बाद हाई कोर्ट कहता है कि आप कंपलेंट की एफ.आई. आर. लाज करिए। यह हाई कोर्ट के विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है, हाई कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा कि हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइये, उसकी अपील करिये, लेकिन यहां पर यह कहना कि इसकी एक बार एफ.आई.आर. लाज कर दी तो दूसरी बात उसको कंपलेंट के रूप में लाज करने का डायरैक्शन हाई कोर्ट में जो दिया गया, वह गलत है, इसलिए कि उसमें कुछ राजनेता आते हैं, भूतपूर्व प्रधान मंत्री के लड़के आते हैं, अन्य लोग आते हैं, इसलिए इस सदन को उन निहित स्वार्थों के कारणों से न्यायपालिका के ऊपर धूल डालने का या न्यायपालिका को अपमानित करने का प्रश्न जरा भी उचित नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें केवल इस प्रश्न का उत्तर देना है। कि क्या अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए या अथवा नहीं। प्रश्न इतना ही है।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : इसी प्रकार से यहां पर यह कहा गया कि देखिये, यह क्या हुआ कि कोर्ट ने वारंट निकाल दिया या नरसिंह राव के खिलाफ निकाल दिया। सम्मन निकाल दिया तो आप हाई कोर्ट में जाइये, हो सकता है हाई कोर्ट सम्मन खारिज कर दे, रिकार्ड मंगाया है, जैसा उचित होगा, वैसा करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। लेकिन एक न्यायाधीश ने यदि सम्मन निकाल दिया तो हम उसपर एतराज करें, महज इसलिए कि वह भूतपूर्व प्रधान मंत्री हैं, यह कानून का राज नहीं है, यह जंगल का राज हो जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कितना समय चाहते हैं?

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : मैं उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने के लिए आधा घण्टा लूंगा।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मैं कन्क्लूड कर दूंगा। यहां पर 3.30 बजे प्राइवेट मैम्बर्स का बिल प्रारम्भ होगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम वाद विवाद को पूरा करने की स्थिति में आ गए हैं। आप सहयोग दें।

जस्टिस गुमान मल लोढा : अनेक प्रश्न उठाए गए हैं ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से अपेक्षा करता हूं कि वह सदन को सहयोग देंगे। 3.30 बजे गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करना है। अतः मैं आशा करता हूं कि विधेयक 3.30 बजे से पहले ही पारित कर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं समाप्त कहूंगा बशर्ते बीच में व्यवधान न डाला जाए। वैसे मैं सोमवार तक भी बोल सकता हूं ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कुछ संशोधन भी हैं। उन्हें भी देखना है। कृपया देखें कि यह 3.30 बजे तक पूरा हो जाए।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : यहां पर मर्यादा पुरूषोत्तम राम के जन्म के बारे में रेफरेंस अपमान जनक रूप से किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि भगवान राम का जन्म या मोहम्मद साहब का जन्म या ईसा मसीह का जम्न कहां हुआ, यह किसे पता है। यह तो मैथोलोजी की बात है, रियल फैक्ट्स होते हैं, कई प्रकार की भावनाएं होती हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामलाा होता है। उनको हम यहां पर तय करें, रेफरेंस दें, यह उचित नहीं है। मैं प्रियरंजन दासमुंशी जी से पूछना चाहूंगा कि रेफरेंस किस सरकार ने दिया था, क्या बी.जे.पी. की सरकार ने दिया था। यह नरसिंह राव की सरकार ने दिया था। आज फिर रेफरेंस दे रहे हैं 138 के अंदर दे रहे हैं, वह होगा या नहीं, यह अलग बात है। मगर रेफरेंस की बात आई इसलिए मैंने इसका जिक्र किया।

अयोध्या में राम का जन्म हुआ या नहीं या अयोध्या में ही राम मंदिर बना या नहीं, यह प्रश्न भावनाओं का है, कई प्रकार के विश्वासों का है। क्या कोई मक्का-मदीना के बारे में कहेगा कि वहां मोहम्मद साहब गये थे या नहीं? क्या इसकी जांच होगी, क्या कमीशन बैठेगा और क्या प्रिय रंजन दासमुंशी जी उसको पूछेंगे?

श्री नीतीश कुमार : सभापित जी, इस सदन में हम भी सदस्य हैं और हाउस की डैलीब्रेशंस के दौरान मैं पूछना चाहता हूं कि इस बिल का अयोध्या से क्या संबंध है, यह बता दीजिए?

जस्टिस गुमान मल लोढा : आप सुनें तो सही। वाई वर यू सिटिंग आइडल एट दट टाईम?

श्री नीतिश कुमार : संसद की एक मिनट की कार्यवाही पर 50000 रुपये खर्च होते हैं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, उनका पूरा भाषणा अयोध्या के मामले पर निर्भर करता है। सदन में यह क्या हो रहा है?

सभापति महोदय : श्री लोढा जी आपने मुझे आश्वासन दिया था।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा?

सभापित महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, वह समाप्त करेंगे। उनहोंने अपना भाषण समाप्त करने का मुझे आश्वासन दिया है श्री लोढा जी, आप समाप्त करें।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं खत्म कर रहा हूं लेकिन ये बोलने नहीं देते। माननीय सदस्य ने उस समय नहीं कहा जब ये लोग मर्यादा पुरूषोतम राम को लेकर बोल रहे थे। हम कहते हैं कि अयोध्या में ही राम का जन्म हुआ था और वहीं पर राम मंदिर होना चाहिए। अगर वहां राम मंदिर नहीं होगा तो क्या जापान में होगा, लंदन में होगा या मक्का-मदीना में होगा?

अवधेश के द्वार सकाए निकसे
अंगन यह सोचत की विमोचन की कटि तुलसी मनोरंजन
अंगन नैनसुख खंजन।

तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया मैथिलीशरण गुप्त जी ने इसका वर्णन किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है। श्री लोढा जी, कृपया तनिक अपने आसन पर बैठ जाएं। यह मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं माननीय सदस्य से बार बार यह कहूं कि वह अपने मुद्दे पर ही बोले। श्री लोढ़ा जी मेरा अंतिम अनुरोध है। इस सदन के एक सम्मानीय सदस्य के नाते आपको विधेयक के विषय तक ही सीमित रहना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) **:** इसलिए विधेयक के क्षेत्र के बाहर उन्होंने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया जाना चाहिए...**(व्यवधान)** ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : हम मक्का मदीना और अयोध्या में कोई अंतर नहीं करते।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, वह इस सभा का दुरूपयोग कर रहे हैं। यह सभा का नितान्त दुरूपयोग है। किसी चीज की सीमा होती है। सभापति महोदय, सदन में यह क्या हो रहा है?...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : जब 16 अगस्त 1946 को 5000 लोगों को सुहरावर्दी द्वारा कत्ल किया जा रहा था, यह इनको मालूम नहीं है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह इस विषय से सम्बन्धित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : किस प्रकार से पाकिस्तान का निर्माण हुआ? किस प्रकार से अत्याचार हुए? इनको कुछ मालूम नहीं है। ...**(व्यवधान)** देश के दो टुकड़े कर दिए, इनको कोई एतराज ही नहीं

है। इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। इसी अज्ञान के अंदर मुंशी मर्यादा पुरूषोतम राम को घसीटते हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री दास मुंशी जी आपको बोलने के लिए पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. दास मुंशी : महोदय, आपको यह पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : आपने देश का बंटवारा, नीलाम करवाया था।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसका यह अर्थ है कि आप अपना भाषण आज समाप्त नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : आपने , कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद किया है। इन्होंने देश के टुकड़े-टुकड़े किए हैं। इन्होंने खून की नदियां बहाई हैं। इन्होंने धर्मतला में खून की नदियां बहाई है। आपको मालूम नहीं है। आप यहां पर कहते हैं कि मर्यादा पुरूषोतम राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था। अस्सी करोड़ जनता ने कहा है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और अयोध्या में राम मन्दिर बनकर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसको बनने से नहीं रोक सकती।. ..**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : सब कुछ होगा लेकिन जज साहब को पेट्रोल नहीं मिलेगा।...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : जज साहब को पेट्रोल भी मिलेगा और जज साहब जांच भी करेंगे। यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात लाई गई थी, क्यों लाई गई थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने करोड़ों रुपए दिए और डिफेक्शन भी करवाया। आपने डिफेक्शन क्यों करवाया? मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे कहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के मुंसिफ मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, सभी को जितनी भी हो सके, हमें सुविधायें देनी चाहिए क्योंकि वे ही वास्तव में आज कंस्टीट्यूशन हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है जैसा कि श्रीराम ने कहा था।

निशिचरहीन करूं मही, उठा भुजदंड।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अपने आर्डिनेंस के विरोध को वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री लोढ़ा, क्या आप वापस ले रहे हैं?

श्री राम नाईक : महोदय, वह अपना संकल्प वापस लेने के लिए अनुमति मांग रहे हैं।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, मैंने इस आर्डिनेंस के विरोध में जो प्रस्ताव रखा था, मैं उसको वापस लेता हूं और सदन में अपील करता हूं कि न्यायाधीशों के इस बिल को पारित कर दिया जाए।

[अनुवाद]

मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने की सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : क्योंकि अब 3.30 बज रहे हैं इसलिए क्या इस विधेयक को पांच या छः मिनट में पारित करने के लिए सदन सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : सभा में अब विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव लिया जायेगा।

प्रश्न यह है :

> "कि उच्चतम न्यायालय (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

श्री रमाकांत डी. खलप : महोदय, क्योंकि कुछ संशोधन हैं, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन प्रस्तुत न करें।

खण्ड-2

सभापति महोदय : श्री सतपाल जैन, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे है?

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : चूंकि वह अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं इसलिए वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सभापति महोदय : अतः कोई भी अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब खण्ड 3, 4 और 5 में संशोधन है। मैं आशा करता हूं कि कोई भी सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, 4, 5 और 6 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3, 4, 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री रमकांत डी. खलप : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति महोदय, मैं कुछ ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैंने दो क्लॉज के लिए अपने दो संशोधन किए थे। बिल के पारित होने की आवश्यकता को मानते हुए हमने वे संशोधन आपके सामने नहीं रखे अन्यथा हमारी इच्छा थी कि सदन में आज इस पर विभाजन हो जाए ताकि कुछ बातें जो मंत्री जी ने कही हैं जिनको हम मानते हैं और कुछ बातें पर विधेयक को लेकर मानते भी नहीं हैं लेकिन हम यह अपेक्षा करते हुए कि बिल का संशोधन कर रहे हैं, हमारा जो संशोधन था, उसके पीछे जो विचार है, उसे मंत्री जी स्वीकार करेंगे और उस दिशा में उचित कदम उठायेंगे।

मेरा संशोधन दो क्लॉजों को लिए है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए यह लाया गया है। जो 10 साल के बाद 10 रुपए से 15-20 रुपए लोगों को मिलेंगे, अब 10 साल तक उनको इंतजार करने की जरूरत न हो और जिस अनुपात में महंगाई बढ़े उसी अनुपात में उनके लिए रकम तय करके दी जाए। जिस तरह से 6 महीने में चीजों के दाम बढ़ते हैं उसी तरह से सम्पचुरी एलाउंस को बढ़ाने की भी बात हो जाए। मंत्री महोदय इस बात पर पूरा विचार करेंगे और समूचे मामले को लेकर न्यायपालिका में जो सुधार लाना हो वह लाएंगे। न्यायपालिका में, कानून और व्यवस्था में जो सुधार लाना है उसके लिए भी शीघ्रातिशीघ्र विधेयक लाने का काम भी आप करेंगे।

[अनुवाद]

श्री रमाकांत डी. खलप : सभापति महोदय, मैं न्यायिक सुधार, जो लम्बित पड़ा है, की सम्पूर्ण और समग्र समीक्षा में लगा हुआ हूं। मैं माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाए गए मुद्दे की प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.37 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे। पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक

श्री अमर पाल सिंह

गैर-सरकारी अन्वेषक विधेयक

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गैर-सरकारी अन्वेषकों को लायसेंस देने तथा उन्हें कतिपय शक्तियां प्रदान करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापित महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गैर-सरकारी अन्वेषकों को लायसेंस देने तथा उन्हें कतिपय शक्तियां प्रदान करने का उपबन्ध करने

वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं विधयेक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.38 $^{1}/_{2}$ बजे

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों और तत्संबंधी मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों और तत्संबंधी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

[अनुवाद]

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) निरसन विधेयक

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 312 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालान्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 $^{1}/_{2}$ बजे

काम पाने का अधिकार विधेयक

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 18 वर्ष से ऊपर तथा 60 वर्ष से नीचे की आयु वाले सभी नागरिकों के लिए

काम पाने के अधिकार का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 18 वर्ष से ऊपर तथा 60 वर्ष से नीचे की आयु के सभी नागरिकों के लिए काम पाने के अधिकार का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 80 आदि में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं

अपराह्न 3.41 $^{1}/_{2}$ बजे

विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक

[अनुवाद]

डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों को विशेष शैक्षणिक सुविधाओं तथा उससे सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों को विशेष शैक्षणिक सुविधाओं तथा इससे सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : मैं विधयेक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

अनिवार्य शिक्षा विधेयक

[अनुवाद]

डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समस्त देश में सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा इससे सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समस्त देश में सभी बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा इससे सम्बद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42 1/2 बजे

कबाड़ बीनने वाले और अन्य निरस्सहाय निराश्रित बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक

[अनुवाद]

डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि कबाड़ बीनने वाले और निस्सहाय-निराश्रित बालकों हेतु जो अपने स्वास्थ्य और जीवन के लिये खतरनाक कूड़े-करकट के ढेर और अन्य स्थानों से अपशिष्ट सामग्री इकट्ठी करके और उसे बेचकर जीवन निर्वाह करते है, संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किये जाने के लिए कल्याणकारी उपायों और शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा तथा मार्गदर्शन के जरिये उनके पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि कबाड़ बीनने वाले और निस्सहाय-निराश्रित बालकों हेतु जो अपने स्वास्थ्य और जीवन के लिये खतरनाक कूड़े-करकट के ढेर और अन्य स्थानों से अपशिष्ट सामग्री इकट्ठी करके और उसे बेचकर जीवन निर्वाह करते हैं, संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किये जाने

के लिए कल्याणकारी उपायों और शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा तथा मार्गदर्शन के जरिये उनके पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43 1/2 बजे

जनसंख्या नियंत्रण विधेयक

[अनुवाद]

डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ व्यक्तियों की अनिवार्य नसबन्दी, छोटा परिवार स्तर को बढ़ावा देने के उपायों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण तथा इससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि कुछ व्यक्तियों की अनिवार्य नसबन्दी, छोटा परिवार स्तर को बढ़ावा देने के उपायों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण तथा इससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं केवल एक मिनट लूंगा। महोदय मेरे प्रिय मित्र डा. रेड्डी ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करने की सदन से अनुमति मांगी है।

विधेयक का पूरा जोर अनिवार्य नसबन्दी पर है। विधेयक हमारे मन में... की कुछ पुरानी स्मृति लाना चाहता है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं, श्री बनातवाला जी आप इस अवस्था में इसकी सीमाओं या खामियों के प्रति जागरूक हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, आप मेरी बात सुनिये। यद्यपि मैं अब बूढ़ा होता जा रहा हूं, लेकिन मेरी स्मृति अभी कमजोर नहीं है। मैंने आरम्भ में कहा था कि मैं एक मिनट लूंगा और बस इतना ही है।

सभापति महोदय, जैसाकि मैंने कहा, विधेयक से आपात काल की बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक यादें ताजा हो जाती हैं और उन दिनों चल रही जबरन नसबन्दी के विरूद्ध व्यापक असन्तोष की भी याद आती है।

इस विधेयक का पूरा जोर, जैसा कि मैंने कहा है, अनिवार्य नसबन्दी पर है। अभी कुछ ही देर पहले मेरे एक मित्र श्री अमर पाल सिंह ने भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक पुरःस्थापित किया। यद्यपि मैं उस विधेयक के अनेक प्रावधानों के विरूद्ध हूं फिर भी मैंने उस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध नहीं किया क्योंकि विधेयक में राष्ट्रीय सन्दर्भ जनसंख्या के बारे में चर्चा उठाये जाने की बात कही गई है। जब भी वह विधेयक चर्चा के लिए लाया जायेगा, उस समय हम अपनी आपत्ति उठायेंगे। लेकिन डा. रेड्डी के इस विधेयक में अनिवार्य नसबन्दी पर जोर दिया गया है। मैं यह कहूंगा कि यह संविधान के विरूद्ध है। इससे संविधान के अनुच्छेद 21, 25, 26 तथा अन्य अनेक अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है। किसी व्यक्ति के शरीर की शुद्धता की अमेद्यता का अधिकार अनुच्छेद 21 में निर्दिष्ट उसका मौलिक अधिकार है जो उसे जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। यह विधेयक संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही यहां अनेक धर्म हैं जो नसबन्दी की अनुमति नहीं देते। इसलिए इस विधेयक से संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का भी उल्लंघन होता है।

हमें यह देखना चाहिए कि कहीं हम फासिस्ट राज्य की ओर तो नहीं बढ़ रहे है। अनिवार्य नसबन्दी की फासिस्ट नीतियों का कदापि समर्थन नहीं किया जा सकता है। मुझे इस विशेष विधेयक पर बहुत गंभीर आपत्ति है। मैं आपके मित्र डा. रेड्डी से अपील करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और जब भी इस पर मतदान का समय आये तो मुझे इसका विरोध करने के लिए बाध्य न करें।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि यह समय विधेयक के गुण दोषों में जाने का नहीं है। जनसंख्या के बारे में विचार करते समय सर्वप्रथम मैं आगे आऊंगा। लेकिन इसका समाधान अन्यत्र भी है। अतः इस विधेयक से संविधान के अनेक अनुच्छेदों का हनन होता है। इसलिए जिस विधेयक को पुरःस्थापित करने से हम फासिस्ट राज्य की ओर बढ़ने के लिए और फासिस्ट नीतियां अपनाने के लिए बाध्य होते हैं जिस विधेयक से हमारी नीति के धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है तो ऐसा विधेयक सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। अतः मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री बनातवाला की टिप्पणियों पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सम्पूर्ण सदन और सम्पूर्ण राष्ट्र मुझ से सहमत होगा कि आज देश के सामने सबसे अधिक गंभीर समस्या जनसंख्या की समस्या है। देश की बहुत अधिक समृद्धि के बावजूद देश में नाममात्र की प्रगति हुई है। हम अभी तक गरीबी और बेरोजगारी से पीड़ित हैं। यह सब जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं और माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझ से सहमत होंगे।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) **:** वह जबरन नसबन्दी का विरोध कर रहे हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : डा. रेड्डी आप मेरे मुंह में अपने शब्द न डालें।

डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : यह ठीक है कि एक यह तर्क है कि अनिवार्य नसबन्दी से अनेक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जब अनेक अवसरों पर जनसंख्या वृद्धि को रोकने में अनेक प्रयास असफल रहें तो हमने यह महसूस किया कि क्यों न ऐसा किया जाए। इस विषय पर वाद विवाद हो सकता है, चर्चा की जा सकती और तर्क दिए जा सकते हैं। इस विधेयक के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न लोगों की सहमति ली जायेगी। कोई भी व्यक्ति इस रूप में विधेयक से सहमत नहीं होगा। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह विवादास्पद विधेयक है। सम्भवतः इससे संविधान का उल्लंघन होता है। लेकिन संविधान में संशोधन कभीं भी किए जा सकते हैं। अभी श्री जार्ज फर्नान्डीज ने संविधान में संशोधन का सुझाव दिया। अतः यह तो अब तो विधेयक पुरःस्थापित करने की अवस्था है। जब इस विधेयक पर वास्तव में चर्चा होगी तो प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार होगा। सम्भवतः उनका यह भी सुझाव आए कि 'अनिवार्य नसबन्दी' के स्थान पर जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय अपनाने के लिए लोगों को अधिक प्रोत्साहन देकर 'ऐच्छिक नसबन्दी' की व्यवस्था की जाए जिससे देश का भविष्य स्वर्णिम और उज्ज्वल बने।

इसलिए मेरा अपने मित्र से निवेदन है कि हम इसपर जोर नहीं दे रहे हैं। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। हम बहुसंख्या का लाभ नहीं उठा सकते। हम यह सर्वसम्मति से ही करेंगे। जब तक शत प्रतिशत लोग नसबन्दी की वैकल्पिक प्रणाली की प्रति सहमत नहीं होंगे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम किसी व्यक्ति को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते और ना ही किसी को कष्ट देंगें ...**(व्यवधान)**

मुद्दा यह है कि मैंने विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए ही प्रस्तुत किया है। मेरा तो यही निवेदन है कि हो सकता है कल आप सभी सर्वसम्मति से यह मत प्रकट करें कि अनिवार्य नसबन्दी की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे हमारे देश के लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचेगा। अतः सम्भवतः इस विधेयक को अधिक महत्व देने में कोई हानि नहीं है। अतः मुझे विधेयक पुरःस्थापित करने दें और प्रत्येक व्यक्ति को सुनें तभी कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकालें और प्रत्येक व्यक्ति यह कहे कि कि महान राष्ट्र का निर्माण उल्लेखनीय तरीके से हुआ है।

सभापति महोदय : इस अवस्था में हम कोई चर्चा नहीं करेंग।

डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : मैं कोई संशोधन नहीं दे रहा हूं। इस अवस्था में मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहता हूं। हो सकता है कल माननीय सदस्य विधेयक में कुछ फेरबदल कर इसे स्वीकार करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाए और इसमें कोई हानि नहीं है। इस स्थिति में विधेयक का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि अध्यक्ष पीठ यह निर्णय नहीं देगी कि विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है अथवा नहीं। इसका निर्णय तो न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। इसलिए सभा को तो यह निर्णय करना है कि क्या सदन उन्हें विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देगा। यह सदन पर निर्भर करता है। मेरे पास इस पर सदन के द्वारा मतदान कराने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।

प्रश्न यह है :

> "कि कुछ व्यक्तियों की अनिवार्य नसबन्दी, छोटा परिवार स्तर को बढ़ावा देने के उपायों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण तथा इससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.54 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक
(आठवीं अनुसूची में संशोधन)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.54 1/2 बजे

बेरोजगारी के बारे में गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सदन में श्री प्रभुदयाल कठेरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे विचार किया जायेगा।

इसके लिए तीन घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। दो घण्टे का समय पहले ही लग गया है।

अब श्री ओमपाल सिंह - अनुपस्थित

श्री आर.एल.पी वर्मा - अनुपस्थित

श्री संतोष कुमार गंगवार - अनुपस्थित

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी) : सभापति जी, मेरे मित्र श्री प्रभु दयाल कठेरिया सदन में जो संकल्प लाए हैं, सचमुच आज देश का यह सबसे जलता हुआ सवाल है। बेरोजगारी के इस गंभीर सवाल पर हम समझते हैं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को एकजुट होकर कोई समाधान खोजना चाहिए। लगभग 5 करोड़ शिक्षित बेरोजगार इस देश में है जिन्होंने अपने नाम पंजीकृत कराए हुए हैं लेकिन बड़ी तादाद में गांवों में ऐसे भी शिक्षित बेरोजगार हैं जो नियोजनालयों तक नहीं पहुंच पाते। इनके अलावा जो अशिक्षित बेरोजगार गांवों में हैं, यदि उनकी संख्या भी जोड़ ली जाए तो शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की एक विशाल फौज देश में मौजूद है। बेरोजगारों की यह विशाल फौज तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जिस तेजी से देश में बेरोजगार लोगों की फौज बढ़ती जा रही है, उसी तेजी के साथ देश में आतंकवाद, गरीबी और भूखमरी भी बढ़ती जा रही है।

बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए, आजादी के बाद आज तक जितनी भी सरकारें बनी, सबने घोषणाएं की कि देश में लघु उद्योगों का जाल बिछाकर हम इस समस्या का समाधान करेंगे...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : कौन मंत्री इस वाद विवाद का उत्तर देगा? क्या वह सदन में उपस्थित हैं?

सभापति महोदय : किसी एक समय कम से कम एक मंत्री महोदय रहना चाहिए। अतः वह यहां उपस्थित हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : क्या वह कुछ लिख रहे हैं? क्या वह अपने दायित्व के प्रति सजग हैं?

सभापति महोदय : आप ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। वह इस सदन में ऐसे ही माननीय सदस्य हैं जैसे आप है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : कितने राज्य मंत्री एक मंत्रिमण्डलीय मंत्री के समान होते हैं?

सभापति महोदय : इसका आप स्वयं हिसाब लगाएं।

श्री जी.एम. बनातवाला : वह कहां हैं? आप उन्हें बुलाइए या उन्हें लाने के लिए मार्शल को भेजिए।

सभापति महोदय : वह मंत्रिमण्डलीय मंत्री हैं।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : मैं कह रहा था कि आजादी के बाद देश में जितनी सरकारें बनी, सभी ने घोषणा की कि लघु उद्योगों का जाल बिछाकर हम बेरोजगारी का संकट दूर करेंगे। इसी संदर्भ में 1991 में श्री टी.आर. नायक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसे रिजर्व बैंक के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र को कार्यशील पूंजी देने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष अध्ययन, पुनरीक्षण और रिपोर्ट देने का कार्य सौंपा गया।

15 दिसम्बर, 1995 को इसी हाउस में जब एक माननीय सदस्य ने लघु उद्योगों के प्रोटैक्शन के लिये, उनकी बढ़ोत्तरी के लिये बनी कमेटी के संबंध में सवाल किया तो उसके जवाब में कहा गया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एकल खिड़की योजना को सभी जिलों में लागू किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लघु उद्योग क्षेत्र के ऋण की मंजूरी और संवितरण में कोई देरी न हो। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 12 तारीख को जब मैं अपने जिले में डी.आर.डी.ए. की एक बैठक में गया, उसमें वर्ष 1995-96 की जो उपलब्धियां थीं, जिले में जितने बेरोजगार नौजवानों ने छोटे छोटे उद्योग धंधों हेतु ऋण के लिये आवेदन दिये थे,

अपराह्न 4.00 बजे

छोटे उद्योग-धंधे के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के जो आवेदन दिए थे उसमें बैंकों ने 10 प्रतिशत लक्ष्य भी पूरा नहीं किया। 1991 में एक कमेटी बनी थी और उसके सुझाव आए थे। हालत यह है कि आज जो लघु उद्योग गांवों में खोलना चाहते हैं उनको कई कठिनाइयां हैं।

मैं बिहार से आता हूं। बिहार में भी उत्तर बिहार की विडम्बना है कि वह लघु उद्योग के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां की प्रति व्यक्ति आय भी कम है। यह इलाका पूरे देश में सबसे पिछड़ा इलाका है और वहां पर आज 600 लघु उद्योग इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं। सरकार ने 1975 में उत्तर बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण का भी गठन किया था। 20 वर्षों के बाद आज हालत यह है कि जो औद्योगिक विकास के कार्यालय खोले गए थे वहां आज भैंसें बांधी जा रही हैं। संपूर्ण बिहार आज एक अजीब स्थिति से गुजर रहा है। उद्योग धंधों के नाम पर केवल एक ही उद्योग रह गया है और वह है अपहरण का उद्योग। इस धंधे में कुछ लोगों को अवश्य रोजगार मिला हुआ है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, या जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन जो बाकी उद्योग धंधे हैं वे तमाम उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं। वहां बिजली का संकट है। उत्तर बिहार में लघु उद्योग के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उन पर रंगदारी टैक्स लगाया जाता है। नतीजा यह है कि उद्योगपति बिहार छोड़कर जा रहे हैं। लघु उद्योगों को ऋण मिलने में विलंब होता है। जो सरकारी मशीनरी है उसमें दौड़-धूप करने और स्थापना में ही पूंजी का बहुत बड़ा भाग खर्च हो जाता हैं। ...**(व्यवधान)** उनके उत्पादन की बिक्री के लिए कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण ये लघु उद्योग-धंधे बंद हो रहे हैं।

बिहार का यह इलाका अत्यंत संवेदनशील है। भारत सरकार का ध्यान इस ओर कितना है इसके बारे में भी में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

2 मार्च, 1994 में एक सम्मानीय सदस्य ने एक सवाल उठाया था कि चालू पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिए बिहार के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है और गत पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटित राशि से यह राशि कितनी कम है। उस समय जो उत्तर भेजा था उसमें लिखा था कि बिहार के ग्राम तथा लघु उद्योग सैक्टर के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 120.32 करोड़ रुपये है। दूसरा उत्तर था कि ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित परिव्यय 70 करोड़ रुपया था, जबकि तमाम व्यय 87.85 करोड़ रुपये था। यह साबित करता है कि हम इसके प्रति ज्यादा जागरूक नहीं हैं, सरकार जागरूक नहीं है। मेरा निवेदन होगा कि हमारे मित्र जो संकल्प लाए हैं हम उनके संकल्स से सहमत है। हमारे मित्र अजय चक्रवर्ती जी ने सुझाव रखा है कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। यह सवाल पहले 1989 में श्री हनन मोल्लाह जी ने इसी सदन में एक प्राइवेट मेम्बर बिल लाकर उठाया था। आज भी इसी प्रकार का बिल है जब काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने की बात आती है तो फिर इस पर ज्यादा धनराशि खर्च करनी होगी। मेरा निवेदन होगा कि जितने घोटाले हो रहे हैं यदि उन घोटालों की राशियों को ही खजाने में लाया जाए तो मैं समझता हूं कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार देने के लिए जो राशि दिखाई नहीं पड़ती उसकी भरपाई हो जाएगी। यदि सरकार सचमुच में इस बारे में चिंतित है तो वह इस बारे में कोई ठोस उपाय करें। मैं अजय चक्रवर्ती जी के इस सुझाव से सहमत हूं कि समस्याओं को देखने के लिए, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए, उनके लिए कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प और संकल्प के अंदर जो चार तत्व हैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री कठेरिया द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्य के संकल्प का समर्थन करता हूं।

हम समय-समय पर बेरोजगारी की इस ज्वलन्त समस्या पर चर्चा करते रहे हैं। बेरोजगारी और कम रोजगारी सभी विकासशील राष्ट्रों की दीर्घकालिक समस्यायें हैं।

जनसंख्या में लगातार वृद्धि और धीमी गति से औद्योगिकरण बेरोजगारी के मुख्य कारण हैं। अमरीका जैसे विकासशील देश और यूरोपीय देश भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरी स्मृति के अनुसार अमरीका में बेरोजगारी की दर छः प्रतिशत है। यूरोप में हर दसवां व्यक्ति बेरोजगार है। अतः विश्व का कोई देश इस गंभीर समस्या से मुक्त नहीं है।

महोदय, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार इस विश्व में 82 करोड़ लोग बेरोजगार हैं उनमें से 3.5 करोड़ लोग विकासशील देशों में बेरोजगार हैं। भारत में रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के अनुसार वहां 260 लाख बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं। महोदय यह बहुत ही गंभीर समस्या है। और यह ज्वलन्त समस्या अब बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है।

इस सम्मानीय सदन में इस समस्या पर अनेक बार विचार हुआ है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार का इस समस्या का समाधान करने या कम से कम बेरोजगारी की दर को विभिन्न योजनाओं और विभिन्न उपायों से कम करने का प्रयास रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में यह वचन दिया गया था कि बेरोजगारी के स्तर को नीचे लाया जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इस पर भी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। इससे देश में बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो गई है। मैं समझता हूं कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस समस्या से तुरन्त और गंभीरतापूर्वक निपटना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इससे सभी सहमत होंगे। देश के नौजवान कालेज शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार पाने की स्थिति में नहीं हैं। वे अपना नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कराकर रोजगार पाने की प्रतीक्षा करते हैं। नौकरी के लिए बार बार आवेदन देने के बावजूद जब उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है तो वे निराश हो जाते हैं और इस निराशा से वे नियंत्रण खो देते हैं ओर ऐसे काम कर देते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं होते हैं।

महोदय, मैं पंजाब में युवकों को दोष नहीं दे रहा हूं और जम्मू और कश्मीर के युवकों को भी दोष नहीं दे रहा हूं। वे कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा पथभ्रष्ट कर दिए गए हैं। ऐसे निराश युवकों को राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा पथभ्रष्ट किया जाना बहुत सरल है जो ऐसी युवक शक्ति का अनुचित लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। इस युवक शक्ति का राष्ट्र के हितों के विरूद्ध प्रयोग किया जाता है। उन्हें बन्दूकें तथा अन्य साज-सामान दिया जाता है। उन्हें धन और नशीली दवाइयां भी दी जाती हैं। इन तत्वों द्वारा इस देश के युवकों को शनैः शनैः पथ-भ्रष्ट किया जा रहा है। यह कोई भारत में ही नहीं हो रहा है, यह विश्व के अन्य भागों में भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो लोग इन गंभीर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं उनका मार्ग दर्शन वे तत्व कर रहे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जिसपर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए।

यह समस्या कहीं भी देखी जा सकती है। मैं अपने ही राज्य का उदाहरण दे सकता हूं। जब मैं छात्र था तब रोजगार कार्यालयों में कुल 26 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे। अब यह संख्या 43 लाख से भी अधिक है। और यह समस्या दिनोंदिन बढ़ रही है।

अब क्या हो रहा है? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है कि जबकि हम बेरोजगारी की इस विकट समस्या का सामना कर रहे हैं वहां अधिकांश राज्यों में रोजगार देने पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ

है। और यहां तक कि केन्द्रीय सरकार में भी यह प्रतिबन्ध देखा जा सकता है। रिक्त पड़े पदों पर कोई भर्ती नहीं की जा रही है। रोजगार देने पर सामान्य और आम प्रतिबन्ध लगाया हुआ है।

महोदय, रेलवे एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जहां हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वहां और अन्य सरकारी विभागों में भर्ती पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ है। आज भी, प्रश्न काल के दौरान एक या दो माननीय सदस्यों ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने का ठोस और उचित प्रश्न उठाया है। अनेक योग्य और कुशल लोग रोजगार की तलाश में हैं। लेकिन प्रतिबन्ध के कारण भटक रहे हैं। सरकार की ओर से सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकालने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अतः सरकार को रोजगारी व भर्ती पर से तुरन्त प्रतिबन्ध हटाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सरकार रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने की दिशा में समुचित कदम नहीं उठा रही है और जब ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है तो हमारे शिक्षित युवकों को रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त होंगे? सरकार को रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनेक रोजगार कार्यक्रमों की घोषणा करनी चाहिए।

राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उपसमिति ने कहा है कि 2002 तक शतप्रतिशत रोजगार उपलब्ध हो जायेगा। क्या हम यह पूरा कर सकते हैं? इस उप समिति ने जिस नीति व कार्यक्रम को स्वीकृति दी है वह 11 प्रस्ताव हैं। मैं इनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इन प्रस्तावों पर राष्ट्रीय विकास परिषद की रोजगार सम्बंधी उप-समिति में विचार किया गया था। उसने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी। सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया गया कि वर्ष 2002 तक हमारे देश में शत प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। यह स्वप्न मात्र है। इस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र को लें। यह क्षेत्र रोजगार वे अधिक अवसर प्रदान कर सकता है।

कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की दिशा में अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। 11 प्रस्तावों में से एक कृषि बारे में है। सरकार ने कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं।

मैं उन 11 प्रस्तावों के विस्तार में नहीं जाना चाहता जिनपर राष्ट्रीय विकास परिषद की रोजगार सम्बन्धी उप-समिति में चर्चा की गई थी।

लेकिन एक चीज तो निश्चित है कि हम सन् 2002 तक पूरे रोजगार का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते और यह वास्तविक है। अब, दूसरी सरकार आई है। वह इस स्थिति पर विचार करेगी और फिर कुछ सुझाव लेकर सामने प्रस्तुत होगी। लेकिन वर्तमान योजनाओं के बारे में क्या होगा? प्रधानमंत्री की रोजगार योजना आदि जैसी अनेक रोजगार-गारन्टी योजनाएं हैं।

मैंने इस सम्मानीय सदन में प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के बारे में दो या तीन प्रश्न उठाये थे। प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपने नाम पंजीकृत कराये हैं। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था और हम सब ने इसका स्वागत किया था। लेकिन अन्ततः हो यह रहा है कि इस योजना से देश के युवकों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। यह योजना भारत के प्रधान मंत्री के नाम से बनाई गई है जो सरकार के संवैधानिक प्रमुख हैं और उन्हीं के नाम से यह रोजगार योजना बनाई गई है। प्रत्येक जिले में अनेक शिक्षित लोगों और युवकों ने इस योजना के अन्तर्गत आवेदन दिए हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, मैंने अभी तक आरम्भ किया है।

सभापति महोदय : आपने 10 मिनट पहले आरम्भ किया था।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत मेरी चुनाव क्षेत्र में पिछले वर्ष जिला उद्योग केन्द्रों में 2 हजार से अधिक आवेदन पत्र आए। बैंक अधिकारियों तथा अन्य जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारियों का एक "कोर ग्रुप" अर्थात मुख्य दल हैं। वे एक साथ बैठकर आवेदन पत्रों की जांच करते हैं बैठकर आवेदन पत्रों की जांच करते हैं और फिर ऋण देने के लिए विभिन्न बैंकों को आवेदन पत्र भेज दिए जाते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि कोई उचित या समीचीन योजना नहीं है। और यदि ऐसी समीचीन योजनाएं होती तो बैंकों का व्यवहार पूर्णरूप से नकारात्मक नहीं होता। बैंक प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और उनका रवैया एकदम नकारात्मक है। मैं इसके अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

अतः प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत हमारे देश में बहुत कम लोगों को सहायता दी गई है। यदि कोई युवक एक लाख रुपये मांगता है तो वे उसे केवल 20 हजार रुपये देंगे और इन रुपयों से वह अपनी योजना आरम्भ नहीं कर सकता। अतः एक या दो वर्ष के बाद क्या होगा? जब यह व्यक्ति अपना व्यापार या योजना आरम्भ नहीं कर पायेगा तो वह उसे बाकीदार माना जायेगा और कुछ समय के बाद उसके विरूद्ध वसूली की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

अन्ततः वह व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्थिति में आ जायेगा। इस बारे में मैं अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं।

अतः ऐसे कार्यक्रमों, चाहे वह प्रधानमंत्री की रोजगार योजना है या 'ट्राइसेम' या कोई अन्य कार्यक्रम है, उसकी समुचित निगरानी नहीं होती है और ना ही उसे उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाता है। बैंक सहयोग नहीं कर रही है। वे कहते हैं "हमारा सीमित लक्ष्य है और आपने अधिक आवेदनों की सिफारिश कर दी है।" प्रधान मंत्री की रोजगार योजना बैंकों के नकारात्मक रवैये तथा अन्य औपचारिकताओं के कारण सफल नहीं हो सकती।

इस संकल्प में लघु उद्योगों के बारे में ठीक ही कहा गया है। क्या हम अपने देश में लघु उद्योगों को वचन ही दे सकते है? हमारे पास मूलभूत ढांचा नहीं है। हमें सर्वप्रथम मूलभूत ढांचा तैयार करना चाहिए जिसके बिना हम कुछ भी आरम्भ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास विपणन की सुविधाएं भी नहीं हैं।

जब मैं अपने राज्य केरल में ग्रामीण विकास मंत्री था तब हमने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरम्भ किया था। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा था। इससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का उत्थान करना था। इस समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले इसलिए कठिनाई में हैं क्योंकि उनके उत्पाद बाजार में नहीं उठ रहे हैं। यह एक समस्या है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पाने वाले लोग अपने उत्पादों को बाजार में नहीं ले जा सकते। इसलिए हमने इस का एक हल खोजा और हमने उत्सव के मौसम में मेलों का आयोजन किया ताकि उनके उत्पाद वहां खपाये जा सकें।

अन्य राज्यों में भी, मैंने अनुभव किया, कि वहां भी विपणन या बाजार व्यवस्था का अभाव था तथा मूलभूत ढांचे की सुविधाएं एवं बैंक सहायता का अभाव था।

हमारे देश के लघु उद्योगपतियों को ऐसे गतिरोधों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इन समस्याओं पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कहना बहुत सरल है कि हमें लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। लघु उद्योगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली और प्रबल समस्या उन्हें बैंकों से हो रही है। बैंकों का रवैया नकारात्मक है। वे उभरते हुए लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे उनकी सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं। लघु उद्योगपतियों के सम्मुख यही प्रमुख समस्या है।

जहां तक सरकारी कार्यक्रमों का सम्बन्ध है मैंने प्रधान मंत्री की रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 'ट्राईसेम' और जवाहर रोजगार योजना के बारे में उल्लेख किया है। जवाहर रोजगार योजना एक बहुत महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योजना है जिसे हम अनेक वर्षों से कार्यान्वित करते आ रहे हैं। कुछ राज्यों में यह कार्यक्रम उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है। लेकिन रोजगार के अवसर केवल 'मस्टर रोल' पर पैदा किए जा रहे हैं। किसी को भी वास्तव में रोजगार नहीं मिल रहा है। ठेकेदारों के अपने स्थायी कार्मिक हैं। केवल वे ही कार्य करेंगे और उन्हें ही धन मिलेगा तथा ठेकेदार को धन मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी को समुचित रोजगार नहीं मिल रहा है वहां रोजगार के कोई अवसर पैदा नहीं किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की यही वास्तविकता है। यहां तक कि जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटित की गई धनराशि का भी अनुचित उपयोग किया जाता है। इस के बारे में बहुत सी शिकायतें आई हैं। मैं कार्यक्रम की आलोचना नहीं कर रहा हूं। लेकिन कार्यक्रम को उचित ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए, इसकी उचित निगरानी की जानी चाहिए और इसका लाभ लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में यह कुछ नहीं हो रहा है। अतः वे सभी कार्यक्रम जो हमने उत्कृष्ट विचारों से तैयार किए थे असल होते दिखाई दे रहे हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वह इस मामले को देखे। यह मामला केवल सरकार द्वारा ही हल नहीं किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठन, युवक संगठन और सभी राजनतिक दलों को इसमें हाथ बटाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सार्थक चर्चा की जानी चाहिए। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की समस्या है और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाये बिना हम किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पायेंगे। अतः सभी राजनतिक दलों, युवक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ सार्थक चर्चा से ही हम किसी सहमति पर पहुंच सकते हैं। सरकारी कार्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए ताकि इसका लाभ लोगों तक पहुंचे।

सभापति महोदय : मुझे यह घोषणा करनी है कि इसके लिए 3 घण्टे का समय आवंटित किया गया था। तीन घण्टे पहले व्यतीत हो चुके हैं। मेरा सुझाव है कि चूंकि संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए आवंटित समय को बढ़ाया जाना चाहिए। यदि सदन सहमत है तो इस चर्चा के लिए दो घण्टे का समय और बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बेरोजगारी की समस्या पर रखे गए प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : आप हाउस कमेटी के चेयरमैन हैं। जो नये निर्वाचित सांसद आए हैं, उनको मकान की बड़ी दिक्कत है। आपसे निवेदन है कि उसके ऊपर भी ध्यान दें।

श्री नवल किशोर राय : माननीय सदस्य की बात पर मैं गम्भीरता से विचार करूंगा।

सभापति महोदय : आप रेजोल्यूशन पर बोलें।

श्री नवल किशोर राय : बेरोजगारी की समस्या न केवल अपने देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार परेशान हैं, फटेहाल हैं और उनको काफी कष्ट है। माननीय सदस्यों ने इस विषय पर विस्तार से अपनी बातों को रखने का काम किया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि कठेरिया जी ने जो यह संकल्प यहां रखा है और इसके लिए जरिए देश के महत्वपूर्ण सवाल पर हम लोग अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं।

सभापति जी, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या बाढ़ की तरह बढ़ती जा रही है, जिसकी चर्चा माननीय रमेश जी ने अभी की। मैं कहना चाहता हूं आखिर इसका निदान क्या है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि इस महत्वपूर्ण सवाल पर दल से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। आज 36 मिलियन लोगों का नाम रोजगार

दफ्तर में दर्ज है। जो दर्ज नहीं करा पाए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेराजगार हैं, उनकी तादाद भारी है। और वह दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जैसे नदी में बाढ़ का पानी उफान लिए हुए आता है। इस पर सभी सदस्यों ने तफसील से यहां अपने विचार रखे हैं।

हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह अवधारणा बनाई गई थी कि लघु उद्योगों का जाल बिछाकर, स्वाबलम्बन बनाकर बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। 50 वर्ष के बीच में बेरोजगारी के सवाल पर लघु उद्योगों के जरिए समाधान करने की मूल अवधारणा बनाई गई थी, उसका नतीजा हमारे सामने है। मेरा व्यक्तिगत मत है, इस सदन में सभी पक्ष के सदस्यों से मैं अनुरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि जब तक हम शिक्षा में व्यापक सुधार नहीं करेंगे तब तक शिक्षित बेरोजगारों की जो समस्या है, उसका निदान नहीं हो सकता।

मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा में रईसीपन बढ़ रहा है, दून संस्कृति बढ़ रही है, उसको रोका जाना चाहिए और शिक्षा में आमूल परिवर्तन करके शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। आज बी.ए., एम.ए. पास करके लोग आते हैं, उनको केवल किताबी ज्ञान होता है। वे स्वरोजगार खड़ा नहीं कर पाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को शिक्षा में व्यापक सुधार लाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और उसके जरिए बेरोजगारी की समस्या को कम भी किया जा सकेगा। इसके अलावा शिक्षा के बजट में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहता हूं बेरोजगारी का सवाल आता है, हम लघु उद्योगों के जरिए बेरोजगारी को कम करने की बात सोचते हैं, अवधारणा बनाते हैं, फिर बजट और योजना में उसे लाते हैं, परंतु कोई भी योजना हो, वह उस रूप में सफल नहीं हो पाती जिससे रोजगार का रास्ता निकल सके। पहले से जो सवाल खड़ा है कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, उसका हम समर्थन करते हैं। कई सदस्यों ने इस सवाल को भी उठाया है। हम मांग करते हैं कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए।

जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, तब यह बिल बन रहा था और सदन में आने वाला था। उस समय सरकार चली गई। कमोबेश राष्ट्रीय मोर्चे के रास्ते पर चलने वाली यह यूनाईटेड फ्रन्ट की सरकार है और इस सवाल को इस समय लेना चाहिए। अभी माननीय मंत्री जी बैठे हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी हमारी बातों को सुन रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी जो संयुक्त मोर्चा की सरकार है, इस संयुक्त मोर्चा की सरकार ने जो न्यूनतम कार्यक्रम बनाया है, उसके लिए मुझे चिन्ता और दुख है। मैं युवा जनता दल का अध्यक्ष भी हूं। मैंने संयुक्त मोर्चे के माननीय नेताओं को पत्र भी लिखा है कि जो न्यूनतम कार्यक्रम बनाए हैं, उनमें बेरोजगारी को समस्या को स्थान नहीं दिया गया है, युवा नीति के विकास को स्थान नहीं दिया गया है, शिक्षा में आमूल परिवर्तन को स्थान नहीं दिया गया है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि न्यूनतम कार्यक्रम कोई अंतिम नहीं होता है और फिर उसको न्यूनतम कार्यक्रम में लाना चाहिए। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि बेरोजगारी की समस्या को उस कार्यक्रम में रखकर नौजवानों के सवाल को उसमें प्रमुखता से जोड़कर सरकार के जरिये हल करना चाहिए। मैं अपना मत आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं कि जब हम दसवीं लोकसभा में थे तो हमने इसी सदन में युवकों के इन सवालों को उठाने का काम किया था।

सन् 1986 में जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो नौजवानों के लिए एक नीति बनाई गई थी। इसके लिए श्री राजीव गांधी का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय था लेकिन इसके जरिए देश में नौजवानों के लिए बदलाव का काम नहीं हो सका था। फिर 1989 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी थी, उस सरकार ने युवा नीति के विकास करने का फैसला लिया था। उसमें बेरोजगारी से लेकर शिक्षा के सभी अहम मुद्दों को शामिल करने का काम किया था। उस समय भी हमारी सरकार ग्यारह महीने चली थी। उस समय देश में सरकार ने राष्ट्रीय युवा परिषद का गठन भी किया था जो बाद में सरकार के चले जाने पर समाप्त हो गया। फिर तब से हम लोग 1993 से इस सवाल को लेकर संघर्ष करते रहे हैं और दसवीं लोकसभा में हमने इसी सदन में तत्कालीन युवा कार्य मंत्री श्री मुकुल वासनिक जी से इस बारे में सवाल किया था और सदन के फ्लोर पर हमें आश्वासन मिला था कि युवा नीति का विकास करेंगे, आम सहमति बनायेंगे और नौजवानों के लिए सम्यक रास्ता बनायेंगे तथा युवा नीति लेकर आयेंगे जिसके जरिए संविधानिक दर्जा देकर देश में नौजवानों को अधिकार देने का काम करेंगे। आज अभी कठेरिया साहब के संकल्प का समर्थन करते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आप राष्ट्रीय सहमति बनाइए। आप एक ऐसी मीटिंग बुलाइये जिसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के युवा प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए जिसमें स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए, स्वतंत्रता सैनानियों, पत्रकार बंधु या विद्वान-जन, विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम करने वाले प्राफेसरगण जो युवाओं की मांगों पर रिसर्च भी करते हैं और जो युवाओं के सवालों पर लिखने-पढ़ने का काम करते हैं, उनको चिन्हित करके कुछ प्रमुख लोगों को उस बैठक में बुलाकर एक आम सहमति बनाई जाये और उसमें विस्तार से चर्चा की जाए। ...**(व्यवधान)**

मैं सभापति महोदय से पांच मिनट का समय और लेना चाहूंगा क्योंकि मैं नौजवानों के बीच में काम करता रहा हूं, इसलिए मुझे आशा है कि आप पांच मिनट का समय मुझे और देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के स्तर पर आम सहमति बनाई जाए और उसमें युवा नीति के विकास के लिए व्यापक बहस कराई जाए।

मैं यह नहीं कहता कि जिन विचारों को मैं रख रहा हूं उन्हो विचारों को लेकर युवा-नीति बनायी जाए। मैं चाहता हूं कि सभी पक्षों की राय से एक राष्ट्रीय सहमति कायम की जाए और उसी के आधार पर एक युवा-नीति बनायी जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि उसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो। उसी युवा नीति के आधार पर शिक्षा में भी परिवर्तन कर उसे रोजगार-उन्मुख बनाया जाए। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए।

यह जो उदारवाद आया है इसके कारण एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों की नौकरियां जा रही हैं क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नौकरियों में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों के लिए आरक्षण नहीं है। संविधान में संशोधन करके निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण उसी अनुपात से लागू किया जाए जिस अनुपात में वह सरकारी नौकरियों में है।

गरीब लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उनके नौजवानों को निःशुल्क इन्टर तक शिक्षा की व्यवस्था करायी जाए। जो हमारी बहनें पढ़ती हैं उनके लिए स्नातक-स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के साथ-साथ सबके लिए मैट्रिक तक की शिक्षा अनिवार्य की जाए। इन सभी विषयों पर सम्यक राय बनाकर एक युग नीति बनायी जाए। मैं मांग करता हूं कि संविधान में संशोधन कराकर देश में एक राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने किया है। हमने 1993 में राष्ट्रपति जी के पास देश के बेरोजगार नौजवानों की एक राष्ट्रीय युवा परिषद बनाने के लिए हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन किया था लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे नहीं माना था। लेकिन राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम समिति बनाने का काम किया। मैं भी उसका सदस्य था। लेकिन वह समिति नहीं चल पाई क्योंकि उस समिति का कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था। मैंने एक मीटिंग में भी इस बात की मांग की थी और आज भी एक नौजवान की हैसियत से कह रहा हूं कि इस देश का नौजवान यह देख रहा है कि उसकी उर्जा से जो भी बदलाव होते हैं उस उर्जा के हिसाब से उनके लिए सोचने का काम नहीं होता है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि आप नौजवानों के बारे में सोचिए। दुनिया की कोई भी क्रांति, चाहे व बोल्सेविक क्रांति रही हो या जर्मन में हुई क्रांति या अपने देश में स्वतंत्रता की लड़ाई या फिर लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति रही हो, सब में नौजवानों की ऊर्जा की खपत हुई है। नौजवानों की ताकत पर ही कोई भी लड़ाई जीती जाती है। लेकिन लड़ाई जीतकर जब वे यहां आते हैं तो नौजवानों की भलाई को पीछे रख देते हैं। अब समय आ गया है जब संयुक्त मोर्चा सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारी मांग है कि नौजवानों के लिए राष्ट्रीय युवा परिषद का गठन किया जाए और उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि नौजवानों की ऊर्जा पर जो ताकत चले उन नौजवानों के हाथ में केवल रिकमेंडिंग अथॉरिटी का काम हो, उसके द्वारा बनी कोई समिति केवल अनुशंसा करे। हम उसे इम्प्लीमेंटिंग अथारिटी कमेटी बनाना चाहते हैं। आप उसको संवैधानिक दर्जा दीजिए। एक चुनी हुई युवा-परिषद बनाइये।

हां, अभी रमेश चेन्नित्तला जी ने सवाल किया है कि रेलवे से लेकर सभी विभागों में भर्ती बंद हैं। मैं आग्रह करता हूं कि उन भर्तियों को खोला जाए। उन तमाम मुद्दों को तय करने का अधिकार राष्ट्रीय युवा परिषद का हो। राष्ट्रीय युवा परिषद लोकतांत्रिक पद्धति से बने और उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। हम दुबारा मांग करते हैं कि राष्ट्रीय युवा परिषद रिकमेंडिंग अथोरिटी न होकर एक इम्प्लीमेंटिंग अथोरिटी हो। सभी लोगों की राय लेकर समाजिक न्याय की बात को भी इसमें शामिल किया जाए। शिक्षा को भी शामिल किया जाए।

उसमें काम का अधिकार शामिल हो, यह हमारा विचार है। मुझे आशा है कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी। देश की आजादी के बाद बेरोजगारी के सवाल को हल करने के लिये लघु उद्योगों का जाल बिछाने का कार्यक्रम चला जिसे कई सांसदों ने अलग-अलग रूप से व्यक्त किया है। राज्य सरकारों के स्तर पर लघु उद्योगों के लिये छोटे-छोटे निगमों की स्थापना की गयी। सभी निगम फटे-हाल थे। मैं 10वीं लोकसभा की उद्योग संबंधी स्थायी समिति का सदस्य रहा हूं। उस समिति में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने देखा कि सभी राज्य सरकारों ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की हुई है। लघु उद्योगों के लिये जमीन अर्जित की गयी और उद्योग लगाये गये। श्री कठेरिया जी बोल रहे थे तो उन्होंने फिरोजाबाद के कांच उद्योग का जिक्र किया। मैं भी फिरोजाबाद गया हूं, इसलिये उनका समर्थन करता हूं। मैंने यह भी देखा कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित छोटे-छोटे उद्योग बीमार हो गये हैं लेकिन उनके सुधारने की कोई स्थिति दिखाई नहीं देती है कि उसमें अधिक से अधिक लोगों को लगाया जा सके। भारत सरकार के स्तर पर बीमार उद्योगों के लिये नेशनल रिव्यु फंड की व्यवस्था है। मेरी जानकारी के अनुसार इस फंड की जो राशि रह जाती है, उसे खर्च नहीं किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकारों के ऐसे उद्योग, जो बीमार हैं, के लिये यह राशि खर्च किये जाने का प्रावधान किया जाये। सरकार को परमिट करना चाहिये कि ऐसे उद्योगों पर वह पैसा लगाया जाना चाहिये ताकि उनका सुधार हो सके। मुझे आशा है कि सरकार इस सुझाव पर अवश्य ही विचार करेगी।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कई वर्षों से चल रही है। हमने देखा है कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो बेरोजगारों का सलेक्शन करती है। इस योजना में बेरोजगारों को ऋण दिया जाता है। यह ऋण बैंकों से मिलता है लेकिन वहां बड़ी गड़बड़ होती है। बेरोजगार लोग अपनी चप्पलें तोड़ते चलते फिरते फिसले रहते हैं लेकिन उन लोगों को ऋण नहीं मिल पाता है। यह एक उपयोगी योजना हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लिये एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिये जो सभी पक्षों की बात या सुझाव लेकर कार्यान्वित करे। यह ऋण एक लाख की सीमा से बढ़ाकर पांच लाख कर देना चाहिये। इसका एक सही समय पर एक खिड़की पर भुगतान कर सकें। सरकार द्वारा एक सम्यक् उपाय ढूंढकर इस योजना को सफल बनाना चाहिये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : मुझे खेद है, महोदय, जब आपने पहले मेरा नाम बोला तो मैं उपस्थित नहीं था। क्योंकि मैं एक मंत्री महोदय से मिलने गया था।

संभापति महोदय : ठीक है, आपको अवसर से वंचित नहीं किया गया है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री कठेरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ही चर्चित तथ्य है और यह समस्या प्रत्येक घर में है। आप भारत में ऐसा एक भी घर नहीं पाएंगे जहां कोई युवक या युवती बेरोजगार न हो।

ऐसी स्थिति में हम सभी यह सोच रहे हैं कि बेराजगारी की यह समस्या कैसे हल की जाए। हमने 8 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर ली हैं। और लक्ष्य था बेरोजगार युवकों की संख्या को कम करना। लेकिन दुर्भाग्य है कि बेरोजगार लोगों की लाइनें बढ़ती ही जा रही हैं। सभी योजनाओं, और पिछले 50 वर्षों में कार्यान्वित किए गए सभी कार्यक्रमों के बावजूद बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तो यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि बेरोजगार लोगों की वास्तविक संख्या कितनी है। पहले तो रोजगार कार्यालयों से बेरोजगार लोगों के आंकड़े प्राप्त कर लेते थे लेकिन ये रोजगार कार्यालय बेरोजगार लोगों के वास्तविक आंकड़े नहीं दे रहे हैं।

योजना आयोग तथा दूसरे लोग कार्यालय बिना वास्तविक जांच किए बेरोजगार लोगों की संख्या में प्रतिवर्ष 2 या 1 प्रतिशत की वृद्धि कर देते हैं। कुछ समय पहले मैं अपने एक बहुत ही विद्वान मित्र डा. अशोक मेहता से बातचीत कर रहा था, ये राज्यसभा के सदस्य हैं। मैंने उनसे कहा कि उनके जैसे विद्वान व्यक्ति भी कार्यालय में बैठे बिना वास्तविक जांच किए प्रतिवर्ष कुछ संख्या बढ़ाकर आंकड़े दे देते हैं। ऐसी स्थिति है और हम जानते हैं कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 15 या 20 करोड़ के करीब होगी क्योंकि हमारी महिलाएं गृह महिलाएं बेरोजगार हैं या उन्हें पूरा रोजगार नहीं मिला हुआ है।

जब हम इस देश में युवक आन्दोलन को बल दे रहे हैं तो हम सोचते हैं कि रोजगार मांगने के बजाए हमें काम की मांग करनी चाहिए। हमें रोजगार का यह वर्तमान स्वरूप साम्राज्यवादी एजेंसियों से मिला है जहां इसे क्लेरीकल या लिपीकीय अर्थ में लिया जाता है। समस्त देश तो क्लर्कों का स्थान नहीं बन सकता। यदि समस्त क्लर्कों का स्थान बन जाता है तो राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि यह कैसे होता है। इसीलिए इसके साथ हम यह महसूस करते हैं कि श्रम की एक सम्मानीय संस्कृति हो। दुर्भाग्य से हमारे देश में श्रम के लिए कोई सम्मान नहीं है। मैं यह नहीं समझ पाता कि गांव में रहने वाला युवक किसान जो बीज से पौधा पैदा करता है, उसे घृणा से क्यों देखा जाता है। एक कवि की तुलना में उसे कम महत्व क्यों दिया जाता है? यह सही है कि एक कवि कुछ सृजन करता है लेकिन इसके साथ ही गांव में रहने वाला एक अनपढ़ किसान भी बीज से पौधा उगाकर कुछ सृजन करता है। हम श्रम का आदर करना भूल जाते हैं। सामान्यतः हम सोचते हैं कि ये निम्न श्रेणी के लोग हैं। लेकिन यह वे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, सृजन करते हैं और जो बहुसंख्यक हैं। हमने उनकी गरिमा को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन कार्यालयों में बैठकर योजना बनाने वालों, भ्रष्टाचार में लिप्त होने वालों और देश को बरवाद करने वालों का हम आदर करते हैं। उन्हें सभी सुविधाएं मिलती हैं आदर सम्मान मिलता है जबकि हम मेहनत करने वाले और राष्ट्र का वास्तव में निर्माण करने वाले ग्रामवासियों का आदर नहीं करते हैं।

महोदय, प्रथम तो हमें काम पैदा करना है जिससे आय के कुछ साधन बने और जिससे हम जीवित रहें। हमें ऐसे काम का सृजन करना है।

देश में केवल लिपकीय रोजगार पैदा करना ही काफी नहीं है। इस संकल्प में सामान्य बेरोजगारी पर चर्चा करने की कोई गुंजाईश नहीं है। मेरे मित्र ने बेरोजगारी का उन्जूलन करने के लिए लघु उद्योगों की भूमिका का उल्लेख किया है सामान्यतः सभी जानते हैं कि बेराजगारी क्या है, यह कैसे पैदा की जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और यह सब कैसे हो रहा है। यह संकल्प वास्तव में बेरोजगारी उन्मूलन के लिए लघु-उद्योगों की भूमिका के बारे में है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है।

मैं पहले सरकार से निवेदन करूंगा कि लघु उद्योगों का साथ दे क्योंकि देश में रुग्ण अथवा बन्द पड़े 4 लाख उद्योगों में लगभग 90 से 95 प्रतिशत लघु उद्योग हैं। केवल 5 प्रतिशत ही बड़े उद्योग हैं। 3,85000 या 3,90,000 लघु उद्योग हैं जिनमें विभिन्न प्रकार का उत्पादन होता है। हम उन्हें पुनः जीवित कैसे कर सकते हैं? हम इन लघु उद्योगों को चालू रख सकते हैं? संयुक्त मोर्चे की सरकार द्वारा इन लघु-उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हम जानते हैं कि लघु उद्योगों को संरक्षण देने की हमारी नीति है। लेकिन जो भी सरकार आती है वह लघु-उद्योगों की सूची में कटौती ही करती है जिस में बड़े और मध्यम पैमाने के उद्योग शामिल नहीं होते हैं। उद्योगों की यह सूची बेरोजगारों को खपाने के लिए ही बनाई गई है। लेकिन प्रत्येक सरकार इस सूची में कटौती करती है और कुछ मदों का उत्पादन लघु उद्योगों के क्षेत्र से निकाल दिया। लोगों के मन में अब यह भी शंका है कि इस सूची में और कटौती की जा सकती है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि लघु-उद्योगों के लिए सुरक्षित सूची को स्पर्श ही नहीं किया जाए। और इस सूची को बरकरार रखा जाए जो लघु-उद्योग इस सूची में हैं उन्हें सहायता दी जाए।

दूसरे, जहां तक वित्तीय संस्थानों का सम्बन्ध है वे अपनी भूमिका उचित ढंग से नहीं निभा रहे हैं। इनके विरूद्ध बहुत सी शिकायतें मिल चुकी हैं। उनसे ऋण लेना बहुत कठिन कार्य है। ऋण लेने के लिए बहुत सी अनिवार्यताएं दूरी करनी पड़ती हैं। वहां भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। एक व्यक्ति को 30,000 या 50000 रुपये का ऋण लेने में 3 या 4 वर्ष का लम्बा समय लग जाता है और जब ऋण नहीं मिल पाता है तो प्रत्येक बेरोजगार युवक निराश हो जाता है। भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण उसे ऋण की राशि कैसे अग्रिम रूप से व्यय करना पड़ता है। इस भ्रष्टाचार की बजह से गरीब, छोटे तबके के लोगों को, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है। हम उन्हें कैसे सहायता दे सकते हैं? इस सरकार

को इस समस्या पर सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि लघु और कुटीर उद्योग के लिए जो भी धन आवंटित किया जाता है वह धन उन तक पहुंचे और उसका पूरा उपयोग किया जाए।

तीसरी समस्या कच्चे माल के बारे में है। अलग-अलग लघु उद्योगों को अलग-अलग प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है और कच्चा माल मिलना बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वह कालीन उद्योग है अथवा हथकरघा उद्योग है, होजरी उद्योग है अथवा लघु-उद्योग है। सभी ओर कच्चे माल की कमी है। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए इस तरह से योजना तैयार करनी चाहिए ताकि कच्चा माल सुगमता से और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। इस कच्चे माल की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए।

चौथी समस्या है उत्पादन के विपणन की। वे अपने उत्पादों को बेचने के लिए बजार में नहीं जा सकते। बाजार और उनके दरमियान बिचौलिए होते हैं जो उन्हें लूटते हैं यदि एक उत्पाद 5/- रुपये में बिकता है तो उसे 50/-रुपये में बेचा जाता है लेकिन उत्पादक को केवल 5/- रुपये ही मिलते हैं और बिचौलिया 40 रुपये चट कर जाता है।

हम इनके बीच से बिचौलियों की भूमिका को कम कर सकते हैं। और फिर वास्तविक उत्पादक और लघु उद्योग लाभ उठा सकते हैं। अतः उनकी बाजार में सुगम पहुंच तथा अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध किए जाने चाहिए। यदि सरकार इन सभी बातों का ध्यान रखेगी तो तभी बेरोजगारी का समाधान हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। प्रधान मंत्री बार-बार घोषणा करते हैं कि वह न केवल समाज के ऊंचे लोगों, अमीर लोगों की ही सहायता करेगी बल्कि आम जनता, उद्योगपतियों में से लघु-उद्योगों, कुटीर उद्योगों आदि की भी सहायता करेगी। उद्योगों में लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को आम आदमी चलाता है। उन्हें साधारण व्यक्ति और ग्रामीण चलाते हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपने वचन को पूर्णरूपेण निभाये तथा लघु और कुटीर उद्योगों की सहायता करे। सरकार एकाधिकारवादियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा सभी बड़े लोगों के दबाव में न आए। यदि सरकार इन दबावों का सामना कर पायेगी और लघु उद्योगों का साथ देगी तभी बहुत अधिक संख्या में बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। लघु-उद्योग और कुटीर-उद्योग ही देश में सबसे अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। यदि हम इनका साथ दें तो तभी अधिक संख्या में बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। आशा करता हूं सरकार इन सभी सुझावों पर ध्यान देगी और इस दिशा में आवश्यक कदम उठायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, मैं श्री प्रभुदयाल कठेरिया के संकल्प का इसलिए ही समर्थन, स्वागत नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनके नाम के साथ 'प्रभु' शब्द लगा है लेकिन इसलिए कि उन्होंने बेरोजगारी के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को लिया है। मैं प्रसन्न हूं कि उन्होंने न केवल बेरोजगारी की बात की है बल्कि उसे लघु-उद्योगों के एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे से भी जोड़ा है। अतः हो सकता है कि ये कई तरह से एक दूसरे से अन्तर्सम्बद्ध हों जैसा कि मैं आगे कहूंगा।

हम सदा यही कहते हैं कि बेरोजगारी तो विश्वव्यापी मामला है और इसीलिए हमें इसकी अनदेखी कर देनी चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार विश्वव्यापी पहलू बन गया है और वस्तुतः हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया में बेरोजगारी की समस्या और भ्रष्टाचार यहां व्याप्त होने अनिवार्य हैं। अतः मैं नहीं समझता कि सार्वभौमीकरण से हमने यह सीख ली है।

बेरोजगारी का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं है बल्कि यह सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह सम्पूर्ण समाज के लिए सामाजिक कलंक की भांति हैं जब कुछ लोग कहते हैं कि वे समृद्धिशाली हो रहे हैं जबकि दूसरे लोग बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। हमारे देश के बहुत से भाग विशेषकर उत्तर-पूर्वी और पूर्वी भाग तथा देश के कुछ अन्य भाग जो वास्तव में पिछड़े क्षेत्र हैं जहां हम आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि देख रहे हैं, समस्याग्रस्त हैं और यह इसलिए है क्योंकि हम वहां रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते हैं और हम उन लोगों को रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। हमारे पास इस सम्बन्ध में बहुत ही रूचिकर आंकड़े हैं। फिर भी आंकड़ों से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है।

हमारे पास आंकड़े हैं। मैं सी.एम.आई.ई. की रिपोर्ट से आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अनुसार देश में 1961 में लगभग 327 रोजगार कार्यालय थे और 1995, में इनकी संख्या बढ़कर 891 हो गई। रोजगार पाने के इच्छुक लोगों जिन्होंने इन रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराए इनकी संख्या 1961 में लगभग 18.33 लाख थी जो 1995 में अर्थात् 35 वर्ष बाद बढ़कर 374.84 लाख हो गई। महोदय, यदि हम इन आंकड़ों का वास्तविकता से मिलान करें तो सच्चाई बिल्कुल भिन्न होगी। मेरे एक विद्वान मित्र ने कहा कि प्रत्येक घर में एक व्यक्ति बेरोजगार है। यह है स्थिति। हम जानते हैं देश में कितने परिवार हैं। अतः बेरोजगार लोगों के बारे में सर्वेक्षण करने वाली एक प्रसिद्ध एजेंसी के अनुसार देश में 22 प्रतिशत से अधिक लोग बेरोजगार हैं। अतः बेरोजगारी की समस्या बहुत विकट हो गई है। यदि इस समस्या का तुरन्त समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह समस्या बहुत ही गम्भीर हो जायेगी जिसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। अतः इस समस्या का सम्बन्ध लघु उद्योगों से भी है। जैसा कि हम जानते हैं किसी अर्थव्यवस्था जो भी रोजगार पैदा किया जाता है वह तीन क्षेत्रों से पैदा किया जाता है।

अपराह्न 5.00 बजे

ये क्षेत्र हैं सेवाएं। नोकरियां, कृषि अथवा उद्योग और उत्पादन क्षेत्र। पिछले वर्षों में हमने यह देखा है कि उत्पादन क्षेत्र के प्रगति कार्य की दर बहुत अच्छी रही है और इस क्षेत्र ने अच्छी प्रगति की है जो लगभग 10 प्रतिशत की दर से रही है। लेकिन इस क्षेत्र द्वारा सृजित

रोजगार की संख्या उस गति से नहीं बढ़ी हैं जिस गति से उसका औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। देश में यह एक नई स्थिति उत्पन्न हो रही है और हम नई नकजीक या प्रौद्योगिकी अपना रहे हैं जिससे हम कार्मिकों को तो विस्थापित कर रहे हैं और उद्योग को अधिक उत्पादक बना रहे हैं और उत्पादनों की लागत तो कम कर रहे हैं लेकिन लोगों को मिलने वाले रोजगारों की संख्या घटा रहे हैं।

चौंकाने वाला दूसरा पहलू यह है कि कृषि क्षेत्र उस गति से प्रगति नहीं कर रहा है जिस गति से उसे प्रगति करनी चाहिए। वस्तुतः यह उस दर से भी प्रगति नहीं कर रहा है जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था का यह एक अन्य चौंकाने वाला पहलू है। यह आज की चर्चा का विषय नहीं है।

तीसरा क्षेत्र सेवाओं का क्षेत्र है जो विश्वव्यापी स्तर पर प्रगति कर रहा है और अब नई नौकरियां या रोजगार भी पैदा कर रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में जो भी नए रोजगार या काम सृजित हो रहे हैं उनका ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं भारत की 70 प्रतिशत या 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण भारत है। इसीलिए हमें देश के इस भाग में बेरोजगारी के बारे में बहुत चिंता है। हमें इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। लघु उद्योग इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लघु उद्योगों को कोई भी व्यक्ति आरम्भ कर सकता है। इसमें प्रवेश करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जैसा कि हमने चर्चा की कुछ अन्य उद्योगों में प्रवेश करने का अब हम यह कहकर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि जब तक आपके पास एक निश्चित पूंजी नहीं होगी आपके पास अनुभव या प्रौद्योगिकी नहीं होगी तब तक आप इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जबकि लघु उद्योग क्षेत्र में सभी प्रवेश कर सकते हैं। जैसाकि मेरे माननीय मित्रों ने यह सुझाव दिया है कि ऐसा नई योजना लागू या आरम्भ करने से नहीं हो सकता। हमारे पास अनेक योजनाएं हैं। यदि इन योजनाओं से यह समस्या हल हो सकती तो देश में एक भी युवक बेरोजगार नहीं होता। हमारे पास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जवाहर गारंटी योजना है, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, नेहरू रोजगार योजना है, प्रधान मंत्री का समेकित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम है, और फिर रोजगार मिटाने के नाम में गन्दी बस्ती निवासियों के लिए योजना है। इन सभी योजनाओं का वास्तविक और कुल परिणाम यह है कि देश में 22 प्रतिशत से अधिक लोग बेरोजगार हैं। अतः हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि देश में लघु-उद्योग कैसे जिन्दा रह सकते हैं, क्योंकि यही क्षेत्र बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकता है। वह बहुत से लोगों की क्रय शक्ति पैदा कर सकता है और देश के सभी बड़े उद्योगों की तुलना में यही लघु उद्योग क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र में रोजगार का सृजन कर सकता है।

अपराह्न 5.02 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरे एक विद्वान मित्र श्री रमेश चेन्नित्तला ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिवेदन से महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए है जिनसे यह पता चलता है कि आने वाला समय कैसा होगा। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि यह समस्या देश में क्या रूप धारण करने वाली है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें यह महसूस करना चाहिए कि लघु उद्योगों की समस्या कैसे हल की जाए। मेरे से पहले के वक्ता ने बताया कि कच्चे माल की बहुत समस्याएं हैं। मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा।

मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हमने इसी सदन में एक कानून पास किया कि यदि किसी कम्पनी द्वारा जारी किया चैक बैंक से अस्वीकृत होकर आ जाता है तो वह संज्ञेय अपराध है। लघु उद्योगों से उनके उत्पादन खरीदने वाली कम्पनियां इन उद्योगों को समय पर भुगतान नहीं करती हैं। समय पर भुगतान नहीं मिलता है कहीं कहीं तो उन्हें एक वर्ष तक भुगतान नहीं मिलता है, ऐसे में उन्हें गैर-अदायगी की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है। इस मामले पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अतः लघु उद्योग अधिनियम में कुछ ऐसे संशोधन किए जाने की आवश्यकता हैं जिससे इसे कुछ कठोर बनाया जा सके लघु उद्योगों को अपने उत्पादों का ठीक समय पर भुगतान मिले और वे दीवालिएपन की समस्या से उभर सकें।

एक अन्य समस्या की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह समस्या मूलभूत ढांचे के बारे में है। मैं जानता हूं कि देश इस मूलभूत ढांचे की समस्या से जूझ रहा है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में बताया है कि मूलभूत ढांचे की आवश्यकता 200 बिलियन डालर अथवा 7 लाख करोड़ रुपये की है। मैं यह नहीं समझ रहा हूं कि यह आवश्यकता कितने वर्षों में पूरी हो पायेगी। इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार देश मूलभूत ढांचे में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से प्रतिवर्ष 10 बिलियन डालर ही खपाये जा सकते हैं। अतः इन्ही आंकड़ों के अनुसार हमें वर्तमान दर से और आज की आवश्यकता के अनुसार यदि इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 10 बिलियन डालर निवेश किये जायें। मूलभूत ढांचे की समस्या को हल करने में और 20 वर्ष लग जायेंगे। यह देश की समस्या है। लेकिन लघु उद्योग क्षेत्र भी मूलभूत ढांचे की समस्या का सामना कर रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो केन्द्रीय सरकार में विद्युत मंत्री रह चुके हैं इस बात से सहमत होंगे कि सभी लघु उद्योग विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्हें विभिन्न बिजली बोर्डों से बहुत ही असामान्य दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। कभी-कभी तो उन्हें उस अवधि के लिए न्यूनतम अधिकार का भुगतान करना पड़ता है जबकि बिजली प्राप्त नहीं होती है। मैं अपने क्षेत्र, जहां का मैं संसद में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं के कम विकसित क्षेत्र कोंकण का एक उदाहरण दे रहा हूं। वहां को उद्योगपतियों को उस अवधिका बिजली का अधिभार देना पड़ता है जिस अवधि के दौरान उन्हें बिजली सप्लाई नहीं की गई है। यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। हमें लघु उद्योगों के मूलभूत ढांचे की इन कमियों को दूर करना होगा। इसका यह भी तात्पर्य है। कि हमें वहां पानी, सड़कों आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। आशा करता हूं सरकार इस समस्या पर ध्यान देगी।

लघु उद्योगपति अभिमन्यु की भांति हैं जो लघु उद्योगों के चक्रव्यूह में फंसतो जाता है लेकिन उसे उसमें से निकलने के मार्ग का पता नहीं। बैंकों से ऋण लेकर लघु उद्योग आरम्भ तो कर लेता है लेकिन आधारभूत ढांचे के अभाव में वह काम नहीं कर पाता। ऐसा बार-बार होता है जिससे लघु उद्योग या तो बन्द हो जाते हैं या फिर रुग्ण हो जाते हैं। हम बातें तो करते हैं कि हमारा औद्योगिक उत्पादन 8 या 9 प्रतिशत बढ़ गया है लेकिन हम यह नहीं बताते हैं कितने रुग्ण उद्योग पुनः कार्यक्षम हो गए हैं। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमारे देश में पूंजी की कमी है। हम सदैव विदेशी पूंजी को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हमारी घरेलू बचत निवल घरेलू उत्पाद की 22 प्रतिशत भी नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी घरेलू बचत हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो निवेश की गई धन राशि रुग्ण पड़े इन लघु उद्योगों में किए गए अवरूद्ध धन को पुनः परिचालन में लाना होगा। हमें अतिरिक्त पूंजी लगाकर इन लघु उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए कार्ययोजना बनानी होगी। हमें इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी लानी होगी जिससे लघु उद्योग आने वाले समय में प्रति स्पर्धा की चुनौती का सामने करने के लिए तैयार हो जाएं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह कोई भी नहीं कहेगा कि आप पीछे की ओर देखते हुए आगे बढ़ें। यह व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी सच है। समृद्धि की ओर आगे बढ़ता हुआ हमारा देश भारत पीछे की ओर नहीं देखेगा। हमें सदैव इतिहास से सीख लेनी चाहिए। कुछ ही वर्ष पहले हमारे देश में बड़े समृद्ध ग्रामोद्योग थे। इन उद्योगों ने बहुत रोजगार पैदा किए हैं। वहां बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हुए हैं उनके कौशल का भरपूर लाभ भी उठाया गया है। वहां रोजगार के साथ-साथ धन भी बहुत कमाया गया है और यह सार्वभौम रूप से मान्य है। ये ग्रामोद्योग अब समाप्त प्राय हो गए हैं, और इस प्रक्रिया में सामाजिक तनाव पैदा हो गया है। ये कारीगर ग्रामीण क्षेत्रों से अब शहर के केन्द्रों में आ रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस परिवर्तित विश्व में वे अपना काम कैसे करें। उनका जीवन और रहन सहन का तरीका बिल्कुल बदल गया है। अतः वे अब इस नए संसार में पूर्णतः विस्थापित हो गए हैं और उनकी कारीगरी का कौशल अनुपयुक्त हो गया है। एक ओर तो हमारे पास ऐसे कारीगर हैं जो धन कमा सकते हैं और दूसरी ओर हम उनके कौशल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसी नीति का निर्धारण किया जाए जिससे ग्राम उद्योगों को फिर से प्रमुखता और गौरव प्राप्त हो। हमारे नागरिकों की इस अनुप्रयुक्त सम्पदा को फिर से मुख्य धारा में वापस लाया जाये।

एक और समस्या है जिसका मेरे मित्र श्री रमेश ने उल्लेख किया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या प्रच्छन्न, रोजगारी की समस्या। हम सदैव प्रति वर्ष सृजन किए गए रोजगारों और कमाए गए धन का उल्लेख करते हैं। लेकिन जो आंकड़े हम प्रस्तुत करते हैं उनमें भी प्रच्छन्नता भरी होती है। जिस पद को हम देखते हैं कि वह वास्तविक रूप से भरा हुआ है। लेकिन वह पद वस्तुतः भरा हुआ नहीं होता है। अतः हमें यह देखना चाहिए कि जब हम रोजगारी की बात करते हैं तो कहा प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या भी होती है।

एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है जिसकी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम इसका दो भागों में उल्लेख करते हैं। शिक्षित बेराजगार हैं और अशिक्षित बेरोजगार हैं।

जो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं उससे उस व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, जो रोजगार प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। यह व्यवस्था की असफलता है। शिक्षा का अर्थ जागरुकता लाना है। शिक्षा की यही भूमिका है।

हमारी प्राचीन संस्कृति में लोग आश्रमों में जाकर पूजा करते थे ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। शिक्षा का यही उद्देश्य है। हमारे वर्तमान समाज में हम कहते हैं 'यदि शिक्षित नहीं हैं' तो आपको काम नहीं मिलेगा।' आप की यह गलत धारणा है। हम पाठशाला, कालेज और विश्वविद्यालय में जाते हैं लेकिन यह सब रोजगार देने में असफल रही है।

हम शिक्षा को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे ज्ञान मिले, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे रोजगार मिले। अतः राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जो शिक्षा को दो भागों में विभाजित करे। ज्ञान के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए शिक्षा। रोजगार के लिए शिक्षा, जिसे हम व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं विभिन्न स्तरों पर दी जा सकती है और विशेषकर ग्राम स्तर पर, जिससे हमारे कारीगरों के प्राचीन कौशल का उपयोग किया जाए जो उन कारीगरों को वंशानुगत प्राप्त है।

दूसरा पहलू हम में से कई के लिए चिंताजनक है जिसका मेरे एक मित्र जो मेरे जैसे चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र में कोंकण जैसे चुनाव क्षेत्र से आए हैं, ने उल्लेख किया है। वह भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर है। वहां बहुत अधिक संख्या में लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। वे बहुत अधिक खतरों में हैं। यह लघु उद्योग जैसा क्रियाकलाप है। यह रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान कर सकता है। यह खतरे में पड़ गया है क्योंकि वहां विदेशी मछली पकड़ने की नौकाओं से तट दूर मछलियां पकड़ी जाती हैं और गहरे समुद्र में मछली पकड़ी जाती हैं। पता नहीं यह हमने कब कहा कि हमारे द्वार सभी के लिए खुले हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य तो नहीं कि हमारे समुद्र तट सभी के लिए खुल हैं और जो भी चाहे वहां आये। यह प्राचीन इतिहास है। हमने सदैव अपने सभी अतिथियों का स्वागत किया है। लेकिन अतिथि यहां आकर हमें लूटते हैं वे अतिथि नहीं हैं, जिन्हें हम अपने देश में चाहते हैं। हम हर उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे जो यहां आकर हमारी सहायता करे। यदि वे हमारी सहायता चाहें तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं लेकिन अपने उन मछुआरों की कीमत पर नहीं जिनके वैध अधिकारों पर विदेशियों द्वारा कुठाराघात किया गया है जो बरबाद हो गए हैं। अतः हमारी एक नीति होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सम्बन्धित मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे।

एक अन्य बात यह है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक गैर सरकारी सदस्य विधेयक पुरःस्थापित किया है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक

व्यक्ति को काम पाने का अधिकार हो। मुझे यह सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता है हमें श्रम की गरिमा प्रदान करनी चाहिए। यह बात भी नहीं हैं कि जिस कार्य को आप करते हैं उसे हेयदृष्टि से देखा जाए। प्रत्येक कार्य या श्रम का आदर किया जाना चाहिए और काम पाने के अधिकार को इसी परिप्रेक्ष्य में देख जाना चाहिए। जो लोग काम की तलाश करते हैं, लेकिन जिन्हें यह व्यवस्था काम प्रदान नहीं कर सकती उन लोगों को इसका कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। यह विदेशी संकल्पना है जिसे हम 'बेकारी भत्ता' कह सकते हैं। जो व्यक्ति काम चाहता है और उसे रोजगार नहीं मिलता है तो उसे कुछ मुआवजा मिलना ही चाहिए। मैं समझता हूं कि यह मुद्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एक पहलू है क्योंकि समाज से व्यक्ति को कम से कम यह तो अपेक्षा करनी चाहिए। उदीयमान इस नए समाज के संरक्षक के रूप में मुझे विश्वास है कि यह साझा मुद्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रम का अंग है जो इतना समान है कि इसका सभी को भागीदार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री एक कृषक परिवार से आये हैं और वह अवश्य ही इस संकल्पना के भागीदार होंगे यद्यपि मैं ऐसा व्यक्ति होने का दावा नहीं करता। अंत में, मैं एक या दो मुद्दे रखना चाहूंगा। यह प्रौद्योगिकी का युग है इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जिस तरह नई प्रौद्योगिकी हमारे देश में परिवर्तन ला रही है, जो एक विश्वव्यापी वास्तविकता है, इसका अनेक वैज्ञानिकों, अर्थ शास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने वर्णन किया है कि यह प्रौद्योगिकी का युग है। अतः हम भी पीछे नहीं रहना चाहते। सरकार को प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना करनी चाहिए, एक प्रौद्योगिकी अन्तरण परिस्थिति हो जिसमें लघु उद्योगों की पहुंच हो ताकि ये लघु उद्योग उस प्रौद्योगिकी के अनुसार अपना विकास कर सके। लेकिन यह प्रौद्योगिकी सामान्य व्यक्ति की पहुंच में होनी चाहिए जिससे वह सामान्य व्यक्ति बड़े से बड़े खिलाड़ी से मुकाबला कर सके। अतः हम इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकते कि अमरीका जैसे देश में जिसका कुल घरेलू उत्पाद विश्व में सबसे अधिक है, वहां इस क्षेत्र द्वारा ही अधिक रोजगार सृजित किए गए हैं। उसदेश में भी बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों में ही अधिक रोजगार पैदा किए गए हैं। वस्तुतः वे कहते हैं कि हमें काम चाहिए नाकि भयावह काम क्योंकि मेक्डोनाल्ड्स के द्वारा 'घण्टे' के हिसाब से अधिक रोजगार पैदा किए जाते हैं और वहां कोई निश्चित काम नहीं है। इसलिए वह कहते हैं कि भयावह काम, मैक्डोनाल्ड काम नहीं चाहिए किन्तु वास्तविक काम चाहिए। ये काम लघु उद्योगों द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं बड़े उद्योगों द्वारा नहीं। अतः हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पहुंच प्रौद्योगिकी तक हो।

महोदय, मेरा अन्तिम मुद्दा लघु उद्योग क्षेत्र को हो रही वित्तीय कठिनाइयों के बारे में कोई व्यापार आरम्भ करना सदैव एक पुनीत इच्छा होती है। लेकिन व्यापार चलाने के लिए हमें उसे सक्षम बनाना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा, जैसाकि मैंने पहले कहा वह अभिमन्यु की स्थिति में आ जायेगा, अर्थात वह व्यापार के कठिनाई रूपी चक्रव्यूह में फंस तो जायेगा किन्तु वहां से निकल नहीं पायेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को व्यापार चलाने के कौशल की शिक्षा देनी चाहिए। हम आमतौर पर कहते हैं कि बैंक धन नहीं देते हैं। हम जानते हैं कि बैंकों में जमा 85 से 90 प्रतिशत तक धन हमारा जमा है क्योंकि सम्पूर्ण बैंकिंग क्षेत्र, कुछ प्राइवेट और विदेशी बैंकों के अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत है अथवा सहकारी क्षेत्र में है। इसलिए यह धन जनता का धन है। अतः लघु उद्योगों को केवल अच्छी भावनाओं के आधार पर ही वित्त पोषित नहीं किया जा सकता हमें यह देखना चाहिए कि वहां धन उचित तरीके से व्यय किया जाए जिससे कि अधिक धन की पुनः प्राप्ति हो और इसके लिये लघु उद्योगपतियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह दो बातें करे। एक हमारे देश में जो जोखिम या उद्यम पूंजी तैयार की जाए। जब हम विश्वव्यापीकरण (ग्लोबेलाईजेशन) की बात करते हैं, तो हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि शेष विश्व में क्या हो रहा है। हम भारत को एकान्त में नहीं देख सकते और यह नहीं कह सकते कि **मैक्डोनाल्ड, कैन्टकी फ्राईड चिकन, और पिज्जा नटस** समस्त विश्व में व्याप्त है, इसलिए ये भारत में भी होने चाहिए लेकिन क्यों नहीं? जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम को यह नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका में हजारों जोखिम पूंजी कम्पनियां हैं। जोखिम पूंजी संस्थान हैं जो लघु उद्योगों को उद्यम पूंजी देती है। जो व्यक्ति अपना व्यवसाय आरम्भ करना चाहता है वह इन संस्थानों से उद्यम पूंजी ले सकता है। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां एक पिता अपने पुत्र को धन देता था क्योंकि वह यह महसूस करता था कि उसने यह धन कमाया है और उसका पुत्र व्यवसाय आरम्भ कर उसे बरबाद करने जा रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में व्यवसाय करना कोई सम्मानजनक कार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश प्रभु : जी हां, मैं समाप्त कर रहा हूं।

अतः महत्वपूर्ण है जोखित पूंजी निधि जोखिम/उद्यम पूंजीपति आप को उद्यम पूंजी देंगे क्योंकि जब आप बैंकों से धन मांगने जायेंगे तो वह केवल 70 या 75 प्रतिशत ही देंगे। अतः बाकी 25 प्रतिशत पूंजी आपकी साम्य पूंजी है जिसका आपको उपयोग करना है। लेकिन भारत में समस्या यह है कि यह शेष 25 प्रतिशत पूंजी भी लोगों के पास नहीं होती है। अतः यह 25 प्रतिशत पूंजी कम ब्याज पर कहां से ली जाए? यह धन उद्यम पूंजीपतियों द्वारा ही दी जा सकती है मैं समझता हूं कि हमें ऐसी अधिकाधिक कम्पनियों को उद्यम पूंजी आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। यहां केवल ऐसी एक या दो कम्पनियां ही चालू हुई हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यह पूंजी आरम्भ की है। आई.सी.आई.सी.आई. ने आरम्भ की है। मैं यह नहीं कहंगा कि उन्होंने यह कार्य आरम्भ कर दिया है। किन्तु उन्होंने आरम्भ करने का प्रयास किया है। ऐसी सम्भावना हो सकती है। भारत में हमारी एक योजना है जिसके अनुसार ब्याज की विभेदी दरों पर बैंक ऋण देंगे। वास्तविक ब्याज की दर और ब्याज की विभेदी दर के अन्तर को राजसहायता माना जायेगा। लेकिन यह योजना समाप्त कर दी गई। हम सभी विदेशी, भारतीय तथा अन्य बैंकों से अनुरोध करते हैं कि उद्यम पूंजी निधि आरम्भ करने के लिए एक निधि-निकाय बनाएं और अपने मुनाफे का कुछ भाग इसमें लगाएं।

इससे अनेक लघु उद्योगपतियों, को सहायता मिलेगी और वे अपना व्यापार व व्यवसाय चल सकेंगे और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। तथा इस प्रक्रिया में देश लाभान्वित होगा।

महोदय, मैं जानता हूं कि समय का अभाव है। लेकिन मैं शीघ्र ही अपनी दूसरी बात कह दूंगा। हमने देश में छोटा एक्सचेंज चालू किया जिसे ओ.टी.सी.ई.आई. अर्थात ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इण्डिया कहा जाता है। यदि यह एक्सचेंज सुचारू रूप से कार्य करने लगे तो यह लघु उद्योगों के लिए वरदान सिद्ध हो सकता हैं और ये उद्योग पूंजी बाजार में पदार्पण कर अपनी परियोजनाओं के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं पूंजी बाजारों ने काफी प्रगति की है। जिससे और भी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यदि लघु उद्योगों की वहां तक पहुंच सरल हो जाये तो वे इस मार्ग से पदार्पण कर सकते हैं और इससे नए उद्यमियों को इस क्षेत्र में जाने की सहायता मिल सकती है। मैं महसूस करता हूं कि ओ.टी.सी.ई.आई. को सशक्त बनाने और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

महोदय, आपने मुझे इतना अधिक समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय कोई भाषान्तरकार नहीं, है ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेणुगोपाल, कृपया कुछ प्रतीक्षा करें। हमारे पास भाषान्तरकार नहीं है। बेहतर होगा यदि आप अंग्रेजी में बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर) : क्या यह मंत्री जी को समझ में आ रहा है? हमको तो समझ नहीं आ रहा है।...**(व्यवधान)** न तो यहां कोई लिखने वाला है, न हम इसको समझने वाले हैं। आपके यहां सचिवालय में लिखने वाला भी तो नहीं है। भाषण का अनुवाद नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : भाषान्तरकार का प्रबंध हो रहा है। अब हमारे पास भाषान्तरकार है। माननीय सदस्य अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

***श्री डी. वेणुगोपाल** : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने चाहिए। हमें बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी योजनाओं के लाभ देश के सभी लोगों को प्राप्त हों। हजारों शिक्षित और अशिक्षित युवक पर्याप्त रोजगार के अवसरों के अभाव में बेरोजगार घूम रहे हैं। अनेक वर्षों तक शिक्षासंस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर और स्नातक की उपाधि लिए रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराकर रोजगार के लिए बेसबरी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह जानकर बड़ा कष्ट होता है कि उनमें से केवल 10 प्रतिशत को ही रोजगार प्राप्त हुआ और शेष 90 प्रतिशत अभी बेरोजगार हैं। ये शिक्षित बेरोजगार, जिनमें अधिकांश स्नातक हैं, रोजगार की तलाश में सरकारी कार्यालयों तथा अन्य संस्थानों के दरवाजे खटखटाते हैं। हमें स्वतंत्रता प्राप्त किए 50 वर्ष हो गए हैं और अभी तक हम यह नहीं जान पाये हैं कि इस असहाय स्थिति का कब अन्त होगा। इस स्थिति पर काबू पाने के बाद ही हम विश्व में सम्मानीय दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। केवल औद्योगिकरण से ही हम अधिकाधिक रोजगार पैदा कर सकते हैं। हमें यही करना चाहिए और इस परिस्थिति को बदलने को यही सशक्त प्रक्रिया है।

औद्योगिकीकरण करते समय हमें लघु उद्योग क्षेत्र पर अपना ध्यान संकेन्द्रित करना चाहिए और लोगों को अपने लघु उद्योग आरम्भ करने हेतु उन्हें पर्याप्त सहायता देकर उचित अवसर प्रदान करने चाहिए। हमें छोटे उद्यमियों को अपने ही लघु उद्योग एकक खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपने लघु उद्योगों का बड़े पैमाने पर विकास कर सकें। हम लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा ही कुछ वस्तुओं का निर्माण करने के लिए उन मदों को उन्हीं के लिए सुरक्षित कर इस क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करते आ रहे हैं। 1967 में 47 मद इसी क्षेत्र द्वारा निर्माण किए जाने के लिए सुरक्षित किए गए थे। 20 वर्ष बाद 1996 में इस सूची में 836 मद शामिल हुए हैं। इस स्थिति में केवल लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा निर्माण करने के लिए कुछ मदों को सुरक्षित करने की इस अनन्यता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया की आवश्यकता को महसूस करते हैं।

आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के बारे में मैं यही कहूंगा कि बाजार की अर्थव्यवस्था व्यवहार में आ गई है। ये बाजार शक्तियां लघु उद्योग क्षेत्र को काफी चुनौती दे रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सुरक्षित मदों की संख्या में किसी प्रकार की कमी न की जाए। इसके अलावा सरकार लघु उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए विपणन संगठनों का गठन कर इन्हें सहायता दे सकती है।

हम देख रहे हैं अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में आ रही हैं। उन्हें विशेष औद्योगिक गतिविधियों में ही अपना कार्य आरम्भ करने की अनुमति दी जानी चाहिए और वह भी सरकार की अनुमति से। उन्हें उच्च प्रौद्योगिकी और विदेशी निवेश वाले बड़े उद्योगों में ही राशि निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें केवल उन्हीं उत्पादों का विपणन करने की छूट दी जानी चाहिए जिनका वे उत्पादन करती हैं अन्य उत्पादों का नहीं। लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उन उत्पादों का विपणन कर रही हैं जिनका निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इस देश में पहले से ही उपलब्ध उत्पादों के विपणन तथा उनके संवर्धन के नाम पर वे उनका ऊंचे मूल्य पर विक्रय कर रही हैं और बहुत अधिक मुनाफा कमा रही

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हैं। हमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश के लघु उद्योग एककों का शोषण करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और औद्योगिक प्रगति रूकेगी क्योंकि लघु उद्योग एककों को लाभ का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि लघु उद्योग क्षेत्र की प्रगति में आ रही रूकावटों को दूर करे। सरकार को यह देखना चाहिए कि युवकों और बेरोजगारों को वित्तीय संस्थानों से सुगमता से ऋण मिले। ऋण सहायता उदार होनी चाहिए। लघु उद्योग क्षेत्र को यथा संभव मूलभूत ढांचे की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। वित्त, विद्युत, पानी तथा अन्य सम्बन्धित मौलिक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक ही स्थान पर निपटान व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार को आई.डी.बी.आई. और एस.आई.डी.बी.आई. की तरह ही राष्ट्रीय कारीगर विकास बैंक की स्थापना करने पर विचार करना चाहिए जो ग्रामीण कारीगरों के लिए बहुत सहायक होगा। इससे लघु उद्योग क्षेत्र को राहत मिलेगी और कारीगर विचौलिए के शोषण से बच जाएगा, क्योंकि बिचौलिया उनके उत्पादों को खुद तो बहुत अधिक मूल्य पर बेचता है लेकिन कारीगर को निवेश सहायता के नाम पर बहुत कम मूल्य देता है। मैं आशा करता हूं कि उद्योग मंत्री महोदय श्री मुरासोली मारन इस सही दिशा में कदम उठायेंगे। मैं देश में औद्योगीकरण के नये युग में पदार्पण के उनके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

मैं इस सदन को अपने डी.एम.के. के नेता और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री, श्री एम. करूणानिधि द्वारा बेरोजगार युवकों विशेषकर शिक्षित बेरोजगार युवकों के कष्टों को दूर करने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने राज्य में बेरोजगार स्नातकों को ग्रामीण कल्याण अधिकारियों के रूप में कार्य करने संबंधी एक योजना की घोषणा की है। तमिलनाडु विधान सभा में इस महीने की 17 तारीख को बजट प्रस्तुत करते समय इस योजना की घोषणा की और बताया कि इस योजना से लगभग 35000 युवकों को रोजगार मिलेगा। मैं कामना करता हूं कि केन्द्रीय सरकार भी ऐसी ही योजना तैयार करे जिसका विभिन्न राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में कार्यान्वयन किया जाए।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक ही स्थान पर कार्य निपटान योजना की आवश्यकता है जहां उन सभी बेरोजगार युवकों को, जो अपने लघु उद्योग एकक आरम्भ करना चाहते हैं, सरकार से सभी सहायता मिलेगी। ऋण सहायता उदार होनी चाहिए और इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को समुचित सलाह दी जाए कि वे जरूरत मंद युवकों की सहायता करें। हमें सरकारी अधिकारियों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों की सामयिक बैठकों का आयोजन करना चाहिए जिसमें युवकों और उद्यमियों से मिला जाए जिन्हें अपने लघु उद्योग एकक स्थापित करने के लिए सभी सम्भव सहायता दी जाए। उनके आवेदन पत्रों का तुरंत निपटारा किया जाए और उन्हें अपने उद्योग चलाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इससे न केवल व्यक्तियों को ही लाभ होगा बल्कि देश को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। सरकार को जरूरतमंद युवकों के लिए गारंटी देने के लिए आगे आना चाहिए और उन्हें सम्भावित हानि के लिए बीमे की सहायता भी दी जाए। इससे लघु उद्यमियों को प्रोत्साहम मिलेगा और उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

अतः बेरोजगारी की समस्या का अन्त करने वाले इस संकल्प का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, श्री प्रभुदयाल कठेरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करता हूं।

संकल्प के दो भाग हैं। एक भाग में वह हमारे देश में बढ़ रही बेरोजगारी की ओर सदन का और इस सदन के माध्यम से देशवासियों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। संकल्प के दूसरे भाग में उन्होंने लघु उद्योगों और उनके सामने आ रही समस्याओं के बारे में सुझाव दिए हैं।

सर्वप्रथम मैं सभा का ध्यान हमारे देश में व्याप्त गरीबी की बहुत ही गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। हाल ही में एक या दो महीने पहले संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद की 1996 की रिपोर्ट में गरीबी के बारे में हमारे देश की बहुत ही दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है।

महोदय, बेरोजगारी और गरीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। बेरोजगारी और गरीबी अविभाज्य हैं। मुझे यह देख कर खेद होता है कि इस सभा के कुछ माननीय सदस्य और अर्थशास्त्री गरीबी की सच्ची यथार्थता को यह कहकर टालने का प्रयास करते हैं कि बेरोजगारी तो विश्वव्यापी समस्या है, जिस तरह भ्रष्टाचार विश्वव्यापी तथ्य है, मानों इसका विश्व के किसी भाग में कोई समाधान नहीं है, और जहां तक भारत का सम्बन्ध है यह समस्या कभी हल नहीं होने वाली है। मेरा तो यह कहना है कि जिनके दिमाग में यह विचार है वे इस तथ्य से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि अभी कुछ वर्ष पहले तक विश्व का एक-तिहाई भाग बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त था जबकि यूरोप और विश्व के कुछ भागों में समाजवादी राज्यों का साम्राज्य था। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां बेरोजगारी का ऐसा अभिशाप नहीं है और कुछ देशों ने अर्थव्यवस्था के नए तरीकों और आर्थिक प्रबन्धन की नई नीति अपनाकर इस समस्या का समाधान कर लिया है।

हम रिपोर्ट पर ही आते हैं। रिपोर्ट में भारतीय जनता की गरीबी का अत्यंत दुःखदायक और दयनीय चित्रण किया गया है। कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि हमारे देश में 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम अपने देश के इन 23 करोड़ लोगों की कमाने की क्षमता का अनुमान लगाएं, किन्तु हम यदि मानव की वास्तविक आवश्यकता के अभाव को ध्यान में रखें और उनकी मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक क्षमता का अनुमान लगाएं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद की 1996 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 55 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

महोदय, प्रश्न कार्य करने की क्षमता का नहीं है लेकिन इस आधुनिक युग में हमें मानव की न्यूनतम आवश्यकता की व्यवस्था करने की क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा।

महोदय, रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाली बातें भी कही गई हैं। इसमें बताया गया है कि विश्व की 85 प्रतिशत परिसम्पति पर केवल 20 प्रतिशत अमीर लोगों का कब्जा है। इस लिए गरीब-अमीर के सम्बन्ध अपनी भूमिका निभाने लगते हैं। हम इन तथ्यों की अवहेलना नहीं कर सकते। गरीबी, बेरोजगारी, तथा जीवन के अन्य अभिशापों का गरीब-अमीर के सम्बन्ध से सीधा और अपरिहार्य सम्बन्ध है यह कुछ तथा कथित अर्थशास्त्रियों का तर्क है जिन्होंने हमारे देश की गरीबी की गणना करते समय अमीर और गरीब के बीच सम्बन्धों को भुला दिया है।

महोदय, हमें विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिशतता की दृष्टि से भारत 88 देशों से पीछे है। कुल मानव विकास की दृष्टि से 174 देशों में भारत की स्थिति 135वीं है। भारत पाकिस्तान और कनाडा से पीछे है तथा बंगलादेश भूटान और नेपाल से कुछ आगे है। यदि कोई यह कहे कि यह तो विश्वजनीन तथ्य है तो मैं उसकी कठोर आलोचना करूंगा। भारत विश्व का एक भाग है और इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी भारत गरीब विश्व का एक भाग होना पंसद नहीं करेगा। हम इस समृद्धिशाली विश्व में अपना बैद्य हिस्सा चाहते हैं।

महोदय, अब हम तथाकथित 'सिद्धान्त', ऐसे सिद्धान्त पर जो नीचे की ओर सरक रहा है, पर आते हैं। प्रश्न उस माडल के बारे में है जिसका हमने आर्थिक विकास के लिए चयन किया है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जिस माडल का हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही अनुसरण कर रहे हैं वह ऐसा माडल है जिससे हमारे देश की गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि भारत ने विकास के उस माडल का अनुसरण किया है जिसे आई.एम.एफ. और विश्व बैंक ने दर्शाया है। यह ऐसा माडल है जो रोजगार पैदा करने के बजाए रोजगार के अवसर बंद करता है।

महोदय, मैं इस रिपोर्ट का आभारी इसलिए हूं क्योंकि इसने इस समस्या की स्पष्ट रूप से पहचान कराई है और यह बताया गया है कि इस माडल को बदलना चाहिए। जब तक विकास का यह माडल बदला नहीं जायेगा तब तक रोजगार की क्षमता व सम्भावनाएं नहीं बढ़ेंगी। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद की रिपोर्ट में कहा गया है कि आई.एम.एफ. और विश्व बैंक द्वारा प्रत्यायोजित यह माडल प्रगति एवं विकास में सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। दूसरी ओर यह विकास और प्रगति के मार्ग में बाधा डालता है और प्रति उत्पादक बन जाता है।

अब इस सदन और इस सरकार के सामने प्रश्न यह है कि क्या हमें विश्व बैंक और आई.एम.एफ. द्वारा प्रायोजित माडल का अनुसरण करते रहना चाहिए? क्या हमें माडल का पालन करते रहना चाहिए जो औद्योगिकरण के विरूद्ध है? जो रोजगार पैदा करने के बजाए उसके अवसर बंद करता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद की रिपोर्ट में आगे कहा गया है :

> "पिछले दशक के दौरान 69 देशों के अध्ययन से पता चलता है कि 46 देशों में से, जिन्होंने आर्थिक प्रगति की है, केवल 27 देशों में रोजगार बढ़े हैं जबकि 19 देशों ने रोजगार विहीन प्रगति की है।"

आज देश में प्रगति हो रही है। विकास हो रहा है। लेकिन रोजगारी के अवसर समाप्त हो रहे हैं। भारत को इस मार्ग का त्याग करना चाहिए। मेरी शिकायत तो यह है कि हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। जिससे रोजगार के अवसर पैदा नहीं होते उनका विस्तार नहीं होता किन्तु रोजगार की सम्भावनाओं का हनन होता है। मैं सदन के हित में यह मांग करता हूं कि इन माडल में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इस माडल का क्या परिणाम निकाला है जिसका हम हाल ही से पालन करते आ रहे है? मैं अतीत के वर्षों में नहीं जाना चाहता। मैं 1991-95 से शुरू करता हूं जिसे आप भूल नहीं सकते और हमें यह भूलना भी नहीं चाहिए। हमें इससे सबक लेना चाहिए। 1991-95 के आई.एम.एफ. विश्व बैंक के परिणामों से देश में 1.5 लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं अर्थात उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से नौकरी से निकाल दिया गया। भारी संख्या में नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं। इस तरह बेरोजगार हुए लोगों की संख्या 6.46 लाख हो गई है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पिछले 5 वर्षों से केन्द्रीय सेवाओं में कोई भर्ती नहीं की गई है। क्या आप नौकरियां सृजित कर रहे हैं? क्या और नौकरियां पैदा करते हैं या फिर उन्हें समाप्त करते है? 4.5 लाख से अधिक सक्रिय, लघु मध्यम दर्जे के, और बड़े उद्योग बन्द हो गए हैं। यह समापन, रूग्णता उस नमूने की वजह से है जिसका हम पालन करने के लिए विश्व बैंक तथा आई.एम.एफ. द्वारा मजबूर किए जा रहे हैं। यदि सरकार के बीमा उद्योग सम्बन्धी मल्होत्रा समिति की सिफारिशें मान ली और कार्यान्वित की तो नौकरियां और कम हो जायेंगी। यदि बैंकिंग उद्योग सम्बन्धी नरसिम्हन समिति की सिफारिशें मान ली और कार्यान्वित की गई तो रोजगार और भी कम हो जायेंगे। महोदय, यह वह नीति है जो नौकरियों को समाप्त करती है यह नौकरयों को सृजन नहीं करती है। जब तक हम इस नमूने को नहीं बदलते हैं तो मैं समझता हूं कि हम देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे।

मैं आपका समय यह बताने में व्यतीत नहीं करना चाहता कि जन साधारण के लिए बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। देश के लिए बेरोजगारी का क्या अर्थ है और बेरोजगारी की समस्या हमें कहां ले जायेगी। आप इस भंयकर समस्या को हल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप लोगों के सरकार से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब तक आप आर्थिक प्रबंधन के माडल, विकास के माडल पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप लोगों के मशीनों से अलग होने (अलगाव) की बात तक नहीं सोच सकते। यह विकास का ही

प्रश्न नहीं है, प्रश्न है विकास किसके लिए? प्रश्न है किस तरह किया जाए? यह कोई विकास मात्र नहीं है। केवल विकास के लिए अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती लेकिन विकास से एक प्रकार का सामाजिक न्याय की संकल्पना होनी चाहिए और सामाजिक न्याय से सम्बन्धित कुछ तत्व हों और अन्य सामाजिक समस्याएं भी अन्तर्निहित हों।

मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले कुछ दशकों के दौरान रोजगार वृद्धि 2.25 या 2.1 लाख के आस पास रही है। रोजगार में यह वृद्धि मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के कारण हुई है। जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है रोजगार में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। कभी कभी तो वृद्धि दर शून्य रही है।

वास्तविकता यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम देश में प्रमुख रोजगार दाता हैं। जिस माडल का हम पालन करने के लिए बाध्य हो गए हैं वह गैर-सरकारी या निजी क्षेत्र के लिए है और गैर-सरकारीकरण तथा सार्वभौमीकरण के लिए है, यह देश में सरकारी क्षेत्र को समाप्त करने के लिए है। आप इस समस्या का कैसे समाधान कर सकते हैं।

मैं इसके दो उदाहरण दूंगा। हमने जनता कपड़ा योजना नाम से एक योजना तैयार की थी। लोक लेखा समिति ने अपने बाईसवें प्रतिवेदन में सुझाव दिया था कि जनता कपड़ा योजना को समाप्त कर दिया जाए और मैं समझता हूं कि वह योजना समाप्त कर दी गई है। इसके क्या परिणाम निकले हैं? मैं लोक लेखा समिति की विद्वत्ता को चुनौती नहीं दे रहा हूं। समिति ने यह सिफारिश की थी कि विस्थापित लोगों को वैकल्पिक रोजगार दिया जाए। उस योजना को समाप्त कर दिया लेकिन वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं किए गए हैं। आप स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं।

अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के अनुसार देश में लगभग 43 लाख हथकरघा बुनकर हैं उनमें से 22 लाख बुनकर पूर्णकालिक बुनकर हैं। देश में कुल 38 लाख करघों में से असम में 14 लाख से अधिक हैं, जो लगभग 41 प्रतिशत हैं अर्थात किसी राज्य में सबसे अधिक करघे। इसके पश्चात तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र आते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में ये सभी आत्म व्यवसायी हैं

श्री पी.सी. चाको (मुकुन्दपुरम) : पारम्परिक उद्योग लघु उद्योगों से भिन्न हैं।

श्री चित्त बसु : मेरे कहने का तात्पर्य है कि वे अपना रोजगार स्वयं चलाते हैं। यह क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र से दूसरे स्थान का क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह जनगणना या सर्वेक्षण के आंकड़े हैं। जिस आर्थिक नीति का हम अनुसरण कर रहे हैं वह सामान्य व्यक्ति को जीवन निर्वाह के अवसरों से वंचित रखती है। वह रीति आम लोगों को उत्पादन के माध्यमों से वंचित रखती है और जीवन के अवसरों से भी वंचित रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प का दूसरा भाग लघु उद्योगों और उनकी समस्याओं के बारे में है। इससे सभी सहमत होंगे कि हमारी कुल विदेशी मुद्रा का 40 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र कमाता है। हमारे कुल घरेलू उत्पाद का 38 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र उत्पादन करता है।

उद्योग मंत्री महोदय द्वारा कुछ समय पहले दिए गए नीति वक्तव्य के बारे में मैं अपनी शंका व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार का विदेशी कम्पनियों के साम्य पूंजी भागीदारी की सीमा 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। सरकार का विचार लघु उद्योगों की परिभाषा बदलने का है ताकि बड़े उद्योगों के घरेलू प्रयास से अधिक निवेश का प्रावधान किया जा सके। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, यदि बहुराष्ट्रीय निगमों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है जो लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सुरक्षित हैं तो रोजगार की सम्भावनाओं का विस्तार नहीं होगा अर्थात रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे बल्कि यह और संकुचित हो जायेंगे और यह समस्या और भी गंभीर हो जायेगी

महोदय, यदि यह माडल बदला नहीं गया और भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश के लिए अधिकाधिक अवसर बनाए गए तो परिणाम और अधिक घातक हो सकते हैं।

अब, मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह बेरोजगारों की संख्या का प्रश्न नहीं है; केवल प्रश्न यह नहीं है कि क्या विश्व में कोई ऐसा देश है जहां बेरोजगारी नहीं है यह वाद विवाद यहीं समाप्त नहीं होना चाहिए। यह वाद विवाद उस प्रश्न के बारे में होना चाहिए कि क्या हम आर्थिक विकास के वर्तमान माडल का अनुसरण करें या फिर इसे बदलें। मैं इसे बदलने के पक्ष में हूं।

महोदय, जब तक हम इस माडल को नहीं बदलेंगे तब तक बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सशक्त नहीं होगी और हमारा भारत समृद्ध नहीं होगा और भारत अन्ततः नष्ट हो जायेगा। यह सरकार पिछली सरकारों की गलतियों से सबक हासिल करके उचित कदम उठायेगी तथा अपनी नीतियों को पुनः तैयार करेगी और हमारे देश के लिए आर्थिक माडल का पुनर्निर्माण करेगी और तभी हम पूर्ण रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर सकेंगे तथा भारत को शक्तिशाली और समृद्ध बना सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं श्री कठेरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कठेरिया साहब का प्रस्ताव है कि आज जो सबसे ज्यादा भयावह समस्या हमारे सामने बेरोजगारी की है इसमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का काफी अच्छा मौका दिया गया है। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक बेरेजगारी के सही आंकड़ों की जानकारी नहीं होती, तब तक इसके संबंध में कोई नई नीति नहीं बनाई जा सकती। जो भी आंकड़े दिये गये हैं वे बहुत ही भ्रामक हैं। मैं इस राय से बिल्कुल सहमत हूं कि पूरे देश के अंदर कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम एक आदमी बेरोजगार न हो। इसलिए औसत बेरोजगारी के संबंध में मैं समझता हूं पूरे देश में 15 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार लोग हैं। इसलिए मेरा पहला सुझाव यह है कि बेरोजगार

लोगों की सही संख्या की जानकारी के लिए जहां पर जिले में रोजगार कार्यालय हैं, वह रोजगार कार्यालय तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर पर और सारे विश्वविद्यालयों में भी खोले जाने चाहिए। ताकि उससे पूरे देश के बेरोजगारों की सही तस्वीर की हमें जानकारी हो।

दूसरी बात मान्यवार नीति की है। हमारे माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जो हमने विकास का ढांचा अख्तियार किया है, जो हमने आर्थिक नीति अख्तियार की, उस आर्थिक नीति और ढांचे का नतीजा यह बेरोजगारी है। यह बेरोजगारी हमारे पूरे आर्थिक विकास का निचोड़ है कि आखिर हमारी प्रगति का क्या नतीजा हुआ। क्योंकि एक तरफ जिस आर्थिक विकास के ढांचे को, जिस विकास के सिद्धांत को हमने स्वीकार किया वह देश के कुछ निहित वर्ग के लोगों की ही बेहतरी और उनके विकास के लिए है। बेरोजगारी की समस्या का निदान तभी संभव होगा जब हमारी अर्थव्यवस्था विस्तारकारी होगी। अर्थव्यवस्था में विस्तार का मतलब है कि जब हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ें, जब हम उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ें। यह सही है कि बेरोजगारी दूर करने का यह मतलब नहीं है कि हम लोगों को सरकारी नौकरियों में खपायें। लेकिन बेरोजगारी का यह मतलब जरूर है कि लोगों को काम करने का अवसर देना चाहिए और अगर काम करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो आप जानते हैं कि एक तरह से गरीबी बढ़ेगी। बेरोजगारी का सीधा संबंध गरीबी से है और गरीबी से दूसरे प्रकार की सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसमें मुख्य अपराध है, उसमें मानसिक विकार है और उसमें तमाम प्रकार के रोगों से लोग ग्रसित होते हैं। इसलिए इस समस्या के बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।

तीसरी बात मान्यवर मुझे यह निवेदन करनी है कि जैसा मैंने कहा कि जो संगठित उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग हैं, और हमने उद्योगों को क्षेत्र में, बड़े उद्योगों के क्षेत्र में जो टैक्नोलोजी अख्तियार की। और विदेशों की जो टैक्नोलोजी है, वह इतनी खर्चीली है कि उस पर जितने इन्वैस्टमेंट की जरूरत है, जितना पैसा लगता है, उस हिसाब से लोगों को रोजगार नहीं मिलता। आप जानते हैं कि भारत एक गरीब देश है जहां पूंजी की सबसे बड़ी समस्या है। उस पूंजी को अगर हम ऐसे उद्योगों में लगाएं, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध न हों तो उससे बेरोजगारी की समस्या का निदान सम्भव नहीं है। इसलिये हमेशा से हम इस राय के रहे हैं कि हमें ऐसी टैक्नोलोजी इस्तेमाल करनी चाहिये जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उस उद्योग में खप सकें और वह टैक्नोलोजी सहज हो, सरल हो, सामान्य लोगों की समझ में आ सके और जिसे आसानी से अपनाया जा सके। अगर कोई हाई तकनीक या हाई टैक्नोलोजी हम अपने देश में लाते हैं तो उससे केवल एक सीमित दायरे के लोग ही लाभान्वित हो सकते हैं, कुछ सीमित लोग ही उसे पकड़ पाएंगे।

आप जानते हैं कि हमारे देश में अशिक्षा की स्थिति क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नयं तकनीकी ज्ञान की बेहद कमी है। मैं यहां पूर्वांचल से आता हूं, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने बड़े-बड़े, पुराने और घिसे हुए आई.टी.आई. हैं, उनमें जो ट्रेड हैं, उनका आज कोई महत्व नहीं रह गया है। जितने पोलिटैक्निक्स हैं, वे भी नाकाफी हैं। जितने लोगों की हमें आवश्यकता है, उसमें जितने विद्यार्थी दाखला लेना चाहते हैं, उसमें नए ज्ञान और नई तकनीक के ज्ञान के जो अवसर उपलब्ध होने चाहिए, वे उपलब्ध नहीं होते।

इसलिये एक तरफ आवश्यकता इस बात की है कि हम नई तकनीक की जानकारी, अच्छी से अच्छी तकनीक की जानकारी लोगों को दें। उसके साथ साथ हमें ऐसी तकनीक और ऐसी टैक्नोलोजी, ऐसी मशीनें डैवलप करनी चाहिए जो सरल हो, आम लोगों की समझ में आ जाए और आसानी से उपयोग में लाई जा सके, तब जाकर मामला सुलझ सकता है।

इसके साथ साथ, जैसा इस प्रस्ताव में कहा गया है कि आखिर बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये कौन सा रास्ता अपनाया जाए, वैसे रास्ते तो कई सुझाए गए हैं परन्तु बेरोजगारी के संबंध में जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना का रास्ता बताया गया है वह ज्यादा उपयोगी प्रतीत होता है परन्तु छोटे उद्योगों के संबंध में 1956 की जो हमारी उद्योग नीति थी, उसके बाद जनता शासन की जो उद्योग नीति थी, उसके बाद पिछली सरकार के समय जो उद्योग नीति अख्तयार की गई, जिसके चलते हमने बाहर के कुछ बड़े उद्योगों को, मल्टी-नेशनल्स को अपने देश में दावत दी, हम बड़े उद्योगों या मल्टी-नेशनल्स के खिलाफ नहीं हैं परन्तु हम चाहते हैं कि आखिर उनके लिये एक क्षेत्र संरक्षित किया जाए, रिजर्व किया जाए क्योंकि अगर मान लीजिए, जैसे कन्ज्यूमर आईटम्स हैं, छोटे छोटे पदार्थ हैं, जिनके लिये किसी हाई टैक्नोलोजी या बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं है, अगर उन बड़े उद्योगों को ऐसी चीजें उत्पादन करने का अधिकार दे दिया गया तो छोटे उद्योग उनके मुकाबले कहीं ठहर नहीं सकते, जिन्दा नहीं रह सकते। इसके तीन प्रमुख कारण हैं क्योंकि बड़े उद्योगों में उत्पादन की कॉस्ट अपेक्षाकृत कम आती है, लागत कम आती है तथा उनकी आक्रामक विज्ञापन नीति के कारण जो मार्केटिंग होती है, वैसी सुविधा छोटे उद्योगों को नहीं मिल पाती। इसके साथ साथ हाई टैक्नौलोजी के नाते, जितने साधन उन्हें उपलब्ध हो जाते हैं, जनता के द्वारा, बैंकों के द्वारा, तमाम प्रकार के फाईनैन्शयल इंस्टीटयूशन्स के द्वारा जो सुविधाएं उन्हें मिल जाती हैं, वैसी सुविधाएं छोटे उद्योगों को नहीं मिल पाती।

हमारे बस्ती जिले में एक प्लास्टिक काम्प्लैक्स बना था लेकिन वह काम्पलैक्स चल नहीं पाया। उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि छोटे उद्योग या लघु उद्योग केवल बात करने से ही पनप नहीं सकते। लघु उद्योगों के विकास के लिये आवश्यकता इस बात की है कि जिस क्षेत्र विशेष में उन्हें स्थापित करना हो, पहले उसका सर्वे होना चाहिए कि क्या वहां कच्चा माल उपलब्ध है, क्या वहां टैक्नोलोजी उपलब्ध है, क्या वहां बाजार उपलब्ध है। बस्ती में जो प्लास्टिक काम्पलैक्स बना, उसके लिए कच्चा माल दिल्ली से ले जाया जाता था। अगर दिल्ली से कच्चामाल ले जाकर बस्ती में प्लास्टिक बनाया जाए और फिर उस तैयार माल को दिल्ली में लाकर बेचा जाए तो उससे लागत इतनी बढ़ जाती थी जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां तैयार प्लास्टिक दिल्ली की मार्केट मे या किसी दूसरी जगह की मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाया।

अपराह्न 6.00 बजे

नतीजा यह हुआ कि सारे उद्योग बैठ गए। इसलिए जिस एरिया में उद्योग लगाए जाएं उस एरिया का सर्वे किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सी जो कानूनी दिक्कतें हैं, जैसे बैंकों से ऋण लेने की तथा और सुविधाएं देने की, उसमें जो भ्रष्टाचार है, जो अफसरशाही है उसमें जो इंस्पेक्टर राज है वह भी खत्म होना चाहिए।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी जो राइस मिलें हैं, चावल बनाती हैं और धान या चावल की कुटाई करना चाहती हैं तो जो कानून हैं उसके हिसाब से बिना लाइसेंस लिए धान के कुटाई की मशीन नहीं लगा सकते। बड़ी मशीनों की बात छोड़ दीजिए, आप छोटी मशीन भी नहीं लगा सकते। यह कैसा कानून है? अगर इसमें किसानों को छूट हो जाए तो उनको सुविधा होगी। जब वे बाजार में धान ले जाते हैं और उसको बड़े व्यापारी या बिचौलिए खरीद लेते हैं तथा जो बड़ी-बड़ी राइस मिलों में जाता है उसका फायदा छोटे किसान को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इस प्रकार की जो कानूनी पाबंदियां हैं उनको हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। आप एक तरफ उदारीकरण की बात करते हैं, नए उद्योगों के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटाने की बात करते हैं वहीं दूसरी तरफ जो कृषि क्षेत्र संबंधित उद्योग हैं उन पर इस प्रकार की पाबंदियां लगाते हैं। यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है। इसलिए मैं सदन के जरिये मांग करना चाहता हूं कि चावल की कुटाई की मशीनों पर जो लाइसेंस देने का प्रतिबंध है उसको हटाया जाए।

हमारे एक बहुत ही सम्मानित मित्र बता रहे थे कि हालैंड में कुटाई की छोटी मशीन रिक्शे या छोटे ठेले पर बेरोजगार नौजवान रखते हैं और उसको लेकर गांव-गांव जाते हैं तथा किराये पर पैसा लेकर धान या चावल की कुटाई कर देते हैं। ऐसी ही टैक्नोलोजी की छोटी मशीनों के उत्पादन की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। उसके साथ-साथ जो कानून में रियायतें हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तीसरा, जो क्षेत्र हैं उनको आरक्षित नहीं करते, उनके ऊपर कानून प्रतिबंध नहीं लगाते तब तक आप छोटे उद्योगों को बढ़ा नहीं सकते। छोटे उद्योग नहीं बढ़ेंगे तो बेरोजगारी की समस्या कम नहीं होगी।

इसके साथ-साथ जो आर्थिक नीति है, जो विकास का सिद्धान्त है उसमें भी आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जा सके और दौलत या धन पैदा करने का अवसर पैदा किया जा सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, वक्तव्य तैयार है लेकिन कुछ लम्बा है। वक्तव्य साढ़े चार पृष्ठ का है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

साढ़े चार पन्ने हैं। आप कहें तो मैं पढ़ दूं या आप इजाजत दें और उचित समझें तो मैं इसको ले कर सकता हूं वैसे इसकी कापियां तो बांट दी गई हैं।

[अनुवाद]

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : क्या आप वक्तव्य का विषय बता सकते हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सब्जेक्ट तो वही है जो मैंने उस दिन हाउस में कहा था कि मैं बिहार जा रहा हूं और बिहार जाकर उस क्षेत्र के उन गांवों में जहां यह कांड हुआ है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सत्य पाल जैन : मैं समझता हूं कि यह बेहतर होगा यदि वक्तव्य पढ़ा जाए क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जी.एल. कनौजिया (खीरी) : कापी ले करने से यह गलत परम्परा पड़ेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शिवानन्द एच. कौजलगी (बेलगाम) : महोदय उन्हें वक्तव्य सभा पट पर रखना चाहिए।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सेंसिटिव इश्यू है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि माननीय गृहमंत्री वहां गए थे और उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। समाचार पत्रों में यह भी समाचार है कि उन्होंने बिहार पुलिस की गतिविधियों के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की है और उसपर अपनी टिप्पणी की है। हमें यह पता नहीं कि वक्तव्य में क्या कहा गया है। सदन में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांगने का कोई अवसर नहीं है हमें तो केवल वक्तव्य को सुनना मात्र है। यदि गृह मंत्री को आज इसे पढ़ने का समय नहीं है तो यह सोमवार को कर सकते हैं। लेकिन यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही मंत्री महोदय ने कहा था हमें समाचार पत्रों पर कोई विश्वास नहीं है। मैं उनसे सहमत हूं। हमें तो वक्तव्य सुनना और तभी हम इस पर अपना कोई निर्णय दे सकते हैं। यदि राज्य सरकार और पुलिस के विरूद्ध कुछ भी नहीं है तो हम यह सब भूलकर इसे स्वीकृत कर लेंगे। यदि ऐसा कुछ है

तो हम उसपर चर्चा की मांग करेंगे। इसलिए मंत्री महोदय सोमवार को वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जो संतोष माहेन देव जी ने कहा है, मैं भी उससे सहमत हूं। इसलिए मेरा केवल इतना निवेदन है कि चूंकि इस पर सदन में पहले चर्चा हो चुकी है और इस सम्बंध में माननीय गृह मंत्री का स्टेटमेंट पहले ही अखबारों में आ चुका है इसलिए इस स्टेटमेंट को सदन के पटल पर न रखा जाए, बल्कि मंत्री महोदय, पढ़ दें जिससे सबको जानकारी हो जाए।

महोदय, बिहार में पुलिस के कार्यकलाप के बारे पहले ही सदन में चर्चा हो चुकी है और यह बैटर रहेगा कि वे स्टेटमेंट को पढ़ें या हमें जिस्ट बताएं कि जो टिप्पणी उन्होंने बिहार पुलिस के बारे में की है क्या वे उसे सही मान रहे हैं। इसलिए या तो स्टेटमेंट पढ़ा जाए या इस पर सदन में चर्चा हो।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, यह वक्तव्य राज्य सभा में पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मैं जानता हूं।

श्री श्रीकांत जेना : यहां जैसा कि श्री संतोष मोहन देव ने कहा है, वक्तव्य पर मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण लेने की यहां प्रक्रिया नहीं है। इसलिए वक्तव्य सभापटल पर रख जायेगा। वक्तव्य उपलब्ध है और माननीय सदस्य इसे पढ़ सकते हैं। या फिर यह वक्तव्य सीधे ही समाचार पत्रों को दे दिया जायेगा क्योंकि यह राज्य सभा के पटल पर पहले ही रख दिया गया है। अतः यह उचित नहीं होगा। अतः वक्तव्य को सभापटल पर रख दिया जाए और यदि कोई अन्य बात है तो उस पर सोमवार को चर्चा की जा सकती है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है चूंकि गृह मंत्री महोदय सदन में विद्यमान हैं और सदन को यदि इसमें कोई आपत्ति न हो, तो वे इस स्टेटमेंट को पढ़ दें।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है और आदरणीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री महोदय स्टेटमेंट पढ़ दें।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : मुद्दा यह है कि मंत्री महोदय द्वारा पढ़ने के बजाए यदि इसे सभापटल पर रख दिया जाए तो सदस्य भी इसे पढ़ सकते हैं। यदि वक्तव्य सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। ...**(व्यवधान)** यदि सदस्य और 20 मिनट तक यहां बैठना चाहें, तो मंत्री महोदय इसे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है... **(व्यवधान)**

श्री सत्य पाल जैन : हम 20 मिनट तक और बैठ सकते हैं ...**(व्यवधान)** हम इस की प्रति चाहते हैं। यदि ये उपलब्ध है तो कृपया हमें दे दें...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्रतियां उपलब्ध हैं?

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : वक्तव्य के सभापटल पर रखे जाने के उपरान्त ही इसकी प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेंगी... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नियम के अनुसार इस स्टेटमेंट की कापीज आपको तभी मिलेगी जब यह टेबल पर ले हो जाएगा। ले होने के बाद ही आपको इसकी कापीज मिलेगी।

श्री कल्पनाथ राय : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी को स्टेटमेंट पढ़ने दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा नहीं होता है कि राज्य सभा में रख दिया जाए और लोक सभा, जो जनप्रतिनिधियों की संस्था है, उसमें न बोलने दिया जाए।

श्री श्रीकांत जेना : कल्पनाथ जी, राज्य सभा में ले हुआ है, पढ़ा नहीं गया है। राज्य सभा में क्लैरीफिकेशंस होते हैं। यहां क्लेरीफिकेशंस नहीं होते।

श्री कल्पनाथ राय : अब तक तो आप पढ़ देते।

उपाध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह स्टेटमेंट पहले ही राज्य सभा में ले हो चुका है इसलिए इसको मंडे तक पोस्टपोंड करने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। हम कोई नए संसद सदस्य नहीं हैं। सदन को गलत फहमी मे नहीं डाला जाना चाहिए। विभिन्न विषयों के विभिन्न वक्तव्य विभिन्न तिथियों को दिए गए हैं दोनों ही सदनों में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अब मुद्दा यह है कि हम उस वक्तव्य को देखना चाहते है।

टेबल आफिस हमें इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि इसे सभापटल पर नहीं रखा गया है...**(व्यवधान)** मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। दूसरा मुद्दा है कि संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री श्री श्रीकांत जेना ठीक कहते हैं। राज्य सभा में इसे सभापटल पर रखने दिया गया है। भूतपूर्व मंत्री के नाते मैंने इसे देख लिया है। कल, अर्थात सोमवार को वे स्पष्टीकरण मांगेंगे। वह इसे इस तरह नहीं जाने देंगे। दूरदर्शन के लोगों ने मुझ से इसपर टिप्पणी मांगी थी। मैंने उन्हें बताया कि जो कुछ समाचार पत्रों में छपा है वह सब सही नहीं है और जब तक मैं स्वयं नहीं सुन लूं मैं कुछ भी कैसे कह सकता हूं? इसलिए मैं कहूंगा कि यदि आप 8 बजे तक प्रतीक्षा करें, तो इसमें कोई पहाड़

नहीं टूट पड़ेगा। हम अगले 20 मिनट तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। उन्हें इसे पढ़ने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : इन परिस्थितियों को देखते हुए आप अपना वक्तव्य पढ़ सकते हैं।

अपराह्न 6.11 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

11 जुलाई, 1996 को बिहार के भोजपुर जिले में

आगजनी और नरसंहार की घटना गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि बिहार के भोजपुर जिले के सहार पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गांव बथानीटोला, बड़की खारां में 11 जुलाई, 1996 को 19 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी थी और मैंने इस सम्मानीय सदन में इस घटना के बारे में अपनी तरफ से एक वक्तव्य दिया था। वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए मैंने बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया। इस घटना के अन्य तथ्य एवं परिस्थितियां, जो ध्यान में लायी गयी, निम्न प्रकार से हैं।

घटना की पृष्ठभूमि के एक हिस्से के रूप में, बिहार सरकार ने उल्लेख किया कि जिला भोजपुर में पुलिस स्टेशन सहार के गांव बड़की-खारां में 29.4.96 को सी.पी.एम.एल. और रनबीर किसान महासंघ के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में गोलीबारी हुई। इस घटना के बाद, पुलिस ने रनबीर किसान महासंघ के गुप्तेश्वर सिंह और सी. पी.एम.एल. के नईमुद्दीन को 30.4.96 को गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेज दिया था। गुप्तेश्वर सिंह और नईमुद्दीन क्रमश : 23.5.96 और 11.6.96 को जमानत पर बाहर आए। उसके बाद इस क्षेत्र में पुनः तनाव पैदा हो गया। 8, 9 और 10 जुलाई, 1996 को सी. पी.एम.एल. के कार्यकर्ताओं और रनबीर किसान महासंघ के कार्यकर्ताओं के बीच गोलियां चली। रनबीर किसान महासंघ के कार्यकर्ताओं को संदेह था कि रनबीर किसान महासंघ के समर्थकों पर हमला करने के लिए सी.पी.एम.एल. के सशस्त्र दस्ते को बुलाने के पीछे नईमुद्दीन का दिमाग था। 25.4.96 को रनबीर किसान महासंघ के कार्यकर्ताओं द्वारा सुल्तान मियां नामक व्यक्ति (सी.पी.एम.एल. कार्यकर्ता) की हत्या की गयी थी और बताया जाता है कि नईमुद्दीन ने उसके शव को प्राप्त करने और दफनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। इससे रनबीर किसान महासंघ के कार्यकर्ता क्रुद्ध हो गए बताए जाते हैं। परिणामतः रनबीर किसान महासंघ के लगभग 60 कार्यकर्ता 11.7.96 को सी.पी.एम.एल. कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से नईमुद्दीन पर हमला करने के लिए बथानीटोला गए।

बिहार राज्य प्रशासन ने यह भी उल्लेख किया कि उपर्युक्त के अलावा यह घटना, रनबीर किसान महासंघ और सी.पी.आई (एम. एल.) के बीच पिछले लगभग दो वर्षों से हो रही झड़पों के परिणामस्वरूप, सहार पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गांव नरही में 5.5.96 को रनबीर सेना के 9 समर्थकों की हत्या का बदला लेने की इच्छा के कारण भी हुई। 1996 में इस प्रकार की 7 घटनाएं हुई जिनके परिणामस्वरूप अनेक लोग मारे गए और जख्मी हुए। इस प्रकार की घटनाएं 1995 में भी हुई थी।

राज्य सरकार ने कहा कि सुरक्षा प्रदान करने के बारे में स्थानीय प्रशासन या स्थानीय निवासियों द्वारा कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई थी 11.7.96 को हुई घटना के घटनास्थल पर कोई पुलिस शिविर नहीं थे परन्तु घटनास्थल के आधा से 1.5 कि.मी. की परिधि के अन्दर कम से कम तीन पिकेटें तैनात थी। हिंसा की इस हाल की घटना में परम्परागत आग्नेयास्त्रों/देशी आग्नेयास्त्रों/तेज धार वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। बिहार सरकार के कथन के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 6 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं थे। एक उप निरीक्षक, 5 हवलदार और 18 कांस्टेबल, जो घटनास्थल के नजदीक पिकेटों पर तैनात किए गए थे, ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में निलम्बित कर दिए गए हैं। बताया गया है कि आगे की कार्रवाई के एक भाग के रूप में पहले उल्लिखित 26 व्यक्तियों के अलावा 15.7.96 को रनबीर सेना के 18 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। छापे और तलाशियां जारी हैं।

तीन जख्मी व्यक्तियों नामतः राधिका देवी, सद्दाम हुसैन और कुसुमा कुमारी को गंभीर रूप से जख्मी हालत में पटना मेडीकल कालेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। दो अन्य जख्मी व्यक्ति नामतः शैलेन्द्र चौधरी और बेबी को आरा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। नरसंहार के परिणामस्वरूप, अभी तक, तीन लाईसेंसशुदा डी.बी.बी.एल. गनें, दो देशी पिस्तौलें और 90 चक्र गोलाबारूद बरामद किए गए हैं। 4 सैट खाकी वर्दियां, आर्म्स मजिस्ट्रेट की जाली मुहरें आदि भी बरामद की गयी।

नईमुद्दीन ओर उसके बेटे के परिवारों को दो अलग-अलग इकाइयां माना गया है और इसीलिए प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया है। पीड़ित लोगों और मृतकों के परिवारों को मदद देने के लिए राज्य प्रशासन द्वारा अन्य अतिरिक्त राहत उपाय किए गए हैं।

रनबीर सेना की तरह ही बिहार में दो अन्य सेनाओं के सक्रिय होने की सूचना है। ये हैं-सनलाईट सेना और ग्राम सुरक्षा परिषद। बिहार सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि सेना की गतिविधि के कारण 1000 व्यक्ति मारे गए हैं। बिहार सरकार ने आगे कहा है कि रनबीर किसान महासंघ अथवा रनबीर सेना 22.1.95 से अस्तित्व में आई और अब तक आर.के.एम.एस. के कार्यकर्ताओं द्वारा सी.पी. एम.एल. में संबंधित 69 व्यक्तियों की हत्या की गई है। इस क्षेत्र के आपास पुलिस चौकियों के बारे में राज्य प्रशासन द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र के आस-पास बड़कीखारां ग्राम, पातालपुरा गांव और छोटकी खारां गांव नामक स्थानों में तीन पुलिस पिकेटें तैनात की गई थी। उस क्षेत्र में पुलिस के पास उपलब्ध शस्त्रों के स्वरूप के बारे में राज्य प्रशासन ने बताया कि पुलिस के पास परम्परागत हथियार हैं।

आसूचना एजेन्सियों की भूमिका के बारे में यह पता चला कि 25.5.96 से लेकर अब तक कम से कम आठ आसूचना रिपोर्टें पुलिस

अधीक्षक, आरा को भेजी गई थीं जिनमें बथानी टोला/बड़कीखारां पर हमले की आशंका की सूचना थी। इसके जवाब में, बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक ने इस क्षेत्र में सशस्त्र बल तैनात किए थे। ऐसी घटनाओं के परिणामस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण करने के मानदण्डों के बारे में राज्य प्रशसन ने बताया कि ऐसी घटनाओं के मामले में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित करने के संबंध में कोई कड़े नियम नहीं हैं तथा परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक मामले में स्थानांतरण संबंधी फैसले किए जाते हैं। इस सुझाव पर कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर पुलिस महानिदेशकों की आगामी बैठक में चर्चा की जानी चाहिए, बिहार सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की। ऐसी गंभीर स्वरूप वाली समस्याओं के दीर्घकालिक हल के मुद्दे पर बिहार राज्य प्रशासन का उत्तर यह था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भूमि सुधार उपायों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को तेजी से कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

मेरे दौरे के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने बिहार में, तथा विशेष रूप से बिहार के समस्याग्रस्त 12 जिलों में, कम से कम दो माह की अवधि के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों को तैनात करने मांग की। उन्होंने अपराध को काबू करने के लिए बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण का मुद्दा भी उठाया।

केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती पर बल देते हुए राज्य प्रशासन के अधिकारियों ने यह विचार व्यक्त किया कि केन्द्रीय बल इस कार्य के लिए अधिक उपयोग और सक्षम हैं ओर स्थानीय बलां की संख्या बढ़ाने का वैकल्पिक सुझाव अधिक समय लेने वाला होगा तथा उसके तुरन्त परिणाम भी नहीं मिलेंगे।

माननीय सदस्यों को पहले ही बताई जा चुकी ब्यौरे वार स्थिति के मद्दे नजर, मैं निम्नलिखित टिप्पणियां करना चाहूंगा :-

1. राज्य सरकार ने इस बात का प्रतिवाद नहीं किया है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का आसन्न कारण, जिला तंत्र की असफलता ही रहा है। वस्तुतः, राज्य प्रशासन ने यह मान लिया कि इस आसन्न दुर्घटना के बारे में आसूचना की उपलब्धता और आस-पास के इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिए जाने के बावजूद या तो विधि प्रवर्तक एजेंसियों की मिली भगत या फिर उनके द्वारा साहस का प्रदर्शन न किए जाने के कारण यह नरसंहार टाला न जा सका। इसे देखते हुए गंभीर आत्मचिंतन की जरूरत है और इस प्रकार की स्थिति हेतु दीर्घकालिक उपाय करने के लिए निवारक कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि भविष्य में इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में राज्य प्रशासन हमें सूचित करता रहेगा।

2. यह मान लिया गया है कि बिहार के उक्त 12 समस्याग्रस्त जिलों में अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए निरन्तर तलाशी अभियान बहुत जरूरी हैं। अर्द्ध-सैनिक बलों की 20 कम्पनियों की अतिरिक्त तैनातो के लिए किए गए राज्य सरकार के अनुरोध की जांच और उस पर विचार तभी किया जाएगा जबकि सन्निकट विधान सभा चुनावों के लिए कुछ अन्य राज्यों में हमारी प्रतिबद्धता पूरी हो जाएगी। तब तक, तलाशी अभियानों को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार को अपने स्वयं के संसाधन जुटाने चाहिए और राज्य सरकार के साथ अपनी वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर मैंने बल दिया है। मैंने, स्थानीय बल में प्रशिक्षण एवं नेतृत्व की जरूरतों पर भी जोर दिया है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाले तंत्र जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को बाहरी दबावों से अलग रखने से भी स्थितियां सुधारने की दिशा में प्रगति होगी।

3. बिहार पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त सहायता हेतु अनुरोध की जांच भी, तथ्यों के वस्तुपरक विवेचन के आधार पर की जाएगी।

4. इस गंभीर समस्या का दीर्घकालीन समाधान खोजना होगा और जैसाकि राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भूमि सुधार उपाय एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को जोर-शोर से लागू करना होगा। इस उद्देश्य हेतु राज्य की मशीनरी को मुख्य भूमिका निभानी होगी और सच तो यह है कि उसे ही प्रधान कर्ता के रूप में काम करना होगा। केन्द्र सरकार, निःसन्देह मदद करेगी। भूमि हदबंदी कानूनों को भी बिहार में समुचित ढंग से लागू किया जाना होगा। जमीन को कुछ चुनिंदा लोगों के ही हाथ में नहीं रहने देना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति से राज्य में सामाजिक आर्थिक तनाव निश्चित रूप में और भी पैदा होगा और संघर्ष के क्षेत्र और भी विस्तृत होंगे।

5. बेरोजगारी की समस्या भी खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई है और इसे, हमारे अब तक के प्रयासों से काफी आगे बढ़कर जोरदार ढंग से सुलझाना होगा।

6. अंततः, जैसाकि संयुक्त मोर्चा सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में पहले ही जोर देकर कहा कहा गया है, ग्रामीण गरीबी के मुद्दे पर सरकार को विशेष और तुरंत ध्यान देना चाहिए तथा ग्रामीण इलाकों का विकास, अब हमारी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 22 जुलाई, 1996 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 22 जुलाई, 1996/31 आषाढ़, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी. एल. एस.–48/3/8/96 (एन.)
250

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और **डाटा प्वांईट**, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।